

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार 30 जून 2014 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत
केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2013-14



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं.सवि.551/02.16.001/2014-15

21 अगस्त, 2014
30 श्रावण, 1936 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय:

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हैं; और
- (ii) 30 जून 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

रघुराम जी. राजन

[रघुराम जी. राजन]

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

रघुराम जी. राजन

उप गवर्नर

हारून आर. खान

ऊर्जित आर. पटेल

आर. गांधी

एस. एस. मूंदड़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

अनिल काकोडकर

किरण एस.कर्णिक

नचीकेत एम.मोर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाइ.एच.मालेगाम

दीपांकर गुप्ता

जी.एम.राव

इला भट्ट

इंदिरा राजारामन

वाई.सी.देवेश्वर

दामोदर आचार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

अरविंद मायाराम

गुरदयाल सिंह संधू

स्थानीय बोर्डों के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

किरण एस.कर्णिक

पूर्वी क्षेत्र

नचीकेत एम.मोर

अनिला कुमारी

शरीफुज्जमां लस्कर

उत्तरी क्षेत्र

अनिल काकोडकर

कमल किशोर गुप्ता

मिहिर कुमार मोइत्रा

ए. नवीन भंडारी

दक्षिणी क्षेत्र

के. सेल्वराज

किरण पांडुरंग

प्रधान अधिकारी

(13 अगस्त 2014 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

दीपक मोहंती
पी. विजय भास्कर
बी. महापात्र
जी. पद्मनाभन
जसबीर सिंह
दीपाली पन्त जोशी
एन. एस. विश्वनाथन
यू. एस. पालीवाल
चंदन सिन्हा

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष
ग्राहक सेवा विभाग
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
संचार विभाग
मुद्रा प्रबंध विभाग
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
वित्तीय बाजार विभाग
वित्तीय स्थिरता इकाई
विदेशी मुद्रा विभाग
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
निरीक्षण विभाग
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
विधि विभाग
मौद्रिक नीति विभाग
परिसर विभाग
राजभाषा विभाग
जोखिम प्रबंध विभाग
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
सचिव विभाग
शहरी बैंक विभाग

सुरेखा मरांडी, मुख्य सतर्कता अधिकारी
अरूण पसरीचा, मुख्य महाप्रबंधक
सुदर्शन सेन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पी. आर. रवि मोहन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अल्पना किल्लावाला, प्रधान प्रेस संपर्क अधिकारी
बी. पी. विजयेन्द्र, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बी. एम. मिश्रा, प्रधान परामर्शदाता
राजेश वर्मा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
एम. सरकार देब, मुख्य महाप्रबंधक
एस. गणेशकुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी
पी. पार्थसारथी, परामर्शदाता
के. के. वोहरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
विजय चुग, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
ए. के. श्रीमानी, प्रभारी अधिकारी
जी. महालिंगम, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
एस. राजगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक
बी. पी. कानुनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आर. एल. दास, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
एम. सेबस्टियन, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आर. जी. वारियर, मुख्य महाप्रबंधक
मोना आनंद, विधि परामर्शदाता
एम. डी. पात्र, प्रधान परामर्शदाता
एस. वेकटचलम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
रमाकांत गुप्ता, महाप्रबंधक
एम. राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक
ए. उद्गाता, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बाजिल शेख, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
ए. के. बेरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

प्रधानाचार्य

मीना हेमचंद्र
उमा सुब्रमणियम

कार्यालय

चेन्नै
कोलकाता
मुंबई
नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक

जे. सदाकदुल्ला
आर. एन. कर
एस. रामस्वामी
दीपक सिंहल

शाखाएं

अहमदाबाद
बेंगलुरु
भोपाल
भुवनेश्वर
चंडीगढ़
देहरादून
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जम्मू
कानपुर
लखनऊ
नागपुर
पटना
शिमला
तिरुवनंतपुरम

पी. सी. साहू
उमा शंकर
मुरली राधाकृष्णन
पी. के. जेना
रश्मि फोजदार
आर. एल. शर्मा
एस. एस. बारीक
के. आर. दास
सत्येन डेविड
के. के. सराफ
शेखर भटनागर
सुप्रिया पट्टनायक
जे. एम. जीवानी
एम. के. वर्मा
आई. एस. नेगी
निर्मल चंद

अगरतला
बेलापुर
गंगतोक
कोच्ची
पणजी
रायपुर
रांची
शिलॉंग
श्रीनगर

प्रभारी अधिकारी

अनिल के. शर्मा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
अजय मिचयारी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
मानबंद मिश्रा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
सी. वी. जोर्ज, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
जयकिश, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संजीव शर्मा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
सौरभ सिन्हा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
अमरनाथ, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रमेश चंद, प्रभारी उप महाप्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था:समीक्षा और संभावनाएं

I.	मूल्यांकन और संभावनाएं.....	1
	2013-14 का मूल्यांकन	2
	2014-15 की संभावनाएं.....	3
	भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकाल और मध्यावधि में कतिपय चुनौतियां.....	8
II.	आर्थिक समीक्षा	15
	वास्तविक अर्थव्यवस्था.....	15
	मूल्य की स्थिति.....	25
	मुद्रा और ऋण	33
	वित्तीय बाजार.....	38
	सरकारी वित्त.....	46
	बाह्य क्षेत्र	50
भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन		
III.	मौद्रिक नीति परिचालन	55
	मौद्रिक नीति परिचालन : संदर्भ और औचित्य.....	55
IV.	ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन.....	64
	ऋण वितरण	64
	वित्तीय समावेशन.....	67
	वित्तीय साक्षरता	69
V.	वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन.....	72
	सरकारी प्रतिपूर्ति बाजार	73
	विदेशी मुद्रा विनियम बाजार	74
	व्युत्पन्नी बाजार	77
VI.	विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता.....	79
	वित्तीय स्थिरता आकलन.....	79
	बैंकिंग क्षेत्र का आकलन.....	81
	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय	84
	वाणिज्यिक बैंक	85
	शहरी सहकारी बैंक	89
	ग्रामीण सहकारिताएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.....	91
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम.....	92
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां.....	92
	ग्राहक सेवा	95
	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड.....	97

	पृष्ठ संख्या
VII. लोक ऋण प्रबंध.....	101
केन्द्र सरकार का ऋण प्रबंध.....	101
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंध.....	103
VIII. मुद्रा प्रबंध.....	106
परिचालनगत बैंक नोट.....	106
परिचालनगत सिक्के.....	106
मुद्रा संबंधी लेनदेन.....	107
स्वच्छ नोट नीति.....	108
जाली बैंक नोट.....	109
प्रतिभूति मुद्रण एवं वितरण पर व्यय.....	109
IX. भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी.....	110
भुगतान प्रणालियों के रुझान.....	111
नीतिगत पहलें.....	112
बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय पहलें.....	116
रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी.....	117
X. अभिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन.....	119
अभिशासन में सुधार के उपाय.....	119
केन्द्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्डों के निदेशक/सदस्य - परिवर्तन.....	120
संप्रेषण प्रक्रिया में की गई पहल.....	121
मानव संसाधन संबंधी पहल.....	123
संगठनात्मक प्रबंधन में की गई पहल.....	124
बैंक में उद्यमगत व्यापक जोखिम प्रबंधन.....	128
XI. रिज़र्व बैंक का विज़न और 2014-15 के लिए कार्यसूची.....	131
XII. 2013-14 हेतु रिज़र्व बैंक के लेखा.....	132
तुलन पत्र.....	140
30 जून, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति संबंधी विवरण.....	142
आय.....	154
व्यय.....	156
अनुबन्ध I	159

परिशिष्ट सारणियों के सूचकांक

1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक.....	161
2.	वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना-आपूर्ति और व्यय (2004-05 कीमतों पर).....	163
3.	मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण.....	164
4.	पूँजी बाजार - प्राथमिक एवं गौण	165
5.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	166
6.	केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण.....	167
7.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन.....	168
8.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: देश-वार एवं उद्योग-वार.....	169

बॉक्स

I.1	कम बरसात और उसके परिणाम	5
I.2	मूलभूत सुविधाओं में निजी क्षेत्र के साथ संविदागत व्यवस्था पर पुनर्विचार.....	11
II.1	भारत में निवेश चक्र और हाल की मंदी.....	16
II.2	भारत में उत्पादकता वृद्धि	18
II.3	मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में रुझान : भारत में सर्वेक्षण आधारित उपायों के साक्ष्य.....	28
II.4	भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति का गति-विज्ञान.....	29
II.5	उभरती बजारों के लिए अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाहर निकलने के कारण उत्पन्न जोखिम	33
II.6	भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक कर्ज एवं इक्विटी प्रवाहों को समझना	42
II.7	बैंकिंग उद्योग की संरचना - एक वैश्विक दृष्टिकोण.....	44
II.8	सीपीआई-आधारित रीर से प्राप्त जानकारी	53
III.1	विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया	57
III.2	मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे में परिवर्तन.....	58
III.3	मौद्रिक नीति के सहज प्रसारण में रुकावट डालने वाले कारक.....	61
IV.1	बीसी मॉडेल को मजबूत बनाने हेतु दिशा-निर्देश.....	68
IV.2	लघु कारोबारों एवं कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में समिति की सिफारिशें	70
V.1	वित्तीय बेंचमार्कों में सुधार.....	72
VI.1	अंतर्राष्ट्रीय सहमति वाले सुधारों का भारत में कार्यान्वयन	80
VI.2	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने का ढाँचा: सीआरआईएलसी की प्रमुख भूमिका	82
VI.3	बासल III: प्रतिक्र्रीय पूँजी बफर.....	86
VI.4	बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली और बैंकिंग लोकपाल योजना	95

	पृष्ठ संख्या
VI.5	एफएसएलआरसी के गैर-विधायी सुझावों का कार्यान्वयन 97
IX.1	बैंक सुविधा से वंचित लोगों के लिए कार्ड रहित नकदी आहरण सुविधा 112
IX.2	मोबाइल बैंकिंग से संबंधित तकनीकी समिति..... 114
IX.3	विदेशी मुद्रा व्यापार संपीड़न (कंप्रेशन) 114
IX.4	वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचा 115
चार्ट	
II.1	वास्तविक जीडीपी में संवृद्धि..... 15
II.2	बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी में संवृद्धि..... 16
II.3	निवेश में प्रवृत्ति..... 17
II.4	पारिवारिक वित्तीय बचतें..... 20
II.5	खाद्य स्टॉक और इसके निर्धारक..... 21
II.6	आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि..... 22
II.7	सेवा क्षेत्र की जीडीपी में वृद्धि 23
II.8	सड़क क्षेत्र का निष्पादन 24
II.9	निर्यात-मुखी क्षेत्रों में रोजगार सृजन (वार्षिक परिवर्तन) 25
II.10	मुद्रास्फीति में रुझान: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त..... 26
II.11	खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई के दबाव बिंदु..... 27
II.12	सीपीआई-आईडब्ल्यू में सेवा मूल्य सूचकांक 27
II.13	सीपीआई खाद्य समूह में मुद्रास्फीति एवं मूल्य अस्थिरता: जनवरी 2012-जून 2014 29
II.14	प्रमुख राज्यों में सीपीआई मुद्रास्फीति: जून 2014 29
II.15	थोकमूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में रुझान..... 30
II.16	वैश्विक एवं देशी ईंधन मूल्य में घट-बढ़..... 31
II.17	वैश्विक पण्य मूल्यों में रुझान..... 32
II.18	2013- 14 में चलनिधि स्थिति सामान्यतः सख्त बनी रही..... 36
II.19	कुल मौद्रिक राशियों में घट-बढ़ 37
II.20	ऋण के क्षेत्रगत अभिनियोजन की प्रवृत्ति 38
II.21	अनिश्चितताएं कम होने से वैश्विक बाजारों में सुधार हुआ 39
II.22	मुद्रा बाजार की दरें..... 40
II.23	जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) तथा वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के रुझान..... 40
II.24	सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार के रुझान..... 41
II.25	इक्विटी और कर्ज क्षेत्रों में निवल संस्थागत निवेश प्रवाह..... 43

	पृष्ठ संख्या
II.26 इक्विटी बाजार के रुझान	43
II.27 आवास मूल्य सूचकांक में घटबढ़	46
II.28 घाटा संकेतक - बजट अनुमान बनाम उत्पादन.....	46
II.29 पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति	49
II.30 राज्य सरकारों के मुख्य घाटा संकेतक	49
II.31 भारत के पण्य व्यापार	50
II.32 चालू खाता घाटा के वित्तपोषण का स्वरूप.....	53
II.33 रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	54
III.1 प्रतिफल अंतर (10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति : भारत - अमरीका) और विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव	57
VII.1 भारत सरकार के नकदी शेष	103
 पाठ्य सामग्री की सारणियां	
II.1 सकल नियत पूंजी निर्माण.....	18
II.2 पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतें (सकल)	19
II.3 क्षेत्र-वार सकल घरेलू बचतें.....	20
II.4 कृषि उत्पादन 2013-14.....	21
II.5 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी)	22
II.6 विभिन्न देशों की विनिमय दरों में अमरीकी डॉलर की तुलना में घटबढ़	42
II.7 पूंजी बाजार के प्राथमिक जुटाव में थोड़ा सुधार हुआ	46
II.8 केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्य-निष्पादन.....	47
II.9 केंद्र सरकार की व्यय संबंधी चुनिंदा मदें.....	48
II.10 केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व	48
II.11 2013-14 में निर्यात वृद्धि के प्रमुख गंतव्य-स्थान.....	51
II.12 आयात में क्षेत्र-वार गिरावट.....	51
II.13 बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक	53
III.1 मौद्रिक नीति चक्र के विभिन्न चरण में प्रसारण में असमानता (बैंकों की जमा और उधार दरों के प्रति)	62
III.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरें (क्षे.ग्रा.बैं.को छोड़कर).....	62
III.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षे.ग्रा.बैं. को छोड़कर) की क्षेत्रवार मध्यमान उधार दरें (वे दरें जिनपर 60 प्रतिशत कारोबार की संविदा की जाती है).....	63
IV.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	64
IV.2 कृषि ऋण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि.....	65
IV.3 कृषि ऋण हेतु बैंक समूह-वार लक्ष्य और उपलब्धि : 2013-14	65

IV.4	एनपीए - कृषि ऋण.....	65
IV.5	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली	65
IV.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण	66
IV.7	वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार	67
IV.8	वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा प्रारंभ गतिविधियां	69
VI.1	चुनिंदा वित्तीय संकेतक	81
VI.2	संकेतक.....	83
VI.3	एआरसी की तुलना में ऋण बिक्री (लोन सेल्स).....	83
VI.4	सभी क्षेत्रों में कुल एनपीए.....	84
VI.5	डी-एसआईबी के लिए ड्राफ्ट ढाँचा	88
VI.6	यूसीबी के विलय/अधिग्रहण में राज्य-वार प्रगति	90
VII.1	केंद्र सरकार का सकल और निवल बाजार उधार	101
VII.2	केंद्र सरकार के बाजार ऋण - प्रोफाइल	102
VII.3	भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप.....	102
VII.4	राज्यों द्वारा बाजार से लिए गए उधार.....	104
VII.5	डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग एवं राज्य सरकार के निवेश (औसत मासिक बकाया)	105
VIII.1	संचलन में बैंक नोट	106
VIII.2	संचलन में सिक्के	107
VIII.3	मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो.....	107
VIII.4	बैंक नोटों की मांग और प्रेसों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)	108
VIII.5	सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)	108
VIII.6	रिजर्व बैंक द्वारा गंदे नोटों का नष्ट किया जाना.....	108
VIII.7	पता लगाई गई जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च).....	109
VIII.8	बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान जाली नोटों का मूल्य-वर्ग वार पता लगाना (अप्रैल-मार्च).....	109
IX.1	भुगतान प्रणाली के संकेतक - कुल वार्षिक कारोबार	110
X.1	रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान - आयोजित कार्यक्रम	123
X.2	भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	123
X.3	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2013.....	124
X.4	भारतीय रिजर्व बैंक की स्टाफ संख्या	125

	पृष्ठ संख्या
X.5 श्रेणीवार वास्तविक स्टाफ-संख्या	125
X.6 रिजर्व बैंक में कार्यालयवार स्टाफ-संख्या (29 जून 2014 की स्थिति के अनुसार)	126
XII.1 सोने की धारिता.....	145
XII.2 जमाराशियां - अन्य	147
XII.3 अन्य देयताओं के विवरण.....	148
XII.4 आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्तिक विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां.....	148
XII.5 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए) 'पहले का विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए)' और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां	149
XII.6 विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण	151
XII.7क विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (रुपये में)	151
XII.7ख विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (अमरीकी डॉलर में)	151
XII.8 बैंकिंग विभाग का निवेश	152
XII.9 सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	152
XI.10 अन्य आस्तियों का विवरण	153
XI.11 सकल आय	154
XI.12 विदेशी स्रोतों से अर्जन.....	154
XI.13 देशी स्रोतों से अर्जन	155
XI.14 व्यय	156
XI.15 एजेन्सी प्रभार.....	156
XI.16 सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां	157

संक्षेपाक्षर - सूची

एबीआई	- प्राधिकृत बैंक निवेशक	बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	बीओ	- बैंकिंग लोकपाल
एडीएफ	- स्वचालित /कंप्यूटरीकृत आकड़ों की उपलब्धता/ प्रवाह	बीपीसीएल	- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार रसीद	बीपीओ	- व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
एडीआर	- आस्ति विकास आरक्षित निधि	बीपीआर	- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास
एई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	बीपीएस	- आधार अंक
एएफए	- अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एएफओ	- स्व विफलता	बीआर एकट	- बैंककारी विनियमन अधिनियम
एएफएस	- बिक्री के लिए उपलब्ध	बीआरआइसीएस	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्था	बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एएमएल	- धनशोधन निवारण	ब्रिक्स-सीआरए	- ब्रिक्स-आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	बीएसबीडीए	- साधारण बचत बैंक जमा खाता
एपीएमसी	- कृषि उत्पाद विपणन समिति	बीएसई	- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	बीटीएन	- भूतान मुद्रा
एआरएमएस	- लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
एएसआई	- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण	सीएडी	- चालू खाता घाटा
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	सीबीएलओ	- संपाश्वीकृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्ति	सीबीएस	- कोर बैंकिंग सुविधा
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान सेवाएं	सीसीसीबी	- प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर
बीसी	- बिजनेस कॉरैस्पॉण्डेंट / व्यवसाय प्रतिनिधि	सीसीआई	- निवेश संबंधी कैबिनेट समिति
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन	सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार
बीसी	- बिजनेस कॉरैस्पॉण्डेंट्स/व्यवसाय प्रतिनिधि	सीडी	- जमा प्रमाण-पत्र
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड	सीडीएस	- चालू दैनिक स्थिति
बीई	- बजट अनुमान	सीई ऑफ ओबीई	- तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड		
बीआईसी	- बैंक निवेश कंपनी		

संक्षेपाक्षर - सूची

सीईआरएसएआई	- भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का केंद्रीय पंजीयन कार्यालय	डीसीसी	- जिला परामर्शदात्री समिति
सीईटी-1	- सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी	डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सीएफएसए	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन के लिए बनी समिति	डीसीसीओ	- वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ की तिथि
सीजीआरए	- मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	डीसी	- डाटा केन्द्र
सीएचआरएस	- व्यापक मानव संसाधन प्रणाली	डीडी	- मांग ड्राफ्ट
सीआईसी	- साख सूचना कंपनियां	डीईए कोष	- जमाकर्ता साक्षरता और जागरूकता कोष
सीआईसी	- मूल निवेश कंपनियां	डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
सीआईएसओ	- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी	डीआईएफ	- जमा बीमा कोष
सीआईटी	- मार्गस्थ नकदी	डीएलआरसी	- जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति
सीएमबी	- नकदी प्रबंधन बिल	डीआर	- आपदा उद्धार
सीओआर	- पंजीकरण प्रमाण-पत्र	डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र	डी-एसआईबी	- देशी-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
सीपीसी	- चेक संसाधन केंद्र	डीटीएल	- मांग और मीयादी देयताएं
सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीयूकेपीटी	- प्रति टर्मिनल व्युत्पन्न विशिष्ट सकेत
सीपीएसआईपीएस	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली हेतु मुख्य सिद्धांत	ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण
सीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति	ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार
सीआर	- आकस्मिकता आरक्षित निधि	ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली
सीआरए	- साख निर्धारण एजेंसी	ईसीआर	- निर्यात ऋण पुनर्वित्त
सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा ईडीएमएस - इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
सीआरजीएफटीएलआईएच	- निम्न आय वर्ग के लिए आवास हेतु ऋण जोखिम निधि न्यास	ईईए	- विदेशी मुद्रा समकरण खाता
सीआरआईएलसी	- बड़े ऋणों के संबंध में केंद्रीय सूचना कोष	इकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल
सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात	ईएमडीई	- उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
सीएसडी	- केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार	ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
सीएसओ	- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय	ईएमआई	- समीकृत मासिक किस्त
सीटीएस	- चेक ट्रैकेशन प्रणाली	ईएमवी	- यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीजा
डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	ईओआई	- अभिरुचि प्रस्ताव
		ईपीसी	- अभियांत्रिकी, सरकारी खरीद और निर्माण
		ईआरएम	- उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन ईटीसीडी - विनिमय व्यापारित मुद्रा व्युत्पन्नी

संक्षेपाक्षर - सूची

ईयू	- यूरोपीय संघ	एफएक्स	- विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा विनिमय
ईयूआरआईबीओआर	- यूरो अंतर-बैंक प्रस्तावित दर	जीएजी	- गिरो प्रणाली परामर्शी समूह
एक्विजम बैंक	- भारतीय निर्यात आयात बैंक	जीएआरसीएच	- सामान्यीकृत आटो-रिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोसकेडाटिसिटी
एफसी-XIII	- तेरहवां वित्त आयोग	जीबी	- गीगाबाइट
एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां	जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड
एफसीआई	- भारतीय खाद्य निगम	जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद
एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक)	जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार रसीद
एफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यांकन खाता	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम खपत व्यय
एफडीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	जीएफसीएफ	- सकल नियत पूंजी निर्माण
एफईडी	- फेडरल रिजर्व	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
एफईडीएआई	- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ	जीओआई/ भा.स.	- भारत सरकार
एफईआर	- विदेशी मुद्रा भंडार	जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां
एफआई	- वित्तीय समावेशन	जीएसटी	- माल और सेवा कर
एफआईआई	- विदेशी संस्थागत निवेशक	एचएफटी	- ट्रेडिंग के लिए धारित
एफआईएमएमडीए	- निश्चित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ	एचएलएसी	- उच्च स्तरीय सलाहकार समिति
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजनाएं	एचपी	- हॉट्रिक-प्रेसकॉट
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	एचपीसीएल	- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
एफएमआई	- वित्तीय बाजार मूलभूत व्यवस्थाएं	एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां
एफएनवी	- जाली नोट सतर्कता	एचआर	- मानव संसाधन
एफपीआई	- विदेशी संविभाग निवेशक	एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
एफपीओ	- अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
एफआरए	- वित्तीय संकल्प प्राधिकरण	आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
एफआरबीएम एक्ट	- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम	आईसीआरआईआईआर	- भारतीय अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद
एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	आईडीएफ	- बुनियादी ढांचा कर्ज निधि (बहु वचन)
एफएसआई	- वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	आईडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
एफएसएलआरसी	- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग	आईएफसी	- भारतीय वित्तीय कोड (एक वचन)
एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट		
एफएसडब्ल्यूएम	- वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित		

संक्षेपाक्षर - सूची

आईएफसी	- बुनियादी संरचना वित्तीय कंपनी	जेवी	- संयुक्त उद्यम
आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान	केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
आईआईबी	- मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड	केएलईएमएस	- पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं
आईआईएनएसएस-सी	- मुद्रास्फीति सूचकांकित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचयी	केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
आईआईटी	- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग	एलबीएस	- अग्रणी बैंक योजना
आईएमपीएस	- तत्काल भुगतान सेवा	एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
आईएनआर	- भारतीय रुपया	एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता
आईओसी	- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	एलआईबीओआर	- लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आईओआरडब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्यकारी दल	एलएलपी	- सीमित देयता भागीदारी
आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एलओबीओएम	- बही और बाजार मूल्यों में से निम्नतर
आईपी	- इंटरनेट प्रोटोकॉल	एलओयू	- स्थानीय परिचालन इकाई
आईपीडीआई	- नवोन्मषी स्थायी / बेमियादी कर्ज लिखत	एलपीए	- दीर्घावधि औसत
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एलपीजी	- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
आईपीएस	- अनुचित हस्तक्षेप निवारण प्रणाली	एलपीवीआर	- राजस्व का न्यूनतम वर्तमान मूल्य
आईआरए	- निवेश पुनर्मूल्यन खाता	एलआरएस	- उदारीकृत विप्रेषण योजना
आईआरडी	- ब्याज दर व्युत्पन्नी	एलएसई	- लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स	एलटीडी	- दीर्घावधि जमाराशियां
आईआरएस	- ब्याज दर स्वैप	एलटीवी	- मूल्य की तुलना में कर्ज
आईएस	- सूचना सुरक्षा	एमएएफ	- चिकित्सा सहायता कोष
आईएस	- सूचना प्रणाली	एमसीएम/डी	- प्रतिदिन मिलियन घन मीटर
आईएसआई	- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	एमएफआई	- सूक्ष्म-वित्त संस्था
आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र	एमजीएनआरईजीए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एमआईबीआईडी	- मुंबई अंतर-बैंक बोली दर
आईटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल	एमआईबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आईटीएससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति	एमआईसीआर (माइकर)	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
जेएलएफ	- संयुक्त उधारदाता फोरम	एमआइसी	- बाजार बुनियादी ढांचा कंपनी
		एमएमएस	- मेल मेसेजिंग सोल्यूशन (डाक संदेशन उपाय)/ मेल संदेश प्रेषण उपाय

संक्षेपाक्षर - सूची

एमओएसपीआई	- सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एमओयू	- समझौता ज्ञापन	एनओएफएचसी	- निष्क्रिय वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति	एनपीए	- अनर्जक आस्तियां
एमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यम	एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा	एनआरई	- अनिवासी बाह्य/ विदेशी
एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	एनआरओ	- अनिवासी साधारण
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन कीमत	एनएसई	- राष्ट्रीय शेयर बाजार
एमटीएम	- बाजार भाव पर दर्शाना	एनएसएसओ	- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एमटीएसएस	- धन अंतरण सेवा योजना	ओबीसी	- अन्य पिछड़ा वर्ग
एनएबी	- उधार की नई व्यवस्था	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	ओडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	ओएलएस	- सामान्य न्यूनतम वर्ग
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	ओएमसी	- तेल विपणन कंपनियां
एनबीएफसी-एनडी	- जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन
एनबीएफसी-एसआई	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण	ओएसएमओएस	- परोक्ष निगरानी और चौकसी
एनबीएफआई	- गैर-बैंक वित्तीय संस्था	ओटीसी	- ओवर दि काउंटर (काउंटर पर)
एनसीडी	- अपरिवर्तनीय डिबेंचर	पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र	पीसीआई-डीएसएस	- भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानदंड
एनडीएस-सीएलएल	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली - मांग मुद्रा बाजार	पीडी	- प्राथमिक घाटा
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान	पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं	पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	पीएफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान
एनजीओ	- गैर-सरकारी संगठन	पीएफएमआई	- वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा सिद्धांत
एनजी-आरटीजीएस	- अगली पीढ़ी आरटीजीएस	पीएमडीओ	- संगृहीत म्युनिसिपल ऋण दायित्व/ बाध्यता
एनएचएआई	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	पीआईएन	- व्यक्तिगत पहचान संख्या
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक	पीकेआई	- समर्थनकारी सार्वजनिक मुख्य बुनियादी ढांचा
एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	पीएलएफ	- प्लॉट लोड फैक्टर
		पीएमजी	- परियोजना निगरानी समूह

संक्षेपाक्षर - सूची

पीओएस	- बिक्री केंद्र	आरओसी	- विनियामक निगरानी समिति
पीओ	- भुगतान आदेश	आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एक वचन)
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत	आरएसएसएस	- प्रतिभूति निपटान प्रणाली हेतु सिफारिशें
पीपीपी	- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी	आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली
पीएसबी	- सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	आरटीआई एक्ट	- सूचना का अधिकार अधिनियम
पीएसई	- सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम	आरटीपी	- रिजर्व ट्रैन्च की स्थिति
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	आरडब्ल्यूए	- जोखिम भारित आस्तियां
पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचालक	एसएए	- स्वैप परिशोधन खाता
पीएसएस	- पेरिमीटर सिक्क्यूरिटी सोल्युशन	एसएएआरसी (सार्क)	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
पी वी पी	- भुगतान बनाम भुगतान	एसएएफ	- पर्यवेक्षी कार्रवाई का ढांचा
क्यूसीसीपी	- अर्हताप्राप्त केन्द्रीय प्रतिपक्षकार	एसएआरएफई	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
क्यूई	- मात्रात्मक /मात्रागत सहजता	एसआई (सरफेसी)	पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
क्यूएफआई	- अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	एससी	- प्रतिभूतिकरण कंपनी
क्यूआईबी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता	एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एक वचन)
आरबीआई	- भारतीय रिजर्व बैंक	एससी	- अनुसूचित जातियां
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा	एसडीएल	- राज्य विकास ऋण (एक वचन)
आरबीआईडब्ल्यूपीएस	- आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला	एसडीएलए	- राज्य विकास ऋण (बहु वचन)
आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण	एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार
आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय	एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक
आरसी	- पुनर्निर्माण कंपनी	एसईबीआई (सेबी)	- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
आरसीसीपी	- केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों हेतु सिफारिशें	एसएफआरसी	- राज्य वित्त विनियामक आयोग
आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्था	एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
आरई	- संशोधित आकलन	एसआईएफएमआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा
आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
आरईईआर/रीर	- वास्तविक प्रभावी विनियम दर	एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वयन समिति
आरईआईटी	- रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
आरएफसीए	- वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन	एसएमए	- विशेष उल्लेख खाते
आरएफआईडी	- रेडियो-आवृत्ति पहचान	एसएमई	- लघु एवं मध्यम उद्यम
आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि	एसएमएस	- संक्षिप्त संदेश सेवा
आरएमबीएस	- आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियां	एसपीएआरसी	- जोखिम और पूंजी निर्धारण हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम

संक्षेपाक्षर - सूची

एसपीसी	- सार्क भुगतान परिषद	यूआईडीएआई	- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
एसआरओ	- स्व-विनियामक संगठन	यूआईपी	- अरक्षित ब्याज समता
एसएसएस	- प्रतिभूति निपटान प्रणाली	यूकेपीटी	- प्रति टर्मिनल विशिष्ट संकेत
एसटी सीबी	- राज्य सहकारी बैंक	यूएमपी	- अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां
एसटीआरआईपीएस	- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग	यूपीएस	- अबाधित बिजली आपूर्ति
एसटी	अनुसूचित जनजाति	यूपीएसएस	- सामान्य (प्रमुख+गौण) स्थिति
एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट)	- विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति	यूएसडी	- अमेरिकी डॉलर
एसडब्ल्यूएमए	- विशेष अर्थोपाय अग्रिम	यूएसएसडी	- असंगठित अनुपूरक सेवा डेटा
टीएआरसी	- कर प्रशासन सुधार आयोग	वी 3 एफ	- परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति
टी-बिल	- खजाना बिल (एक वचन)	वीसी	- वीडिओ कान्फ्रेंसिंग
टीसीई	- व्यापारिक प्राप्य राशियां और क्रेडिट विनिमय	वीडब्ल्यूए	- मात्रा भारत औसत
टीडीएस	- स्रोत पर कर कटौती	डब्ल्यूएडीआर	- भारत औसत बट्टा दर
टीएफपी	- कुल कारक उत्पादकता	डब्ल्यूईआईआर	- भारत औसत प्रभावी ब्याज दर
टीआईबीओआर	- टोकियो अंतरबैंक प्रस्तावित दर	डब्ल्यूएएलआर	- भारत औसत उधार दर
टीएलई	- टर्मिनल लाइन कूटलेखन	डब्ल्यूजीआरआर	- वित्तीय संस्थाओं की रेजल्यूशन पद्धति संबंधी कार्य समूह
टीआरएआई (ट्राई)	- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	एफआई	- व्हाइट लेबल एटीएम
टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
टीआर	- व्यापारिक रिपोर्टिंग	डब्ल्यूओएस	- पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाएं
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
		एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज

**यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर भी देखी जा सकती है**

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

वर्ष 2013-14 के दौरान, धीमी विकास दर और ऊंची मुद्रास्फीति के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य स्थिरता के प्रति गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो अवहनीय उच्च चालू खाता घाटा (सीएडी), पूंजी के बाहर चले जाने और फलस्वरूप विनिमय दर पर दबाव से पैदा हुई थीं। रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से अर्थव्यवस्था में स्थिरता पैदा हुई। बेहतर राजनीतिक स्थिरता, राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्धता, मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ बनाने और नीति को अच्छी तरह से कार्यान्वित करने से यह उम्मीद की जाती है कि जीडीपी में वृद्धि, जो पिछले दो वर्षों से 5 प्रतिशत से कम थी, वह वर्ष 2014-15 में लगभग 5.5 प्रतिशत होगी। अवस्फीतिकारी आवेग जो दिसंबर 2013 से बन गया था, मुद्रास्फीति को उस निम्न गामी पथ पर ले गया जो रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वानुमानित है। किंतु, सामान्य से कम मानसून और मध्य-पूर्व में भू-राजनैतिक स्थिति के कारण विकास की दर कम तथा मुद्रास्फीति की दर ऊंची रहने का जोखिम पैदा हो गया है। मध्यावधि में कम से कम 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए ऐसी व्यष्टि-आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है जो गतिविधियों एवं उत्पादकता के स्तर को बढ़ा दें ताकि वे समर्थित समष्टि आर्थिक-प्रणाली के अनुरूप कार्य कर सकें जिसमें ब्याज दर उचित रूप से सकारात्मक हो, मुद्रास्फीति कम हो, सीएडी कम हो और राजकोषीय घाटा भी कम हो।

I.1 भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो उसे सुस्त रफ्तार ऊबड़-खाबड़ गली से तेज-रफ्तार महामार्ग पर ले जा सकता है। वर्ष 2014-15 में कुछ तेजी आने की संभावना है जो विकास की दर को तकरीबन 5.5 प्रतिशत तक ले जा सकता है। अब तक वर्ष 2014 के मानसून मौसम में हुई कम वर्षा ने विकास दर के नीचे जाने का खतरा पैदा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद 2014-15 में विकास की दर पिछले वर्ष से बेहतर हो सकती है क्योंकि औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां बहाल होने की संभावना है। जुलाई के मध्य से मानसून बेहतर हो जाने से फसलों के उत्पादन में होने वाले नुकसान को नियंत्रित रखने में सहायता मिलेगी। अत्यधिक राजनैतिक स्थिरता और समर्थनकारी नीतिगत ढांचे के चलते निवेश में तेजी आ सकती है। अर्थव्यवस्था, विकास के और ऊंचे पथ पर जाने की स्थिति में आ गई है।

I.2 अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में परिवर्तित करने की मुद्रा में लाने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है जो विकास को बनाए रखने में मदद करें। अर्थव्यवस्था को वर्ष 2013-14 में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ये चुनौतियां पूंजी के बाहर जाने के बीच विनिमय दर के दबाव, मुद्रास्फीति के दो अंकों में बने रहने, राजकोषीय असंतुलन तथा निवेश में गिरावट के कारण पैदा हुई थीं। इन परिस्थितियों ने रिज़र्व बैंक और सरकार को अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए अनेक उपाय करने हेतु उद्यत किया। अतः वर्ष 2014-15 में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में सावधानी बरतना आवश्यक है ताकि मैक्रो आधार पर हासिल की गई स्थिरता को बनाए रखा जा सके तथा अवस्फीतिकारी गति का कर्षण (ट्रैक्शन) बना रहे। निकट अवधि में, मैक्रो-इकॉनामिक नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में वहनीय सुधार को बनाए रखना

* चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई-जून है, इसलिए, कई चरों के डाटा अप्रैल-मार्च तक के वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए डाटा का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के आधार पर डाटा को मार्च 2014 से आगे की अवधि के लिए भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण करने तथा नीतियों के बारे में उचित परिदृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट में पिछले वर्षों एवं आगामी अवधि के संदर्भ, जहां कहीं आवश्यक थे, दिए गए हैं।

है। इस बीच, व्यष्टि-आर्थिक नीतियां जिसमें उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, श्रमिक बाजार, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, वित्तीय बाजार तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार किया जाना शामिल है, से अपेक्षा है कि वे गतिविधियों तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगी। इस तरह से आपूर्ति की बढ़ी हुई स्थिति को आकार देना है जो विकास की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। इस दृष्टिकोण से, विश्व की वृद्धि दर एक बार सामान्य हो जाने पर, गैर-मुद्रास्फीति की स्थिति में वृद्धि-दर को कम से कम 7 प्रतिशत बनाए रखा जा सकता है।

2013-14 का मूल्यांकन

I.3 वर्ष 2013-14 में वृद्धि दर लगातार धीमी रही। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, राजकोषीय घाटा को कम करने, चालू खाता के अंतर में सुधार करने में मामूली सफलता मिली और बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पहले से अधिक खराब हो गई। अर्थव्यवस्था को वृद्धि, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसके लिए अनेक सरकारी नीतियों की पहल की गई और रिजर्व बैंक की इस संबंध में भूमिका का इस रिपोर्ट के अन्य अध्यायों में उल्लेख किया गया है जिसमें आर्थिक नीतियों की समीक्षा (भाग I) और रिजर्व बैंक के कार्य (भाग II) शामिल हैं। जैसे-जैसे वर्ष गुजरता जा रहा है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक अड़चनें अब नियंत्रित हो रही हैं तथा वर्ष 2014-15 का परिदृश्य बेहतर होता दिखाई दे रहा है।

खनन और विनिर्माण गतिविधियों के घट जाने से वृद्धि लगातार धीमी है

I.4 लगातार दो वर्ष तक मंदी की स्थिति के बाद, वर्ष 2013-14 में जीडीपी में मामूली सुधार आया। इस सुधार का कारण था - 'वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा तथा कारोबारी सेवाओं' से संबंधित गतिविधियों में तेजी के अलावा 'कृषि और सहायक गतिविधियों' तथा बिजली उत्पादन में तीव्र वृद्धि होना। जहां खनन और विनिर्माण क्षेत्र के मूल्यवर्द्धन में कमी हो गई, वहीं सेवा क्षेत्र की वृद्धि अपरिवर्तित थी। समग्र वृद्धि दर धीमी रहने से पता चलता है कि नियत निवेश घटा है तथा उपभोग में कमी आई है, हालांकि निर्यात-वृद्धि में सुधार हुआ जिसके लिए रूप में मूल्यहास होने तथा मांग की स्थिति कमजोर होने के कारण आयात के कम होने और स्वर्ण आयात निवारक नीतियाँ मददगार साबित हुईं।

I.5 कारोबारी भावना का क्षीण स्तर, मूलभूत सुविधाओं की अड़चनें, सार्वजनिक निवेश में कमी, घरेलू स्तर पर राजनैतिक अनिश्चितता तथा विश्व की स्थिति में असमान रूप से सुधार होने के कारण निजी नियत-निवेश घटता चला गया। प्रमुख क्षेत्रों जैसे-पर्यावरण संबंधी अनुमति, भूमि अधिग्रहण तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विशेष रूप से खनन गतिविधियों के संबंध में विधिक और विनियामकीय ढांचे की अनिश्चितता ने भी कारोबार के प्रति विश्वास को कम किया तथा अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रभावित किया। आय में धीमी वृद्धि तथा ऊंची मुद्रास्फीति के कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय मंद पड़ गया। लेकिन, दोहरा घाटा- चालू खाता और राजकोषीय दोनों - और मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे आई कमी से समष्टि-स्तर की अस्थिरता काफी हद तक कम हो गई।

मुद्रास्फीति 2013-14 के बाद के महीनों में कम हुई किंतु अभी भी उस स्तर से ऊपर बनी हुई है जो विकास की दर को सुरक्षित रख सकती है

I.6 आमतौर पर हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का जून-नवंबर 2013 के दौरान बढ़ जाना काफी हद तक खाद्यान्न का मूल्य बढ़ जाने के कारण हुआ था। सब्जी के मूल्यों की चुभन, खास तौर से प्याज के मूल्यों में तीव्र वृद्धि से सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर 2013 में 11.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। सब्जियों के मौसम की वजह से खाद्यान्न मूल्य कम हुए और बाद में सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च, 2014 में 8.3 प्रतिशत तक कम हो गई। खाद्यान्न मूल्य बढ़ने के अलावा, 2013-14 की पहली छमाही में रूप के मूल्य में तेजी से हास हुआ जिसका प्रभाव फैलता गया, खास तौर से मुक्त मूल्य वाले ईंधन उत्पादों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। डीजल की नियंत्रित कीमतों में भी बीच-बीच में संशोधन से मुद्रास्फीति के आवेग को बढ़ने का बल मिला। यहां तक कि अधिक चिंता की बात यह थी कि खाद्यान्न और ईंधन खंड की मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई वर्ष 2013-14 की अधिकांश अवधि में लगभग 8 प्रतिशत पर टिका रहा। आवास और 'अन्य' उप-श्रेणी क्षेत्रों में जिसमें काफी हद तक सेवाएं शामिल हैं, इस खंड की मुद्रास्फीति के प्रमुख संचालक रहे हैं।

I.7 सामान्य मानसून के बावजूद 2013-14 में खाद्यान्न मूल्यों पर दबाव महसूस किया गया, जिसने देश में क्रमिक आपूर्ति अक्षमता तथा कृषि-मार्केटिंग संबंधी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने

की आवश्यकता के प्रति चिंताएं पैदा कर दीं। सब्जी के मूल्यों में तीव्र वृद्धि से मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर प्रायः डगमगाने वाला प्रभाव पड़ता है और उसके फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाते हैं। इनपुट लागतों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मजदूरी लंबे समय तक एक जैसी बने रहने, आंशिक रूप से पिछले समय में ऊंची खाद्यान्न मुद्रास्फीति तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) मजदूरी का पूर्ण सूचकांकन, भी इस बात की ओर संकेत करता है कि मुद्रास्फीति के बढ़ते रहने तथा बने रहने में मजदूरी-मूल्य दुष्चक्र की भूमिका है। ईंधन की नियंत्रित-कीमतों में संशोधन ने मुद्रास्फीति को अल्पकाल में बढ़ा दिया, किंतु उससे राजकोषीय दबाव भी कम हो गया और मध्यावधि मुद्रास्फीति-जोखिम भी घट गया।

दोहरे घाटे के जोखिम को 2013-14 में साध लिया गया

1.8 दोहरे घाटे की चिंताएं जो 2011-12 में समष्टि-आर्थिक बिखराव का स्रोत थीं, 2013-14 में शांत हो गईं। केंद्र सरकार के वित्त में 2013-14 में लगातार सुधार हुआ जिसमें सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 4.5 प्रतिशत था जो वर्ष के लिए किए गए 4.8 प्रतिशत बजट प्रावधान एवं वर्ष 2012-13 में प्राप्त जीएफडी से भी कम था। जीएफडी को इस स्तर पर नियंत्रित करने से मांग का प्रबंधन करने में मदद मिली और वर्ष में राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को ऐसे समय में विश्वसनीयता प्रदान की जब जोखिमों की संक्रामकता का डर सामने था।

1.9 लेकिन, हेडलाइन नंबरों के होते हुए भी, राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के बारे में थोड़ी चिंता बनी हुई है। व्यय में भारी कटौती और कर से इतर राजस्व की भारी प्राप्ति ने, तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से भारी मात्रा में लाभांश की प्राप्ति ने इसके बड़े हिस्से को पूरा कर दिया। जहां सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की नकदी की स्थिति पहले से बहुत अच्छी थी लेकिन पर्याप्त निवेश योजना नहीं थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि यह परंपरा उनके आंतरिक वित्तपोषण अथवा कोष को प्रभावित न करे जिससे कि उनकी भावी निवेश योजनाओं को नुकसान पहुंचे।

1.10 योजना से इतर व्यय काफी हद तक बजट-स्तर के भीतर था, हालांकि प्रमुख सब्सिडी पर व्यय, बजट के लक्ष्य से अधिक हो गया था। पूंजीगत व्यय, बजट के 18 प्रतिशत अनुमान से भी

कम था। पूंजीगत परिव्यय में कटौती से मध्यावधि में वृद्धि दर पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिछले दो वर्षों से निजी क्षेत्र की गतिविधियां मंद पड़ी हुई थीं और अधिक से अधिक निजी निवेश लाने के लिए सरकारी निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है।

1.11 वर्ष में बाह्य क्षेत्र के प्रति समायोजन की स्थिति काफी उल्लेखनीय रही है। यद्यपि, वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा बहुत अधिक था जो जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था, बाद में सीएडी में हुए सुधार से पूरे वर्ष के लिए सीएडी को कम करके जीडीपी के 1.7 प्रतिशत तक लाने में मदद मिली। दो वर्ष तक व्यापक सीएडी के बाद यह जो हालात में बदलाव आया था वह घरेलू नीतिगत प्रयासों तथा अच्छी वैश्विक स्थिति को मिलाकर था, जिसके फलस्वरूप आयात में तेजी से गिरावट और निर्यात में थोड़ी वृद्धि हुई थी। आयातों में गिरावट मुख्य रूप से स्वर्ण के आयात में हुई कमी से आई थी जो अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में भारी कमी होने तथा स्वर्ण के आयात पर नीतिगत पाबंदी लगाए जाने से हुई थी। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों के मूल्यों में कमी होने जैसे-तेल, उर्वरक और कोयले में तथा साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी रहने से आयात में कमी हुई। निर्यात में हुआ सुधार, भागीदार देश की वृद्धि में हुए सुधार और ज्यादातर रुपये के मूल्य में हुए हास से हुआ था।

2014-15 की संभावनाएं

1.12 वर्ष 2014-15 की भरोसेमंद शुरुआत हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि प्रारंभ हो गई है, जबकि मुद्रास्फीति अब तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम थी। मौद्रिक नीति एक सुस्थिर माहौल प्रदान कर रही है जिसमें ब्याज दरें, चलनिधि और ऋण की स्थिति शामिल है, साथ ही इस बात के स्पष्ट प्रयास किए जा रहे हैं कि संसाधनों का रुख उत्पादक क्षेत्रों की ओर बढ़ाया जाए। संसाधनों में शामिल हैं - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती, विनियामकीय पूर्व-अधिकार से छूट, जैसी मूलभूत सुविधाओं और मुनासिब लागत के अनुसार आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने हेतु प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) से छूट।

1.13 संघीय बजट का यह लक्ष्य होता है कि अर्थव्यवस्था को राजकोषीय समेकन के पथ पर रखा जाए। लेकिन, इन राजकोषीय

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राजकोषीय अनुशासन का सख्ती से पालन किया जाए ताकि खर्च अधिक न बढ़े और कर एवं कर से इतर राजस्व जुटाने के भरसक प्रयास किए जाएं तथा ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां हासिल करने की कोशिश की जाए जो कर्ज न हों।

I.14 निर्यात-वृद्धि में सुधार हुआ है, जबकि बाहर से पूंजी पर्याप्त रूप से आ रही है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा का अच्छा खासा भंडार हो गया है जिससे अर्थव्यवस्था को होने वाले आघात से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी जिसे ऑनशोर अंतरित किया जा सकता है। ईराक में सिविल युद्ध के चलते विश्व में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि अभी मार्ग में ही थी। लेकिन, यदि उस क्षेत्र में बना हुआ राजनैतिक तनाव पुनः उग्र रूप धारण कर लेता है तो तेल के मूल्यों के बढ़ने का जोखिम बना रहेगा। समग्र रूप से, विनिमय दर वर्ष 2014-15 में अब तक स्थिर रही है।

2014-15 के लिए वृद्धि की संभावना

I.15 भारतीय अर्थव्यवस्था में 2014-15 में लगभग 5 से 6 प्रतिशत की दर से विकास कर सकती हो सकती है। जो मोटे तौर पर जोखिमों को नियंत्रित करते हुए केंद्र के अनुमान के हिसाब से 5.5 प्रतिशत हो सकती है। ये अनुमान मोटे तौर पर उस अनुमान के अनुरूप है जो रिजर्व बैंक ने 2014-15 के प्रारंभ में बताया था, हालांकि उस समय केंद्र के अनुमान के अनुसार इस अनुमान के नीचे जाने का खतरा था। खनन में, वित्तनिर्माण गतिविधियों में सुधार होने के संकेत हैं, निवेश बढ़ने की आशा है, निजी क्षेत्र के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ गई है और साथ ही राजकोषीय समेकन के साथ-साथ गृहस्थों की वित्तीय बचत बढ़ने से सरकार बाजार से कर्ज कम लेगी, बाहर से बढ़ती हुई मांग तथा विश्व में वस्तुओं की कीमतें स्थिर होने से अर्थव्यवस्था में सुधार को बल मिलने की आशा है। किंतु, यदि विश्व में सुधार की गति धीमी रहती है, भू-राजनैतिक तनाव बढ़ते हैं या शेष मौसम में मानसून कमजोर रहता है तो वृद्धि की दर नीचे जाने का जोखिम पैदा हो सकता है।

I.16 वर्तमान मानसून के मौसम में 12 अगस्त 2014 के तक पूरे भारत में कुल मिलाकर दीर्घकालीन औसत (एलपीए) के हिसाब से 18 प्रतिशत वर्षा कम हुई है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष

इसी अवधि में 14 प्रतिशत की बेशी वर्षा हुई थी। मध्य जुलाई तक वर्षा में 43 प्रतिशत की कमी थी किंतु उसके बाद मानसून की स्थिति काफी बेहतर हो गई है।

I.17 खरीफ फसल के लिए बोया गया क्षेत्र (8 अगस्त तक) सामान्य बुवाई से 6.3 प्रतिशत कम था और 2009 के सूखे के समय की गई बुवाई से 5 प्रतिशत अधिक था। बुवाई से संबंधित आंकड़ों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अब मुख्यतया कच्चे अनाज और दालों के उत्पादन में कमी तक सीमित रहेगा। जलाशयों का इस समय जो स्तर है वह संतोषप्रद है। 7 अगस्त के अंत तक 85 बड़े जलाशयों में जल का स्तर पिछले 10 वर्षों के औसत स्तर से 13 प्रतिशत अधिक था, जबकि पिछले वर्ष तुलना की गई तारीख के स्तर से वह 18 प्रतिशत कम था।

I.18 यदि मानसून की शेष अवधि में वर्षा सामान्य रही तो भी वर्षा में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन वर्तमान गणना के अनुसार, इसका वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय और व्यापार घाटे प्रभाव कम रहेगा और यह मात्रागत और गुणवत्तागत कमी 2009 की तुलना में कम रहने की संभावना है (बाक्स I.1)। किंतु, यह कमी बाद में काफी हद तक रबी की फसल से पूरी हो जाएगी। पिछले पांच वर्षों के औसत के आधार पर कुल खाद्यान्न उत्पादन में रबी फसल का हिस्सा 50.7 प्रतिशत है। इस प्रकार, इसमें भिन्नता यह हो सकती है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र अभी भी समग्र वृद्धि में सकारात्मक योगदान दे सकता है जैसाकि 2009-10 में हुआ था।

I.19 यदि मानसून की शेष अवधि में वर्षा कम होती है तो इसका थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। क्योंकि जलाशयों के स्तर उनकी पूरी क्षमता से कम रह सकते हैं। यद्यपि, पिछले साल जल-विद्युत उत्पादन में 18.6 प्रतिशत की कमी हुई थी, उसके बावजूद विद्युत उत्पादन की समग्र संभावनाएं उत्साहवर्धक हैं जल-विद्युत उत्पादन का हिस्सा कुल विद्युत आपूर्ति में लगभग 14 प्रतिशत है। तापीय खंड में, जिसका कुल विद्युत उत्पादन में हिस्सा लगभग 82 प्रतिशत है, वर्ष में उसमें नई क्षमताओं की योजना की गई है जिससे यह आशा की जाती है कि समग्र संस्थापित तापीय क्षमता में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से, वर्ष के दौरान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता में 41.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

बाक्स I.1 कम बरसात और उसके परिणाम

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगस्त 2014 में अद्यतन यह पूर्वानुमान दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून से बारिश एलपीए का 87 प्रतिशत होगी जिसका जून 2014 में पूर्वानुमान 93 प्रतिशत था। मानसून की स्थिति (90 प्रतिशत से कम) कम रहने वाली है, अब 68 प्रतिशत तक। 12 अगस्त, 2014 तक एलपीए का कुल 82 प्रतिशत वर्षा हुई थी। देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई है।

सूखे की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। सूखे के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं - मौसमगत सूखा, जल गत और सूखा, कृषिगत सूखा। भारतीय मौसम विभाग, मौसमी सूखे पर फोकस करता है तथा पूरे भारत के सूखे को एक ही बार में इस प्रकार वर्गीकृत करता है कि वर्षा में समग्र कमी 10 प्रतिशत या उससे अधिक होगी और सूखाग्रस्त क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक होगा।

जहां, भारत में कृषि क्षेत्र की हाल के वर्षों में वहनीय शक्ति बढ़ी है, वहीं वर्षा में कमी तथा एक समय और स्थान में असमान वितरण से फसल के उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से, जब कभी भी वर्षा 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत तक कम हुई है तो खरीफ फसल में अनाज

का उत्पादन, खासतौर से चावल तथा कच्चे अनाजों का उत्पादन घट गया है। रबी की फसलों की सिंचाई भली-भांति की जाती है इसलिए उन पर प्रभाव कम पड़ता है (सारणी 1)।

आईएमडी परिभाषा के अनुसार पूरे भारत में 1980 से चार सूखे पड़े थे (सारणी 2)। इन वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया है, किंतु, यह कमी 2 से 18 प्रतिशत के बीच रही है (चावल में 23 प्रतिशत की कमी)। वर्ष 2002-03 में उठाव में 59.2 प्रतिशत का उछाल था, उस को छोड़कर खाद्यान्न की मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत से अधिक थी। वर्षा कम होने से ग्रामीण मांग, समग्र वृद्धि तथा राजकोषीय एवं व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। 2013-14 में हमारे कुल आयात में कृषि आयात का हिस्सा केवल 2.6 प्रतिशत था, किंतु कृषि के कम निर्यात से भी अतिरिक्त प्रभाव आ सकता है क्योंकि भारत के कुल निर्यात में इसका हिस्सा 13.6 प्रतिशत है।

मध्य जुलाई 2014 से मानसून अच्छा था इसलिए 2014-15 सूखा वर्ष बनने की संभावना कम है किंतु अंतिम परिणाम उस पर निर्भर करता है कि मौसम के शेष भाग में क्षेत्रवार वर्षा का वितरण कैसा रहेगा।

सारणी 1 : भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) वर्षा सूचकांक और फसल उत्पादन

वर्ष	आईएमडी वर्षा सूचकांक (एलपीए का %)	उत्पादन वृद्धि (%)									
		चावल	गेहूँ	कच्चे अनाज	दालें	खाद्यान्न (एफजी)	खरीफ एफजी	रबी (एफजी)	तिलहन	कपास	गन्ना
1982-83	86	-11.5	14.3	-10.7	3.0	-2.8	-11.9	10.6	-17.2	-4.4	1.7
1986-87	87	-5.1	-5.8	2.4	-12.4	-4.7	-5.9	-3.0	4.1	-20.8	9.0
1987-88	81	-6.1	4.2	-1.8	-6.4	-2.1	-7.0	4.1	12.2	-7.7	5.7
2002-03	81	-23.1	-9.6	-21.9	-16.8	-17.9	-22.2	-13.1	-28.2	-13.8	-3.3
2004-05	86	-6.1	-4.9	-11.0	-11.9	-7.0	-11.7	-1.2	-3.3	19.7	1.4
2009-10	78	-10.2	0.1	-16.2	0.6	-7.0	-12.0	-1.9	-10.2	7.8	2.6

टिप्पणी: छायांकित खाने कुल फसलों में कुछ वर्षों में ऊंची वृद्धि दर्शाते हैं क्योंकि रबी की फसल काफी हद तक खरीफ फसल के नुकसान को पूरा कर देती है।

सारणी 2: वर्षा, खाद्यान्न और सूखे के वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति

सूखा वर्ष	एलपीए का प्रतिशत					(% में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन)					
	आईएमडी वर्षा सूचकांक					खाद्यान्न उत्पादन	खाद्यान्न (पीडीएस)			खाद्य मुद्रास्फीति	
	जून	जुला.	अग.	सितं.	जून-सितं.		उगाही	उठाव	भंडार	थो.मू.सू.	उ.मू.सू. औ. का.
1982-83	83	77	109	68	86	-2.8	9.1	16.1	0.3	11.1	6.7
1987-88	78	71	96	75	81	-2.1	-25.0	18.1	-51.7	9.0	7.8
2002-03	109	46	98	87	81	-17.9	-8.9	59.2	-35.7	1.8	2.4
2009-10	53	96	74	80	78	-7.0	4.4	23.7	21.9	15.3	15.2
ज्ञापन मर्दे											
2014-15	57	90	96#		87#						

#: आईएमडी पूर्वानुमान

है। इस प्रकार, जल-विद्युत उत्पादन में यदि कोई गिरावट होती है तो उसकी पूरी तरह से भरपाई बढ़े हुए तापीय और नाभिकीय

विद्युत उत्पादन से हो जाएगी और विद्युत उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है।

I.20 समग्र रूप से, अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज गति से आगे बढ़ सकती है, जिसमें खनन, विनिर्माण, निर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्रों में वृद्धि की गति बढ़ेगी। इन चार खंडों का जीडीपी में हिस्सा 50 प्रतिशत है जिसमें कृषि, वानिकी मत्स्यपालन, और विद्युत का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत है।

I.21 केंद्र में स्थिर सरकार के बन जाने से अर्थव्यवस्था में व्यवसाय और निवेश का वातावरण बेहतर होने लगा है, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से कम है और विश्व की वृद्धि दर में सुधार हुआ है। संयोग-संकेतक जैसे आटोमोबाइल बिक्री, रेलवे भाड़ा बढ़ना, बंदरगाहों पर सामानों की ढुलाई और विदेशी पर्यटकों के आगमन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सेवा क्षेत्र में थोड़ा सुधार पैदा हुआ है और आटोमोबाइल बिक्री में तेजी दिखाई दी है।

I.22 संघीय बजट 2014-15 में निवेश और बचत दोनों को प्रश्रय दिया गया है। इस संबंध में किए गए उपायों में शामिल हैं - व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में वृद्धि जिससे खर्च की जाने वाली आय बढ़ेगी और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत निवेश सीमा में वृद्धि तथा सार्वजनिक भविष्य निधि की वार्षिक सीमा में वृद्धि की गई है जो बचत को प्रोत्साहित करेंगे तथा निवेश के वित्तपोषण को बेहतर बनाएंगे। स्वतः-धारित आवास संपत्ति के ऋण के ब्याज के संबंध में कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव से भी गृहस्थों की प्रत्यक्ष बचत बढ़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधाओं और खरीदने योग्य आवास की ओर बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ उक्त उपायों का स्वागत किया है।

2014-15 में मुद्रास्फीति का परिदृश्य

I.23 मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल-मई 2014 में 8 प्रतिशत के ऊपर थी जो उसके बाद जून 2014 में थोड़ा कम होकर 7.3 प्रतिशत हो गई थी, क्योंकि काफी हद तक आधारगत प्रभाव अनुकूल थे। लेकिन, मानसून की वर्षा कम होने के कारण सब्जियों की कीमतें बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गई। लेकिन, खाद्य मूल्यों में क्रमशः बदलाव से पता चलता है कि कुछ चुनिंदा मदों के मूल्य बहुत अधिक बढ़े हैं जैसे- सब्जियां, फल, प्रोटीन-संबद्धक चीजें जैसे- अंडा, मछली, मांस, दूध और दालों के दाम 2014-15 की पहली तिमाही में अधिक बढ़ गए थे।

खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर सीपीआई अप्रैल और मई 2014 में 8 प्रतिशत थी जो जुलाई 2014 में कम होकर 7.4 प्रतिशत हो गई थीं।

I.24 विनिमय दर में जो थोड़ी सी स्थिरता पैदा हुई है, उससे अब तक 2014-15 के दौरान विनिमय-दर से पड़ने वाले प्रभावों से मुद्रास्फीति के जोखिम को कम किया जा सका है। मध्य-पूर्व, यूक्रेन में भू-राजनैतिक तनाव के कारण जून 2014 में विश्व में कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) 110 अमरीकी डालर से भी अधिक प्रति बैरल थीं जो कम हुईं, और जुलाई 2014 के दूसरे मध्य में लीबिया से 105 अमरीकी डालर प्रति बैरल तेल बाहर भेजा गया। किंतु, मांग-आपूर्ति के तंग संतुलन को देखते हुए, कच्चे तेल की आपूर्ति के प्रति किसी भी प्रकार का जोखिम उसके मूल्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है और इस तरह से यह आगे के लिए भी बढ़ता हुआ बड़ा जोखिम बना रह सकता है।

I.25 2014-15 में नियंत्रित कीमतों के संशोधन से, जिनमें डीजल की कीमतों में समय-समय पर वृद्धि के अलावा रेल किराया और मालभाड़ा शामिल है, से आम कीमतों पर कुछ दबाव पड़ेगा। लेकिन, इसमें पिछले दिनों की दबी हुई मुद्रास्फीति उभरेगी। अतः, यह अपेक्षित है कि मध्य अवधि की मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जाए। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मामूली-सी वृद्धि कुछ हद तक खाद्य-सामग्री के मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव को रोकेंगी।

I.26 समग्र रूप से, मुद्रास्फीति के परिदृश्य में रिजर्व बैंक द्वारा 2014-15 के प्रारंभ से प्रदर्शित बेसलाइन मुद्रास्फीति पथ से कोई बहुत अधिक विचलन नहीं है, क्योंकि वह सीपीआई मुद्रास्फीति को ग्लाइड पथ अर्थात् जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत तक तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगस्त, 2014 के अपने तीसरे द्वि-मासिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में रिजर्व बैंक ने यह उल्लेख किया है कि 2015 के प्रारंभ में 8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति प्राप्त करने की संभावना है। बाद में जारी किए गए डाटा के अनुसार, सब्जियों की ऊंची कीमतों द्वारा संचालित उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति से पता चलता है कि इस मूल्यांकन में जोखिम के अधिक बने रहने की संभावना है। किंतु, कछ खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि अस्थायी हो सकती है और इस बात के प्रारंभिक संकेत हैं कि कुछ चुनिंदा मदों जैसे टमाटर के मूल्य में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, तेल के मूल्यों

में हाल में हुई कमी खाद्यान्न के मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव को थोड़ा करेंगे। हालांकि 2014-15 की शेष अवधि में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति कई प्रकार के जोखिम कारकों पर निर्भर करेगी और इस बात पर भी कि नियंत्रित कीमतों में किस समय और कितना और संशोधन किया जाएगा, इस प्रकार से 2014-15 में मुद्रास्फीति का अनुमान पहुंच के भीतर रहेगा। यद्यपि, मध्यावधि के आसपास मुद्रास्फीति पथ के जोखिम को संतुलित करना खासतौर से जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने में, अभी भी कठिन है लेकिन रिजर्व बैंक की अवस्फीति प्रक्रिया को समर्थन देने की प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

राजकोषीय और चालू खाते का अंतर 2014-15 में नियंत्रित रहने की संभावना है

I.27 आगे चलकर, राजकोषीय घाटा 2014-15 में और भी घटने की संभावना है। बजट में किए गए लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। सीएडी, 2013-14 से अधिक रहने की संभावना है, लेकिन वहनीय स्तर तक रहने की उम्मीद है। इस प्रकार, आशा है कि दोहरे घाटे के जोखिमों से जुड़ा खतरा धीमा रहेगा।

I.28 अर्थव्यवस्था, वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही से राजकोषीय सुधार की ओर बढ़ रही है। जीएफडी अनुपात को 2015-16 तक 3.6 प्रतिशत और 2016-17 तक और कम 3.0 प्रतिशत तक रखने का इरादा संभाव्य भी है और उचित भी। किंतु, राजस्व घाटे को कम करना कठिन होगा और उसके लिए और अधिक व्यय कटौती की तथा सब्सिडी को बेहतर तौर पर लक्ष्य करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, बजट में यथाघोषित व्यय सुधार आयोग से अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। 2014-15 के दौरान खासतौर से व्यय को काबू में रखना जरूरी होगा, वर्ष के दौरान इस बात पर सतत रूप से ध्यान देना होगा कि विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तत्काल परिवर्तित करना होगा ताकि तेल की सब्सिडी को बजट में प्रावधान किए गए स्तर 634 बिलियन तक ही रखा जा सके। इसलिए, घरेलू स्तर पर डीजल, एलपीजी, तथा उर्वरकों के मूल्यों को अधिक लचीला बनाने के लिए शीघ्र ही उपाय करने होंगे।

I.29 बजट में किए गए अनुमान मुख्य रूप से उन प्रयासों पर निर्भर होते हैं कि उसमें कितनी राशि की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2013-

14 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 2014-15 के दौरान सकल कर राजस्व में लगभग 19.8 प्रतिशत वृद्धि होने के अनुमानों एवं उसमें अंतर्निहित 1.5 प्रतिशत के करअधिक्य के कारण बजट के वास्तविक परिणाम, कर के आधार को बढ़ाने और कर अनुपालन में सुधार पर निर्भर करेंगे। कर-नियंत्रण सुधार आयोग (टार्क) की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने से यह प्रक्रिया आसान बन सकेगी। कर में किए गए प्रस्तावों से 147 बिलियन तक के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, इसलिए कर वसूली में अनुमानित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे। उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के अनुमानों को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर होगा कि वर्ष के दौरान आर्थिक विकास में अत्यधिक तेजी लाई जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहां विनिवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 634 बिलियन रखा गया है, और उसकी तुलना में अंतरिम बजट में 569 बिलियन ही प्राप्त करने योग्य हो, तो इसके लिए बाजार की स्थितियों को उत्साहवर्धक रखते हुए तेजी से और समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

I.30 बाह्य क्षेत्र की ओर देखें तो भू-राजनैतिक घटनाओं के कारण तेल की कीमतें बढ़ने का जोखिम लगातार बना हुआ है और घरेलू मांग बढ़ रही है, इसलिए आयात बढ़ जाने की संभावना है। अतः, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों से पड़ने वाले प्रभावों को पूरी तरह नीतिगत तरीके से डीजल एवं अन्य उत्पादों के खुदरा मूल्यों पर अंतरित कर दिए जाने से मांग और आयात को सीमित रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, स्वर्ण के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को वास्तविक व्यापार प्रयोजन से धीरे-धीरे हटाया जाना ठीक रहेगा, और यह प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है, वहीं स्वर्ण में निवेश की मांग को वित्तीय परिसंपत्ति की ओर ले जाने के लिए उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

I.31 हाँ, व्यापार घाटे में अनावश्यक वृद्धि से बचाव के लिए निर्यात का अधिक होना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जहां रुपए की विनिमय-दर को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है, वहीं नीतियों का फोकस क्षेत्र-विशेष के ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए, जो निर्यात को अवरुद्ध बनाते हैं। इस संदर्भ में, निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव एक सही कदम है, जिससे निर्यात को सुचारु बनाने के लिए जिम्मेदार विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के बीच अच्छा समन्वय स्थापित होगा। हालांकि, बाह्य क्षेत्र पहले की तुलना में अब काफी शक्तिशाली नजर आ रहा है, खासतौर से सीएडी में कमी

और रुपये में स्थिरता आने से, लेकिन हमें विश्व के निवेशकों द्वारा लाई गई घट-बढ़ की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अचानक मौद्रिक कठोरता लाने की स्थिति में बाजार अशांति फैलने के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा का भंडार पुनः निर्मित कर लेने से भारत के लिए मददगार होगा और संभावित आघात की स्थिति में वह अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिरोधक साबित होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकाल और मध्यावधि में कतिपय चुनौतियां

I.32 10 जुलाई, 2014 के संघीय बजट में निवेश और विकास को तेजी प्रदान करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है जो अर्थव्यवस्था को मध्यावधि में जीवंत बनाने में सहायक होंगे। चूंकि आपूर्ति-पक्ष के ये नीतिगत परिवर्तन अर्थव्यवस्था के भीतर-भीतर प्रवाहित होते हैं, इसलिए मैक्रो-स्थिरता तथा वहनीय वृद्धि का दारोमदार अनेक मध्यावधि मुद्दों पर होता है। ऐसे कुछ चुनिंदा मुद्दे नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं :

आपूर्ति-पक्ष के प्रबंधन के माध्यम से ऊंची खाद्य-मुद्रास्फीति को कम करना

I.33 हाल के वर्षों में खाद्य-सामग्री की ऊंची कीमतें समष्टि-आर्थिक नीतियों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बन गई हैं। भारत में खाद्य-सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों के अनेक कारण हैं जो आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों से जुड़े हुए हैं। मध्यावधि में खाद्य-सामग्री से संबंधित मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है :

- i) खाद्य-सामग्री की अधिकांश फसलों के लिए एमएसपी की तुलना में बाजार मूल्यों की दीर्घकालिक लोच यूनिटी के निकट पहुंच चुकी है, जिसका अर्थ है कि एमएसपी में वृद्धि स्वतः ही बाजार के मूल्य में परावर्तित हो जाएगी। जबकि एमएसपी का निर्धारण आम तौर पर लागत + दृष्टिकोण से किया जाता है, इसलिए ऐसे दुष्चक्र के लिए खाद्य-सामग्री के मूल्यों में लगातार वृद्धि को देखते हुए कृषि-उत्पादों की मूल्य-नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता होती है।
- ii) ऐसी स्थिति में हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन की लागतों को बढ़ाने में मजदूरी लागत में वृद्धि प्रमुख कारक रही है। ऐसे बहुत से कारक हैं जैसे-श्रमिकों का निर्माण क्षेत्र की ओर चले

जाना, एमजीएनआरईजी अधिनियम का कार्यान्वयन और उसका सीपीआई-एएल (कृषि श्रमिक) के रूप में सूचकांकन, श्रमिक सहभागिता, मुख्यतया महिला श्रमिकों की सहभागिता दर में कमी आने से हाल की अवधि में ग्रामीण मजदूरी के बढ़ जाने का कारण बयान करते हैं। जहां मजदूरी में वृद्धि, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अच्छा माना जा सकता है, किंतु उत्पादकता में वृद्धि से अधिक मजदूरी में वृद्धि होने से मजदूरी-मूल्य का दुष्चक्र पैदा हो जाता है और खाद्य-सामग्री की मुद्रास्फीति का स्वतः चलते रहने वाला एक चक्र बन जाता है। इसका प्रभाव केवल खाद्य-सामग्री की कीमतों तक ही सीमित नहीं रहता है। बल्कि ऐसे चक्र खाद्येतर वस्तुओं तथा सेवाओं के दामों को भी बढ़ा देते हैं। महंगाई की प्रत्याशा बढ़ने लगती है और साधारणतया मजदूरी और अन्य संविदाओं में जाकर समाने लगती है। इस संदर्भ में, संघीय बजट का यह प्रस्ताव कि एमजीएनआरईजीए में ऐसे कार्यों पर फोकस किया जाए जो अधिक उत्पादक हों, जिससे परिसंपत्ति का सृजन हो तथा जो काफी हद तक कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों से जुड़ी हों; ऐसा करना सहायक होगा। जहां तक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत मजदूरी में ऐसी वृद्धि करना जो गैर-स्फीतिकारी हो, तो ऐसी मजदूरी श्रमिक-उत्पादकता में वृद्धि से अधिक नहीं रखी जा सकती।

- iii) आपूर्ति-श्रृंखला की गड़बड़ी, अल्पावधि आपूर्ति की बाधाएं, जो प्रायः मौसम संबंधी कारणों से होती हैं, के कारण सामान्यतया कुछ चुनिंदा खाद्य-सामग्री के मूल्यों में दुष्चक्र पैदा कर देती हैं। इस प्रकार की अस्थिरता बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मूल्यों में इस प्रकार के उतार-चढ़ाव प्रायः मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रभावित करते हैं, और आगे बढ़कर सामान्य मुद्रास्फीति का रूप ले लेते हैं। इसके लिए आपूर्ति-पक्ष की ओर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे-बाजार की संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ भंडारण और वेयरहाउसिंग की सुविधा का बढ़ाया जाना तथा खाने-पीने की शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मुहैया कराना।
- iv) संघीय बजट में राष्ट्रीय बाजार की स्थापना पर जोर दिया गया है जिससे सभी बाजारों के बीच स्पर्धा उत्पन्न होगी और एकीकरण हो सकेगा जिसका फायदा किसानों तथा

उपभोक्ता दोनों को मिलेगा। राज्य सरकारों को भी कस्बों में कृषक बाजार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसान अपने उत्पाद सीधे वहीं पर विक्रय कर सकें। इस प्रयोजन के लिए एपीएमसी अधिनियम को भी उचित रूप से पुनः उन्मुख करना होगा।

- v) व्यापार को एक महत्वपूर्ण और भविष्य के अनुमान की भूमिका निभानी होगी। निर्यात-खिड़की को केवल अतिशय की स्थिति में बंद किया जाए ताकि किसानों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिले और खुली अर्थव्यवस्था में अच्छी कमाई का अवसर मिल सके। आयात भी उदारतापूर्वक किया जाए यदि अभाव की उम्मीद हो, और उस समय तक विलंब न किया जाए जब तक अभाव की स्थिति बाजार को प्रभावित कर (जहां आयात करने में बहुत देर हो गई हो) इससे उपभोक्ता कल्याण बढ़ेगा।

मौद्रिक नीति ढांचे और उसके प्रसारण को सुदृढ़ बनाना

I.34 एक ऐसे मौद्रिक नीति ढांचे की आवश्यकता है जो सुदृढ़, पारदर्शी, अनुमान योग्य तथा प्रभावी हो और जो मुद्रास्फीति को धीमा रख सके। मुद्रास्फीति के बारे में केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता इस बात की अनुमति देती है कि मौद्रिक नीति का इस्तेमाल मुद्रास्फीति के चक्र को रोकने के रूप में किया जाए। पिछले छह वर्षों से वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दो अंकों तक जा रही है या तकरीबन उसके आसपास बनी रही है, इसलिए मुद्रास्फीति पर लगाम कसने तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर विराम लगाने के लिए एक विश्वसनीय साधारण ऐंकर की स्थापना करना महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ. ऊर्जित पटेल) (इसके बाद विशेषज्ञ समिति कहा जाएगा) का गठन किया। 1980 के दशक के मध्य से मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के ढांचे में परिवर्तन किया गया था, तब से उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था और 1998 में और भी सापेक्ष बहुविध संकेतक का दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस बीच, मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने के लिए ऐसे उपकरण अपनाए जो उनके केंद्रीय बैंक के स्वतंत्र रूप से थे। अनेक मामलों में ऐसा करने से मुद्रास्फीति को धीमा रखने में मदद मिली थी। वहीं पर कुछ देशों ने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उत्पन्न सहवर्ती लागतों सहित वित्तीय स्थिरता को नजरअंदाज

किया, इसलिए कि मुद्रास्फीति को लचीले तरीके से लक्ष्य करना और वित्तीय स्थिरता दोनों परस्पर पृथक लक्ष्य नहीं हैं। सच तो यह है कि मुद्रास्फीति का धीमापन, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को कायम रखने में मदद करता है।

I.35 ऊपर उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक और सरकार को नये ढांचे के लिए काम करने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआर) ने नये ढांचे के लिए मुंबई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त विशेष समिति, वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित समिति के गठन सहित अनेक समितियों की सिफारिशों की हैं। इसे देखते हुए जिन परिवर्तनों पर अन्य बातों के साथ-साथ विचार किया जाना है वे इस प्रकार हैं:

- मौद्रिक नीति का उद्देश्य।
- मौद्रिक नीति समिति की संभावित स्थापना सहित परिचालनगत ढांचा।
- लक्ष्यों के प्रति केंद्रीय बैंक की जवाबदेही स्थापित करने का तरीका और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसकी परिचालनगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।

I.36 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2014 में सीपीआई मुद्रास्फीति पर आधारित अवस्फीति के लिए ग्लाइड पथ को अपना लिया है जो अखिल भारतीय (सीपीआई-संयुक्त) का प्रतिनिधित्व करती है। आधार के हिसाब से सूचकांक हाल ही में बनाया गया है और नीति के प्रयोजन से न्यूनतम समय में उपलब्ध है। रिजर्व बैंक भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे में परिवर्तन कर रहा है। जहां नई मौद्रिक नीति के ढांचे से यह उम्मीद की जाती है कि वह मुद्रास्फीति का बेहतर प्रबंधन करेगी, वहीं पर इसका संभावित परिणाम भी मौद्रिक प्रसारण में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगा (बॉक्स III.3)।

राजस्व-वृद्धि के माध्यम से राजकोषीय समायोजन

I.37 वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही से राजकोषीय समेकन की शुरुआत की गई है जिसमें अनिवार्य रूप से व्यय की कटौती पर जोर दिया गया है और राजस्व को केवल एक ही बार लिया जाएगा। जहां सब्सिडी के लक्ष्य अच्छी तरह रखने की काफी

गुंजाइश है, वहीं आगे राजकोषीय समेकन की अधिक राजस्व जुटाकर अतिरिक्त रूप से सहायता की जा सकती है। अब तक जो बड़ी उपलब्धि रही है वह व्यय पक्ष की ओर रही है, जिसमें राजस्व व्यय 2009-10 से 2013-14 (अंतिम लेखा) तक जीडीपी के 2.0 प्रतिशतता बिंदु तक घटने जा रहा है। उसी अवधि में सकल कर राजस्व में जीडीपी की 0.6 प्रतिशतता बिंदु की अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि हुई थी।

I.38 भारत के राजस्व का जीडीपी के प्रति अनुपात उन्नत राष्ट्रों तथा प्रमुख उभरते बाजार और विकासशील के देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, सामान्य सरकारी राजस्व 2013-14 में जीडीपी के 20 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 37 प्रतिशत औसत का लगभग आधा था। इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर कम है। अतः कर की वसूली में तेजी लाने के लिए कर की दर बढ़ाने से इष्टतम राजस्व की सक्रियता नहीं पैदा होगी, क्योंकि इससे बचत, निवेश और वृद्धि-दर हतोत्साहित होंगे। किंतु, कर का आधार बढ़ाने तथा कर भरने का अनुपालन बढ़ाने की गुंजाइश है, उदाहरण के लिए - परोक्ष-कर प्रणाली में सुधार के माध्यम से। इस संदर्भ में कर में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सुधार किया जाने वाला है, वह है माल और सेवा कर (जीएसटी)। यह सुधार परोक्ष कर प्रणाली को और कुशलतम बनाएगा तथा कर-अनुपालन के माध्यम से कुछ समय में अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद करेगा।

I.39 कर-प्रशासन में सुधार करने से सामान्य सरकारी कर प्राप्तियों में सहायता मिलेगी जिसका भारत में राजस्व प्राप्तियों में हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। कर-वसूली को बढ़ाने के लिए, यह जरूरी है कि कर-क्षमता और कर की तेजी को बढ़ाया जाए। कर-क्षमता, को कर का आधार व्यापक बनाते हुए, कर के प्रति बाह्य जगत की नकारात्मकता को लक्ष्य करके तथा कर-भरने में अनुपालन को सुदृढ़ बनाते हुए बिखराव को न्यूनतम करके बेहतर बनाया जा सकता है। हाल में गठित कर प्रशासन सुधार आयोग कर-प्रणाली में पारदर्शिता तथा क्षमता में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ऐसी सेवाओं की सूची को पिछले कई वर्षों से छोटा किया जा रहा है जिन्हें सेवा कर से छूट प्राप्त है, लेकिन उसे और भी कम करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर में सुधार करने की आवश्यकता

है जिसमें क्षमता, समानता और प्रभावी होने को ध्यान में रखना होगा। लेकिन, यह महत्त्वपूर्ण है कि इन परिवर्तनों से बचत और निवेश की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

I.40 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश पर बहुत ही कम कमाई, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से अपर्याप्त प्रतिफल तथा अपर्याप्त विनिवेश प्राप्तियों का राजस्व के कम प्राप्त होने में योगदान है। इन कमियों का समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि भारत के लोक-वित्त का आधार मजबूत रहे। विनिवेश की प्रक्रिया से निर्णय तेजी में आएगी और बाजार में उपलब्ध पेशेवर विशेषज्ञता की सेवा लेने में मदद मिलेगी। इस बात की भी आवश्यकता है कि इस संदर्भ में ऐसे पेशेवर मर्चेट बैंकर रखे जाएं जिनका रिकार्ड अच्छा हो, और बाजार से संबंधित शुल्क एवं प्रोत्साहन को शामिल करते हुए मापने योग्य निष्पादन मानदंड निर्धारित किए जाएं। मर्चेट बैंकर रोड-शो की प्रक्रिया को, विवरण-पत्रिका रखते हुए, तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि विनिवेश के बजट प्रावधान की समग्र प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्र समाप्त कर ली जाएं। इससे न केवल बाजार की अनुकूल स्थितियों में द्रुत गति तरीका अपनाने के फायदे के साथ विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का सही मूल्य पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार को कुछ ऐसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करने पर विचार करना चाहिए जिनसे उचित कमाई नहीं हो पा रही है। यह विशिष्ट रूप से ऐसा मामला है जहां इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी का आबंटन सही नहीं होता है और कार्पोरेट अभिशासन के मुद्दे जटिल होते हैं। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो, कार्पोरेट अभिशासन में सुधार तथा प्रबंधन द्वारा फर्म का मूल्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से सरकार की विनिवेश से वसूली बढ़ेगी।

मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना और निजी क्षेत्र के लिए संविदागत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना

I.41 सरकार द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद, मूलभूत सुविधाओं में निवेश करने के लिए अभिरुचि जागृत करना अपेक्षाकृत धीमा ही रहा। अतः, रिजर्व बैंक के परामर्श से संघीय बजट 2014-15 में और भी पहल की गई है। रिजर्व बैंक ने जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बजट-घोषणा के अनुसार इसका अनुवर्तन किया और बैंकों को यह अनुमति दी कि वे मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उधार देने के प्रयोजन

से विनियामकीय अपेक्षा जैसे - सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य, के बिना निधि जुटाएं। संघीय बजट में यह भी अपेक्षा की गई है कि सरकारी और निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से भी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर प्राधिकरण की स्थापना की जाए ताकि परिवहन-सुविधाओं से जुड़े हुए अच्छे शहरों के साथ औद्योगिक कोरिडोर के विकास का समन्वयन किया जा सके। बजट में यह लक्ष्य रखा गया है कि भू-संपदा निवेश न्यासियों (आरईआईटी) को प्रोत्साहन दिया जाए तथा यह घोषणा की गई कि मूलभूत सुविधा निवेश न्यास (एक संशोधित आरईआईटी प्रकार का ढांचा) की स्थापना की जाए ताकि पीपीपी एवं मूलभूत-सुविधा परियोजनाओं के लिए विदेशों तथा घरेलू स्रोतों से दीर्घकालीन वित्त हासिल किया जा सके। एकत्रीकृत म्युनिसिपल ऋण दायित्व (पीएमडीओ) के लिए बजट प्रावधान को ₹50 बिलियन से बढ़ाकर ₹500 बिलियन कर दिया गया है और इस सुविधा को 31 मार्च, 2019 तक पांच वर्ष के लिए विस्तार दे दिया गया है।

I.42 लेकिन, भारत में सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) का मॉडल मंदी के चक्र के दौरान दबाव में था। इसका आंशिक कारण यह भी था कि निजी क्षेत्र ने गलत अंदाजा से यह मान रखा था कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार ऊंची दर पर होती रहेगी और

उसके मद्देनजर प्रतिस्पर्धा का दबाव बना हुआ था तथा निजी क्षेत्र की फर्मों ने आक्रामक रूप से बोली लगाई। परियोजना के गणित में चक्रीय मंदी को पर्याप्त रूप से जगह नहीं दी गई। वहीं पर, निजी क्षेत्र के साथ की गई संविदागत व्यवस्था कुछ खास लोच नहीं पैदा कर सकी और कठिन मैक्रो-आर्थिक परिस्थितियों में मूलभूत सुविधाओं में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने की अभिरुचि दब गई। कुछ फर्मों बड़े भूमि बैंकों अथवा अन्य परिसंपत्तियों पर बैठी रहीं और यह दिखाते हुए कि परिसंपत्ति की बिक्री में लोच नहीं है, चलनिधि तथा लीवरेज की समस्या को और भी विकट बना दिया गया। इन समस्याओं को सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों स्तर पर लचीला दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्रता से निपटाने की जरूरत है। इस संदर्भ में, निजी क्षेत्र के साथ संविदागत व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए मूलभूत सुविधा के क्षेत्र को पुनः सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है (बॉक्स I.2)।

I.43 मूलभूत-सुविधा क्षेत्र के घाटे को देखते हुए, निजी क्षेत्र के लिए मूलभूत-सुविधा के क्षेत्र के विकास में सहभागिता के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उनकी प्रतीक्षा में हैं। ऐसे अवसर सड़क, रेलवे, बंदरगाह और विद्युत क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। बेहतर संविदागत व्यवस्था से इस क्षेत्र में दिलचस्पी पुनः जागृत की जा सकती है और इस क्षेत्र में निवेश चक्र तेजी हासिल कर सकता है।

बॉक्स I.2

मूलभूत सुविधाओं में निजी क्षेत्र के साथ संविदागत व्यवस्था पर पुनर्विचार

जहां मूलभूत सुविधाओं से संबंधित व्यय विकास के लिए जरूरी है, वहीं इसे राजकोषीय सीमाओं के साथ संतुलित करना भी एक चुनौती है जो एक नीतिगत अनिवार्यता है। इसे कुछ हद तक निजी क्षेत्र द्वारा दूर किया जा सकता है, किंतु ऐसे बहुत से मौजूदा निवेश हैं जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बैंकिंग प्रणाली ने, मूलभूत सुविधाओं में निजी सहभागिता को काफी हद तक वित्त प्रदान किया है, किंतु अब वह परिणाम को देखते हुए वित्त प्रदान करने से हिचक रहे हैं। यद्यपि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम सितंबर 2013 के 10.2 प्रतिशत से मामूली सा कम होकर मार्च 2014 में 10.0 प्रतिशत हो गया है, लेकिन फिर भी वह अभी बहुत अधिक दबावग्रस्त है। पांच ऐसे उप-क्षेत्र हैं जैसे - मूलभूत सुविधा क्षेत्र, लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, खनन (कोयला सहित) और विमानन सेवाएं, जिनमें दिए गए कुल अग्रिमों का लगभग 24 प्रतिशत अग्रिम है, और उसकी आधे से अधिक परिसंपत्ति दबावग्रस्त है। इन सभी में से, मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बहुत तेजी से खराब हुई है। जहां अग्रिमों में इसका हिस्सा लगातार बढ़ता रहा है, अलबत्ता

धीरे-धीरे (अन्य चार क्षेत्रों का हिस्सा कम हो गया है) बढ़ा है, मार्च 2011 में 13.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2013 में 14.7 प्रतिशत हो गया था; दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, जो 3.3 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत हो गया है। इससे पता चलता है कि उनके दबावग्रस्त होने की दर, जो औसत से बहुत कम थी, अब समग्र पोर्टफोलियो के दुगुने से अधिक हो गई है। मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में दिए गए कुल अग्रिमों में से पांचवां हिस्सा दबावग्रस्त है और इस क्षेत्र में निवेश के लिए दिए गए ऋण में जोखिम के प्रति दबावग्रस्त जांच से पता चलता है कि बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में आगे चलकर निष्क्रियता आने से भारी नुकसान होने के कारण यह बैंकों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।

यह आवश्यक है कि पूर्व में जो हुआ उसे न दोहराया जाए, जब मूलभूत सुविधाओं की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था, उनमें से कई परियोजनाओं को बाद में स्थापित किया गया, फलस्वरूप उनमें की गई वृद्धि घोर एनपीए बन गई।

(जारी...)

इसके अलावा, जहां इसका समय रहते पता लगा लेना और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई कर लेना, वसूली के निरंतर प्रयास कर लेना, और अधिक समर्थनकारी कानूनी संरचना तैयार कर लेना आदि परिसंपत्ति की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को हल करने में सहायक हो सकता है, वहीं यह भी आवश्यक है कि मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निजी फर्मों और सरकार के बीच संविदागत संबंधों को नये सिरे से सक्रिय किया जाए।

सरकार के साथ की गई संविदा के स्वरूप से यह निर्धारित होता है कि मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने जोखिम का आबंटन हो सकता है। ऐसे जोखिमों के आबंटन के प्रति एक मोटा सिद्धांत यह है कि उसे इस प्रकार आबंटित किया जाए कि निजी क्षेत्र उसे स्वयं नियंत्रित अथवा संभाल लें, लेकिन मौजूदा बहुत सी संविदाओं में इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। विद्युत उत्पादन में, बोलियों में बोलीकर्ता को यह अनुमति है कि बिना उपयुक्त हेजिंग किए वह विनिमय दर के जोखिम एवं ईंधन की लागत से संबंधित जोखिम को मानकर चले। इससे बाद में पुनः बहुत अधिक सौदेबाजी करनी पड़ती है। सड़कों के मामले में, यातायात संबंधी जोखिम का अंतरण, जिसे पहले से नहीं बताया जा सकता, कम या अधिक हो सकते हैं और निजी क्षेत्र के नियंत्रण के बाहर हैं, जिससे बचा जा सकता था। यह मानते हुए कि पर्यावरणगत और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के बीच सड़क में निर्माण फर्मों के अत्यधिक लीवरेज ने पीपीपी में निजी क्षेत्र द्वारा बोली लगाने को कुंद कर दिया है, ऐसी स्थिति में कुछ उपाय जैसे - प्रीमियम आधार पर पुनः निर्धारण, संविदाओं को निरस्त करना और उनके लिए दोबारा बोली लगवाना, और ईपीसी माध्यम से संविदाएं देना आवश्यक हो गए हैं। इससे प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि पोर्ट-रियायतें इस प्रकार से डिजाइन की गई हैं कि उपयोगकर्ता को आवश्यकता से अधिक बार प्रभारित किया जा सकता है, और इनमें से कई को न्यायालयों में चुनौती दी गई है।

इसी प्रकार, संरचनाबद्ध हवाई अड्डा रियायतों के संबंध में पुनःवार्ता करने की आवश्यकता है।

फलस्वरूप, पेंशन और बीमा कंपनियां मूलभूत सुविधा की परियोजनाओं को उधार नहीं देना चाहती हैं, जिसे उनके विनियामक अभी तक के अनुभव के आधार पर, विवेकपूर्ण तरीके से अत्यधिक जोखिमपूर्ण बताते हैं। हालांकि एयूएम में अत्यधिक वृद्धि हुई है उसके बावजूद उनके द्वारा दिया गया उधार सीमित है। जोखिम के बेहतर वितरण से उनकी सहभागिता बढ़ेगी और वे इस क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में अधिक निधि ला सकते हैं।

थोक रूप में कार्यों को संविदाओं की ओर घुमा देना वांछित नहीं होगा, केवल राजकोषीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि पीपीपी की मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए आवश्यक है वे जवाबदेही बढ़ाएं तथा निजी प्रबंधन एवं कार्यान्वयन क्षमता का सहारा लें। मौजूदा परियोजनाओं से मिली सीख के आधार पर, नये सिरे से सक्रिय की गई संविदा व्यवस्थाएं जो जोखिम को परियोजना लागतों तथा नियंत्रण योग्य राजस्व मदों में अंतरित करने तथा नवोन्मेषी प्रणाली जैसे - राजस्व का न्यूनतम वर्तमान मूल्य (एलपीवीआर) बोलियों के इस्तेमाल को सीमित करती हैं, जैसे - सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर प्रणाली, का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

पुनः संशोधित मूलभूत सुविधाओं की संविदाओं को भी पुनःवार्ता की संभावना के दायरे में लाया जाए तथा वह पद्धति भी शामिल की जाए जो ऐसी स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सके। इससे उन्हें इस बात का लाभ कम मिल सकेगा जो इस उम्मीद पर अनुचित तरीके से बोली लगाते हैं कि बाद में इससे बेहतर शर्तों के लिए पुनः वार्ता कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया में और अधिक स्तर रखे जाने से इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

बाधाओं को दूर करना और वित्त की उपलब्धता को बेहतर बनाना

I.44 बैंकिंग प्रणाली के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह कार्पोरेशन की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृहस्थों के वित्तीय अधिशेष को उसमें लगाकर विकास को सहारा दे। जहां वित्तीय गहनता लाना स्वयं में महत्वपूर्ण है, वहीं वित्त का वितरण भी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के लिए वित्त की उपलब्धता जो या तो नजरअंदाज कर दिए गए हैं या फिर ऋण बाजार की भीड़ में अलग-अलग पड़ गए हैं किंतु वे भी वित्त का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं, विकास एवं अधिक समावेशी विकास में योगदान देने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण तत्व हैं। वित्त की उपलब्धता के संबंध में छोटे व्यवसायियों की बाधा सूचना की असमानता और ऋण बाजार की अन्य रुकावटें हैं तथा व्यक्तियों के लिए बाधाएं हैं - उनकी गरीबी, संपार्श्विक जमानतों का अभाव, भौगोलिक दूरियां अथवा शिक्षा, जो नीति के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।

I.45 अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि बड़ी फर्मों की तुलना में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को वित्त देने में अधिक बाधाएं हैं, खासतौर से विकासशील देशों में, और वित्त की उपलब्धता ने ही बड़ी कंपनियों की तुलना में एसएमई क्षेत्र की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रखा है। अनेक देशों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बाह्य वित्त और बाह्य वित्तपोषण प्रीमियम उनके परिचालन और विकास में महत्वपूर्ण बाधक हैं। ये वित्तपोषण संबंधी बाधाएं अलग-अलग आकार की फर्मों के लिए अलग-अलग हैं, अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि वित्तपोषण की बाधा, बड़ी फर्मों की तुलना में छोटी फर्मों की वृद्धि के प्रतिशत को बहुत अधिक कम कर देती है, और वृद्धि में कमी की यह मात्रा किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं की जा सकती है।

I.46 भारत के मामले में, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यापार-ऋण पर अत्यधिक निर्भरता है। एसएमई क्षेत्र को बेहतर तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि ऋण के

संबंध में रिपोर्टिंग को और अच्छा बनाया जाए जिससे सूचना की असमानता कम हो और अधिक स्पर्धा पैदा की जाए तथा बैंकों में उत्पादकता बढ़ाई जाए ताकि मध्यस्थता लागत कम हो।

I.47 रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को अध्याय IV में विस्तार से दिया गया है। यद्यपि, वित्त की उपलब्धता को बेहतर बनाना निःसंदेह महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति लक्ष्य है, किंतु किसी भी सार्वजनिक नीति कार्यक्रम को बनाए रखने की पूर्व शर्त यह है कि उसमें वित्तीय संभाव्यता होनी चाहिए। लघु वित्त संस्थाएं तथा लघु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निश्चित रूप से वित्त की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन, वे स्वयं वित्त उपलब्धता के अंतर को पाट नहीं सकते। इस कार्य को करने के लिए हमें ऐसी वित्तीय संस्थाओं की जरूरत है जो मजबूत हों और उनके पास पूंजी पर्याप्त हो। अतः हमें वित्तीय समावेशन को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। बैंक, बैंकरहित क्षेत्र को तब तक उधार नहीं देंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनके दिए गए उधार वित्तीय रूप से अर्थक्षम हैं। ऐसा तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक लेन-देन की लागतें कम न की जाएं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि छोटे आकार के ऋणों की लेन-देन लागत बड़े ऋणों की तुलना में अधिक होती है। एक संभव समाधान यह है कि लेन-देन की लागतें कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए और समावेशन को आसान बनाया जाए। प्रतिस्पर्धा से भी सहायता मिलेगी, लेकिन केवल, अधिक बैंक लाइसेंस देने से समावेशन नहीं होगा बल्कि, इसके लिए एनबीएफसी और अन्य व्यवसायियों को उनकी क्षमता और पहुंच के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन देना होगा।

I.48 भारत एक ज्ञानाश्रयी अर्थव्यवस्था है जिसके पास बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स और पेशेवर उपलब्ध हैं। लेकिन हमने क्षमता के अनुसार वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ पूरी तरह नहीं उठाया है। यह सत्य है कि वित्तीय अशिक्षा, कम आय, अस्थिर आय, संपार्श्विक की उपलब्धता, साख संबंधी रिकॉर्ड का अभाव ये सब वित्तीय समावेशन के मार्ग में सार्थक तरीके से आते हैं, किंतु उत्पाद में नवीनता न होना और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न करना वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रुकावटें हैं। प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल और स्पर्धा बढ़ाना सहायक हो सकता है जैसाकि पूर्व में दूरसंचार उद्योग के मामले में देखा गया है। इस उद्योग ने 10 वर्षों में कई गुना तरक्की की है और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या

लगभग 1 बिलियन हो गई है जो अधिक दूरी की काल दरों को तेजी से कम करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है।

बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार के लिए एनपीए चक्र का प्रबंधन

I.49 पिछले तीन वर्षों में बैंकों की ऋण की गुणवत्ता काफी खराब हुई है। सकल एनपीए, मार्च 2011 में सकल अग्रिमों का 2.4 प्रतिशत था जो मार्च 2014 में 4.1 प्रतिशत तक घटने से पहले, दिसंबर 2013 में 4.4 प्रतिशत हो गया था। निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए की भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी जो मार्च 2014 में 2.2 प्रतिशत था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) भी दिसंबर 2009 में 15 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 13.0 प्रतिशत हो गया।

I.50 एनपीए की ऐसी खराब स्थिति सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों दोनों में थी। मार्च, 2014 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल और निवल एनपीए अनुपात क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए आर्थिक मंदी के बावजूद मार्च 2011 के 2.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 1.9 प्रतिशत हो गया। उनके निवल एनपीए अनुपात में मामूली सी वृद्धि हुई जो मार्च 2011 के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 0.7 प्रतिशत हो गया।

I.51 विभिन्न समय पर और देश देशांतर से तुलना करने पर देखा जाए तो, भारत का एनपीए अधिक नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर, मार्च 2001 में सकल एनपीए अनुपात 12.0 प्रतिशत था। कठोर विवेकपूर्ण विनियमनों और अर्थव्यवस्था में उच्च संवृद्धि की पृष्ठभूमि में जून 2008 में यह कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गया था। वैश्विक वित्तीय संकट ने अवनति का चक्र प्रारंभ कर दिया। संवृद्धि में मंदी और क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं, विशेष रूप से विद्युत, सड़क और उड्डयन उद्योग, ने इसको और बढ़ा दिया। समूह की कुछ कंपनियों के अत्यधिक लीवरेज में चले जाने से उनमें निहित एक्सपोजर ने आस्ति गुणवत्ता को कमजोर बनाने में अपना योगदान दिया। इसके अलावा, केवल एनपीए अनुपात पर ध्यान केंद्रित करना ठीक नहीं होगा क्योंकि पुनर्संचित ऋणों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

I.52 मौजूदा एनपीए चक्र के अनुभव से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहला, चक्रीय आर्थिक संचरणों का सामना करने के लिए

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और प्रत्यावर्तित होने वाली प्रावधानीकरण व्यवस्था। रिजर्व बैंक ने 2006 और 2007 में बैंकों से चलायमान प्रावधानीकरण करने के लिए कहा था। तथापि, प्रत्यावर्तित प्रावधानीकरण करने की दिशा में गंभीर प्रयास केवल 2012 में किए गए, जब इस संबंध में एक चर्चा दस्तावेज जारी किया गया। चूंकि उस समय तक बैंक एनपीए चक्र के निचले चरण में पहले ही आ चुके थे अतः, नए बफरों का निर्माण करने के लिए और वक्त की दरकार थी। तथापि, हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करके रिजर्व बैंक ने फरवरी 2014 में बैंकों से कहा कि वे विभिन्न प्रकार की आस्ति श्रेणियों के लिए दीर्घावधि आधार पर औसत संभाव्य वार्षिक हानि की गणना करने के लिए आवश्यक क्षमताएं विकसित करें ताकि प्रत्यावर्तित प्रावधानीकरण फ्रेमवर्क की ओर आगे बढ़ा जा सके और आस्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

I.53 दूसरा, खराब ऋणों की पुनः संरचना को भी अधिक पैनी निगाह से देखने की जरूरत है। सभी वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचित आस्तियां बढ़कर उनके कुल अग्रिमों का 5.9 प्रतिशत हो गईं, जबकि जून 2011 में यह 2.5 प्रतिशत ही थीं। इसके प्रत्युत्तर में रिजर्व बैंक ने ऋण पुनः संरचना मानदंडों को और कठोर कर दिया और 01 अप्रैल 2015 से इन्हें गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जून 2013 से नए मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए

प्रावधानीकरण की आवश्यकता को अंतरिम अवधि के लिए 2.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कंपनियों के प्रवर्तकों को, मौजूदा निवल कीमत ह्रास के 20 प्रतिशत की राशि लानी होगी, जबकि अभी तक यह 15 प्रतिशत ही थी।

I.54 इसी प्रकार, आस्ति पुनरुद्धार कंपनियों के जरिए दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए रिजर्व बैंक ऐसे उपाय कर रहा है ताकि दबावग्रस्त आस्तियां, आस्ति पुनरुद्धार कंपनियों को बेचने से जोखिम वास्तविक रूप में बैंकों से स्थानांतरित हो जाए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013-14 के दौरान आस्ति पुनरुद्धार कंपनियों को बेचे जाने वाली आस्तियों में काफी इजाफा हुआ है (सारणी VI.3)। इस संदर्भ में, कुशलतापूर्वक कार्य कर रही आस्ति पुनरुद्धार कंपनियों की आवश्यकता है, क्योंकि सरफैसी और ऋण वसूली अधिकरणों के जरिए की जाने वाली वसूली विशेष रूप से कमजोर है।

I.55 रिजर्व बैंक, वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे दबाव का उस प्रकार सामना कर सकें जो मध्यावधि और दीर्घावधि में वित्तीय स्थिरता के अनुरूप हो। चक्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसके प्रयास जारी रहेंगे।

अमरीका के फेडरल रिजर्व द्वारा अपने विशाल आस्ति खरीद कार्यक्रम में क्रमिक रूप से कमी लाने का संकेत देने के बाद 2013-14 के दौरान घरेलू कमजोरियों और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते समष्टि आर्थिक जोखिम उत्पन्न हो गए। समष्टि-वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों को कम करने हेतु रिजर्व बैंक ने कई नीतिगत कदम उठाए। इनका उद्देश्य विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को थामना, चालू खाते के घाटे (सीएडी) को कम करना और बफर का फिर से निर्माण करना था। इसने मुद्रास्फीति को काबू में रखने को भी प्राथमिकता दी, जिसके कई वर्षों से लगातार बने रहने के कारण विभिन्न प्रकार के समष्टि-आर्थिक असंतुलन पैदा हो गए थे। यद्यपि इन उपायों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद दी, इसे मुद्रा अपस्फीति के रास्ते पर ले आये, फिर भी निरंतर जारी आर्थिक मंदी, 2014-15 में नीतिगत चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। अर्थव्यवस्था को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो उत्पादकता में वृद्धि के जरिए आर्थिक संवृद्धि की समस्या को दूर करें और साथ ही अधिक निवेश एवं श्रम के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था



संवृद्धि लगातार दूसरे वर्ष धीमी रही और 5 प्रतिशत से कम रही, परंतु यहां से संवृद्धि में बढ़ोतरी की आशा है

II.1.1 2013-14 में वास्तविक जीडीपी में मामूली सुधार हुआ और यह 4.7 प्रतिशत हो गया जबकि 2012-13 में यह 4.5 प्रतिशत था, जो कि लगातार दूसरे वर्ष 5 प्रतिशत से कम की संवृद्धि दर्शाता है (चार्ट II.1)। प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से खनन गतिविधि, पर्यावरण अनापत्तियां और भूमि अधिग्रहण में स्पष्ट कानूनी और विनियामकीय ढांचे की गैर-मौजूदगी से व्यापारिक विश्वास गिर गया और उसने अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रभावित किया। संवृद्धि में मंदी के चलते उपभोग में भी कमी आई। तथापि, इस बिंदु से संवृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है, 2014-15 में मामूली-रफ्तार से सुधार



होने की आशा है। बेहतर अभिशासन, पारदर्शी, प्रभावी और कुशल विनियामकीय और कानूनी पद्धति, प्रौद्योगिकीय कुशलता के लाभ, संस्थागत सुधारों, श्रमिकों की गतिशीलता और अन्य सुधारों के जरिए निवेश के माहौल में सुधार करने से निश्चित रूप से संवृद्धि में सुधार आएगा। चुनावों के बाद इस प्रकार के सुधारों की प्रत्याशा से बेहतर व्यापार संभावनाएं एक स्वागत योग्य गतिविधि है।

II.1.2 2013-14 में सामान्य मानसून के कारण कृषि क्षेत्र ने रुझान से कहीं अधिक संवृद्धि दर दर्शायी जिसने समग्र रूप से संवृद्धि को सहारा दिया। औद्योगिक क्षेत्र में कमी आई जबकि सेवा क्षेत्र में संवृद्धि पिछले वर्ष के स्तर पर ही अपरिवर्तित बनी रही। ढांचागत रुकावटों, ऊंची मुद्रास्फीति और घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं ने संवृद्धि की संभावनाओं को फीका कर दिया।

चार्ट II.1: वास्तविक जीडीपी में संवृद्धि



चार्ट II.2: बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी में संवृद्धि



उपभोग में लगातार कमी और सुस्त निवेश

II.1.3 2013-14 के दौरान बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी में 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण आयतों में कमी के साथ निर्यातों में कुछ वृद्धि होना था (चार्ट II.2क)। 2013-14 में समग्र संवृद्धि में निवल निर्यातों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.2ख)। कृषि में उच्चतर संवृद्धि होने के बावजूद इसके विपरीत निजी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) की संवृद्धि की रफ्तार में कमी आई और इसका मुख्य कारण मुद्रास्फीति लगातार बने रहना और

प्रयोज्य आय में कमी होना था।


II.1.4 वास्तविक नियत निवेश संवृद्धि में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई और 2013-14 में यह नकारात्मक हो गई (चार्ट II.3क)। सांख्यिकीय उपाय दर्शाते हैं कि वास्तविक नियत निवेश में संवृद्धि की प्रवृत्ति 2005-06 के मध्य में अपनी पराकाष्ठा पर थी, उसके बाद से इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है, क्योंकि मोटे तौर पर ढांचागत समस्याओं ने निवेश का रास्ता बंद कर दिया और हाल के वर्षों में चक्रीय घटकों ने भी काफी कमी दर्शायी (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1 भारत में निवेश चक्र और हाल की मंदी

अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि हाल के वर्षों में ढांचागत और चक्रीय दोनों घटकों के कारण निवेश मंद पड़ा है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों घटकों ने एक दूसरे को मजबूत किया है। 2005-06 के मध्य से प्रवृत्तिगत घटक में गिरावट आई है जो मुख्यतः ढांचागत रुकावटों के प्रभाव को दर्शाता है। पिछले चौदह वर्षों के दौरान के तिमाही आंकड़ों पर आधारित अनुभवजन्य विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि राजकोषीय असंतुलन, ईंधन मुद्रास्फीति, वैश्विक संवृद्धि (बाह्य मांग के प्रतिरूप में) और मौद्रिक नीतिगत निर्णय वास्तविक नियत निवेश संवृद्धि के चक्रीय घटक को प्रभावित करते हैं।

भारत में वास्तविक निवेश के प्रवृत्तिगत घटक का अनुमान सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की गैरमौसमी श्रृंखला से संबंधित हॉट्रिक-प्रेसकॉट (एचपी) फिल्टर पर संवृद्धि चक्र पद्धति को अपनाते हुए निकाला गया है। निवेश के चक्रीय घटक को वास्तविक संवृद्धि से इसके अनुमानित रुझान को घटा कर निकाला गया है, इसके लिए 1997-98:ति1 से

2013-14:ति4 की अवधि को लिया गया है। संवृद्धि चक्र की श्रृंखला को और वास्तविक नियत निवेश की वृद्धि प्रवृत्ति को नीचे दिए गए चार्ट



(जारी...)

में दर्शाया गया है। समयावधि को तीन चरणों में विभक्त किया गया है, जो वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के सामान्य विकास पथ पर आधारित है, अर्थात् चरण-1 (1997-98:ति1 से 2002-03:ति4), चरण-2 (2003-04:ति1 से 2008-09:ति4) और चरण-3 (2008-09:ति1 से 2013-14:ति4)।

जीएफसीएफ में संवृद्धि की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय गिरावट आई यह 2005-06 की दूसरी छमाही के 14.5 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 5.0 प्रतिशत से कम हो गया। चरण-1 में निवेश वृद्धि की दर में पारस्परिक घट-बढ़ हुई जो तिमाहियों की लगभग समान संख्या में कभी प्रवृत्ति से अधिक तो कभी कम रही। दूसरी ओर चरण-2 में निवेश सामान्य तौर पर प्रवृत्ति से अधिक रहा परंतु चरण-3 के अधिकतर हिस्से में यह प्रवृत्ति से कम रहा। संवृद्धि के वास्तविक निवेश के चक्रीय घटक में गिरावट दर्ज की गई और विशेषरूप से 2012-13 की ति1 से तो यह नकारात्मक हो गया। वास्तविक निवेश के चक्रीय घटक और वास्तविक जीडीपी संवृद्धि ने काफी मजबूत सह-संचरण (सांख्यिकीय रूप से सहसंबंध +0.62 है) दर्शाया, जिसमें यह

अंतर्निहित है कि गिरती हुई निवेश दर और जीडीपी संवृद्धि दर आपस में संबंधित हैं।

निम्नलिखित प्रवृत्ति संबंधी संवृद्धि के अनुसरण में ही आनंद और तुलिन (2014) द्वारा हाल ही किया गया एक अध्ययन भी हाल की निवेश संबंधी मंदी में आर्थिक नीति की अनिश्चितता और गिरते हुए व्यापारिक विश्वास का महत्व दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्याज दर निवेश में आई मंदी के एक छोटे हिस्से को ही स्पष्ट करती है।

भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय अनापत्तियों में होने वाला विलंब, कम ब्याज दरों के बावजूद पूंजी की उत्पादकता में कुछ कमी होना, कमजोर व्यापारिक विश्वास और नीतिगत अनिश्चितता जैसे अन्य विशिष्ट घटकों, जो वास्तविक निवेश की वृद्धि दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, के योगदान की जांच करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

संदर्भ:



आनंद राहुल और वॉल्डयूम्यूर तुलिन (2014), 'डिसएनटैगलिंग इंडियाज इनवेस्टमेंट स्लोडाउन', आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/14/17.

II.1.5 सकल पूंजी निर्माण की दर (निवेश दर) में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई, 2011-12 के 35.5 प्रतिशत और 2010-11 के 36.5 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में यह 34.8 प्रतिशत रह गई (चार्ट II.3ख)। नियत निवेशों की क्षेत्रवार संरचना यह दर्शाती है कि हाल के वर्षों में समग्र निवेश दर में आई अधिकतर कमी निजी कारपोरेट क्षेत्र में दृष्टिगत होती है विशेष रूप से 'मशीनरी और उपकरण' के क्षेत्र में (सारणी-II.1)। दूसरी ओर, सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्र के नियत निवेश जो 'विनिर्माण' में संकेंद्रित हैं उनमें अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव आया।

उत्पादकता परिवर्तन का संवृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है

II.1.6 पिछले दशक के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर पर उत्पादकता परिवर्तन का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा हो सकता है। भारतीय केएलईएमएस (पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं) परियोजना अध्ययन ने पिछले दशक में 2008-09 तक हुए उल्लेखनीय उत्पादकता सुधारों को दर्शाया है (बाक्स II.2)। इस अवधि का अधिकांश समय भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च संवृद्धि वाले चरण में शामिल रहा है। यद्यपि ये अनुमान बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, 2011-12 से

चार्ट II.3: निवेश में प्रवृत्ति



सारणी II.1: सकल नियत पूंजी निर्माण

(मौजूदा बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र			निजी कारपोरेट क्षेत्र			पारिवारिक क्षेत्र		
	निर्माण	मशीनरी और उपकरण	कुल	निर्माण	मशीनरी और उपकरण	कुल	निर्माण	मशीनरी और उपकरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-09	5.6	2.9	8.5	2.2	8.1	10.3	10.3	3.1	13.5
2009-10	5.5	2.9	8.4	2.5	7.7	10.2	9.8	3.3	13.2
2010-11	5.1	2.7	7.8	2.9	7.5	10.4	9.1	3.5	12.7
2011-12	4.7	2.4	7.1	2.7	6.8	9.4	10.4	4.9	15.2
2012-13	5.4	2.4	7.8	2.4	6.0	8.5	9.7	4.4	14.1

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

2013-14 के दौरान पूंजी-आउटपुट अनुपात में वृद्धि यह दर्शाती है कि पिछले तीन वर्षों में उत्पादकता संबंधी सुधार उतनी तेजी से नहीं हुए।

2013-14 में पारिवारिक वित्तीय बचत दर नीची बनी रही

II.1.7 रिज़र्व बैंक के प्रारंभिक अनुमान दर्शाते हैं कि 2013-14 के दौरान पारिवारिक वित्तीय बचत दर नीची बनी रही,

बॉक्स II.2

भारत में उत्पादकता वृद्धि

समग्र वृद्धि की प्रक्रिया में उत्पादकता में सुधार एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला घटक होता है। भारत में उत्पादकता वृद्धि के संबंध में जो अनुभवजन्य अध्ययन हैं वे काफी हद तक 1980 और 1990 के दशकों से संबंधित हैं। जहां ये अध्ययन प्रयुक्त की गई पद्धतियों में अलग-अलग हैं, इनमें से कुछ अध्ययन वृद्धि लेखांकन फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, वहीं ये बताते हैं कि 1980 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल फैक्टर उत्पादकता (टीएफपी) की वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, सुधारों से पहले की अवधि में टीएफपी में वृद्धि की दर 1980 के दशक की तुलना में भी कहीं अधिक थी, जिसका मुख्य कारण सेवा क्षेत्र के उत्पादकता निष्पादन में सुधार होना था।

टीएफपी वृद्धि के संबंध में हाल ही के अनुमान 26 उद्यमों के लिए और समग्र स्तर पर 1980-81 से 2008-09 तक की अवधि के लिए अनुसंधान परियोजना (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2014) के तहत भारतीय केएलईएमएस के तत्वाधान में बनाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि पिछले दो दशकों की तुलना में 2000 के दशक (2008-09 तक) में टीएफपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2000 के दशक में आर्थिक स्तर पर टीएफपी में हुई वृद्धि विनिर्माण, विद्युत और सेवा क्षेत्र के कारण हुई है। तथापि, कृषि और खनन के क्षेत्रों में 2000 के दशक में टीएफपी वृद्धि में कमी आई। निर्माण क्षेत्र के मामले में, 1980-99 के दौरान टीएफपी वृद्धि में आई भारी गिरावट काफी हद तक 2000 के दशक में रुक गई।

उत्पादकता वृद्धि के कारणों को देखने पर पता चलता है कि 1991 के बाद अर्थव्यवस्था को खोलना इसका एक महत्वपूर्ण कारक था जिसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उछाल आया जो 2000 के दशक तक जारी रहा। ऊर्जा के उपयोग और सेवाओं के इनपुट के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र

को किफायती पाया गया और 2000 के दशक में इसने प्रति किलोवाट घंटे उत्पादन के रूप में मूल्य वर्धन किया। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि की घटना और अधिक व्यापक रही, 2000-08 के दौरान 14 में से 8 उद्यमों ने तीव्र उत्पादकता वृद्धि दर्शाई। ऐसा प्रतीत होता है कि 1990 के लचीले बाजार सुधारों ने विनिर्माण के कुछ क्षेत्रों में सुधारों के तत्काल बाद पूंजी-संचयन में सहायता दी, जबकि विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए खुलापन लाने और पूंजीगत वस्तुओं के आयात से बाद की अवधि (2000 का दशक) (दास, 2014) में उत्पादकता संबंधी बेहतर लाभ प्राप्त हुए। कुछ अन्य अध्ययनों में 2000 के दशक में विनिर्माण उत्पादकता में हुई वृद्धि के लिए कुछ अन्य कारकों को चिह्नित किया गया, जैसे कि, व्यापारिक बाधाओं को हटाना और खुलेपन में वृद्धि करना। भारत में विनिर्माण उद्योग की प्रौद्योगिकीय कुशलता और उत्पादकता वृद्धि पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के साथ ही साथ श्रम बाजार की स्थितियों ने भी अपना उल्लेखनीय प्रभाव डाला।

चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, फिर भी भविष्य में आउटपुट वृद्धि के साथ ही फैक्टर संचयन करने की मुख्य कुंजी इंफ्रास्ट्रक्चर रुकावटों और श्रम बाजार की कठोर व्यवस्था को हटाना है। कम उत्पादक क्षेत्रों से श्रम को निरंतर उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थापित करते रहना भी उत्पादकता को बढ़ाने के समान ही है। भारत में, यद्यपि, लोगों ने कृषि क्षेत्र से प्रवास किया है फिर भी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि उनके लिए लाभ पूर्ण रोजगार सुनिश्चित किया जा सके और उत्पादकता के समग्र स्तर में वृद्धि की जा सके।

(जारी...)

व्यापक क्षेत्र द्वारा कुल फैक्टर उत्पादकता की वृद्धि दर में आवधिक प्रवृत्ति (श्रम इनपुट और पूंजीगत सेवा का उपयोग करते हुए)

क्षेत्र	1980-2008	1980-1999	2000-2008
1	2	3	4
कृषि, आखेट, वानिकी, मत्स्य पालन	1.52	1.78	0.71
खनन और उत्खनन	-0.24	0.22	-1.59
विनिर्माण	0.73	0.04	2.76
विद्युत, गैस और जल-आपूर्ति	2.96	1.14	6.93
निर्माण	-3.31	-4.19	-0.69
सेवाएं	1.84	1.74	2.14
कुल अर्थव्यवस्था	1.40	1.11	2.26

स्रोत: केएलईएमएस डेटाबेस www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर हाल ही में दिए गए जोर से, आशा की जाती है कि रोजगार के साथ ही उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलने से अतिरिक्त प्रतिस्पर्द्धा और उत्पादकता को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

संदर्भ

दास देब कुसुम (2014), "भिन्न नीतिगत तरीकों के तहत भारत में उत्पादकता वृद्धि, 1980-2012" थर्ड वर्ल्ड केएलईएमएस सम्मेलन, टोक्यो जापान, जून में प्रस्तुतीकरण।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), "भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता वृद्धि के अनुमान", केएलईएमएस परियोजना रिपोर्ट, <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/EPGIKLEMS110614>, June 11, 2014.

केवल मामूली वृद्धि के साथ 2013-14 में यह जीडीपी की 7.2 प्रतिशत रही, जबकि 2012-13 में यह जीडीपी की 7.1 प्रतिशत और 2011-12 में यह जीडीपी की 7 प्रतिशत थी (चार्ट II.4)।

वर्ष 2013-14 के दौरान परिवारों की जमा राशियों (विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों) और छोटी बचतों में इजाफ़ा हुआ, जबकि मुद्रा और म्यूचुअल फंडों में गिरावट दर्ज की गई (सारणी II.2)।


सारणी II.2 : पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतें (सकल)

मद	सकल वित्तीय बचत का प्रतिशत				₹ बिलियन			
	2010-11	2011-12 (सं)	2012-13 (सं)	2013-14 (अ)	2010-11	2011-12 (सं)	2012-13 (सं)	2013-14 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन (सकल वित्तीय बचत)	100.0	100.0	100.0	100.0	10,518	9,215	10,437	11,741
ए. मुद्रा	13.0	11.5	10.7	8.7	1,371	1,062	1,116	1,018
बी. जमाराशियां	49.9	59.1	56.6	58.8	5,248	5,445	5,906	6,908
i) वाणिज्यिक बैंकों के पास	46.5	53.4	51.1	53.1	4,886	4,923	5,338	6,233
ii) सहकारी बैंकों और समितियों के पास	3.0	3.6	3.9	4.2	311	336	412	489
iii) गैर बैंक वित्त कंपनियों के पास	0.5	2.0	1.5	1.6	51	186	157	185
iv) व्यापार कर्ज (निवल)	0.6	0.5	0.3	0.4	68	45	32	48
सी. शेयर और डिबेंचर	-0.4	-0.3	4.1	2.9	-43	-28	430	337
जिसमें से:								
i) निजी कारपोरेट व्यवसाय	0.6	0.4	0.4	0.3	68	41	44	31
ii) बैंकिंग	0.1	0.0	0.1	0.0	8	1	7	5
iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड	0.1	0.0	0.0	0.8	8	1	2	92
iv) म्यूचुअल फंड (यूटीआई सहित)	-1.1	-1.2	3.4	1.8	-116	-106	350	210
डी. सरकार पर दावे	2.7	-2.4	-0.8	0.4	287	-219	-83	46
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0.0	0.1	0.0	0.0	3	5	5	4
ii) छोटी बचतों आदि में निवेश	3.4	-2.4	-0.7	0.6	361	-218	-73	75
ई. जीवन बीमा निधियां	20.0	21.3	17.3	17.0	2,101	1,958	1,803	1,996
जिसमें से:								
i) एलआईसी और निजी जीवन बीमा कंपनियों की जीवन बीमा निधियां	19.9	21.2	17.2	16.6	2,095	1,955	1,800	1,943
एफ. भविष्य और पेंशन निधियां	13.4	10.3	11.7	11.6	1,410	949	1,223	1,359
ख. वित्तीय देयताओं में परिवर्तन					2,804	2,870	3,213	3,555
ग. पारिवारिक क्षेत्र की निवल वित्तीय आस्तियां					7,713	6,345	7,224	8,186

सं : संशोधित अनुमान. अ : अंतिम अनुमान

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

चार्ट II.4: पारिवारिक वित्तीय बचतें



II.1.8 केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू बचत दर 2011-12 के 31.3 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 30.1 प्रतिशत रह गई और इसका मुख्य कारण पारिवारिक भौतिक बचत की दर में कमी होना

है (सारणी II.3)। बचत दर पिछले 9 वर्षों के निम्नतर स्तर पर पहुंच गई और इसके कारण समष्टि आर्थिक असंतुलनों में वृद्धि हुई। 2009-10 में एकबारगी की तीव्र वृद्धि के साथ 25.2 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद यह 2012-13 में घट कर 21.9 प्रतिशत पर आ गई। इस गिरावट में पारिवारिक वित्तीय बचत दर में कमी होने का मुख्य हाथ रहा जो 2009-10 में 12 प्रतिशत थी, परंतु तीव्र गिरावट के साथ यह 2011-12 में 7.1 प्रतिशत हो गई।

2013-14 में कृषि क्षेत्र में पुनः तेजी आई

II.1.9 2012-13 में मन्द निष्पादन करने के बाद 2013-14 के दौरान कृषि क्षेत्र संवृद्धि का मुख्य प्रेरक बन कर सामने आया। दीर्घावधि औसत (एलपीए) पर दक्षिण-पश्चिम मानसून औसत से 6 प्रतिशत अधिक रहा और उत्तर-पूर्वी मानसून एलपीए से 18 प्रतिशत अधिक रहा। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2013-14 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 264.4 मिलियन टन रखा गया है जो 2012-13 की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक है (सारणी II.4)।

सारणी II.3: क्षेत्र-वार सकल घरेलू बचतें

(मौजूदा बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	औसत (2005-06 से 2007-08)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
सकल घरेलू बचतें (1+2+3)	35.0	32.0	33.7	33.7	31.3	30.1
1. पारिवारिक क्षेत्र (i+ii)	23.0	23.6	25.2	23.1	22.8	21.9
(i) वित्तीय बचतें	11.6	10.1	12.0	9.9	7.0	7.1
(ii) भौतिक आस्तियों में बचतें	11.4	13.5	13.2	13.2	15.8	14.8
2. निजी कारपोरेट क्षेत्र (i+ii)	8.3	7.4	8.4	8.0	7.3	7.1
(i) मिश्रित पूंजी कंपनियां	7.8	7.0	7.9	7.6	6.9	6.7
(ii) सहकारी बैंक और समितियां	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3. सार्वजनिक क्षेत्र	3.7	1.0	0.2	2.6	1.2	1.2
जिसमें से:						
क) सरकार द्वारा प्रशासित (अर्द्ध-शासकीय निकायों सहित)	-0.9	-2.8	-3.1	-0.5	-2.0	-1.9
ख) गैर-विभागीय उद्यम	4.0	3.3	2.8	2.8	2.9	2.8

नोट : वित्तीय आस्तियों में परिवारों के सकल निवेश से उनकी वित्तीय देयताओं की नेटिंग करने के बाद पारिवारिक वित्तीय बचत को निकाला जाता है। पारिवारिक भौतिक बचत को सकल रूप में दर्शाया जाता है अर्थात् ह्रास सहित।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

सारणी II.4 : कृषि उत्पादन 2013-14

(मिलियन टन में)

फसल	2012-13	2013-14*	प्रतिशत घट- बढ़
1	2	3	4
खाद्यान्न	257.1	264.8	3.0
चावल	105.2	106.5	1.2
गेहूँ	93.5	95.9	2.6
मोटे अनाज	40.0	43.1	7.8
दाले	18.3	19.3	5.5
तिलहन	30.9	32.9	6.5
मूंगफली	4.7	9.7	106.4
रेपसीड और सरसों	8.0	8.0	0.0
सोयाबीन	14.7	12.0	-18.4
कपास #	34.2	36.6	7.0
जूट और मेस्टा ##	10.9	11.6	6.4
गन्ना (ईंख)	341.2	350.0	2.6

* : 14 अगस्त 2014 की स्थिति के अनुसार तीसरा अग्रिम अनुमान

: प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठें


: प्रत्येक 180 किलोग्राम की मिलियन गांठें

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

सामान्य से कम मानसून होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण बन जाता है

II.1.10 यद्यपि मात्रा का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी 2014-15, कृषि संवृद्धि के लिए उतना अनुकूल नहीं होगा जैसा कि पिछले वर्ष था (अध्याय 1 में बॉक्स I.1 भी देखें)। यदि ठीक से प्रबंध किया जाए तो सामान्य से कम मानसून (चार्ट II.5) के बावजूद चावल और गेहूँ का मौजूदा स्टॉक (जुलाई 2014 के अंत के अनुसार 63.8 मिलियन टन) खाद्य सुरक्षा और बफर मानदंडों को पूरा करने के लिए काफी है। फिर भी, खराब हो जाने वाली खाद्य सामग्री, विशेष रूप से सब्जियों और फलों पर से कीमतों के दबाव को नीचे लाना एक चुनौती होगी। इसके अलावा, खाद्य प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रणाली को शामिल करते हुए सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय खाद्य निगम के कार्यों को पृथक करना और खराब होने वाली वस्तुओं को कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम की परिधि से बाहर लाते हुए किसानों के हितों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना शामिल है। बाद में उल्लिखित कार्य मूल्य खोज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

चार्ट II.5: खाद्य स्टॉक और इसके निर्धारक



2013-14 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुआ

II.1.11 2013-14 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कमी आई। 1951-52 से यह केवली तीसरी मर्तबा है कि भारतीय उद्योग क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, पिछली दो घटनाएं 1979-80 (दूसरे अंतर-राष्ट्रीय तेल संकट के दौरान) और 1991-92 (बाह्य भुगतान संकट और खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप) के दौरान हुई थीं। घरेलू और वैश्विक दोनों जगहों पर मांग में कमी और बढ़ती हुई इनपुट लागतों ने 2013-14 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्षेत्र में कमी का असर खनन और विनिर्माण क्षेत्र में दृष्टिगत हुआ और उसने बिजली क्षेत्र में हुई मजबूत वृद्धि को पूरी से प्रति-संतुलित कर दिया। 2013-14 सहित खनन क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से संकुचन देखा गया है। विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन निवेश में मांग की कमी और उपभोक्ता खर्च में कमी परिलक्षित करती है।

II.1.12 उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ सामग्रियों के उत्पादन में कमी आई जो निवेश और उपभोग मांग में कमी दर्शाता है (सारणी II.5). तथापि, वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामग्रियों से संबंधित क्षेत्र के निष्पादन में सुधार आया।

सारणी II.5: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी)

(प्रतिशत)

भार	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल-जून 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समग्र आईआईपी	100.0	8.6	12.9	15.5	2.5	5.3	8.2	2.9	1.1	-0.1	3.9
क्षेत्रगत वर्गीकरण											
खनन	14.2	2.3	5.2	4.6	2.6	7.9	5.2	-2.0	-2.3	-0.6	3.2
विनिर्माण	75.5	10.3	15.0	18.4	2.5	4.8	8.9	3.0	1.3	-0.8	3.1
विद्युत	10.3	5.2	7.3	6.3	2.7	6.1	5.5	8.2	4.0	6.1	11.3
उपयोग-आधार पर वर्गीकरण											
आधारभूत वस्तुएं	45.7	6.1	8.9	8.9	1.7	4.7	6.0	5.5	2.5	2.1	7.6
पूंजीगत वस्तुएं	8.8	18.1	23.3	48.5	11.3	1.0	14.8	-4.0	-6.0	-3.6	13.9
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.7	6.6	11.5	7.3	0.0	6.0	7.4	-0.6	1.6	3.1	3.1
उपभोक्ता वस्तुएं	29.8	10.7	16.1	17.6	0.9	7.7	8.5	4.4	2.4	-2.8	-3.6
उपभोक्ता टिकाऊ	8.5	16.2	25.3	33.1	11.1	17.0	14.2	2.6	2.0	-12.2	-9.6
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ	21.3	8.6	12.3	10.2	-5.0	1.4	4.2	5.9	2.8	4.8	0.7

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

II.1.13 2014-15 की पहली तिमाही के लिए औद्योगिक आउटपुट के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में इसमें सुधार आया है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) की संवृद्धि 2014-15 की ति1 के दौरान 3.9 प्रतिशत रही जो पिछली 11 तिमाहियों में सबसे अधिक है।

II.1.14 2013-14 के दौरान 8 कोर उद्योगों में संवृद्धि में कमी 3.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष संवृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी (चार्ट II.6)। केजी-डी6 ब्लॉक से लगातार तीन वर्षों तक प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई। यह 2010-11 में 56 एमसीएम/डी से कम होकर 2013-14 में 14 एमसीएम/डी रह गया, इसने गैस आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों की उपयोग क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जबकि कच्चे तेल का उत्पादन पुराने होते तेल उत्पादन क्षेत्रों और नए-तेल उत्पादन क्षेत्रों की परियोजनाओं में होने वाले विलंब की समस्या से लगातार जूझता रहा। तथापि, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में तेजी आई जिसका मुख्य स्रोत जल-विद्युत रही। 2013-14 के दौरान तापीय विद्युत उत्पादन में कमी आई।


II.1.15 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान 8 कोर क्षेत्रों में संवृद्धि में सुधार नजर आया जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 3.7 से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई। संवृद्धि में इस प्रत्यावर्तन का मुख्य कारण कोयला, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत

के उत्पादन में तेजी और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से कम संकुचन होना रहा। इस्पात और रिफाइनरी उत्पादों की संवृद्धि में कमी आई है।

आर्थिक मंदी के बीच योजनागत कारपोरेट निवेश में मंदी देखी गई

II.1.16 2013-14 के दौरान कारपोरेट क्षेत्र की निर्धारित निवेश योजनाओं में मंदी आई। समय श्रंखला पर आधारित प्रमुख मंजूरी

चार्ट II.6: आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि




परियोजनाओं, जिन्हें बैंकों द्वारा या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी या उन्होंने बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी)/ विदेश मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) या घरेलू ईक्विटी निर्गम द्वारा जारी करने की अनुमति मिली थी, के संबंध में रिजर्व बैंक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2013-14 में 1,065 कंपनियों द्वारा ₹2.5 ट्रिलियन का निवेश करने की योजना थी जो 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान से 17.9 प्रतिशत कम थी। 2013-14 में मुख्यतः 'विद्युत', 'धातु और धातु उत्पाद', 'वस्त्र', 'सीमेंट' और 'विनिर्माण' उद्योगों में निवेश किए जाने थे।

II.1.17 2013-14 तक बनाई गई निवेश योजनाओं के आधार पर 2014-15 में जो पूंजीगत व्यय किए जाने की योजना बनाई गई है उसका पूर्णयोग ₹1.2 ट्रिलियन बैठता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि 2013-14 की तुलना में 2014-15 में समग्र पूंजीगत व्यय के स्तर में सुधार करने के लिए 2014-15 में निजी कारपोरेट क्षेत्र से नए निवेश उद्देश्यों के रूप में ₹1.2 ट्रिलियन से अधिक पूंजीगत व्यय किए जाने की आवश्यकता होगी। इसे मूर्त रूप दिए जाने की आशा है क्योंकि भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों और आर्थिक संकेतकों के साथ ही व्यापारिक विश्वास यह आशा जता रहा है कि 2014-15 में निजी कारपोरेट निवेश में आ रही गिरावट को रोका जा सकेगा।

2013-14 में सेवा क्षेत्र कमजोर बना रहा

II.1.18 2013-14 में सेवा क्षेत्र में हुई संवृद्धि मुख्यतः इसके उप-क्षेत्रों द्वारा हुई जैसे कि 'वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा और व्यापारिक सेवाएं, इनमें दो अंकीय वृद्धि हुई, इसके बाद 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं' से संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि हुई (चार्ट II.7)। तथापि, आर्थिक मंदी के चलते पिछले 2 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र को काफी गहरा धक्का लगा है (परिशिष्ट सारणी 2)। परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक जैसी घरेलू सेवाओं में रिकवरी होने पर घरेलू अर्थव्यवस्था में भी रिकवरी होने की संभावना है।

II.1.19 सेवा क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख संकेतकों ने 2014-15 के लिए, इस्पात उपभोग और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को छोड़ते हुए, अधिकतर में संवर्गों में सुधार की संभावना दर्शायी है। व्यापार और यातायात से संबंधित संकेतकों जैसे कि पत्तनों



पर हैंडल किए गए कार्गो, विदेशी पर्यटकों की आमद, नागरिक उड्डयन ने सुधार की आशा व्यक्त की है। तथापि, इस्पात उपभोग में नरमी विनिर्माण क्षेत्र में सुस्त परिदृश्य की ओर इशारा करती है। ऊंची मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के कारण कमजोर उपभोक्ता खर्च ने आटोमोबाइल क्षेत्र को प्रभावित किया। तथापि, 2014-15 में मई-जुलाई के दौरान यात्री कारों की बिक्री में कुछ इजाफा हुआ है।


इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, फिर भी बहाली नरम बनी रही

II.1.20 पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सुस्त संवृद्धि का अनुभव कर रहा है और इसका मुख्य कारण समष्टि आर्थिक घटकों और नीतिगत रुकावटों के साथ ही क्षेत्र विशिष्ट बाधाएं हैं। तथापि, पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बहाली लाने के उद्देश्य से सरकार ने कई सुधार करने के प्रयास किए हैं नामतः निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) के जरिए अनुमोदनों को युक्तिसंगत बनाना, ईंधन आपूर्ति करारों और लागत-अधिशेष आधार पर कोयला आयातों के जरिए कोयले की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना, कोयले के ब्लॉक की नीलामी को युक्तिसंगत बनाना, राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्संरचना करना और गैस-मूल्य निर्धारण संबंधी दिशनिर्देश जारी करना। आपूर्ति पक्ष

संबंधी इन उपायों के कुछ लाभ मिले हैं, तथापि, इस क्षेत्र में निवेश की पूर्ण रूप से बहाली करने के लिए कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। पूर्व में उल्लिखित आपूर्ति संबंधी बाधाओं के अलावा विद्युत क्षेत्र मांग संबंधी दबावों का भी सामना कर रहा है, जो धीमी संवृद्धि के साथ ही अधिकतर राज्य और निजी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण है और इसने उन्हें विद्युत खरीदने के प्रति उदासीन बना दिया है। इससे बहुत से ऐसे विद्युत उत्पादक हैं जो अपनी ईष्टतम क्षमता से कम पर परिचालन कर रहे हैं। ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार घटकर (पीएलएफ) पिछले वर्ष के 70.3 प्रतिशत से घटकर 2013-14 के दौरान 65.6 प्रतिशत हो गया, इसने विद्युत उत्पादकों की लाभकारिता पर दबाव डाला है। इसके अलावा, पर्यावरणीय अनापत्तियों और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों के कारण कई विद्युत परियोजनाएं फंसी हुई हैं।

II.1.21 पिछले 2 वर्षों से सड़क क्षेत्र में ठहराव सा प्रतीत हो रहा है। कई क्षेत्र-विशिष्ट उपायों के बावजूद, 2013-14 के दौरान सड़क उप-क्षेत्र निजी निवेश आकर्षित करने में असफल रहा, अंशतः इसका कारण इस क्षेत्र में काम करने वाली कई विनिर्माण कंपनियों के बढ़े हुए लीवरेज हैं और इसकी कुछ जिम्मेदारी भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरीयां लेने में आने वाली कठिनाइयों और परियोजनाओं की वित्तीय रूप से व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं को जाती है। 2013-14 में सड़क परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए कोई उत्सुकता जाहिर नहीं की गई, अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण (ईपीसी) पद्धति के तहत मात्र 1,500 किमी. से कम का कार्य सौंपा गया। 2013-2014 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मजबूती/चौड़ीकरण के संबंध में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 33.2 प्रतिशत की नकारात्मक संवृद्धि दर्ज की (चार्ट II.8)। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, नई सरकार ने 8,500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसमें से अधिकतर को ईपीसी पद्धति के जरिए आवंटित किया जाएगा।

II.1.22 इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी लाने के लिए 2013-14 में कई प्रकार के सरकारी उपाय किए गए। इसमें सीसीआई और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना करना शामिल है ताकि मुख्य वृहत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की अनापत्ति देने,




भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनः वसाहत के लिए नए विधेयक को लागू करने, पीपीपी परियोजनाओं के मामले में उधारदाताओं को बकाया ऋणों को 'सुरक्षित' ऋण के रूप में मानने, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के मानदंडों में छूट देने और इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) की सुविधा देने के कार्य में तेजी लाई जा सके। तथापि, इन उपायों के सीमित प्रतिफल ही प्राप्त हुए। पीएमजी अपने गठन के समय से अब तक ₹5.8 ट्रिलियन लागत की परियोजनाओं के मामलों का सामाधान निकाल चुका है। पीएमजी द्वारा सुलझाए गए मामलों में अधिकतर विद्युत क्षेत्र के हैं और उसके बाद कोयला परियोजनाएं आती हैं और उनमें से अधिकतर ईंधन आपूर्ति करार से संबंधित हैं। तथापि, 1 मई 2014 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निगरानी की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की 727 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (1.5 बिलियन और उससे अधिक लागत की) में से लगभग 39 प्रतिशत परियोजनाएं विलंबित थीं और 41 प्रतिशत को प्रारंभ करने की कोई तारीख नहीं थी। इन परियोजनाओं की लागत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि निरंतर काफी अधिक है।

2013-14 के दौरान रोजगार निर्माण का मिश्रित रुझान रहा

II.1.23 चूंकि भारत अत्यधिक आबादी वाली एक विकासशील अर्थव्यवस्था है अतः, रोजगार निर्माण, समावेशी और

चार्ट II.9: निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन (वार्षिक परिवर्तन)



स्रोत: श्रम ब्यूरो की त्वरित रोज़गार सर्वेक्षण रिपोर्टें

व्यवहार्य संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक का कार्य करता है। निर्यातोन्मुखी चुनिंदा क्षेत्रों के लिए 'श्रम ब्यूरो' द्वारा कराया गया तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण दर्शाता है कि रोज़गार निर्माण की दर में वर्ष 2012-13 के दौरान काफी कमी आई, हालांकि 2013-14 में इसमें कुछ सुधार देखा गया। कुछ वर्षों से आईटी-बीपीओ क्षेत्र में रोज़गार सृजन में गिरावट हो रही है, जबकि वस्त्र क्षेत्र में इसमें वृद्धि देखने को मिली, विशेषरूप से 2013-14 में (दिसंबर तक) (चार्ट II.9). संगठित क्षेत्र में रोज़गार के संबंध में कुछेक निजी डेटा स्रोत 2013-14 के दौरान एक मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं। 2012-13 के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया तीसरा वार्षिक रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण दर्शाता है कि यूपीएसएस¹ के संबंध में बेरोज़गारी की दर 4.0 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में बेराज़गारी की दर 5.3 प्रतिशत थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों की 3.5 प्रतिशत दर से अधिक थी। वर्ष 2011-12 के लिए उद्योगों के संबंध में हाल ही में किया गया वार्षिक सर्वेक्षण दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में संगठित क्षेत्र में रोज़गार की वृद्धि दर में कमी आई है।

2014-15 में वास्तविक गतिविधि में सुधार होने की आशा है

II.1.24 हाल की तिमाहियों में मजबूत व्यापारिक संवेदनाओं, उपभोक्ता के विश्वास में सुधार और पूंजी अंतर्वाह में हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में एक ठीक-ठाक रिकवरी की शुरुआत हो गई है। ढांचागत बाधाओं को दूर करते हुए अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है।


II.2 मूल्य की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कम हुई लेकिन खाद्य कीमतों में दबाव और दूसरे दौर के अन्य प्रभावों के चलते ऊंची बनी रही

II.2.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के लगातार 22 महीने तक 9 प्रतिशत से अधिक बने रहने और नवंबर 2013 में 11.2 प्रतिशत के ऊंचे स्तर के बाद दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान कम होकर 8.0 प्रतिशत रही। खाद्य कीमतों में तेज सुधार के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में कमी हुई। तथापि, चूंकि खाद्य कीमतों में हुए सुधार से मिली राहत अस्थायी थी और ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभावों से सामान्य स्तर पर कीमतों में कुछ दबाव बना रहा, इसलिए अवस्फीति की गति में तेजी नहीं आई। परिणामस्वरूप, 2013-14 की पहली छमाही के दौरान खाद्य और ईंधन को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति निरंतर काफी ऊंचे स्तर पर रही, इसके बाद यह सितंबर 2013 में 8.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 7.8 प्रतिशत रही तथा जुलाई 2014 में यह और कम होकर 7.4 प्रतिशत रही (चार्ट II.10)। मौद्रिक नीति के कड़े रुख के चलते किसी एक घटक में सतत गिरावट बनी रही। आगे चलकर जबकि एक मजबूत आधार के साथ वृद्धि में फिर से जान डालना एक उद्देश्य होगा, तथापि मुद्रास्फीति जोखिमों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मानसून के सामान्य से कम रहने की

¹ यूपीएसएस- सामान्य (प्रमुख +गौण) स्थिति - यूपीएसएस उपाय कुछ वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई गतिविधि और साथ ही अल्पावधि में भी उसके द्वारा निष्पादित की गई गतिविधि का भी ब्यौरा रखते हैं। मौजूदा दैनिक स्थिति- सर्वेक्षण की तारीख के पहले संदर्भित सप्ताह के किसी दिन यदि किसी व्यक्ति ने चार घंटे (या) उससे अधिक कार्य किया है तो उस व्यक्ति को संपूर्ण कार्य दिवस में कार्यरत माना जाता है।

चार्ट II.10 : मुद्रास्फीति के रुझान : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त



संभावना और खाद्य कीमतों पर इसके प्रभाव तथा साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में संभाव्य आघातों से होने वाले जोखिमों के मद्देनजर, ऊर्जित पटेल समिति द्वारा प्रतिपादित अवस्फीति के पथ में अपसाइड जोखिम सतत् बना रहा (जनवरी 2015 तक 8.0 प्रतिशत और जनवरी 2016 तक 6.0 प्रतिशत)।

II.2.2 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य और पेय पदार्थ समूह का भार 47.6 प्रतिशत था और हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान आधे से अधिक था। खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य कारक हालांकि कुछ समय से बदलते रहे हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2012-13 के दौरान अनाज कीमतें हावी रहीं, जबकि 2013-14 के दौरान सब्जी की कीमतों में वृद्धि ने खाद्य मुद्रास्फीति को ऊंचा बनाए रखा। खाद्य समूह से होने वाले दबाव के होते हुए भी खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मुद्रास्फीति में योगदान निरंतर बना रहा। 2013-14 की दूसरी छमाही के दौरान मौद्रिक नीति का लक्ष्य मुद्रास्फीति प्रत्याशा पर अंकुश लगाने और लगातार यही स्थिति बने रहने के चलते दूसरे दौर के प्रभाव को रोकने पर केंद्रित था। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2013 से जनवरी 2014 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिपो दर में कुल 75 आधार अंक की वृद्धि की और यह बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गई।

दिसंबर 2013 से अवस्फीति की रफ्तार यह बताती है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है

II.2.3 दिसंबर 2013 - फरवरी 2014 के दौरान सब्जी की कीमतों में मौसमी कमी होने चलते सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी आई। तथापि जैसाकि खाद्य कीमतों में आनुक्रमिक आधार पर हुई वृद्धि से मालूम होता है 2014-15 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति प्रत्याशा में फिर से उछाल आया। जून 2014 में अनुकूल आधार प्रभावों के चलते समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति कम होकर 7.5 प्रतिशत हो गई लेकिन जुलाई 2014 में सब्जी की कीमतों में 17 प्रतिशत वृद्धि के चलते समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में पुन उछाल आया और यह 8.00 प्रतिशत हो गई। यद्यपि खाद्य और ईंधन रहित सीपीआई मुद्रास्फीति में हाल की अवधि में कुछ कमी देखी गई तथापि, इस कमी में धीमी वृद्धि से जो मदद मिलनी चाहिए थी, उसे अभी भी सीपीआई में परलक्षित होना बाकी है। मुद्रास्फीति के प्रमुख घटक में इस प्रकार की कठोरता मुद्रास्फीति के जड़ हो जाने की ओर इशारा करती है जिससे मुद्रास्फीति की ऊंची प्रत्याशा को बल मिलता है और मुद्रास्फीति प्रत्याशा की इस निरंतरता को थामने और विराम लगाने के लिए एक ऐसी विश्वसनीय मौद्रिक नीति की आवश्यकता होगी जो मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोक सके।


सेवा क्षेत्र के घटकों ने खाद्य एवं ईंधन रहित सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि की

II.2.4 आवास, परिवहन एवं संचार और सेवा क्षेत्र के घटकों जैसे चिकित्सा, शिक्षा एवं स्टेशनरी, हाउसहोल्ड प्रयोज्य वस्तुओं और 'अन्य' उप-श्रेणी जिनमें हजाम को अदा किया गया शुल्क, ब्यूटिशियन, धोबी, दर्जी और आयरन मैन शामिल हैं, से उत्पन्न दबाव से खाद्य एवं ईंधन रहित सीपीआई मुद्रास्फीति उच्चस्तर पर बनी रही। सेवा क्षेत्र के घटकों में उच्च मुद्रास्फीति से मजदूरीजन्य दबाव और दूसरे दौर के प्रभाव बनते रहे। इस संबंध में भिन्न-भिन्न आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 के दौरान अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में 6 - 8 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि हुई, जबकि 'अन्य' उप-श्रेणी की वस्तुओं में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। (चार्ट II.11) 2012 और 2013 के दौरान आवास उप-श्रेणी के संबंध में मुद्रास्फीति दो अंकों में रहने के बाद जुलाई 2014 में कम होकर 8.9 प्रतिशत रही।


सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति में कमी आई

II.2.5 इस परिप्रेक्ष्य में कि भारत के जीडीपी में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र की कीमतों में होने

चार्ट II.11 : सीपीआई से उत्पन्न दबाव बिन्दु -खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति छोड़कर



चार्ट II.12 : सेवाओं के मूल्य संबंधी सीपीआई-आई डब्लू पर आधारित मुद्रास्फीति



वाले उतार-चढ़ाव की समझ वृद्धि- मुद्रास्फीति अंतरसंबंधों को मापने में महत्वपूर्ण है। चूंकि सेवा क्षेत्र अधिकांशतः श्रम-उन्मुख है, इसलिए मजदूरी-मूल्य - चक्र से होने वाले दूसरे दौर के प्रभाव सेवा मुद्रास्फीति को अधिक मजबूती के साथ प्रभावित कर सकते हैं। सीपीआई के संयुक्त आंकड़े में सेवा क्षेत्र की अलग श्रेणी नहीं है। तथापि, 'अन्य' उप-श्रेणी, जिसमें मुख्य रूप से वैयक्तिक श्रेणी की सेवाएं आती हैं, की वजह से मुद्रास्फीति में निरंतरता बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार में सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध 32 अलग-अलग कीमत श्रेणी के भिन्न-भिन्न सूचना स्तर का प्रयोग करते हुए एक सम्मिश्र सेवा मूल्य सूचकांक का निर्माण किया गया ताकि सेवा मुद्रास्फीति में रुझानों का आकलन किया जा सके। इस सूचकांक से मिले मुद्रास्फीति रुझान मार्च 2013 की शुरुआत से सेवा मुद्रास्फीति में कमी होना दर्शाते हैं, तथापि 8 प्रतिशत के साथ इसका स्तर उच्च बना रहा (चार्ट II.12)।

II.2.6. मुद्रास्फीति प्रत्याशा मुद्रास्फीति सतत बने रहने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित एवं मजबूत करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष डॉ.ऊर्जित पटेल) की रिपोर्ट में जैसा उल्लेख किया गया है कि आरबीआई के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण में भारत में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की जो

उच्च एवं व्यापक प्रकृति मापी गई है, वह एक संभावित महत्वपूर्ण कारण हो सकती है क्योंकि वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति ऋणात्मक आउटपुट अंतर के साथ बनी हुई है। हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के परिणाम दर्शाते हैं कि 2013-14 के दौरान हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा दो अंकों के स्तर के साथ उच्च बनी रही। नवीनतम आईईएसएच राउंड 36 (अर्थात् अप्रैल-जून 2014) के अनुसार पिछली तिमाही की तूलना में आगे तीन महीने की अल्पावधि में मुद्रास्फीति प्रत्याशा की माध्यिका में मामूली तेजी हुई, जबकि हाउसहोल्ड क्षेत्र में आगे एक वर्ष की मुद्रास्फीति प्रत्याशा की माध्यिका अंशिक रूप से कम हुई। साथ ही लगभग 72 प्रतिशत (अंतिम चरण में 75 प्रतिशत) और 77 प्रतिशत (अंतिम चरण में 77 प्रतिशत) लोगों ने आगे तीन महीने तथा एक वर्ष के लिए मुद्रास्फीति दो अंकों में रहने की संभावना व्यक्त की (बॉक्स II.3)।

मुद्रास्फीति में अस्थिरता आपूर्ति पक्ष में दृढ़ता की ओर इशारा करती है

II.2.7. कीमतों में अस्थिरता की वजह से चुनिंदा खाद्य वस्तुएं मुद्रास्फीति को संभालने में प्रमुख चुनौती बनी रही। यह देखा गया कि सभी खाद्य वस्तुओं में जनवरी 2012 से मुद्रास्फीति और सब्जी की कीमतों में अस्थिरता उच्च बनी हुई है। (चार्ट II.13) अनाज,

बॉक्स II.3

मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में रुझान : भारत में सर्वेक्षण आधारित उपायों के साक्ष्य

मौद्रिक नीति की भावी दिशा में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का काफी महत्व होता है क्योंकि आर्थिक प्रतिनिधियों के संबंध में मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं उनके अंतर-सामयिक और साथ ही वर्तमान आर्थिक विकल्पों को काफी प्रभावित करती हैं। उच्च मुद्रास्फीति प्रत्याशा के चलते कामगार अधिक वेतन के लिए मोल-भाव कर सकते हैं, जिनके फलस्वरूप कीमतों पर लागत दबाव पड़ता है, इसके चलते वास्तविक मुद्रास्फीति उच्च हो जाती है जो अंत में मजदूरी-मूल्य-चक्र के रूप में सामने आती है। मौद्रिक नीति एक विश्वसनीय मुद्रास्फीति - निवारक उद्देश्य का प्रतिबद्धता के साथ मुद्रास्फीति प्रत्याशा को प्रभावित करने का प्रयास करती है ताकि मुद्रास्फीति प्रत्याशा लक्ष्य/मध्यम अवधि के उद्देश्य के स्तर के आस-पास ही नियंत्रित बनी रहे (मोहंती, 2012)। सु-नियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशा का तात्पर्य होता है मुद्रास्फीति प्रत्याशा, आज आनेवाले डेटा के प्रति अपेक्षाकृत असंवेदनशील हो अर्थात् ऐसी अवधि में मुद्रास्फीति लोगों की दीर्घावधि प्रत्याशा से अधिक हो तब लोगों की दीर्घावधि मुद्रास्फीति प्रत्याशा में कम परिवर्तन हो (बर्निके 2007)। उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश केंद्रीय बैंक, विशेषकर ऐसे जो मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने के ढांचे पर कार्य करते हैं, वे अपने मौद्रिक नीति के अंतरण में मुद्रास्फीति प्रत्याशा के आकलन एवं संभावना पर जोर देते हैं।


आर्थिक चरों से भिन्न, मुद्रास्फीति प्रत्याशा प्रत्यक्ष रूप से गोचर नहीं होती है, और इसलिए या तो उन्हें किसी अन्य संकेतक से निकाला जाता है या किसी सर्वेक्षण आधारित तरीकों का प्रयोग करके मापा जाता है। वित्तीय बाजार डाटा का उपयोग करके, एक-समान परिपक्वता अवधि वाले सामान्य और मुद्रास्फीति इंडेक्स सरकारी बांडों के भिन्न-भिन्न प्रतिफल और साथ ही प्रतिफल वक्र के आकार से मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर की जानकारी मिलती है। मुद्रास्फीति प्रत्याशा को मापने के लिए सर्वेक्षण आधारित तरीका प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के रूप में हो सकता है जिसमें हाउसहोल्ड का सर्वेक्षण, इन्पुट एवं आउटपुट कीमतों पर उत्पादकों के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण या पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण शामिल है।

भारत में, मुद्रास्फीति इंडेक्स बॉर्ड के संबंध में टाइम सीरीज डाटा उपलब्ध न होने के कारण मुद्रास्फीति प्रत्याशा के संदर्भ में सूचना के स्रोत सीमित हैं। दूसरी ओर, सरकार के उधार कार्यक्रम, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सांविधिक अपेक्षाएं और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को लेकर जो संभावनाएं बनती हैं, वे प्रतिफल के दायरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए मुद्रास्फीति प्रत्याक्षाओं के सर्वेक्षण आधारित उपायों पर भी जोर दिया गया है। हाल की अवधि में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों में हाउसहोल्ड, उत्पादक और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं को शामिल किया गया है।

सितंबर 2005 में शुरू किए गए हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण कीमत में होने वाले संभावित परिवर्तन के बारे में आगे तीन महीने और एक वर्ष की अवधि के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी उपलब्ध कराता है। 2009 में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण पर गठित की गई परामर्शदात्री समिति सर्वेक्षण की अवधारणा, कार्य-पद्धति एवं डाटा गुणवत्ता और साथ ही कार्य-पद्धति में सुधार लाए जाने के बारे में बताती है। यह माना गया है कि हाउसहोल्ड क्षेत्रों में मुद्रास्फीति प्रत्याशा व्यक्तिपरक होती है तथा यह वैयक्तिक, खपत

बास्केट पर आधारित होती है और इसलिए ये सरकार द्वारा आवधिक रूप से जारी किए गए मुद्रास्फीति के अधिकारिक आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर हाउसहोल्ड क्षेत्र की प्रत्याशा मुद्रास्फीति के अधिकारिक अनुमान से अधिक होती है (चार्ट 1)। ऐसा माना जाता है कि हाउसहोल्ड क्षेत्र में एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशा की तुलना में अल्प-अवधि अर्थात् तीन महीने आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशा उपभोक्ता की प्रत्याशाओं का एक बेहतर संकेतक है, जिसमें अधिक अंतर होते हैं।

रिजर्व बैंक सितंबर 2007 से पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं (एसपीएफ) का सर्वेक्षण कर रहा है। ये पूर्वानुमानकर्ताओं मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि (5 वर्ष आगे) और दीर्घावधि (10 वर्ष आगे) के संबंध में मात्रात्मक अनुमान बताते हैं। चूंकि पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता भूत एवं भविष्य दोनों प्रकार की उपलब्ध सभी




सूचना पर विचार करते हैं, इसलिए हाउसहोल्ड की तुलना में उनकी प्रत्याशा अधिक विवेकपूर्ण हो सकती है।

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण से पता चलता है कि मुद्रास्फीति प्रत्याशा में गिरावट हुई है और पिछले तीन दौर से मध्यम अवधि की सीपीआई मुद्रास्फीति का रुझान कमी का रहा है। जुलाई 2014 में जारी किए गए हाल के सर्वेक्षण में 5 वर्षीय और 10 वर्षीय आगे की सीपीआई मुद्रास्फीति कम होकर क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत हो गई जबकि जनवरी 2014 को सर्वेक्षण में ये क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 7.00 प्रतिशत थे। दीर्घावधि मुद्रास्फीति प्रत्याशा में ऐसी गिरावट ऐसे समय में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा शगुन है जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को आगे कम करने के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी विश्वसनीयता बना रहा है।

संदर्भ :


- बी.बर्निके (2007), मुद्रास्फीति प्रत्याशा एवं मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, 10, जुलाई 2007 का नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च समर इन्स्टिट्यूट, कैम्ब्रिज, मैशाशूत्रस में मौद्रिक आर्थिक कार्यशाला में दिया गया भाषण।
- डी मोहंती, (2012) द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मासिक बुलेटिन, दिसंबर 2012 LXVI(2), 2295-2303.
- भारतीय रिजर्व बैंक (2009) हाउसहोल्ड क्षेत्र में मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, मई 2010, 1161-1226।

चार्ट II.13 : खाद्य समूह में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति और मूल्य अस्थिरता : जनवरी 2012-जुलाई 2014



* अस्थिरता को मूल्य सूचकांक के लॉग में अंतर के मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट II.14 : प्रमुख राज्यों में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति : जुलाई 2014



दूध, अंडा, मछली और मांस के संदर्भ में मुद्रास्फीति औसतन दो अंक स्तर तक रही और इनमें कम अस्थिरता देखी गई जो यह दर्शाता है कि इन वस्तुओं में दबाव निरंतर बना हुआ था।

II.2.8 इस बड़ी अस्थिरता के अलावा देश के सभी राज्यों में भी मुद्रास्फीति में काफी अंतर रहा (चार्ट II.14)। आनुभविक परिणाम

बताते हैं कि यद्यपि कुछ समय से देश के सभी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति में होने वाली तेजी अक्सर पूरे क्षेत्र में मुद्रास्फीति की अस्थिरता में हुई वृद्धि से संबंधित होती है जो यह दर्शाता है कि इसमें क्षेत्र विशेषक कारक कुछ विशेष भूमिका अदा करते हैं (बॉक्स II.4)।

बॉक्स- II.4 भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति का गति-विज्ञान


भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आर्थिक ढांचे में मौजूद बृहद विभिन्नताओं के चलते, क्षेत्रगत रूप से विशिष्ट ऐसे अनेक घटक हो सकते हैं जो मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्वों को प्रभावित करते हैं। आर्थिक साहित्य में एक समान मुद्रा वाले क्षेत्र के भीतर ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच मुद्रास्फीतिक अंतर के लिए विभिन्न कारणों को चिह्नित किया गया है (हायड्रिक्स और चैपल, 2002)। खाद्य मूल्य आघात के पश्चात ऐसा संभव है कि उस क्षेत्र में जहां कुल उपभोग में भोजन की हिस्सेदारी अधिक है वहां मुद्रास्फीति का दबाव अधिक महसूस किया जाए और उन क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है जो उपभोग के लिए शेष देश से होने वाले आयात पर निर्भर करते हैं। उत्पाद और श्रम बाजार के ढांचे में पाई जाने वाली विभिन्नता भी क्षेत्रों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर का कारण हो सकती है। यदि कोई देश, देश के अंदर ही क्षेत्रों के बीच आर्थिक एकीकरण के चरण से गुजर रहा है तो बलासा-सैमुएलसन प्रभाव के कारण भी मुद्रास्फीति के साथ ही उस क्षेत्र में व्यापार-योग्य और गैर-व्यापारयोग्य वर्गों के बीच उत्पादकता अंतर उत्पन्न कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीतिक दबावों को बढ़ावा मिल सकता है।

समग्र स्तर पर मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना होता है परंतु क्षेत्रीय स्तर पर मूल्य का विषम रूप से संचरण और मुद्रास्फीतिक विविधता का मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है। पूरे देश में एक समान रूप से लागू सांकेतिक ब्याज दर के कारण, बड़ी मुद्रास्फीतिक विविधता से क्षेत्रों के बीच वास्तविक ब्याज दर में अंतर उत्पन्न हो सकता है। यदि मुद्रास्फीति को मांग के दबावों द्वारा प्रकट किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में कुल मांग अधिक है, वे मुद्रास्फीति को और अधिक बढ़ा सकते हैं क्योंकि वहां पर अपेक्षाकृत ब्याज की दर नीची होती है। (सेस्चैती एवं अन्य, 2002)। अतः मुद्रास्फीति का क्षेत्रवार फैलाव महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं जो समुचित नीतिगत उपाय तैयार करते समय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

क्षेत्रवार फैलाव में प्रवृत्तियों के रुझान का विश्लेषण औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आइडब्ल्यू) के लिए उपलब्ध आंकड़ों का

(जारी...)

उपयोग करते हुए किया जाता है जो हमें देश के 78 केंद्रों के बीच मूल्य संचरण से संबंधित जानकारी देता है। सीपीआई-आइडब्ल्यू में मुद्रास्फीति के रुझान और मुद्रास्फीति में क्षेत्रवार फैलाव जिसे मानक विचलन द्वारा मापा जाता है पर आधारित नक्शा यह दर्शाता है कि इन दोनों के बीच काफी कुछ सह-संचरण होता है और अधिकतर मुद्रास्फीतिक तेजी भी क्षेत्रीय मुद्रास्फीतिक फैलाव में वृद्धि से संबद्ध होती है (चार्ट 1)। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीतिक आघातों में क्षेत्रगत रूप से विशिष्ट आपूर्ति और मांग घटक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के ऊपर आपूर्ति-पक्ष के आघातों का अनुपातहीन प्रभाव होने के बावजूद, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि, दीर्घावधि में, देश के भीतर क्षेत्रगत मूल्य के स्तरों का एकीकरण हो जाता है। समय बीतने के साथ, एक मूल्य और एक उत्पाद और संचरण घटक संबंधी सिद्धांत, क्षेत्रों के बीच मूल्य समानता ले आता है। अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि यूरो क्षेत्र के मामले में एक मूल्य का सिद्धांत लागू है (बुसेती एवं अन्य 2007, टिलमन 2013)। भारत के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़ों में 1990 से उपलब्ध आंकड़ों पर पैनेल यूनिट रूट जांच लागू करने पर यह पाया गया कि राष्ट्रीय औसत के विचलन में एक क्षेत्र विशेष में मूल्य का स्तर पुनः लौट आया (सारणी-1)। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत के लिए भी एक मूल्य का सिद्धांत लागू है और मौद्रिक नीति जैसी मांग आधारित प्रबंधन नीतियां मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

संदर्भ:

हेन्ड्रिक्स, मार्टिन और ब्रायन चैपल (2002), “ ईएमयू के संदर्भ में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति का एकीकरण”, एमईबी श्रृंखला 2001-19, नीदरलैंड सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी एंड ईकोनॉमिक नीति विभाग।

सेस्चैती, स्टीफेन जी, नेल्सन सी.मार्क और रॉबर्ट जे. सोनोरा (2002)। “ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज के बीच प्राइस इंडेक्स कन्वरजेंस”, अंतर-राष्ट्रीय आर्थिक समीक्षा, वॉल्यूम-43, सं. 4।


2013-14 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में भी नरमी आई

II.2.9 2013-14 के दौरान औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष के 7.4 प्रतिशत से काफी कम (चार्ट II.15, परिशिष्ट सारणी 3) थी। जबकि, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में तेजी आई, वहीं ईंधन वर्ग समूह में मुद्रास्फीति लगातार बनी रही। औसत मुद्रास्फीति में गिरावट के चलते समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट आयी जो भारतीय कॉरपोरेट की कमजोर मूल्य निर्धारण शक्ति को परिलक्षित करती है। वस्तुओं विशेषकर धातुओं की वैश्विक कीमतों में आई नरमी ने इस क्षेत्र में मुद्रास्फीति को कम रखने में अहम भूमिका निभाई। तथापि, अंक-दर-अंक आधार पर खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में जुलाई 2013 से लगातार धीरे-धीरे वृद्धि होती रही और जून 2014 में यह 3.9 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो यह दर्शाता है कि उद्योगों में इन्फ्लेट लागत में कुछ दबाव पड़ा।

नियंत्रित ईंधन मूल्य संशोधनों से दमित मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन यह प्रक्रिया अपूर्ण रही।

II.2.10 यद्यपि 2013-14 में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में डॉलर के संदर्भ में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग

चार्ट II.15 : थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के रुझान



2.0 प्रतिशत की गिरावट हुई, मई 2013 से रुपए में तेज गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते 2013-14 के दौरान डब्ल्यूपीआई ईंधन मुद्रास्फीति में फिर से उछाल

आया और यह दो अंकों के स्तर तक पहुंच गई (चार्ट II.16)। वर्ष के दौरान विशेषकर डीजल के मामले में नियंत्रित कीमतों को क्रमबद्ध रूप से संभाला गया। अगस्त एवं दिसंबर 2013 में विद्युत कीमतों में हुई वृद्धि से ईंधन समूह मुद्रास्फीति में और दबाव पड़ा। पेट्रोलियम की नियंत्रित कीमतों में संशोधन से तेल विपणन कंपनियों की अंडर-रिकवरी में कुछ कमी आई। 2013-14 में घरेलू तेल विपणन कंपनियों की अनुमानित अंडर-रिकवरी 1.4 ट्रिलियन रुपए के साथ अधिक रही जिसमें से 45 प्रतिशत अंडर-रिकवरी डीजल के कारण थी। वर्तमान में, तेल विपणन कंपनियों को प्रतिदिन डीजल, पीडीएस किरोसीन और घरेलू एलपीजी की बिक्री से 2.26 बिलियन रुपए (1 अगस्त 2014 से प्रभावी) की अंडर-रिकवरी हो रही है। मध्य पूर्व और उक्रेन में भूराजनैतिक गतिविधियों से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में अपसाइड जोखिम में वृद्धि हुई है जिससे मुद्रास्फीति और अंडर-रिकवरी में काफी प्रभाव पड़ेगा। इन जोखिमों को संभालने के लिए घरेलू कीमतों में अधिक लचीलेपन और पर्याप्त बजट प्रावधान की आवश्यकता होगी।

उन्नत और उभरती अर्थ व्यवस्थाओं में वैश्विक मुद्रास्फीति भिन्न-भिन्न प्रकार रही



II.2.11 वैश्विक रूप से, उन्नत और उभरती अर्थ व्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव अलग-अलग होता है। उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं में 2013-14 के दौरान वस्तुओं की कीमतों में

उतार-चढ़ाव सीमित दायरे में रहने के कारण, व्यापक स्पेअर क्षमता और ऊंची बेरोजगारी के चलते मुद्रास्फीति कम रही। वहीं दूसरी ओर उभरती बाजार और विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं (ईएमडीई) में कमजोर विनिमय दर और आपूर्ति पक्ष की घरेलू कारकों के चलते मुद्रास्फीति में दबाव देखा गया। उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों के समक्ष धीमी आर्थिक वृद्धि और अधिक मुद्रास्फीति दबावों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति में तालमेल बिठाने की चुनौती थी। उच्च मुद्रास्फीति और विनिमय दर में गिरावट के मद्देनजर उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के कई केंद्रीय बैंकों जैसे तुर्की, उक्रेन, रूस, इंडोनेशिया और ब्राजील ने नीतिगत दरों में वृद्धि की। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका ने आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने के परिप्रेक्ष्य में नपे-तुले तरीके से टैपरिंग शुरू की। यूरोपिय केंद्रीय बैंक ने कारोबारी गतिविधि के लिए बैंक ऋण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से ऋणात्मक जमा-दर की शुरुआत की।



वैश्विक वस्तुओं की कीमतें सीमित - दायरे में रही लेकिन 2013-14 की पहली छमाही में विनिमय दर में आयी गिरावट का प्रभाव पड़ा।

II.2.12 2013-14 में आपूर्ति में सुधार और मांग की कमजोर स्थिति के बीच वस्तुओं की वैश्विक कीमतें नरम नहीं रही (चार्ट II.17)। 2013-14 की पहली छमाही में आपूर्ति में कमी

चार्ट II.16 : वैश्विक और घरेलू ईंधन मूल्यों में परिवर्तन



चार्ट II.17 : पण्यों के वैश्विक मूल्यों के रुझान



के चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी देखी गई लेकिन 2013-14 की दूसरी छमाही में आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम होने और मांग के सुस्त रहने की वजह से इनमें कमी आई। 2013-14 में धातु की सरप्लस आपूर्ति और उभरती अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर भारत और चीन में इनकी कम मांग के चलते इनकी कीमतें नरम हुई। 2013 में वैश्विक खाद्य कीमतों में 1.6 प्रतिशत की गिरावट हुई क्योंकि बड़े आपूर्तिकर्ताओं ने अनाज, तेल और चीनी जैसी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी की।

II.2.13 2014-15 में अब तक लीबीया, उक्रेन, संकट और ईराक में राजनीतिक गतिविधियों के चलते आपूर्ति में होनेवाली बाधाओं सहित अन्य कारणों से वैश्विक वस्तु कीमतों विशेषकर कच्चे तेल में तेजी आई। जून 2014 में ब्रेंट कच्चे तेल का हाजिर भाव प्रति बैरल 112.0 अमरीकी डॉलर था, जो कि मई 2014 के प्रारंभ में प्रति बैरल 109.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक था। तथापि, लीबीया से आपूर्ति संभावनाओं में हुए सुधार के चलते ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में सुधार हुआ और मध्य-जुलाई, 2014 तक यह लगभग 107 अमरिकी डॉलर प्रति बैरल तक हो गया। इसके अलावा, तेल से इतर वस्तुओं विशेषकर धातुओं की कीमतों में आई निरंतर नरमी ने वैश्विक तेल कीमतों से होनेवाली मुद्रास्फीति जोखिमों को संतुलित कर दिया। मौसम से संबंधित चिंताओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के चलते फरवरी - अप्रैल 2014 में कुछ अनाजों विशेषकर गेहूं, मक्का एवं जौ की वैश्विक कीमतों में तेजी आई। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने भविष्यवाणी की कि 2014 में विश्व अनाज उत्पादन में 2.4 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है।

2014-15 के दौरान मुद्रास्फीति सीमित दायरे में रहने की संभावना है, लेकिन जोखिम बने रहने की संभावना है।

II.2.14 दिसंबर 2013 - फरवरी 2014 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति में काफी कमी के बाद जुलाई 2014 में तेजी आई। इसमें यद्यपि, उल्टा रुझान था और यह मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में आयातों के कारण हुआ जो यह दर्शाता है मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसके अलावा दक्षिण - पश्चिम मानसून को लेकर बनी हुई अनिश्चितता खाद्य कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को आगे और तेज कर सकती है जैसा कि कुछ सब्जियों जैसे टमाटर की कीमतों में देखी गई तेजी से परिलक्षित होता है। ऐसे दबावों से मुद्रास्फीति प्रत्याशा बढ़ सकती है और तब मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और दूसरे दौर के प्रभावों को शांत करने के लिए नीतिगत कार्रवाई शुरू करनी होगी। वैश्विक वस्तु कीमतें सीमित-दायरे में रह सकती हैं, किन्तु विशेषकर ईराक के भू-राजनीतिक तनावों के चलते कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव से कोई बड़ा अपसाइड जोखिम हो सकता है। बाह्य क्षेत्र जोखिमों में आई महत्वपूर्ण कमी से रुपया विनिमय दर को स्थिरता मिली, विनिमय दर के इस दबाव का घरेलू मुद्रास्फीति में अंतरित होने के आसार कम हैं। तथापि, रोजकोषीय बोझ को कम करने के लिए विशेषकर डीजल के मामले में नियंत्रित कीमत संशोधन को जारी रखने की आवश्यकता है जिसके चलते अल्पावधि में कीमतों पर कुछ अपसाइड दबाव पड़ सकता है। तथापि, मध्यम अवधि में इससे मुद्रास्फीति एवं मुद्रास्फीति प्रत्याशा को कम करने में मदद मिलेगी। संभाव्य आउटपुट वृद्धि में आई गिरावट के बावजूद ऋणात्मक आउटपुट के कायम रहने से आगे चलकर अवस्फीति गति को बल मिलेगा।

II.3 मुद्रा और ऋण

2013-14 की पहली छमाही में टेपरिंग के संकेत के चलते मौद्रिक नीति का संचालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा

II.3.1 2013-14 के दौरान मौद्रिक नीति बनाने में महसूस की गई चुनौतियों को तीन भिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। सुलभता चक्र जो जनवरी 2012 में शुरू हुआ था, में अप्रैल 2012 से मई 2013 तक रेपो दर में 125 आधार अंकों की कमी की गई। इस चरण में बड़े और आकस्मिक पूंजी बहिर्वाह के कारण व्यवधान आया। इस प्रकार के भारी मात्रा में शुरू हुए बहिर्वाह का कारण यूएस फेड द्वारा आने वाले महीनों में मई 2013 में अपनी मात्रात्मक सुलभता में कमी करने के लिए दिए गए संकेत था। टेपरिंग की मात्रा और समय को लेकर बनी अनिश्चिता के चलते उभरती बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से भारी मात्रा में पूंजी बहिर्वाह हुआ, विशेष रूप से भारत सहित अधिक चालू खाता घाटा और अधिक मुद्रास्फीति वाले देशों में भारी मात्रा में पूंजी बहिर्वाह हुआ।

II.3.2 ईएमडीई को अपनी मौद्रिक नीति रुख को बहुत अधिक सख्त करना पड़ा ताकि पूंजी बहिर्वाह का मुकाबला किया जा सके और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप पर भरोसा किया जा सके। वैश्विक चलनिधि के संबंध में मात्रात्मक सुलभता में टेपरिंग का प्रत्याशित प्रभाव, सीमापार पूंजी प्रवाह में की गई निकासी और आस्ति कीमतों पर उनके प्रभाव के चलते रुपये, विशेष रूप से भारी और अरक्षणीय चालू खाता घाटा (सीएडी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रभाव-विस्तार के चलते मौद्रिक नीति से संबंधित चुनौतियां भारत के लिए कोई विशिष्ट बात नहीं थी; यही समान चुनौतियां सभी ईडीएमई में भी महसूस की गईं

II.3.3 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों के पड़ रहे प्रभाव 2013-14 के दौरान इन गतिविधियों में दिखता है। इस प्रकार के प्रभाव-विस्तार का अनुभव इस क्षेत्र में बेहतर नीति तालमेल की आवश्यकता पर जोर देता है (बॉक्स II.5)।

II.3.4 मुद्रा में भारी मूल्यहास (करेंसी टर्माइल) जो समष्टि-वित्तीय स्थिरता के विभिन्न प्रारूपों में फैल सकता था और मध्यवाधि

बॉक्स II.5

उभरती बाजारों के लिए अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाहर निकलने के कारण उत्पन्न जोखिम

यूएस फेड द्वारा अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों को बंद करने से 2013-14 के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में काफी प्रभाव-विस्तार देखा गया। रिजर्व बैंक में आंतरिक अनुसंधान कार्य से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्यों में माना गया है कि भारत सहित ईएसई के अनेक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और यूएस VIX के बीच स्पष्ट संबंध है। यूएस इक्विटी बाजारों में अस्थिरता की माप करने के लिए यूएस VIX का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है।

अपरंपरागत मौद्रिक नीति सामान्यतः गैर-मानक मौद्रिक उपाय से संबंधित होती है। इन उपायों में व्यापक स्तरीय आस्ति खरीद (एलएसएपी) कार्यक्रम शामिल हैं जिसे मात्रात्मक सुलभता के रूप में जाना जाता है जो कम प्रत्यय-योग्य, अतरल निजी क्षेत्र की प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र के आकार में परितर्वन करते हैं। इसमें दीर्घवधि ब्याज दरों की प्रत्याशा संबंधी प्रस्ताव के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले भावी दिशा-निर्देश शामिल हैं। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, भले ही नीति दरों पर अथवा सांकेतिक ब्याज दरों की जीरो लोवर बांड-सदृश दरों में अपरंपरागत उपाय शामिल हों। बैंक ऑफ जापान ने 2001 से क्यूई का सहारा लिया। 2008 से अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों का सहारा लेने वालों में यूएस फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शामिल हो गए।

2013-14 में मात्रात्मक सुलभता में टेपरिंग के संबंध में फेड के संकेत मात्र से उभरती बाजारों में इसका बहुत अधिक प्रभाव-विस्तार देखा गया। जबकि

2014 की पहली छमाही में वास्तविक कमी जिसके तहत यूएस फेड ने अपनी क्यूई आस्ति खरीद को अभी तक प्रति माह 85 अमरीकी बिलियन डालर से घटकार 25 अमरीकी बिलियन डालर (अगस्त 2014 तक) कर दिया था, से अपेक्षाकृत कम प्रभाव देखा गया। तथापि, यदि यूएस मौद्रिक नीति का रुख अनिश्चित अथवा अपेक्षाकृत कम समय में काफी सख्त रहा, तो आगे प्रभाव-विस्तार का जोखिम बना रहेगा। पहले भी, अनेक चक्रों किंतु सख्त करने की सभी चक्र में नहीं, में वैश्विक वित्तीय बाजारों में बांड प्रतिफल, मुद्राओं और इक्विटी में काफी प्रभाव देखा गया।

फरवरी 2014 में संघीय खुला बाजार समिति ने एक वर्ष में फेडरल फंड दर में 300 आधार अंक की बढ़ोतरी करके सख्त करने के संकेत दिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों के बांडों में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई, किंतु इक्विटी के संबंध में केवल उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की इक्विटी में ही प्रतिकूल प्रभाव देखा गया। प्रभाव-विस्तार भी 1994-95 के मेक्सिकन पीसो संकट के चलते पैदा हुआ था। यूएस ट्रेजरी तक फैले ईएमई बांड बाजार कई स्थितियों में उच्चतम 1500 आधार अंकों तक पहुंच गया। 2013 में टेपरिंग से पड़े प्रभाव-विस्तार के संबंध में इशेनग्रीन और गुप्ता (2013) ने स्पष्ट किया कि टेपरिंग का सबसे अधिक प्रभाव उन देशों द्वारा महसूस किया गया जिन्होंने सतत फेडरल रिजर्व की इजिंग की प्रत्याशा में पूर्व

(जारी...)

अवधि में विनिमय दरों में बढ़ोतरी की अनुमति प्रदान की थी। बड़े बाजार वाले देशों ने अधिक मूल्यहास दबाव महसूस किया और बजट घाटा, लोक ऋण, मुद्रा भंडार का स्तर और जीडीपी संवृद्धि दर जैसे समष्टि आर्थिक सिद्धांतों ने उन देशों में थोड़ा-बहुत प्रभावों को कम किया जिनमें ग्रीष्म के दौरान मई 2013 के मूल्यहास दबाव महसूस किया गया था।

मुद्रा मूल्यहास से उत्पन्न दबाव के अतिरिक्त क्यूई टेपेरिंग से पैदा हुई वित्तीय बाजार की अस्थिरताएं नीतिगत क्षेत्र में, विशेष रूप से, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख चिंता का विषय बनी रही। वित्तीय बाजार की अस्थिरता की क्लस्टरिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों के समान एक संवर्धित जनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडास्टिसिटी (गार्च) मॉडल का इस्तेमाल शेयर बाजार संबंधी प्रतिफल की दैनिक अस्थिरता, विनिमय दर में (मूल मुद्रा के रूप में अमरीकी डॉलर) प्रतिशत परिवर्तन और ब्रिक्स और एशियाई उभरती बाजारों के एक समूह के लिए बेंचमार्क (10-वर्षीय) में हुए परिवर्तनों को रूप देने के लिए किया गया।


इन अनुमानों में जनवरी 2012 से मई 2014 तक के दैनिक आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। एक प्रतिरूपी (डम) चर जो फेड की टेपेरिंग विमर्श यानी 22 मई 2013 से अगस्त 2013 के लिए मान 1 लेता है अन्यथा अस्थिरता

समीकरण में मान शून्य की शुरुआत की गई। अनुमानित सशर्त अंतर सीरीज और प्रतिरूपी चर का गुणांक चार्ट 1 में दिया गया है।

अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गार्च अस्थिरता अनुमानों से मई-अगस्त 2013 के दौरान फेड टेपेरिंग विमर्श का मुद्रा, बांड और इक्विटी बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव-विस्तार के बारे में पता चलता है। टेपेरिंग की मात्रा के बाद आने वाली अनिश्चिता और भावी दरों में बढ़ोतरी के भय के कारण इस अवधि के दौरान उभरती बाजारों से पूंजी प्रवाह में निकासी की गई। अनुमानित प्रतिरूपी चर गुणांक अधिकांश प्रासंगिक और सकारात्मक थे जिससे पता चलता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता में बढ़ोतरी का कारण बढ़ती संभावित अस्थिरता और क्यूई में की गई अधिक निकासी थी।

रे (2013), ने अपने जैक्सन होल पेपर में पूंजी प्रवाह, आस्ति मूल्य और ऋण वृद्धि जो कि VIX से प्रभावित होते हैं, में वैश्विक वित्तीय चक्र की भूमिका पर जोर दिया है। इनका मुख्य तर्क 'इंपॉसिबल ट्रिनिटी' की मौजूदगी न होकर 'इरेकन्साइलबल डोउ' है जिसका अभिप्राय है कि पूंजीगत खाते को नियंत्रित करने पर ही स्वतंत्र मौद्रिक नीतियां संभव हैं। आगे उल्लेख किया गया कि इस दुविधा का सामना करने से नीतिगत विकल्पों में एक विकल्प को अधिक स्रोत वाले देश जो इन चक्रों (जैसे कि क्यूई से) का सृजन करते हैं, की नीतियों पर



चार्ट 1 : उभरते बाजारों के लिए अस्थिरता संबंधी अनुमान



टिप्पणी : चार्ट ई में सांख्यिकीय दृष्टि से शून्य δ- गुणांक काफी भिन्न नहीं है, इसलिए उसे शून्य के रूप में रखा गया है।

(जारी...)

चार्ट 2 : उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार की अस्थिरता के साथ VIX का सहसंबंध



कार्य करना होता है। तथापि, ये स्रोत देश सायद ही इस बात से सहमत हों। क्यूई की टेपरिंग के दौरान रे की धारणा की आगे जांच करने के लिए यूएस-VIX का विश्लेषण और 8 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ब्रिक्स सहित) की अनुमानित गार्च अस्थिरता क्यूई टेपरिंग की घोषणा से दौरान कोरिलेशन में हुए बदलाव के बारे जानकारी देती है। चार्ट 2 में फेड टेपरिंग विमर्श (मई-अगस्त 2013) के दौरान शेयर बाजार की अस्थिरता कोरिलेशन से संबंधित मात्रा और संकेत में हुए परिवर्तनों के बारे में उल्लेख किया गया है जिससे उभरते शेयर बाजारों पर टेपरिंग के प्रभाव के बारे पता चलता है।

राजन (2014) ने पर्याप्त जोखिम के स्रोत के रूप में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति की मौजूदा 'गैर-प्रणाली' की ओर संकेत किया और स्रोत देशों की नीतियों का अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अधिक विचार करने के बारे में पक्ष लिया है। इस प्रकार के फीडबैक लूप के प्रतिकूल प्रभाव को प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों, चलनिधि प्रावधान के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था, बेहतर व्यष्टि, विवेक सम्मत उपाय में समन्वयन करने अथवा स्वतंत्र आकलनकर्ताओं जो इस नीति का विश्लेषण कर सकें और एक निर्णय ले सकें कि क्या वे इनका पालन करें? के बीच समन्वय के जरिए कम किया जा सकता है। इन उपायों ने एक वैश्विक इष्टतम मौद्रिक नीति ढांचा के जरिए क्यूई निकासी के व्यापक प्रतिकूल फीडबैक प्रभाव-विस्तार को कम किया। जहां, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक

नीति समन्वय जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक बाजारों को तैयार करते हैं और नियमित समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं, बेहतर नीति की पहली पसंद बना रहा, वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की घरेलू नीतियों से संबंधित प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि स्थिर मुद्रास्फीति, सहज विनिमय दर समायोजन और प्रभावी व्यष्टि और समष्टि-विवेकसम्मत नीतियों के बारे में बाजार में भरोसा कायम किया जा सके।

संदर्भ:

इशोनग्रीन, बैरी और पूनम गुप्ता (2014), 'टेपरिंग विमर्श : उभरती बाजारों पर फेडरल रिजर्व की प्रतिभूतियों की खरीद कम करने की प्रत्याशाओं का प्रभाव', पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सीरीज 6754, विश्व बैंक।

राजन रघुराम, जी. (2014), 'प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक सुलभता : क्या पुराने दिन फिर वापस आ गए हैं?', *आरबीआई मासिक बुलेटिन*, 1-12, <http://rbi.org.in/scripts/BS-SpeechView.aspx>. ID=886 पर उपलब्ध है।

रे, हेलन (2013), 'ट्रिलिमा नहीं डेलिमा : वैश्विक वित्तीय चक्र और मौद्रिक नीति स्वतंत्रता', 25वीं जैक्सन होल सिंफोसियम, व्योमिंग, अगस्त में प्रस्तुत शोध-पत्र।

में संवृद्धि को खतरे में डाल सकता था, के जोखिम का सामना करते हुए रिजर्व बैंक ने रुपये को स्थिर करने को प्राथमिकता दी। इस दूसरे चरण में, अन्य उपायों के साथ जुलाई 2013 में सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर में 200 आधार अंकों (गतिविधियों कालक्रम के लिए अध्याय 3 में दिए गए बॉक्स III.2 देखें) की बढ़ोतरी की, जिससे रेपो और एमएसएफ दर के बीच का अंतर 300 आधार अंक हो गया। एमएसएफ दर प्रभावी नीति दर के रूप में कार्य करने के

कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार की निधियों की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई। एलएएफ विंडो की सीमा तथा बढ़ी औसत दैनिक सीसीआर जरूरत ने घरेलू चलनिधि स्थिति को संकट बना दिया था और एमएसएफ दर वास्तविक नीति दर (चार्ट II.18अ) बन जाने के कारण व्यापार लागत में बढ़ोतरी हुई। घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि करना अंतर जो ऋण बहिर्वाह को बढ़ा सकता था, को कम होने से रोकने के लिए जरूरी था, इसे देखते हुए एफआईआई ऋण प्रवाह को

मौद्रिक नीति चरो के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया गया (बॉक्स II.6 देखें)।

2013-14 की दूसरी छमाही में बढ़ती मुद्रास्फीति की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों पर पुनःविचार किया गया

II.3.5 जहां विनिमय बाजार के दबाव को प्रभावी से ढंग से समय पर उपाय करके संभाला गया, इन उपायों में बैंक और तेल कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप की सुविधा शामिल है, वहीं उन्हें उत्तरोत्तर वापस लेना और ब्याज दर की सीमा को सुविचारित तरह से सामान्यीकृत करने से वित्तीय बाजार की स्थिरता को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। तथापि, बढ़ते मुद्रास्फीतिकारी दबाव और रुपये के दीर्घावधि मूल्यन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के चलते अक्टूबर 2013 की शुरुआत में ही नीति के रुख में परिवर्तन किया गया। मुद्रास्फीति में हुए सुधार और उन्नत मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और वित्तीय बचतों पर कम वास्तविक दरों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने सितंबर-अक्टूबर 2013 रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जबकि एमएसएफ दर में कमी की ताकि ब्याज दर की 100 आधार अंकों की अंतर सीमा को पुनः प्राप्त किया जा सके।



II.3.6 वैश्विक ब्याज दर चक्र और वित्तीय स्थितियों के संबंध में पैदा हुई अनिश्चिता का सामना करने के लिए बफर बनाने हेतु रिजर्व बैंक ने बैंकों की सीमापार उधारी और अनिवासी जमा (एफसीएनआर (बी)) निधियों के लिए एक विदेशी मुद्रा स्वैप

विंडों (4 नवंबर से 30 नवंबर 2013 तक) की शुरुआत की जिससे स्वैप सुविधा में जरिए 34 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक पूंजी अंतर्वाह हुआ। इन सुविधाओं ने न केवल बाह्य लचीलेपन को समय रहते सुदृढ़ किया गया बल्कि घरेलू चलनिधि को सहज बनाने में भी बहुत अधिक मदद की, जो कि एक दिवसीय एलएएफ दर और निर्यात ऋण वित्त (ईसीआर) के तहत बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से कम का उपयोग करने, एमएसएफ के उपयोग में धीरे-धीरे कमी और रिवर्स रेपो के जरिए रिजर्व बैंक के पास अधिशेष चलनिधि रखने को दर्शाता है।

II.3.7 वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से चलनिधि की स्थिति सख्त होने से रोकने के लिए और प्रणाली में दीर्घावधि ब्याज दरों में नियंत्रण रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने ओएमओ खरीद नीलामियां आयोजित की जिससे एलएएफ और एमएसएफ के तहत डाली गई चलनिधि के अतिरिक्त वर्ष के दौरान लगभग ₹520 बिलियन की निवल चलनिधि और उपलब्ध हो सकी। यद्यपि एलएएफ के जरिए चलनिधि जुटाने पर प्रतिबंध था, फिर भी 7 और 14 दिवसीय परिपक्वता अवधि वाले परिवर्तित दर टर्म रेपो की शुरुआत की गई।

II.3.8 तथापि, अंतरिम बजट (फरवरी 2014) तक रिजर्व बैंक के पास सरकार के अधिक अधिशेष नगदी शेष ने पुनः चलनिधि की स्थिति को सख्त बना दिया। सरकार द्वारा बाद में किए गए व्यय के बावजूद बैंक लेखों की वार्षिक बंदी के कारण चलनिधि पर वर्ष के अंत में पड़े दबाव के चलते वर्ष के अंत में

चार्ट II.18: 2013-14 में चलनिधि स्थिति सामान्यतः सख्त बनी रही



एलएएफ (टर्म रेपो और एमएसएफ सहित) के जरिए ली गई राशि लगभग ₹2 ट्रिलियन रही (चार्ट II.18आ)। 2014-15 की अभी तक की स्थिति के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार के अधिक अधिशेष नगदी शेष के कारण चलनिधि स्थितियों के सविराम सख्त होने को छोड़कर चलनिधि स्थितियां आम तौर पर स्थिर बनी रही है।

बढ़े चलनिधि अंतर्वेशन, पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ ने निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) को और अधिक संतुलित बना दिया -निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) के चलते कुल मौद्रिक राशियों में बढ़ोतरी हुई

II.3.9 स्वैप सुविधा के तहत हुए अंतर्वाह के बाद 2013-14 के दौरान आरक्षित मुद्रा में हुई बढ़ोतरी को हाल के वर्षों की विषम प्रवृत्ति की तुलना में स्रोत पक्षों में अधिक संतुलित एनडीए-एनएफए के मिश्रण का सहयोग मिला (चार्ट 11.19 अ)।

II.3.10 वर्ष 2013-14 के लिए व्यापक मुद्रा वृद्धि दर मुख्यतः 13 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य के समान बनी रही। तथापि, विदेशी स्वैप सुविधा के जरिए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के प्रवाह के प्रभाव का निवल जोड़ करने पर पाया गया कि निवासियों की कुल जमाराशियों में वृद्धि कम अर्थात् 11 प्रतिशत रही और तदनुसूची निवासी मुद्रा वृद्धि (एनएम3) भी कम रही। सन्निकट स्थिर जमा दर के चलते जमाराशियों को जुटाने की गति भी धीमी रही (चार्ट 11.19आ)।

II.3.11 2012-13 की तुलना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण उठाव (क्रेडिट ऑफ टेक) और जमा वृद्धि 2013-14

में लगभग 14 प्रतिशत रहा। ऋण और जमाराशियों के बीच का अंतर कम होने से चलनिधि के दबाव को कम किया जा सका।

अनिश्चितता, मंदी और बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता के चलते ऋण उठाव मंद बना रहा।



II.3.12 चक्रीय गिरावट के समान अस्ति गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी प्रावधानीकरण जरूरतें और लाभप्रदाता सूचकों में कमी के चलते बैंकिंग क्षेत्र चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। इन कारकों ने जोखिम विमुखता को बढ़ा दिया जिसके चलते ऋण-उठाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि, सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में सकल एनपीए, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंक में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ा है किंतु एनपीए में वृद्धि की गति हाल में कम हुई है, यद्यपि, यह कहना अभी जल्दी है कि खराब स्थिति से बाहर निलल आए (बैंकिंग अस्ति गुणवत्ता सूचकों से संबंधित सारणी V12 देखें)।

सेवाओं, व्यक्तिगत ऋणों के कारण खाद्येतर ऋण में वृद्धि हुई

II.3.13 2013-14 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष औद्योगिक क्षेत्र की ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के 15.1 प्रतिशत घटकर 13.1 प्रतिशत रह गई। ऋण वृद्धि में गिरावट मुख्यतः खनन, रसायन, सीमेंट और वस्त्र क्षेत्र में आई गिरावट के चलते आई थी। तथापि, ऋण-प्रवाह निर्माण रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा और कागज में काफी अधिक रहा।

II.3.14 सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत रही। जहां व्यक्तिगत ऋणों में अधिकांश भाग आवास और वाहन ऋणों का रहा, वहीं शेयर तथा बांड की


चार्ट II.19: कुल मौद्रिक राशियों में घट-बढ़



*: 25 जून 2014 तक की स्थिति; #: 25 जुलाई 2014 तक की स्थिति

टिप्पणी: जुलाई 2014 से केंद्र सरकार के लिए निवल भारिबैं ऋण की परिभाषा में तकनीकी समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए परिवर्तन किया गया (अध्यक्ष: श्री वार्ड.एच.मालेगांव)

चार्ट II.20: ऋण के क्षेत्रगत अभिनियोजन की प्रवृत्ति
व्यक्तिगत ऋणों में आवास, वाहन ऋणों को हिस्सा अधिक रहा



तुलना में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए वैयक्तिकों को दिए गए अग्रिम में काफी वृद्धि देखी गई (चार्ट II.20)।

II.3.15 2013-14 में मौद्रिक और चलनिधि नीतियों को अधोमुखी अवरुद्ध मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के बीच बाह्य अतिसंवेदनशीलता और घरेलू मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न दोहरे जोखिम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। जहां बाह्य क्षेत्रगत उपाय के साथ मौद्रिक उपायों ने आने वाले समय में बाह्य क्षेत्र के जोखिम को कम करने में मदद की, वहीं धारणीय वृद्धि और मुद्रा स्थिरता को प्राप्त करने में मुद्रास्फीति चुनौती बनी रही। मौद्रिक नीति ढांचा में संशोधन और सुदृढ़ करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार अपस्फीतिकारी मार्ग के समान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को रोकने और उनके द्वितीय चरण के प्रभावों को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2014 में रेपो दर में वृद्धि की। इसके अतिरिक्त चलनिधि प्रबंधन के लिए एक दिवसीय गांरीटीकृत ऐक्सेस सुविधा को प्रोत्साहित न करने की समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए और और टर्म रेपो के जरिए उत्तरोत्तर चलनिधि प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ने एलएएफ के तहत एक दिवसीय रेपो सुविधा में कमी की, इसकी भरपाई रिजर्व बैंक से टर्म रेपो के जरिए बाजार पहुंच से की जाए ताकि सभी प्रकार की ब्याज दर श्रेणी की नीतियों के प्रभाव-प्रसार में सुधार हो सके।

II.4 वित्तीय बाजार



अमरीका द्वारा कमी करने (टैपरिंग) और यूक्रेन संकट का सामना करने पर भी चलनिधि का वैश्विक वित्तीय बाजारों पर नियंत्रण जारी है

II.4.1 वित्तीय बाजार में मई 2013 से तेजी से अस्थिरता बढ़ने के दौर और उसके बाद सितंबर 2013 से इसमें गिरावट आना वर्ष की उल्लेखनीय घटना रही। अमरीका द्वारा कमी किए जाने के संकेत देने का असर भारतीय वित्तीय बाजारों पर पड़ा हालांकि, वास्तव में कमी किए जाने और यूक्रेन संकट के घटित होने तक अपने सुरक्षित भंडारों के पुनर्निर्माण का कार्य करने के कारण इनके दुष्प्रभावों के फैलाव को नियंत्रित करने में मदद मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के ईराक के दक्षिणी क्षेत्र या शेष क्षेत्र में विस्तार होने तक अप्रत्याशित ईराकी संघर्ष को काबू में किया जा सकता है। इसकी जटिलताएं अभी सामने आ रही हैं और इस पर निरंतर निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

II.4.2 समग्ररूप से, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) द्वारा नीतिगत दरों को बढ़ाने के कारण बांड ब्याज दरों के विशाल फैलाव (स्प्रेड) को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समान स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिली और इस प्रकार से बहिर्वाह को काबू में रखा जा सका। शुरुआती अस्थिरता के बाद विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) तथा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं -दोनों में स्थिरता आई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की धीमी वृद्धि एवं सहज मौद्रिक परिस्थितियों के बावजूद भी 2013-14 में इक्विटी जैसी अधिक जोखिम वाली आस्तियों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई जबकि समायोजनकारी मौद्रिक नीतियों के समाप्त होने का डर कम होने के कारण बांडों में निरंतर वृद्धि हुई।

II.4.3 यद्यपि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरों में बढ़ोत्तरी की संभावना, ईराक के वर्तमान संकट और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी बने रहने के बारे में अनिश्चितताएं मौजूद रहीं किंतु अमरीका द्वारा कमी करने के कार्यक्रम की नपीतुली एवं पूर्वानुमेय गति, विकसित बाजारों में आशावाद तथा यूरो के अंतर्गत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को सहारा प्रदान करने की नीतिगत प्रतिबद्धता के कारण वित्तीय बाजारों में शांति बनी रही। 2014-15 के दौरान अमरीका, यूरोप एवं उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं सहित बहुत से इक्विटी बाजारों में निवेशकों की मुनाफा कमाने की चाहत के कारण ऐतिहासिक वृद्धि हुई, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में टुलाई के व्यापार (कैरी ड्रेड) से विशाल अंतर्वाह होता रहा किंतु मई-जून 2014 के दौरान उक्त में कमी होने के कारण इसमें गिरावट का रुझान देखा गया (चार्ट II.21)।

चार्ट II.21 : अनिश्चितताएं कम होने से वैश्विक बाजारों में सुधार हुआ



टिप्पणी : 1. चुनिंदा ईएमडीई में भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ताइवान एवं थाइलैंड शामिल हैं।
2. एशियन कैरी ट्रेड इंडेक्स में आई-एंड-होल्ड कैरी ट्रेड पॉजिशन के कुल संचयी प्रतिफल की माप की जाती है जिसका संबंध एशिया की चार मुद्राओं (भारतीय रुपया, इंडोनेशिया का रुपैया, फिलीपींस का पेसो एवं थाइलैंड का बट) से है जिनका, अधिकतम की स्थिति में अमरीकी डॉलर में निधीयन किया जाता है। यह माना जाता है कि तीन महीनों की मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में निवेश में मुद्रा बास्केट में चार एशियाई मुद्राओं में से प्रत्येक को समान भार प्रदान किया जाता है।

स्रोत : ब्लूमबर्ग

वैश्विक आस्ति मूल्यों के कारण जोखिम प्रीमियम निम्न स्तर पर रहा

II.4.4 वैश्विक इक्विटी बाजारों में हाल में जो तीव्र वृद्धि हुई है वह वैश्विक वृद्धि के निम्न स्तर तथा मुद्रास्फीति के निम्न स्तर एवं आय वृद्धि के निम्न स्तर, विशेषरूप से अमरीका में, के साथ में हुई है। इससे पता चलता है कि इक्विटी बाजार में आस्तियों का मूल्यन करने में जोखिम प्रीमियम बहुत कम रखा जा रहा है। अमरीका एवं यूके की आर्थिक वृद्धि के निकट भविष्य में सुधार होने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय बैंकों द्वारा पहले से विद्यमान नीतिगत दरों में वृद्धि करने का जोखिम है। ऐसा होने या नहीं होने को ध्यान में रखे बगैर बाजार दरों में वृद्धि प्रारंभ हो सकता है जिसके बदले में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा, अमरीका में ब्याज दरों में वृद्धि होने से कैरी ट्रेड के प्रवाह की उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वापसी शुरू हो सकता है जिसके कारण विदेशी मुद्रा, इक्विटी और बांड बाजारों में अनिश्चितता और अधिक बढ़ सकती है (बॉक्स II.6)।


2013-14 की पहली छमाही में भारतीय बाजार मूल्यों के कारण जोखिमों बढ़ा और उसके बाद दूसरी छमाही में जोखिम को तेजी से नियंत्रित किया गया

II.4.5 भारतीय वित्तीय बाजारों में 2013-14 के दौरान, विशेषरूप से मई-अगस्त 2013 के दौरान, अत्यधिक अस्थिरता (कमी करने संबंधी घोषणाओं के साथ में) का समय देखा गया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, विशेषरूप से अमरीका में, बांड के

प्रतिफलों में तेजी से वृद्धि होने से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उनकी (विकसित अर्थव्यवस्थाओं की) स्थायी आय वाली प्रतिभूतियों का आकर्षण बढ़ा। इस वजह से देशी वित्तीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से बड़े पैमाने पर बिक्री प्रारंभ हो गई जो अत्यधिक अस्थिरता के रूप में परिणत हुई। भारतीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ने का कारण आधारभूत समष्टि आर्थिक कारकों का कमजोर होना भी रहा किंतु यह प्रभाव अन्य उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप ही रहा। विदेशी मुद्रा की अदला-बदली के लिए विंडो खोलने के साथ में स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से बाजार में भरोसा तत्काल बहाल हुआ। इनके अलावा, अस्थिरता को नियंत्रित करने और उनके तीव्र आहरण करने के लिए किए गए चलनिधि संबंधी असाधारण उपायों से सितंबर 2013 तक संवहनीय तरीके से स्थायी बाजार की परिस्थितियां बहाल करने में मदद मिली (खंड II.3 अध्याय 3 भी देखें)।

मुद्रा बाजार में दरें स्थिर रहीं

II.4.6 मुद्रा बाजारों ने वर्ष के दौरान चलनिधि संबंधी परिस्थितियों और नीतिगत दरों के समायोजन का पता लगाया। विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने के उपाय के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई-सितंबर 2013 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की रिपो विंडो के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद मार्जिनल स्थायी सुविधा



(एमएसएफ) दर प्रभावी नीतिगत दर बन गई। उसके बाद, मांग दर सामान्यरूप से रिवर्स रिपो एवं मार्जिनल स्थायी सुविधा दरों के बीच के दायरे परिवर्तित होती रही क्योंकि रिजर्व बैंक ने चलनिधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए नीलामी-आधारित परिवर्तनशील दरों वाली मीयादी रिपो की शुरुआत की (चार्ट II.22)। औसत भारित मांग दरें तथा संपाश्वर्कृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता (सीबीएलओ) दरें सितंबर 2013 में बढ़कर क्रमशः 9.97 प्रतिशत एवं 9.90 प्रतिशत हो गईं जो जुलाई 2013 में क्रमशः 7.76 प्रतिशत एवं 7.36 प्रतिशत थीं। हालांकि, विदेशी मुद्रा अदला-बदली की सुविधाओं के मद्देनजर चलनिधि संबंधी परिस्थितियों को आसान बनाने के साथ ही साथ सितंबर-अक्तूबर



2013 के दौरान असाधारण मौद्रिक उपायों को सुविचारित ढंग से वापस लेने के कारण मुद्रा बाजार की दरों कमी आने के कारण बाजार में स्थिर परिस्थितियां बहाल हुईं। 2014-15 के दौरान अभी तक, दरों के रिवर्स रिपो दर एवं मार्जिनल स्थायी सुविधा दर के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर ही परिवर्तित होने के साथ में मुद्रा बाजार व्यवस्थित रहा है।

II.4.7 2013-14 के दौरान, जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के जारी किए जाने के पाक्षिक औसत में कमी आई (चार्ट II.23)। समग्ररूप से जारी हुए वाणिज्यिक पत्रों की जो भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) मार्च 2013 के अंत में 9.24 प्रतिशत थी वही मार्च 2014 में बढ़कर 9.74 प्रतिशत हो गई। वाणिज्यिक पत्रों की जो भारित औसत बड़ा दर (डब्ल्यूडीआर) मार्च 2013 के अंत में 9.77 प्रतिशत थी वह मार्च 2014 के अंत में बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई। हालांकि, अल्पावधि चलनिधि परिस्थितियों का सहज होना दर्शाते हुए जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी) -दोनों दरें जुलाई 2014 में घटकर 8.69 प्रतिशत रह गईं।


2013-14 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ बढ़ा जबकि कुछ परिपक्वताओं के उत्क्रमण के कारण प्रतिलाभ वक्र सपाट बना रहा

II.4.8 सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ में वर्ष के प्रारंभिक हिस्से में कमी आई जिससे घरेलू मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आने और वैश्विक पण्य मूल्यों में कमी का पता चलता है। 10-वर्षीय सामान्य प्रतिलाभ 24 मई 2013 को 7.12 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गया जबकि मार्च 2013 के अंत में यह 7.99 प्रतिशत पर था। हालांकि, अमरीकी फ़ैडरल रिजर्व द्वारा कमी किए जाने के


चार्ट II.23 : जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) तथा वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) क्षेत्रों के रुझान



चार्ट II.24 : सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार के रुझान



स्रोत : फिन्डा



संकेत देने के बाद तथा उसके बाद रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मुद्रा एवं चलनिधि की स्थिति में कड़ाई करने के उपायों के कारण प्रतिलाभ बढ़ गए। 10-वर्षीय सामान्य प्रतिलाभ 19 अगस्त 2013 को 9.27 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर रहे। हालांकि, अगस्त 2013 में खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से की गई खरीद तथा चलनिधि को कम करने के अभूतपूर्व उपायों को वापस लिए जाने के कारण प्रतिलाभों में कमी आई। उसके पश्चात, सरकारी उधार के अपेक्षाकृत अधिक होने एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निरंतर मौद्रिक कड़ाई के कारण अधोमुखी गति सीमित रही। राजकोषीय वर्ष 10-वर्षीय सामान्य प्रतिलाभ के 8.84 प्रतिशत के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के साथ समाप्त हुआ।

II.4.9 2014-15 के दौरान प्रतिफल में कमी आई जिससे अब तक अमरीकी खजाने के प्रतिफलों में कमी होने, संस्थागत निवेशकों द्वारा सक्रिय खरीद किए जाने, मुद्रास्फीति में कमी होने, राजकोषीय स्थिति में सुधार आने तथा आम चुनावों के बाद सरकारी नीति के बारे में बढ़ती सकारात्मक अपेक्षाओं का पता चलता है। हालांकि, जून 2014 तक गल्फ क्षेत्र में भू-राजनैतिक तनावों के बढ़ने के कारण प्रतिफलों में कमी आई। 13 अगस्त 2014 को 10-वर्षीय सामान्य प्रतिफल मार्च 2014 की समाप्ति के स्तर की तुलना में 8.55 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा। प्रतिफल वक्र दूरवर्ती किनारे पर पिछले वर्षों की तुलना में सपाट रहा तथा 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में घटबढ़ के साथ औसत मात्रा में सामान्य रूप से प्रतिलोम परिवर्तन हुआ (चार्ट II.24)।

हाल के वर्षों में द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ

II.4.10 हाल के वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की सरकारी

प्रतिभूतियों के पूर्ण हुए लेनदेन का वार्षिकीकृत बिक्री अनुपात बढ़ गया है। पहले के समय में, निर्गम संबंधी रणनीति का ध्यान बेंचमार्क परिपक्वताओं के तहत अधिक मात्रा जुटाने पर होता था जिसका उद्देश्य द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति में सुधार लाना था। रिजर्व बैंक ने कर्ज बाजार को और अधिक जीवंत तथा चलनिधि युक्त बनाने के लिए ब्याज दर के व्युत्पन्नी बाजार को विकसित किया है। दिसंबर 2013 में नगदी आधार पर निपटान किए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) को पुनः प्रारंभ किए जाने से द्वितीयक बाजार की गतिविधियों में और वृद्धि होगी।

वर्ष में विनिमय दर पर दबाव को नियंत्रित किया गया, हाल में हुई वृद्धि से बाजार में आशावाद का पता चलता है, मूलभूत बातें अधिक मजबूत हुई हैं

II.4.11 मई 2013 में अमरीकी फ़ैडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक सुगमता को कम किए जाने की घोषणाओं के बाद रुपया पर बहुत दबाव पड़ा और 28 अगस्त 2013 की स्थिति में यह अमरीकी डॉलर की तुलना में अपने निम्नतम स्तर 68.36 (भारिबैं की संदर्भ दर) तक पहुंच गया। रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों एवं चालू खाता घाटा में कमी होने के कारण रुपया में सुधार होना शुरू हुआ। 2013-14 की चौथी तिमाही के दौरान रुपया का मूल्य ₹60.1 से ₹63 तक परिवर्तित हुआ तथा 2014-15 की पहली तिमाही में इसमें और अधिक सुधार हुआ। विभिन्न देशों के बीच तुलना से पता चलता है कि अपनी कुछ दूसरी साथी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रुपया का निष्पादन बेहतर रहा (सारणी II.8)।

भारत में विदेशी संस्थागत निवेश के प्रवाह अस्थिर बने हुए हैं

II.4.12 2013-14 के दौरान, विदेशी संस्थाओं के माध्यम से होने वाला पूंजीगत अंतर्वाह बहुत अस्थिर रहा। मई 2013 में अमरीकी

सारणी II.8 : विभिन्न देशों की विनियम दरों में अमरीकी डॉलर की तुलना में घटबढ़

(प्रतिशत)

	जून 2013 की समाप्ति की तुलना में अगस्त 2013 की समाप्ति पर	अगस्त 13 की समाप्ति की तुलना में दिसंबर 2013* की समाप्ति पर	दिसंबर 2013 की समाप्ति की तुलना में 12 अगस्त 14 को
1	2	3	4
अर्जेंटीना का पेसो	-5.0	-13.1	-21.1
ब्राजील का रियल	-7.3	0.2	3.3
चीन का युआन	0.1	1.1	-0.8
यूरो	1.2	4.1	-3.2
भारतीय रुपया	-10.3	7.4	1.3
इंडोनेशिया का रुपैया	-9.1	-10.6	4.5
मलेशिया का रिंगिट	-3.7	0.2	3.1
मैक्सिको का पेसो	-2.4	2.1	-0.6
रूसी रुबल	-1.6	1.6	-9.3
दक्षिण अफ्रीका का रेंड	-3.1	-1.6	-1.6
दक्षिण कोरिया का वॉन	3.5	5.2	2.4
थाईलैंड का बट	-3.0	-2.3	2.3
टर्की का लीरा	-5.3	-4.1	-1.6

*: दिसंबर 2013 के अंत से संबंधित आंकड़े 30 दिसंबर 2013 से संबंधित हैं।

फैडरल रिजर्व द्वारा कमी (मात्रात्मक सुलभता में) किए जाने की घोषणा के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी तथा कर्ज बाजारों से भारी मात्रा में पूंजी का बहिर्वाह हुआ जो अगस्त तक लगभग 13 बिलियन अमरीकी डॉलर का था (बॉक्स II.6)। हालांकि, नीतिगत पहल किए जाने के बाद सितंबर में इक्विटी क्षेत्र में पूंजी प्रवाह धनात्मक हो गया तथा अमरीकी फैडरल रिजर्व द्वारा आस्तियों की खरीद वास्तव में शुरू किए जाने के समय जनवरी 2014 में थोड़ी मात्रा में बहिर्वाह को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद यह धनात्मक बना रहा जिससे इक्विटी सूचकांक को मजबूती मिली। हालांकि, कर्ज क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश का प्रवाह अस्थिर बना रहा (चार्ट II.25)।

घरेलू इक्विटी बाजार के सूचकों में सुधार हुआ, कुछ विशेष क्षेत्र के सूचकों ने व्यापक सूचकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया

II.4.13 मई-अगस्त 2013 के दौरान इक्विटी बाजार में मंदी जारी रही किंतु सितंबर 2013 से घोषित किए गए बहुत से सुधार के उपायों



बॉक्स II.6

भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कर्ज तथा इक्विटी में प्रवाह को समझना

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) से संविभाग प्रवाह (पोर्टफोलियो फ्लो) से संबंधित चिंताएं तेजी के समय में 'हॉट' मुद्रा के अंतर्वाह होने के बाद संकट के समय उसकी वापसी होने के अस्थिरताकारी प्रभाव पर केंद्रित होती हैं। इन चिंताओं के कारण विश्वभर के नीति निर्माता विदेशी संस्थागत निवेश के प्रवाह को, विशेषरूप से समष्टि आर्थिक तनाव के समय में, नियंत्रित करने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय पूंजी बाजार में 2006 से 2014 के दौरान कर्ज तथा इक्विटी क्षेत्रों में विदेशी संस्थागत निवेश के प्रवाहों के संबंध में उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) एवं रिजर्व बैंक के हाल के अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि इक्विटी एवं कर्ज में अंतर्वाह के बीच थोड़ा सहसंबंध है और समान आर्थिक प्रेरकों से परिष्कृत किए जाने पर थोड़ा सा अंतर

आने पर भी इस सहसंबंध को पहचाना जा सकता है। विनियम दर में पहले की घटबढ़ को छोड़कर इन दो क्षेत्रों में बहुत कम एकसमान सह-निर्धारक होते हैं। न तो इक्विटी और न ही कर्ज प्रवाह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

अतीत में हुए रुपया के मूल्यहास तथा अन्य उभरते बाजार प्रवाह इक्विटी प्रवाह को स्पष्ट करते हैं तथा रुपया के मूल्यहास के साथ में, ब्याज दरों एवं मीयादी सीमाओं जैसे घरेलू मौद्रिक चर कर्ज प्रवाह को निर्धारित करते हैं, साथ ही रुपया अवमूल्यन कर्ज प्रवाह को नियंत्रित करता है (चार्ट 1 एवं 2)। इम्पल्स रिस्पांस समीकरण से पता चलता है कि इक्विटी प्रवाह से संबंधित अधिकांश आर्थिक प्रभावों में 1-3 महीने के अंदर करीब-करीब चरघातांकीय तरीके (अत्यंत तीव्र गति) से कमी आती है। कर्ज बाजारों के संबंध में, घरेलू मीयादी




(जारी...)

सीमाओं पर पड़ने वाले सकारात्मक आघात एवं बांड प्रतिफलों के अतीत के परिणाम विदेशी संस्थागत निवेश में परिणत होते हैं जबकि मुद्रास्फीति एवं उभरते बाजारों में अन्य प्रवाहों में सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण विदेशी संस्थागत निवेश का बहिर्वाह होता है।

प्रवाहों में तेजी से वृद्धि के मुख्य निर्धारक शेयर बाजार के अतीत के प्रतिफल रहे, विशेषरूप से इक्विटी बाजार में वापस आने वाली राशि। कुछ चर तेज वृद्धि की व्याख्या करते हैं जबकि स्टॉक पर ऋणात्मक प्रतिफल, खजाना बिलों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिफल एवं अधिक उर्ध्वमुखी मीयादी संरचना का प्रभाव इक्विटी उत्क्रमण पर पड़ता है।

कर्ज बाजार में तेज वृद्धि पर घरेलू ब्याज दरों, मीयाद संरचना एवं आंशिकरूप से विनिमय दरों का प्रभाव पड़ता है जिससे पता चलता है कि कर्ज बाजार में अंतर्वाह के लिए घरेलू मौद्रिक चर भी महत्वपूर्ण होते हैं (अनुच्छेद II.3.4 भी देखें)। अमरीका द्वारा मात्रात्मक सुगमता को कम करने की चर्चा होने के बाद इक्विटी, विशेषरूप से कर्ज प्रवाह, में तेजी से कमी आई। इन परिणामों से पता चलता है कि अमरीकी मौद्रिक नीति के फैलने वाले प्रभाव का संचरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है तथा इसका एक रास्ता सरकारी कर्ज बाजार से होकर जाता है।

चार्ट II.25 : इक्विटी और कर्ज क्षेत्रों में निवल संस्थागत निवेश प्रवाह




* : 8 अगस्त 2014 तक
स्रोत : सेबी

पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने की घोषणा से भी बाजार का रुख निर्धारित हुआ। मई 2014 में स्थायी सरकार बनने की संभावनाओं को देखते हुए 2013-14 की दूसरी तिमाही के दौरान बंबई शेयर बाजार सूचकांक एवं राष्ट्रीय शेयर बाजार के निफ्टी में क्रमशः 20.2 प्रतिशत एवं 22.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। जनवरी 2014 की संक्षिप्त अवधि को छोड़ दिया जाए तो अमरीकी फ़ैडरल रिजर्व द्वारा आस्ति खरीद में कमी करने तथा यूक्रेन में राजनैतिक संकट उत्पन्न होने के बीच बाजार में तेजी का रुझान जारी रहा। क्षेत्रवार सूचकों में देखा जाए तो बीएसई पूंजीगत वस्तु, बीएसई आटो, बीएसई सूचना प्रौद्योगिकी, बीएसई स्वास्थ्य सेवा तथा बीएसई प्रौद्योगिकी ने 2013-14 के दौरान बेंचमार्क सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया जबकि, बीएसई 100 एवं बीएसई 500 जैसे व्यापक सूचकांकों का प्रदर्शन कमजोर रहा (चार्ट II.26)।


के बाद इसमें सुधार आना शुरू हो गया। कुछ ब्लू चिप कंपनियों की कमाई के परिणामों के उम्मीद से बेहतर होने, विदेशी संस्थागत निवेश के पुनरुज्जीवित होने एवं अमरीकी फ़ैडरल रिजर्व द्वारा प्रणाली में

II.4.14 केंद्र में स्थायी सरकार बनने एवं विभिन्न आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किए जाने, प्रमुख कंपनियों द्वारा तिमाही के दौरान अच्छी आय अर्जित करने, समष्टि आर्थिक सूचकों में सुधार होने तथा भू-राजनैतिक तनावों एवं कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने की

चार्ट II.26 : इक्विटी बाजार के रुझान



स्रोत : ब्लूमबर्ग



सूचना मिलने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीद किए जाने के कारण 2014-15 के दौरान अभी तक (13 अगस्त 2014 तक) बीएसई सूचकांक एवं एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी -दोनों में क्रमशः 15.8 तथा 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.4.15 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्वामित्व संरचना से उत्पन्न होने वाली कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी चिंताओं के कारण मार्च 2013 के अंत से बीएसई के बैंकेंक्स का निष्पादन कमजोर रहा। हालांकि, हाल की विनियामी पहल तथा सुधार के उपायों के कारण 2013-14 की

दूसरी छमाही से बैंकेंक्स का बेंचमार्क सूचकांक की तुलना में बढ़िया प्रदर्शन जारी रहा। वैश्विक संकट ने सभी देशों के तुलनपत्रों पर असर पड़ने के जोखिम को रेखांकित किया है और इससे विशेषरूप से बैंकिंग उद्योग पर ध्यान देते हुए संपूर्ण प्रणाली में स्थिरता के मुद्दों की जांच करने के लिए बेहतर विनियामी मानकों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। संकट से संकेत लेते हुए भारत सहित सभी देशों में विनियामी पूंजी बढ़ा दी गई है। फिर भी, तेजी से बदलती वैश्विक गतिविधियाँ बैंकिंग उद्योग के लिए अधिक मजबूत संस्थागत संरचना की मांग करती है (बॉक्स II.7)।

बॉक्स II.7

बैंकिंग उद्योग की संरचना - वैश्विक परिदृश्य

बैंकिंग संरचना को वृद्धिशील एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ ही वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए इसकी समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी बैंकिंग संरचना का पुनरावलोकन करने के लिए प्रेरित किया।

संकट के बाद की परिस्थितियों में वित्तीय क्षेत्र में राज्य की सहभागिता से संबंधित वाद-विवाद में हाल ही में, विश्व बैंक (2013) ने संतुलित विचार का समर्थन किया, जिसका आधार उसका स्वयं का अनुसंधान रहा है। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्यों से यह पता चलता है कि राज्य को अच्छी तरह से पूंजीकृत संस्थाओं के प्रवेश तथा दीवालिया हो चुकी संस्थाओं की निकासी किए जाने के माध्यम से विवाद को बढ़ावा देना चाहिए। संकट ने वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता को जन्म देने वाली 'अत्यधिक प्रतियोगिता' की आलोचना को हवा दिया होगा किंतु अनुसंधान से यह पता चलता है कि स्वयं प्रतियोगिता की तुलना में कमजोर

विनियामी वातावरण एवं जोखिम लेने संबंधी विकृत प्रोत्साहनों से अस्थिरता को अधिक बढ़ावा मिलता है।

अन्य आनुभविक अध्ययनों से पता चलता है कि देश में बैंकिंग संरचना बैंकिंग सेवाओं की मांग की मात्रा एवं प्रकारों की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की मांगें देश की आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर होती हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, भारत की बैंकिंग संरचना पर विभिन्न देशों के बीच तुलना, जो कुछ बैंकिंग संबंधी सूचकों पर आधारित हो, के आधार पर विचार करना महत्वपूर्ण है (सारणी 1)। इन सूचकों में आकार, समावेशिता, स्वामित्व के स्वरूप, संकेंद्रण तथा मजबूती को शामिल किया जाता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र न्यून संकेंद्रण अनुपात तथा समुचित मजबूती के सूचकों के संबंध में अनुकूल साम्यता प्रदर्शित करता है परंतु समावेशिता, कुशलता,

सारणी 1 : सभी चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग उद्योगों की संरचना की तुलना

देश	विकसित अर्थव्यवस्थाएं						उभरते बाजार तथा विकसित अर्थव्यवस्थाएं				
	डेनमार्क	फ्रांस	जर्मनी	इटली	यूके	अमरीका	ब्राजील	चीन	भारत	रूस	दक्षिण अफ्रीका
1. बैंकों की संख्या (100,000 लोगों पर)	2.2	1.1	2.3	1.3	0.5	2.1	0.1	0.02	0.01	0.7	0.1
2. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग आस्तियां	245.0	368.0	124.0	204.0	607.0	84.0	105.0	189.0	80.0	75.0	130.0
3. बैंक शाखाओं की संख्या (100,000 वयस्कों पर)	38.7	41.3	15.5	66.0	24.2	35.2	45.5	-	10.5	36.8	10.5
4. बैंकिंग आस्तियों में सरकारी क्षेत्र का प्रतिशत	1.0	2.0	32.0	0.1	26.0	0.0	44.0	-	74.0	41.0	0.1
5. बैंकिंग आस्तियों में विदेशी संस्थाओं का प्रतिशत	21.0	12.0	12.0	18.0	18.0	-	18.0	-	7.0	18.0	28.0
6. संकेंद्रण अनुपात (प्रतिशत)	81.9	62.7	78.1	63.1	57.6	35.4	62.6	50.8	28.9	31.7	77.7
7. एनआईएम (प्रतिशत)	1.1	1.0	0.8	1.4	1.5	3.6	5.0	2.9	3.1	4.0	2.8
8. ऋण/जमा अनुपात (प्रतिशत)	-	131.6	90.0	141.7	-	63.4	115.7	251.4	75.8	110.5	110.1
9. सीआरएआर (प्रतिशत)	17.2	12.3	16.4	12.7	15.7	14.7	16.3	12.7	13.1	14.7	15.1

टिप्पणी : 1. आंकड़े 2011 से संबंधित हैं।

2. संकेंद्रण अनुपात, बैंकिंग उद्योग की कुल आस्तियों में शीर्ष तीन बैंकिंग संस्थाओं के हिस्से को दर्शाता है।

3. एनआईएम - निवल ब्याज मार्जिन, सीआरएआर - जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

स्रोत : फाइनेंसियल स्ट्रक्चर डाटाबेस, विश्व बैंक; फाइनेंसियल एक्सप्रेस सर्वे, आईएमएफ; बार्थ एट अल, 2013; फाइनेंसियल साउंडनेस इंडिकेटर, आईएमएफ; बैंकस्कोप डाटाबेस।

(जारी...)

आकार एवं स्वामित्व के संबंध में काफी काम किया जाना अभी शेष है। सरकारी क्षेत्र के पास कुल बैंकिंग उद्योग के स्वामित्व का गैर-समानुपातिक हिस्सा है जिसके कारण न्यून संकेंद्रण के लाभ को घटा देता है। अल्प प्रतियोगिता को देखते हुए निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) भी उच्च स्तर पर हैं और ये दक्षता के मार्ग में बाधक बनते हैं।

इससे बैंकिंग संस्थाओं, विशेषरूप से निजी क्षेत्र में, की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता रेखांकित होती है। अगस्त 2013 में रिजर्व बैंक द्वारा 'भारत में बैंकिंग की संरचना-आगे की राह' विषय पर जारी किए गए चर्चा पत्र में लायसेंस प्रदान करने की 'रुको और चलो' की नीति के स्थान पर 'निरंतर प्राधिकृत करने' के आधार पर बैंकों को नए लायसेंस प्रदान करने का समर्थन किया गया है। हालांकि, इसमें सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रवेश के कठोर नियमों को लागू करने की बात भी कही गई है। इस चर्चा पत्र में भारत के लिए विभिन्न स्तरों वाली बैंकिंग संरचना की भी बात कही गई है जिसमें कुछ बड़े बैंक हों जो देश में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें, मध्यम आकार वाले बहुत से निश बैंक, क्षेत्र विशेष में केंद्रित शहरी सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं निजी स्वामित्व वाले स्थानीय निजी बैंक विशाल संख्या में होने चाहिए। छोटे कारोबारों तथा निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं से संबंधित समिति (अध्यक्ष : डॉ. नचिकेत मोर) ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और ऊर्ध्वाधर विभिन्नता वाली बैंकिंग संरचना की अनुशंसा की है जिसमें बैंकों को भुगतान, ऋण वितरण और खुदरा जमा स्वीकार करने के 3 में कोई एक या अधिक कार्यों में महारत होनी चाहिए। इस प्रकार से समिति ने भुगतान बैंकों एवं थोक बैंकों सहित बैंकों की नई श्रेणियों को लायसेंस प्रदान करने की अनुशंसा की है। क्षेत्र विशेष में ध्यान केंद्रित करने वाले बैंकों के समावेशन के लिए जोरदार आग्रह होने के बावजूद समिति ने यह नोट किया कि भारतीय संदर्भ में उनकी स्थिरता का प्रदर्शन कमजोर रहा होगा। समिति ने किसी भी नए बैंक के सृजन के पहले विनियमों, पर्यवेक्षण,

जोखिम प्रबंध एवं क्षेत्र विशेष में ध्यान केंद्रित करने वाले वर्तमान बैंकों के अभिशासन के प्रतिरूप मजबूत सुविधाओं (सॉल्यूशन) का विकास करने की अनुशंसा की है (बॉक्स VI.4 भी देखें)।

भारत की बैंकिंग संरचना के पुनर्विन्यास करने के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ने बहुत बड़ा काम किया जो 2 आवेदनकर्ताओं, नामतः आईडीएफसी लिमिटेड तथा बंधन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लायसेंस प्रदान करने के संबंध में 22 फरवरी 2013 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत बैंक स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान करने की अनुमति के रूप में परिणत हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्चस्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलएसी) (अध्यक्ष : डॉ. विमल जालान) ने भी इन 2 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने के लिए पात्र होने की अनुशंसा की थी। रिजर्व बैंक ने उच्चस्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलएसी) की यह अनुशंसा भी स्वीकार कर ली है कि डाक विभाग के आवेदन पर, भारत सरकार से विचार-विमर्श करते हुए, अलग से विचार किया जा सकता है। आगे चलकर, अधिक नियमितरूप से अर्थात् लगभग 'मांग के अनुसार' लायसेंस प्रदान किए जाएंगे।

संदर्भ :

बर्थ, जैम्स आर., गेरार्ड केप्रिआ, जेआर, रॉस लेवाइन (2013), '1999 से 2011 तक 180 देशों में बैंक विनियम तथा पर्यवेक्षण।'

भारतीय रिजर्व बैंक (2013), 'भारत में बैंकिंग की संरचना-आगे की राह' विषय पर चर्चा पत्र।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), 'छोटे कारोबारों तथा निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं से संबंधित समिति'।

विश्व बैंक (2013), 'वित्त में राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार', वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट।

2013-14 में बाजार कमजोर रहा किंतु आगे इसमें सुधार हो सकता है

II.4.16 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) क्षेत्र में 2013-14 के दौरान सिर्फ जस्ट डायल का ही एक बड़ा प्रस्ताव आया। प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने में निवेश संबंधी गतिविधियों के कमजोर होने तथा द्वितीयक बाजार में अधिक अस्थिरता होने के कारण मंदी बनी रही। अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कमी आई। निवेश संबंधी गतिविधियों के कमजोर होने, राजकोषीय घाटे के अधिक होने तथा द्वितीयक बाजार में अधिक अनिश्चितता के कारण तेजी से कमी आई। अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कमी आई। हालांकि, 2013-14 के दौरान मुख्यरूप से सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा कर-मुक्त बांडों के माध्यम से संसाधन

जुटाने के कारण कर्ज का सार्वजनिक निर्गमन 150 प्रतिशत बढ़कर ₹424 बिलियन के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया (सारणी II.9, परिशिष्ट सारणी 4)। इसके अलावा, द्वितीयक बाजार के पहले से खिले होने के कारण 2014-15 में प्राथमिक इक्विटी बाजार में सुधार की संभावना है। प्राथमिक बाजार को पुनरुज्जीवित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 25 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी सहित आईपीओ एवं बिक्री-प्रस्ताव से संबंधित बहुत से उपायों की घोषणा की तथा स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) एवं आधारभूत संरचना निवेश न्यासों के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किया।

आवास मूल्यों में धीमी गति से वृद्धि हुई

II.4.17 रिजर्व बैंक के आवास मूल्य सूचकांक में दर्शाया गया है कि आवास मूल्यों में पिछले 3 वर्षों में औसतन 20 प्रतिशत (वर्ष-दर-

सारणी II.7: पूंजी बाजार के प्राथमिक जुटाव में थोड़ा सुधार हुआ


(₹ बिलियन)

श्रेणी	2012-13	2013-14	2013-14*	2014-15*
1	2	3	4	5
ए. सरकारी निर्गम (i)+ (ii)	219.2	510.8	10.8	15.9
i) सरकारी निर्गम (इक्विटी)	49.4	86.9	9.4	2.4
जिसमें से				
आईपीओ	49.4	12.4	9.4	2.4
एफपीओ	0.0	74.6	0.0	0.0
ii) सरकारी निर्गम (कर्ज)	169.8	423.8	1.3	13.4
बी. अधिकार निर्गम	89.4	45.76	4.2	7.3
इक्विटी का कुल निर्गम (i+बी)	138.8	132.7	13.6	9.7
सी. एडीआर/जीडीआर	10.4	1.2	1.2	0.0
डी. म्यूचुअल फंड का जमाव	765.4	537.8	956.1	863.7
1. निजी क्षेत्र	637.9	488.4	773.8	780.0
2. सरकारी क्षेत्र	127.5	49.4	182.3	83.7
ई. कॉर्पोरेट कर्ज बाजार में प्राइवेट प्लेसमेंट	3,614.6	2,760.5	509.7	1,107.8
एफ. क्यूआईपी	160.0	136.6	42.9	71.6

* अप्रैल-जून
स्रोत : सेबी

वर्ष) से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि, 2013-14 में आवास दर की वृद्धि में कमी आई और अखिल भारतीय सूचकांक में 12.6 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि हुई है जिससे मांग में कमी के कारण रुझानों में सुधार होने का पता चलता है (चार्ट II.27)।

चार्ट II.27: आवास मूल्य सूचकांक में घटबढ़



टिप्पणी : अखिल भारतीय सूचकांक शहरी सूचकांकों का भारित औसत है, भार जनसंख्या अनुपात पर आधारित है। आधार वर्ष 2010-11=100.


II.5 सरकारी वित्त

2013-14 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जारी रहा, जो मुख्य घाटा संकेतकों में हुए सुधार को दर्शाता है

II.5.1 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्थिरता बनाने रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहरे घाटे के जोखिम जो 2012-13 की पहली छमाही के दौरान बहुत अधिक रहा था, को 2012-13 की दूसरी छमाही से राजकोषीय अंतराल में कमी करके नियंत्रण में लाया गया। अधिक चालू खाते घाटे में उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव-विस्तार की पहचान करना केंद्र सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोत्साहन था ताकि 2013-14 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया को जारी रखा जा सके, यद्यपि यह कुल मांग प्रबंधन और इसके मुद्रास्फीतिकारी निहितार्थ के दृष्टिकोण से भी जरूरी था। 2013-14 में मुख्य घाटा संकेतकों पर नियंत्रण से प्राप्त लाभ के बारे में अनंतिम लेखे (पीए) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है (चार्ट II.28)। जीडीपी के अनुपात के संबंध में, राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा क्रमशः कम अर्थात् 3.2 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत रहा।

राजकोषीय लेखांकन में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही

चार्ट II.28 : घाटा संकेतक - परिणाम की तुलना में बटज अनुमान



II.5.2 घाटे से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बावजूद राजकोषीय लेखांकन में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही। 2013-14 में बजट अनुमान (बीई) की तुलना में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को मुख्यतः पूंजीगत व्यय और योजनागत राजस्व व्यय में कमी करके प्राप्त किया गया जिससे कर राजस्व और विनिवेश आय में बहुत अधिक कमी करनी पड़ी। 2013-14 में सकल कर राजस्व में प्रस्तावित स्तर से 7.9 प्रतिशत की कमी आयी जिसका मुख्य कारण अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी का होना था जो उद्योग में गिरावट, सेवा क्षेत्र वृद्धि में कमी और कम निर्यात से प्रभावित हुआ था। गैर कर राजस्व प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक रहा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों की तदर्थ लाभांश प्राप्तियों¹ का एक बड़ा भाग शामिल था (सारणी II.8)।

II.5.3 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय बजट-निर्धारित स्तर से 2013-14 में कम रहा। 2013-14 के दौरान गैर-रक्षा पूंजीगत परिव्यय वर्ष के लिए

प्रस्तावित 1.1 प्रतिशत की तुलना में कम अर्थात् जीडीपी का 0.8 प्रतिशत रहा। पूंजीगत व्यय में की गई काटौती से मध्यावधि में वृद्धि संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

II.5.4 अदत्त आर्थिक सहायता राशि के जरिए व्यय में की गई काटौती से भी 2013-14 में घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग मिला। इस प्रकार का चलन व्यय संबंधी बोझ को बाद वर्षों में स्थानांतरित करता है जिसके चलते बाद में राजकोषीय असंतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए, राजकोषीय लेखांकन और पारदर्शिता में सुधार करने की जरूरत है।

व्यय में काटौती और राजस्व में बढ़ोतरी दोनों के जरिए आगे मध्यावधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है

II.5.5 हाल में हुई वृद्धि के बावजूद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े उपाय करने की जरूरत है। आर्थिक सहयोग राशि में काटौती और सरकारी निवेश में बढ़ोतरी के जरिए व्यय रिवॉरिंटेशन की गुंजाइश बनती है। 2013-14 में कुल गैर-योजनागत व्यय में आर्थिक सहयोग राशि का हिस्सा लगभग 23 प्रतिशत रहा। आर्थिक सहयोग राशि को नियंत्रण में लाने के लिए पिछले 2 वर्षों में हुई कुछ प्रगति के बावजूद व्यय में काटौती आर्थिक सहयोग राशि में कमी करके, घरेलू एलपीजी और ऊर्वरक की कीमतों में नियमित संशोधन करके और व्याज वित्तीय सहायता को सीमित करके की जा सकती है। बचे हुए व्यय को सामाजिक और आर्थिक सेवाओं और मानव और भौतिक पूंजी के लिए आरक्षित व्यय के रूप में रखना जरूरी है (सारणी II.9)।

II.5.6 यह देखते हुए मात्र व्यय को कम करने से संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है बल्कि एक सीमा के बाद यह वृद्धि की संभावनाओं में बाधा पैदा कर सकती है, आगामी वर्षों में राजकोषीय कार्यनीति में राजस्व बढ़ाने पर अत्यधिक जोर देना होगा। राजकोषीय प्रोत्साहन की क्रमिक वापसी के बावजूद भी जीडीपी की तुलना में केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। व्यक्तिगत आयकर एवं सेवाकर को छोड़कर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख कर संकट-पूर्व 2007-2008 के स्तर की तुलना में 2013-14 में काफी कम

सारणी II.8: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्य-निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

चर	2004-08 (औसत)	2007-08	2008-10 (औसत)	2010-2014 (औसत)	2013-14 (पीए)
1	2	3	4	5	6
गैर ऋण प्राप्ति	10.4	11.1	9.5	9.5	9.3
कर राजस्व	7.8	8.8	7.5	7.2	7.2
गैर-कर राजस्व	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
कुल व्यय	13.8	13.6	15.8	14.4	13.8
राजस्व व्यय	11.9	11.9	14.1	12.7	12.1
पूंजीगत व्यय	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7
सकल राजकोषीय घाटा	3.4	2.5	6.2	5.0	4.5
समायोजित जीएफडी*	3.9	3.1	7.2	5.0	4.5

*: सहयोगी संस्थाओं के बदले जारी किए गए बांडों के लिए समायोजित जीएफडी

टिप्पणी : कुल व्यय, पूंजीगत व्यय और गैर-ऋण पूंजीगत और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को 2004-05 में एनएसएसएफ के पूर्व भुगतान और 2007-08 में सरकार को एसबीआई के रिजर्व बैंक के अंतरण से संबंधित लेनदेनों के लिए समाजित किया गया है।

सारणी II.9: केंद्र सरकार की व्यय संबंधी चुनिंदा मदें

(जीडीपी का प्रतिशत)

घटक	2004-08 (औसत)	2007-08	2008-10 (औसत)	2010-14 (औसत)	2013-14 (आरई)
1	2	3	4	5	6
प्रतिबद्ध व्यय #	4.7	4.4	4.9	4.4	4.6
रक्षा	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8
आर्थिक सहायता (सब्सिडी) @	1.9	2.0	3.2	2.4	2.3
राज्यों को गैर-योजनागत अनुदान राशि	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
भौतिक और मानव पूंजी का व्यय*	2.0	2.6	2.9	2.2	2.0
जिसमें से :					
भौतिक पूंजी	1.2	1.2	1.9	1.4	1.2
मानव पूंजी	0.8	1.4	1.0	0.8	0.8

#: ब्याज भुगतान, पेंशन और वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय को दर्शाता है।

@: सब्सिडी के बदले में बॉण्ड शामिल है।

*: पूंजीगत लागत, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर किए गए व्यय को दर्शाता है।

रहा (सारणी II.10)। अतः कर-सुधार, कराधार में विस्तार एवं बेहतर कर प्रशासन के माध्यम से सकल कर-जीडीपी अनुपात में सुधार किया जाना अत्यावश्यक है ताकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में आगे और प्रगति की जा सके। विनिवेश, जो उभरते बाजार की स्थितियों एवं प्रकृतिक संसाधनों के उचित मूल्य को ध्यान में

सारणी II.10: केंद्र सरकार द्वारा जुटाया गया सकल कर राजस्व

(जीडीपी का प्रतिशत)

घटक	2004-08 (औसत)	2007-08	2008-10 (औसत)	2010-14 (औसत)	2013-14 (पीए)
1	2	3	4	5	6
सकल कर राजस्व	10.6	11.9	10.2	10.1	10.0
निगम कर	3.1	3.9	3.8	3.6	3.5
आय कर	1.7	2.1	1.9	1.9	2.1
सीमा शुल्क	1.9	2.1	1.5	1.6	1.5
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2.8	2.5	1.8	1.7	1.5
सेवा कर	0.7	1.0	1.0	1.2	1.4

रखता है, के लिए एक अत्यधिक प्रभावशाली रणनीति से सरकार के संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राजकोषीय अंतर को कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 कर राजस्व की अधिक प्राप्तियों और उच्च विनिवेश पर निर्भर करता है

II.5.7 2014-15 के केंद्रीय बजट में यह उल्लेख किया गया है कि जीडीपी से संबंधित मुख्य घाटा संकेतकों में और कमी होगी, क्योंकि जीडीपी अनुपात की तुलना में गैर ऋण प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि जीडीपी की अपेक्षा कुल व्यय अनुपात में होने वाली मामूली वृद्धि को पूरा करने से भी अधिक होगी। 2014-15 के दौरान समग्र कर राजस्व² में 19.8 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के साथ बजट में जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल कर राजस्व 0.6 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 10.6 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। 2014-15 के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 84.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि बजट में विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय में तीव्र वृद्धि का प्रावधान किया गया है।


सब्सिडी पर नियंत्रण के जरिए 2014-15 में गैर-योजना व्यय में कमी होगी; बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है

II.5.8 2014-15 के दौरान बजट में कुल व्यय में 14.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। 2014-15 के दौरान जीडीपी अनुपात की तुलना में गैर-योजनागत व्यय में मुख्यतः सब्सिडी पर नियंत्रण के जरिए बजट में 0.3 प्रतिशत अंकों की कमी करके 9.5 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। अन्य प्रमुख गैर-योजनागत व्यय मदों में, जहां 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान में वृद्धि दर एवं राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान में तीव्र गिरावट आने की आशा है, वहीं रक्षा व्यय वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। यद्यपि बजट में, गैर-योजनागत व्यय की तुलना में योजनागत व्यय में तीव्र बढ़ोतरी करने का प्रावधान किया गया है, फिर भी यह कुल व्यय³ के एक-तिहाई से भी कम रहेगा।


² 2014-15(बीई) के सभी मिलान 2013-14 के अनंतिम लेखों से संबंधित हैं।

³ 2012-13 और 2013-14 के वास्तविक योजनागत व्यय बजट में निर्धारित स्तर से क्रमशः 20.6 प्रतिशत एवं 18.4 प्रतिशत तक कम थे।

चार्ट II.29: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट II.30 : राज्य सरकारों के मुख्य घाटा संकेतक



II.5.9 2014-15 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में बजट में 1.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है जो कि 2010-2011 की 2.0 प्रतिशत बढ़ोतरी से अभी भी कम है (चार्ट II.29)।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के द्वितीय चरण में राज्यों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा

II.5.10 तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के समान राज्यों द्वारा अपने एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करने के परिणामस्वरूप 2010-2011 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण शुरू किया (चार्ट II.30)। स्वयं के कर राजस्व और केंद्र से प्राप्त चालू अंतरणों में हुई बढ़ोतरी के कारण 2010-2013 के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यतः राजस्व-प्रेरित रहा जिसमें से दूसरा, अर्थात् केंद्र से प्राप्त चालू अंतरल वृद्धि को दर्शाता है जिसकी सिफारिश एफसी-XII ने की थी, जीडीपी की तुलना में सकल व्यय अनुपात 2004-08 की अवधि की वृद्धि से अधिक रहा जिसका मुख्य कारण गतिविधि व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र के व्यय, में हुई तीव्र बढ़ोतरी का होना है।

2013-14 में राज्य सरकारों के वित्तपोषण में कुछ कमी देखी गई, जबकि 2014-15 में इसमें सुधार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है

II.5.11 राज्य सरकारों⁴ की समेकित राजकोषीय स्थिति यह दर्शाती है कि जीडीपी की तुलना में जीडीएफ अनुपात 2012-13 के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (आरई) में 2.4 प्रतिशत हो गया, इसका मुख्य कारण कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी का होना था जो कि राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि की भरपाई करने से अधिक थी। वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष 2012-2013 के जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के अधिशेष की तुलना में नगण्य था। 2013-14 (आरई) के बजट अनुमान के विपरीत जीडीपी की तुलना में पूंजीगत परिव्यय अनुपात में मामूली कमी आयी किंतु यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत अंक अधिक था।

II.5.12 2014-15 के बजट अनुमान (बीई) में जीडीपी की तुलना में जीएफडी अनुपात में 2013-14 (आरई) की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंकों की कमी दर्शायी गई है, इसका मुख्य कारण केंद्र से प्राप्त चालू अंतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व में हुई वृद्धि का होना है। व्यय के स्वरूप से स्पष्ट है कि 2014-15 (बीई) के

⁴ 2014-15 के लिए 26 राज्यों के बजट दस्तावेजों पर आधारित जिनमें से 5 दस्तावेज लेखा अनुदान से संबंधित हैं।


दौरान जीडीपी की तुलना में वचनबद्ध व्यय का अनुपात (जिसमें ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक सेवा एवं पेंशन शामिल हैं) मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहेगा, जबकि बजट में जीडीपी की तुलना में समग्र व्यय के अनुपात में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है।

2013-14 में संयुक्त राजकोषीय घाटे में कमी आई

II.5.13 केंद्र एवं राज्यों के संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे को 2013-14 (आरई) में अधिक अर्थात् जीडीपी का 7.0 प्रतिशत रखा गया है जबकि 2012-13 में यह 6.8 प्रतिशत रखा गया था। 2013-14 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में 0.2 प्रतिशत अंक की हुई कमी राज्यों के राजकोषीय घाटे में हुई 0.5 प्रतिशत अंकों की तीव्र बढ़ोतरी की भरपाई करने से भी अधिक थी। तथापि, 2014-15 (बीई) में संयुक्त राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए प्रावधान किया गया है जो केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर की गई राजकोषीय सुदृढीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। 2014-15 (बीई) में संयुक्त राजकोषीय घाटे को कम अर्थात् जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रखा गया है (अनुबंध सारणी 6)। इस लक्ष्य का पालन करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऋण निर्गम के जरिए वित्तपोषित उच्च राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण संचयन का अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 2013-14 में भारत के बाह्य क्षेत्र में भारी सुधार हुआ। 2012-13 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 4.7 प्रतिशत की ऐतिहासिक वार्षिक वृद्धि दर्ज कर 2013-14 में तेजी से गिरा जिसके साथ-साथ व्यापार संबंधी घाटा भी घटा। निर्यात में हुई साधारण वृद्धि तथा आयात, खासकर सोने के आयात में भारी गिरावट से भारत के व्यापार शेष में सुधार हुआ। व्यापार शेष में गिरावट के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में निर्यात में भारी वृद्धि और धन प्रवाहों में स्थिरता की बदौलत चालू खाता घाटा 2013-14 में घटकर जीडीपी का 1.7 प्रतिशत हुआ (चार्ट II.31, परिशिष्ट सारणी 1)। नीति निर्माताओं के विभिन्न अग्रसक्रिय नीतिगत उपायों की वजह से बाह्य क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता को दूर किया जा सका तथा चालू खाता घाटा को सीमित दायरे के अंतर्गत लाया जा सका।



कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में कमी आने के बावजूद निर्यात में थोड़ा सुधार हुआ

II.6.2 रुपये के मूल्यहास का प्रभाव देरी से पड़ने तथा कतिपय व्यापार सहभागी अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार होने के कारण भारत के निर्यात में जुलाई 2013 में सुधार होने लगा। फिर भी, निर्यात में जो सुधार हुआ वह फरवरी-मार्च 2014 में थम गया जो फिर से 2014-15 की पहली तिमाही में सुधरा। निर्यात में सऊदी अरब, ईरान, चीन, अमरीका, ईयू देशों तथा जापान से हुई मांग में भारी वृद्धि के कारण काफी लाभ हुआ (सारणी II.11)। यद्यपि, अधिकांश क्षेत्रों में निर्यात संबंधी मांग में वृद्धि हुई, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्यात संबंधी मांग में सोना और चांदी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट तथा यूईई जैसी चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की मांग में कमी आने के कारण गिरावट देखी गई। वास्तव में, अमरीका, हांग कांग तथा बेल्जियम जैसे प्रमुख गंतव्य-स्थानों की रत्न और आभूषण संबंधी मांग में भारी वृद्धि हुई, लेकिन यूईई को किए गए निर्यात में तेजी से गिरावट आने के कारण इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार, 2013-14 के प्रथम तीन तिमाहियों में सकल रिफाइनरी मार्जिन में मोटे तौर पर कमी आने के कारण भारत द्वारा सिंगापूर, यूईई तथा नीदरलैंड को किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में काफी कमी आई।

सारणी II.11: 2013-14 में निर्यात वृद्धि के प्रमुख गंतव्य-स्थान

देश	निर्यात (बिलियन अमरीकी डॉलर)		निर्यात वृद्धि में योगदान (%)		प्रमुख वस्तुएं
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6
अमरीका	36.2	39.1	-25.6	24.3	रत्न एवं आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद और समुद्री उत्पाद
साउदी अरब	9.8	12.2	-73.8	19.8	पेट्रोलियम उत्पाद, चावल और परिवहन उपकरण
ईरान	3.4	4.9	-17.1	12.8	बासमती चावल, ऑयल मील एवं प्राथमिक और अर्ध-तैयार लोहा और इस्पात
चीन	13.6	15.0	85.1	11.9	सूती कपड़े, पेट्रोलियम उत्पाद तथा परिवहन उपकरण
ईयू	50.4	51.7	38.4	10.5	रत्न एवं आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद और तैयार वस्त्र
तंजानिया	2.2	3.5	-9.9	10.6	पेट्रोलियम उत्पाद

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

आयात में मोटे तौर पर देशी आर्थिक मंदी तथा नीति संबंधी उपायों के कारण कमी आई

II.6.3 2013-14 में आयात में काफी गिरावट आई जो देशी आर्थिक मंदी, नीतिगत उपाय तथा प्रमुख आयात संबंधी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के प्रभाव को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न नीतिगत उपायों तथा अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण 2013-14 में सोने के आयात को काबू में किया गया। 2013 में प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी कमी आने के कारण उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी कमी आई जिसके कारण भारत के उर्वरक संबंधी आयात बिल की राशि कम हुई। भारत की लोहा और इस्पात संबंधी मांग में रुपये के अवमूल्यन तथा देशी आपूर्ति में सुधार के कारण कमी आई। संभवतः देशी आर्थिक गतिविधियों में मंदी तथा विभिन्न बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण पूंजीगत वस्तुओं की आयात संबंधी मांग में कमी आई होगी (सारणी II.12)। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भू-राजनीतिक हस्तक्षेपों तथा आपूर्ति पक्ष में पैदावर व्यवधान (लिबिया और नाइजीरिया) और मांग पक्ष में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि संबंधी बदलती संभावनाओं के कारण उतार-चढ़ाव आने के बावजूद कच्चे तेल की औसत (भारतीय बेंकेट) कीमत में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई जिसकी वजह से 2013-14 में भारत का तेल आयात बिल अपेक्षाकृत कम रहा।

निम्नतर चालू खाता घाटा लेकिन कोई संतोष नहीं क्योंकि जोखिम फिर से उमड़ सकता है

II.6.4 निर्यात में हाल में हुआ सुधार तथा एफआईआई प्रवाहों में हुई वृद्धि 2014-15 में भारत के संपूर्ण भुगतान संतुलन के लिए लाभदायक रही। 2014-15 की पहली तिमाही के अनंतिम

अनुमान के अनुसार भारत की सेवाओं का शुद्ध निर्यात करीब-करीब 2013-14 की पहली तिमाही के स्तर पर स्थिर रहा। तथापि, चालू खाता घाटा के बढ़ने के जोखिम, जिसमें 2013-14 में भारी गिरावट आई, को नकारा नहीं जा सकता। भारत के भुगतान संतुलन में जोखिम की संभावना देशी एवं वैश्विक दोनों कारणों से पैदा हो सकती है। पहला, जब देशी अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ आर्थिक मंदी घटने लगता है तब निवेश चक्र में वृद्धि के लिए गैर-तेल गैर-स्वर्ण के अत्यधिक आयात की जरूरत पड़ेगी जो पहले से ही मई 2014 से होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, स्वर्ण के आयातों के संबंध में मानदंडों में तेजी से सहजता बरतने से 2014-15 में चालू खाता घाटा बढ़ सकती है। वास्तव में, स्वर्ण के आयात में 11 महीनों के अंतराल के बाद जून 2014 में सकारात्मक वृद्धि हुई। तीसरा, आपूर्ति पक्ष में क्रमिक सहजता की वजह से कच्चा तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत कम

सारणी II.12: आयात में क्षेत्र-वार गिरावट

Sector	आयात (बिलियन अमरीकी डॉलर)		आयात गिरावट में क्षेत्रों का हिस्सा (%)
	2012-13	2013-14	
1	2	3	4
सोना और चांदी	55.7	32.1	58.0
खाद्य तेल	11.2	9.3	4.7
उर्वरक	9.1	6.5	6.3
लोहा और इस्पात	11.0	7.9	7.5
मशीनरी	27.6	23.6	9.8
परिवहन उपकरण	17.2	15.0	5.4
प्रांजेक्ट माल	6.6	4.5	5.0
कुल आयात	490.7	450.1	

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

रहने की जो संभावनाएं पहले जताई जा रही थीं, वह भू-राजनीतिक जोखिमों के उमड़ने, खासकर ईराक में और युक्रेन के साथ रूस की वर्तमान मुठ-भेड़, के कारण तेल की कीमत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है और इस प्रकार उसका भारत के तेल आयात बिल पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण भारत का चालू खाता घाटा संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। चौथा, 2013-14 में वैश्विक मांग में भारी वृद्धि तथा रुपया विनिमय दर में समायोजन की बदौलत निर्यात में थोड़ा सुधार होने के बावजूद, वैश्विक वृद्धि संभावना के संबंध में अनिश्चितता के कारण डाउनसाइड जोखिम बना रहता है। अंततः, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, कच्चा लोहा और कोयला जैसे कतिपय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना व्यापार शेष को बेहतर करने की दृष्टि से जरूरी है।

शुद्ध एफआईआई प्रवाह दिसंबर 2013 से सकारात्मक हुईं

II.6.5 हाल के वर्षों में प्रगतिशील देशों की मात्रात्मक सहजता (क्यूई) की बदौलत भारत में विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाहों में काफी वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से उच्चतर वृद्धि एवं ब्याज दर विभेदकों को दर्शाती है। मई 2013 में अमरीका के फेडरल रिजर्व द्वारा क्यूई कम किए जाने का संकेत मिलने के परिणामस्वरूप ऋण खंडों से होने वाले शुद्ध एफआईआई प्रवाहों में जून से नवंबर 2013 के दौरान कमी आई। तथापि, क्यूई कम किए जाने के संबंध में दिसंबर 2013 में की गई वास्तविक घोषणा के बाद एफआईआई प्रवाह मोटे तौर पर बरकरार रहा। यह अनिवार्य रूप से भारत के बाह्य क्षेत्र में पर्याप्त सुधार के साथ-साथ चालू खाता घाटा का काबू स्तर से नीचे रहने, रिजर्व बैंक के विशेष स्वैप योजना के कारण विदेशी मुद्रा रिजर्व में इजाफा (सितंबर-नवंबर 2013 के दौरान) एवं रुपया विनिमय दर में स्थिरता को दर्शाता है। साथ ही, एक सुदृढ़ केन्द्र सरकार के बनने की आस में नीति के संबंध में बेहतर माहौल पनपने की बढ़ती संभावनाओं के कारण भी विदेशी निवेशकों के विश्वास में इजाफा हुआ होगा। फिर भी, यदि देशी सिद्धांतों में कोई सुधार नहीं होता है एवं/या बाह्य क्षेत्र संबंधी जोखिम फिर से उमड़ पड़ता है तो अमरीका में मौद्रिक नीति के और सख्त होने की उम्मीद से एफआईआई प्रवाहों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है।

अल्प-कालिक बीओपी दबावों से निपटने के लिए ब्रिक्स-सीआरए से मदद

II.6.6 15 जुलाई, 2014 को ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका ने ब्राजील के फोर्टलिजा शहर में अंतरराष्ट्रीय

समझौता करते हुए ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना की। सीआरए को ब्रिक्स नेताओं द्वारा जून 2012 में मेक्सिको के लॉस केबॉस शहर में आयोजित जी-20 सम्मेलन के मौके पर आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। सीआरए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल का पूरक है एवं इसको सहारा देता है। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल में देशों के निजी अंतरराष्ट्रीय रिजर्व के अतिरिक्त आईएमएफ, क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था तथा केन्द्रीय बैंकों के बीच द्विपक्षीय अदला-बदली व्यवस्था शामिल हैं। सीआरए के अंतर्गत प्रारंभिक स्रोत की कुल राशि 100 बिलियन अमरीकी डॉलर निर्धारित की गई है। सीआरए तभी प्रभावी होगी जब इसे लागू करने के संबंध में आवश्यक समस्त न्यायिक कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। सीआरए चलनिधि एवं ऐहतियात लिखतों के जरिए सहयोग प्रदान करेगी।

2013-14 में भारत के बाह्य ऋण में इजाफा, लेकिन कोई तात्कालिक चुनौती नहीं

II.6.7 मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में पिछले एक वर्ष में 31.2 बिलियन अमरीकी डॉलर इजाफा हुआ जो मुख्य रूप से रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए एफसीएनआर(बी) तथा विदेशी उधार जुटाने के लिए लागू की गई विशेष स्वैप योजना की बदौलत था। स्वैप योजना के अंतर्गत उधार लेने के साथ-साथ चालू खाता घाटा में गिरावट और इक्विटी प्रवाहों के बढ़ने से विदेशी मुद्रा रिजर्व में इजाफा होने लगा (परिशिष्ट सारणी 2)। ऋण को बढ़ाने वाले प्रवाहों के प्रति अति निर्भरता की वजह से भारत का बाह्य ऋण एवं निवल बाह्य देयता हाल के वर्षों में बढ़ा (सारणी II.13 और चार्ट II.32)। तथापि, 2013-14 के दौरान वृद्धिशील बाह्य ऋण का मुख्य रूप से दीर्घ-कालिक होने के कारण यह भारत की बाह्य संवेदनशीलता के लिए कोई तात्कालिक चिंता का विषय नहीं बना। इसके अतिरिक्त 2013-14 के उत्तरार्ध में विदेशी मुद्रा रिजर्व में इजाफा होने के साथ अधिकांश बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतकों में सुधार हुआ।

रुपया वास्तव में आधार वर्ष के स्तर से ऊपर रहा

II.6.8 अमरीका के फेडरल रिजर्व द्वारा क्यूई को कम किये जाने का संकेत एवं उच्चतर चालू खाता घाटा संबंधी बढ़ती चिंताओं का एक ही समय में होने के कारण रुपये का जून से अगस्त 2013 के दौरान तेजी से मूल्यहास हुआ। रिजर्व बैंक और सरकार दोनों की


सारणी II.13: बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2011 के अंत में	मार्च 2012 के अंत में	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2014 के अंत में
1	2	3	4	5
1. जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण*	18.2	20.5	22.0	23.3
2. कुल ऋण की तुलना में अल्प-कालिक ऋण का अनुपात (वास्तविक परिपक्वता)	20.4	21.7	23.6	20.3
3. कुल ऋण की तुलना में अल्प-कालिक ऋण का अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता)#	40.6	40.9	42.1	39.6
4. कुल ऋण की तुलना में रियायती ऋण का अनुपात	14.9	13.3	11.1	10.5
5. कुल ऋण की तुलना में रिजर्व का अनुपात	95.9	81.6	71.3	69.0
6. रिजर्व की तुलना में अल्प-कालिक ऋण का अनुपात	21.3	26.6	33.1	29.3
7. रिजर्व की तुलना में अल्प-कालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात#	42.3	50.1	59.0	57.4
8. आयात संबंधी रिजर्व प्रावधान (माहों में)	9.5	7.1	7.0	7.8
9. ऋण सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋण की चुकौती)	4.4	6.0	5.9	5.9
10. बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)	317.9	360.8	409.4	440.6
11. अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-207.0	-264.7	-326.7	-331.6
12. आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-11.9	-14.8	-17.6	-17.6
13. सीएडी/जीडीपी अनुपात	2.8	4.2	4.7	1.7

#: आरबीआई का अनुमान

चार्ट II.33: चालू खाता घाटा के वित्तपोषण का स्वरूप



तत्पश्चात् की नीति संबंधी कार्रवाईयों की बदौलत रुपये में संतुलन आया। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर से भी रुपये के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि के बारे में पता चलता है क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति उसके व्यापारिक देशों की तुलना में अत्यधिक रही (बॉक्स II.8)। रुपया, 6 और 36 मुद्रा समूहों के संदर्भ में, 2004-05 के आधार स्तर से ऊपर रहा (चार्ट II.33)।

बॉक्स II.8

सीपीआई-आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) से प्राप्त जानकारी

भारत का जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध है उन देशों के साथ भारत की बाह्य प्रतियोगितात्मकता को बेहतर तरीके से आंकने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में सीपीआई आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) लागू किया। रीर देश के व्यापारिक भागीदारी समूहों की तुलना में देश की मुद्रा के वास्तविक मूल्य को आंकने का सारांश सूचक है। रीर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान दोनों तथा मुद्रा के संतुलन मूल्य, बाह्य प्रतियोगितात्मकता में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के अनुसार व्यापार के प्रवाहों के रुख और व्यापारगत तथा गैर-व्यापारगत क्षेत्रों में उत्पादन आबंटन हेतु प्रोत्साहन को आंकने के लिए नीतिगत विश्लेषण में अक्सर उपयोग किए जाने वाली परिवर्ती है। साहित्य में, वास्तविक विनिमय दरों के कई वैकल्पिक उपाय हैं। संगत कीमतों की गणना करने के लिए उपभोक्ता कीमतों, निर्माता कीमतों, जीडीपी अपस्फीतिकारक तथा इकाई श्रमिक लागतों पर आधारित सूचकांकों का उपयोग अक्सर किया जाता है। संगत कीमतों के प्रत्येक इन उपायों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं।

अब तक, भारत के लिए प्रतिनिधि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) न होने के कारण, रिजर्व बैंक भागीदारी देशों के थोकमूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का उपयोग करते हुए रीर सूचकांक (6 और 36 मुद्राएं) उपलब्ध कराता था। फिर भी, अखिल भारतीय सीपीआई सूचकांक उपलब्ध होने के साथ, रिजर्व बैंक भारत के लिए इस नए सीपीआई (संयुक्त) का उपयोग करते हुए रीर संबंधी आंकड़ों की गणना तथा प्रकाशन करने लगा। देशी मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सीपीआई आधारित वैकल्पिक सूचकांक के रूप में रीर का होना अत्यावश्यक है।

सीपीआई आधारित रीर सूचकांक (व्यापार और निर्यात भार दोनों) तैयार करने के लिए उपयोग की गई पद्धति की चर्चा आरबीआई में की गई है (2014)।


(जारी...)

रुपये के सामान्य मूल्य में गिरावट आने का साथ, सीपीआई आधारित रीर में भी 2011-12 से मूल्यहास देखा गया (सारणी 1 और चार्ट 1)। फिर भी, व्यापारिक भागीदारी देशों के संबंध में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति विभेदकों का सतत रूप से अधिक होने के कारण रुपये का रीर अभी भी आधार वर्ष के स्तर से अधिक है। साथ ही, 6 मुद्रा समूह पर आधारित रीर 36 मुद्रा समूह पर आधारित रीर से अधिक है। यह प्रमुख रूप से सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति

सारणी 1: सीपीआई आधारित रीर (व्यापार भार के अनुसार)

	सीपीआई-36 मुद्रा समूह	सीपीआई-6 मुद्रा समूह	रु. प्रति अमरीकी डॉलर	सीपीआई मुद्रास्फीति (%)
1	2	3	4	5
2004-05	100.0	100.0	44.9	4.0
2005-06	102.4	104.4	44.3	3.7
2006-07	100.8	103.8	45.3	6.8
2007-08	109.2	113.4	40.2	5.9
2008-09	99.7	103.9	45.9	9.2
2009-10	103.9	110.7	47.4	10.6
2010-11	112.7	124.5	45.6	9.5
2011-12	110.3	121.2	47.9	9.5
2012-13	105.6	117.1	54.4	10.2
2013-14	103.3	112.4	60.5	9.5
2014-15ति1	106.1	116.2	59.8	8.1

चार्ट 1: सीपीआई आधारित रीर सूचकांक में रुझान (व्यापार भार के अनुसार): आधार 2004-05=100




विभेदक का, बाद की अर्थव्यवस्था समूहों (36 मुद्रा समूह) की अपेक्षा पहले की अर्थव्यवस्था समूहों (6 मुद्रा समूहों में मुख्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाएं) से अधिक होना था जिसमें उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

संदर्भ :

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (2014), 'रियल इफिक्टिव एक्सचेंज रेट बेस्ड आन सीपीआई एस प्राइज इंडेक्स फार इंडिया', आरबीआई मासिक बुलेटिन, अप्रैल

चार्ट II.33: रुपया विनिमय दर में संचलन



बाह्य क्षेत्र के जोखिमों से निपटने के लिए नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं

II.6.9 निम्नतर चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा रिजर्व में इजाफा तथा विनिमय दर में स्थिरता अधिक सशक्त बाह्य क्षेत्र

के संकेत हैं। तथापि, बाह्य क्षेत्र के संकेतकों में हुआ नाममात्र सुधार, नीति के संबंध में आत्मसंतोष का भाव नहीं पैदा करता। व्यापार चैनल एवं/या वित्तीय चैनल के माध्यम से नया बाह्य दबाव फिर से फैल सकता है और इस प्रकार भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। नीति में देशी समष्टिआर्थिक सिद्धांतों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के प्लवन प्रभाव को कम किया जा सके। विशेष रूप से, नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए: (i) निर्यात के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले क्षेत्र-विशेष के संरचनात्मक मामलों का निराकरण, (ii) रुपये की स्थिरता को बनाए रखने के लिए निम्न मुद्रास्फीति और बाह्य प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना, एवं सोना संबंधी निवेश मांग को कम किया जाना, (iii) कतिपय क्षेत्रों (जैसे, पीओएल, कोयला और उर्वरक) में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को कम करना जो देशी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही कुल आयात में वृद्धि की लहर पैदा कर सकता है, (iv) स्थायी गैर-ऋण सृजन करने वाले प्रवाहों को बढ़ावा देते हुए चालू खाता घाटा का वित्तपोषण करने के लिए पूंजी प्रवाहों का बेहतर मिश्रण सुनिश्चित करने हेतु स्वस्थ बिजनेस माहौल और, (v) बेहतर प्रशासन।

भाग दो - भारतीय रिज़र्व बैंक के
कार्य और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

मौद्रिक नीति का रुझान वर्ष 2013-14 के दौरान तीन अलग-अलग चरणों में काफी तेजी से परिवर्तित हुआ है। मौद्रिक सहजता का दौर 2012-13 से प्रारंभ हुआ था और जुलाई 2013 के मध्य तक चलता रहा, जो इस परिवर्तन का पहला चरण था। दूसरा चरण जुलाई के मध्य से सितंबर 2013 तक था जो एक ऐसा समय था जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों को कम करने के लिए असाधारण मौद्रिक उपाय किए गए थे। हालांकि, वह नवंबर 2013 के अंत तक तेजी से सामान्य हो गया था। स्थिति के सामान्य होने के साथ-साथ तीसरे चरण में, जो सितंबर 2013 में प्रारंभ हुआ था, मौद्रिक नीति काफी अपस्फीतिकारी हो गई थी, जिसमें सीपीआई मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई थीं। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिससे यह पता चलता है कि मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है, खासतौर से सीपीआई (संयुक्त) को मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए मुद्रास्फीति के प्रमुख मेट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना, अपस्फीति के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ने का स्पष्ट संदेश देना, 2014-15 से प्रारंभ होने वाले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति चक्र का परिवर्तन, एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो दर पर ओवरनाइट चलनिधि सुविधा लेने में क्रमिक रूप से कमी तथा तदनु रूप मीयादी रेपो के माध्यम से चलनिधि प्राप्त करने में वृद्धि और दीर्घ अवधि के रेपो प्रारंभ किया जाना।

मौद्रिक नीति परिचालन : संदर्भ और औचित्य

III.1 वर्ष 2013-14 में, विकास की गति धीमी होने के प्रति चिंता से मौद्रिक नीति पर काफी भार पड़ गया। अमरीका द्वारा अपरंपरागत मौद्रिक नीति में टेपरिंग की घोषणा करना एक तरह से अप्रत्याशित बाहरी आघात था, जिसकी वजह से मध्य अवधि में ही नीति के रुझान को समायोजित करना पड़ा तथा बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए असाधारण उपाय करने पड़े। यहां तक कि जैसे ही बाहरी दबाव कम हुए तथा विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल हुई, उसने किए गए उपायों को सामान्य स्थिति में ला दिया, लगातार खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति ने मुद्रास्फीति के दबावों को नरम नहीं पड़ने दिया जिसकी वजह से नीतिगत रुझान को कठोर बनाना पड़ा जिसमें दूसरे चक्र के प्रभावों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर बनाने पर फोकस किया गया था।

III.2 3 मई, 2013 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख नीति दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाते हुए। 7.25 प्रतिशत कर दिया था, और जनवरी 2012 में नीतिगत सहजता की जो प्रक्रिया लागू कर दी गई थी, उसे आगे बढ़ाया गया। किंतु, यह

नोट किया गया कि अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की अड़चनों को दूर किए बिना मौद्रिक सहजता स्वतः विकास की गति को बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जहां यह महसूस किया गया कि 2013-14 के दौरान विकास की गति मंद रहेगी, वहीं अनेक मोर्चों से मुद्रास्फीति में वृद्धि का जोखिम बढ़ता जा रहा है जबकि आगे और अधिक मौद्रिक सहजता की गुंजाइश बहुत कम है।

III.3 17 जून, 2013 की मध्यावधि समीक्षा तक बाहरी असुरक्षा की स्थिति मौद्रिक नीति के रुझान को तय करने का प्रमुख चर बन गई। बाहरी मोर्चे पर बढ़ती अनिश्चिततों और मुद्रास्फीति के मार्ग में बढ़ते जोखिमों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2013 की पहली तिमाही समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर को अपरिवर्तित बनाए रखा, लेकिन विनिमय बाजार के दबावों को दूर करने के लिए कई असाधारण उपाय किए (बॉक्स III.1 देखें)।

III.4 20 सितंबर, 2013 की मध्य-तिमाही समीक्षा ने मौद्रिक नीति के रुझान को उलट दिया क्योंकि ईंधन के मूल्यों में हुई वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव से मुद्रास्फीति के मार्ग पर जोखिमों का बढ़ते जाना तय हो चुका था, जिसका कुल मिलाकर प्रभाव यह पड़ा कि

रुपये के मूल्य में तेजी से हास हुआ और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति को अत्यधिक ऊंचा कर दिया। मुद्रास्फीति के मार्ग से यह संकेत प्राप्त हुआ कि मुद्रास्फीति के बारे में जो अनुमान प्रारंभ में किया गया था, वह वर्ष की शेष अवधि में उससे भी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, इसलिए प्रमुख नीतिगत रेपो दर की 25 आधार अंक बढ़ते हुए 7.25 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

III.5 29 अक्टूबर, 2013 की दूसरी तिमाही समीक्षा में इस बात के कड़े संकेत मिल रहे थे कि आगामी महीनों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहने की संभावना है और खाद्यान्न मुद्रास्फीति में मौसमी कमी आजाने की गणना करने पर भी वह 9 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद थी। ऐसी स्थिति में, मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई आवश्यक थी ताकि बढ़ते हुए मूल्यों का जो चक्र बन गया है उसे तोड़ा जा सके, वित्तीय बचत के क्षरण को रोका जा सके और विकास की नींव को मजबूत बनाया जा सके। प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाते हुए 7.5 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया था। मौद्रिक नीति के इस प्रकार के रुझान से यह उम्मीद की जाती है कि वह समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता लाते हुए विकास के लिए वातावरण को सुदृढ़ बनाएगी।

III.6 18 दिसंबर, 2013 को मध्य-तिमाही समीक्षा में रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीति दर को अपरिवर्तित बनाए रखा। हालांकि मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के सहजता-स्तर से ऊपर थी, लेकिन तब भी, यह विराम लेना इस चिंता की वजह से था कि अत्यधिक प्रतिक्रिया वाली नीतिगत कार्रवाई से परहेज किया जाए और अधिक से अधिक डाटा प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जाए ताकि मुद्रास्फीति के मार्ग की दिशा मापी जा सके।

III.7 मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें अपस्फीति के लिए 'ग्लाइड पथ' की सिफारिश की गई थी और जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत से कम की सीपीआई मुद्रास्फीति तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से कम की सीपीआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिजर्व बैंक की आधारलाइन का अनुमान था कि जनवरी 2015 तक सीपीआई मुद्रास्फीति में 8 प्रतिशत तक बढ़ने का जोखिम है, इसलिए 28 जनवरी 2014 को तीसरी तिमाही समीक्षा में नीति दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना जरूरी हो गया था, ताकि अर्थव्यवस्था को संस्तुत अपस्फीतिकारी पथ पर सुरक्षित रखा जा सके। समिति की

सिफारिशों के अनुसरण में यह घोषणा की गई कि इसके बाद मौद्रिक नीति समीक्षा दो-दो महीने पर की जाएगी।


III.8 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा 1 अप्रैल, 2014 को की गई थी जिसमें इस बात की पुनः पुष्टि कर दी गई कि मौद्रिक नीति के रुझान का फोकस समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अर्थव्यवस्था को अपस्फीतिकारी ग्लाइड-पथ पर रखना था। मुद्रास्फीति का पथ अभिप्रेत ग्लाइड-पथ के साथ चल रहा था इसलिए यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख ब्याजदर को अपरिवर्तित रखा जाए, जबकि सितंबर 2013 के दौरान और जनवरी 2014 तक दर में वृद्धि की अनुमति इसलिए दी गई ताकि अर्थव्यवस्था में वह अपने हिसाब से कार्य कर सके। नीतिगत वक्तव्य में केंद्रीय पूर्वानुमान के प्रति कई जोखिमों को नोट किया गया है, जिसमें सबसे पहला जोखिम खाद्यान्न मुद्रास्फीति का है जो संभावित एल-नीनो प्रभावों के कारण सामान्य से कम मानसून के होने से होगी। नीतिगत वक्तव्य में यह भी आशा की गई है कि वर्ष 2014-15 में बेसलाइन वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5 से 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2013-14 के न्यून 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, जिसमें 5.5 प्रतिशत के केंद्रीय अनुमान में कमी आने का जोखिम कम है। 3 जून 2014 और 5 अगस्त, 2014 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में वही रुझान कायम रखा गया है। मध्यावधि राजकोषीय समेकन रोडमैप में सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए, बैंकों को गैर-सरकारी क्षेत्रों को ऋण अधिक देने की ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए 2014-15 की दूसरी और तीसरी द्वि-मासिक नीति समीक्षा में सांविधिक चलनिधि अनुपात को 50 आधार अंक कम कर दिया गया था।

फेडरल रिजर्व की टेपरिंग की चर्चा से फैलने वाले प्रभावों के प्रति मौद्रिक

नीति की प्रतिक्रिया

III.9 फेडरल रिजर्व द्वारा मई/जून 2013 में टेपरिंग की बात करने से विश्व की मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों में ड्रामाई तबदीली आई है, जिससे फैलने वाले प्रभाव भारतीय बाजारों तक गए और भूमंडलीकृत विश्व में मौद्रिक नीति का संचालन एक बड़ी चुनौती बन गई। अप्रत्याशित रूप से अमरीका में दीर्घकालिक प्रतिफल काफी बढ़ जाने से प्रतिफल का अंतर (भारत और अमरीका में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल के बीच) मई 2013 से पहले 6.2 प्रतिशत से भी अधिक नीचे चला गया और जून एवं जुलाई 2013 में 5 प्रतिशत से भी कम हो गया (चार्ट III.1)।

चार्ट III.1 : प्रतिफल अंतर (10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति : भारत - अमरीका) और विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव



III.10 भारत के बड़े चालू खाता घाटा (सीएडी को) देखते हुए तथा उम्मीद से पहले अमरीकी मौद्रिक नीति का सामान्य हो जाने की स्थिति में वित्तपोषण की भारत की चिंता, पूंजी-प्रवाहों का अचानक उलट जाना, जो ब्याज में अंतर के प्रति संवेदी ऋण प्रवाह के कारण था, से प्रत्याशा से एक ही दिशा में बढ़ती चली गई तथा विदेशी मुद्रा बाजार में भीड़ सी लग गई। बड़ी मात्रा में मूल्यहास से जोखिम बहुत बढ़ गया जिससे मूल्य और वित्तीय स्थिरता दोनों को खतरा पैदा हो गया। इसके प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया बहुउद्देशीय थी: i) प्रशासनिक उपायों तथा मौद्रिक स्थिति को कठोर बनाते हुए विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टा और अस्थिरता को रोकना ii) विदेशी मुद्रा भंडार के संचय को बढ़ाते हुए स्वतः ही बीमा की तरह सहारा देना और स्वैप लाइन उपलब्ध कराना ताकि प्रत्याशाओं का एक ही दिशा में जाना बदला जा सके और विश्वास पैदा किया जा सके। iii) चालू खाता घाटा को नियंत्रित रखना ताकि बाहरी वित्तपोषण को कम रखा जा सके। इस

बॉक्स III.1

विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया

विनिमय दर के प्रति मौद्रिक दृष्टिकोण, मुद्रा की भूमिका को विनिमय दर के प्रमुख निर्धारक के रूप में रेखांकित करता है। अर्थव्यवस्था में वहन योग्य गैर-स्फीतिकारी विकास के लिए जितनी मुद्रा की आपूर्ति आवश्यक है, उसकी तुलना में अधिक मुद्रा की आपूर्ति से या तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है (यदि मूल्य लचीले हैं) या ब्याज दर कम हो जाती है (यदि परिसंपत्ति बाजार लचीला है), फलस्वरूप ये दोनों स्थितियाँ विनिमय दर को कम करती हैं। अतः, विनिमय दर में हास, पूर्व में अपनाई गई सहज मौद्रिक नीति रुझान का परिणाम हो सकता है। तदनुसार, तीव्र विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है।

कवर न की गई ब्याज समतुल्यता (यूआइपी) की मान्यता है कि यदि किसी देश में ब्याज दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है, तो उस देश की विनिमय दर में हास होना अपेक्षित है। किंतु, व्यावहारिक रूप से, ऊंची ब्याज दर से करेंसी की मूल्यवृद्धि हो सकती है और इस प्रकार यूआइपी एक पहेली बन जाएगी। यूआइपी पहेली की अनेक व्याख्याएँ हैं, जैसे - अपूर्ण परिसंपत्ति प्रतिस्थापना, गैर-औचित्यपूर्ण अपेक्षाएँ, विभिन्न समय में जोखिम प्रीमियम और पेसो समस्या (अर्थात् जब बाजार मूल्यों से किसी बड़े परिवर्तन की संभावना कम हो)। इतना ही नहीं, यूआइपी में घरेलू और विदेशी बांड सही-सही स्थानापन्न होने के अलावा, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता मानी गई है। फलस्वरूप, जोखिम प्रीमियम को भी शून्य माना गया है। किंतु, वास्तविकता में, जोखिम प्रीमियम गैर-शून्य और समय-समय पर भिन्न होता है, अर्थात् उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विदेशी निवेशक जोखिम प्रीमियम की

उम्मीद करेगा, और उनके 'जोखिम होने - जोखिम न होने' के व्यवहार जोखिम प्रीमियम की अलग-अलग समय पर भिन्न बना सकते हैं, फलस्वरूप जिन्हें मौद्रिक नीति सेटिंग सहित घरेलू और बाहरी मैक्रो-वित्तीय घटनाओं दोनों से प्रभावित किया जा सकता है। फेडरल रिजर्व की मई 2013 में टेपरिंग की बातों ने उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में जोखिम प्रीमियम को बदल कर रख दिया है! फलस्वरूप, विनिमय-दर प्रत्याशाएं और पूंजी के प्रवाह प्रभावित हुए हैं।

भारत में, विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया यह दिखाई दी है कि केंद्रीय बैंक ने प्रभावी मुद्रा बाजार ब्याज दरों में 300 आधार अंक की वृद्धि की है और केंद्रीय बैंक से चलनिधि की उपलब्धता को कठोर बना दिया है। नीति को समर्थन प्रदान करने वाले जो अन्य उपाय किए गए उनमें शामिल हैं - विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए दो स्वैप योजनाएं, तेल का विपणन करने वाली कंपनियों के लिए विशेष स्वैप व्यवस्था और स्वर्ण के आयात के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों ने मौद्रिक नीति के असाधारण उपायों को कारगर बनाने में मदद की है। 2013-14 में विदेशी मुद्रा बाजार के दबाव को नियंत्रित करने का अनुभव, विनिमय-दर को स्थिर करने के उपकरण के रूप में मौद्रिक नीति की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, हालांकि सामान्य समय में, मौद्रिक नीति किसी विनिमय दर का अनुवर्तन नहीं करती है और बाजार के आधार तत्व अर्थात् ब्याज दर विभेदकों तथा मुद्रास्फीति विभेदकों को विनिमय दर के पथ को अनुकूल बनाने की अनुमति देती है।

प्रकार की नपी-तुली नीतिगत प्रतिक्रिया मौद्रिक नीति के रुझान पर ही अवलंबित थी (बॉक्स III.1 और III.2)।

विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के असाधारण उपाय

III.11 22 मई 2013 को फेडरल सरकार की मात्रात्मक सहजता (क्यूई) को समाप्त करने की संभावित शुरुआत करने की घोषणा से तथा अमरीकी दीर्घकालिक खजाना प्रतिफल में वृद्धि आ जाने से, भारतीय रुपए की विनिमय दर अत्यधिक दबाव में आ गई क्योंकि पोर्टफोलियो ऋण निवेश की स्थिति सुरक्षित बनाए रखने की दृष्टि से उलट गई। फेड सरकार ने 19 जून, 2013 को इस बात

के आगे के दिशानिर्देश दिए कि वर्ष में बाद में नपे-तुले तरीके वे अपनी परिसंपत्ति खरीद को कम करना शुरू करेगी और क्यूई को 2014 के मध्य तक उदार बना देगी। रुपया, जो 21 मई, 2013 को 55.04 रुपये (रिजर्व बैंक संदर्भ दर) से 58.74 रुपये तक पहले ही कम हो चुका था, जुलाई के पहले सप्ताह में बाजार के मनोवैज्ञानिक वहन स्तर 60 रुपये प्रति डालर से भी कम हो गया था। चलनिधि की स्थिति को सख्त बनाने के लिए 15 जुलाई, 2013 को तीन विशेष मौद्रिक उपाय किए गए : (ए) मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को 100 आधार अंक के सामान्य स्प्रेड की तुलना में रेपोदर से 300 आधार अंक ऊपर निर्धारित किया गया; (बी) एलएएफ के अंतर्गत रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिन

बॉक्स-III.2

मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे में परिवर्तन

पिछले दो दशकों से केंद्रीय बैंक एक ही अल्पकालिक ब्याज दर के आसपास घूमते हुए, उसी को नीतिगत दर मानते हुए मौद्रिक नीति का संचालन करते रहे हैं और उसे वे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इन ओएमओ का संचालन एक परिचालन-ढांचे के तहत किया जाता है जिसमें केंद्रीय बैंक और बाजार के सहभागियों के बीच पात्र प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद करार (रेपो) करके अथवा सीधे लेन-देन के माध्यम से चलनिधि को बैंकिंग प्रणाली में डाला जाता है/सोख लिया जाता है। लेकिन इसके परिचालन का तरीका अलग-अलग देशों में, विशिष्ट समय में भिन्न-भिन्न होता है और विन्तीय बाजार के विकास, मैक्रो-आर्थिक तथा बाजार की स्थितियों के अनुसार बनता है।

मई 2011 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल संकेत नीति दर अर्थात् रेपो दर को अपना लिया है। इसके परिचालन ढांचे के तहत रिजर्व बैंक अपने परिचालन लक्ष्य अर्थात् मांग मुद्रा दर(कॉल मनी रेट) को अपनी नीतिगत दरों के अनुरूप लाने का प्रयास करता है। अपने इस उद्देश्य के लिए यह एलएएफ को मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। व्यवहारिक रूप में बैंकों के पास एलएएफ रेपो सुविधा के तहत असीमित चलनिधि तक पहुंच रही है बशर्ते कि उसके

लिए संपार्श्विक उपलब्ध हो। अन्य केंद्रीय बैंकों की भांति, रिजर्व बैंक का उद्देश्य यह रहता कि वह चलनिधि की उपलब्धता को आवश्यकता से कुछ कम रखे क्योंकि विभिन्न देशों के अनुभव दर्शाते हैं कि इससे अंतरण को मजबूती मिलती है। भारत के लिए मौजूद अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि एनडीटीएल के लगभग एक प्रतिशत से कम उपलब्ध चलनिधि सभी प्रकार की ब्याज दरों के स्पेक्ट्रम में नीतिगत अंतरणों को बेहतर बनाती है। 200 आधार अंकों की ब्याज दर व्याप्ति के बीच एकल नीति दर के रूप में रेपो को अपनाने के साथ ही एक नई मार्जिनल स्थायी सुविधा प्रारंभ की गई ताकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रेपो दर से 100 आधार अंक ऊपर एक दिवसीय उधार ले सकें। रिजर्व बैंक ने सीधे तौर पर भी ओएमओ का उपयोग किया ताकि चलनिधि में सुधार लाए जा सकें।

विशेष रूप से, 22 मई 2013 को फेड द्वारा की जाने वाली क्रमिक कटौती के बाद विनिमय दर में आए उतार-चढ़ाव को देखे हुए और जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 2013-14 से, समय-समय पर अन्य उपायों के साथ ही परिचालन प्रक्रियाओं में और भी परिवर्तन किए गए (घटनाओं के कालानुक्रम के लिए सारणी-1 देखें)।

सारणी-1: जुलाई-दिसंबर 2013 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रमुख मौद्रिक उपाय

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर बनाना	
15 जुलाई 2013	<ul style="list-style-type: none"> मार्जिनल स्थायी सुविधा दर (और बैंक दर) को पुनः संशोधित कर उसे रेपो दरों से 300 आधार अंक ऊपर 10.25 पर रखा गया। 17 जुलाई, 2014 से एलएएफ के तहत निधियों का समग्र आवंटन बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। प्रत्येक बैंक को आवंटन उनकी बोली के अनुपात में उच्चतम सीमा के अधीन किया जाएगा। 120 बिलियन ₹ की ओएमओ बिक्री की घोषणा।
17 जुलाई 2013	<ul style="list-style-type: none"> आपातकालीन उपाय के रूप में और म्यूचुअल फंडों पर मोचन के दबाव की संभावना को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक दर पर म्यूचुअल फंडों को चलनिधि सहायता देने हेतु ₹.250 बिलियन की अधिसूचित राशि के लिए इसी कार्य के लिए विशिष्ट रेपो सुविधा प्रदान की।
18 जुलाई 2013	<ul style="list-style-type: none"> खुले बाजार में ₹.25 बिलियन की बिक्री।
23 जुलाई 2013	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष की अपेक्षा को 27 जुलाई, 2013 से 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया। एलएएफ तक प्राथमिक डीलरों की पहुंच को उनकी वैयक्तिक निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया।

(जारी...)

मौद्रिक नीति परिचालन

24 जुलाई 2013	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक विशेष बैंक द्वारा एलएएफ में भाग लेने की समग्र सीमा को उनकी अपनी बकाया एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया और इसकी गणना दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार की गई।
14 अगस्त 2013	<ul style="list-style-type: none"> अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमा राशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों से विनियमन हटाया गया। इस प्रकार की जमा राशियों पर बैंक 28 फरवरी 2014 तक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे। 3-5 वर्ष की परिवक्वता अवधि वाले विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों में जमा राशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 100 आधार अंकों की वृद्धि की गई जिससे यह लाइबोर/स्वैप से 400 आधार अंक अधिक हो गई। 28 फरवरी 2014 के बाद उच्चतम सीमा लाइबोर/स्वैप से 300 आधार अंक अधिक के स्तर पर वापस निर्धारित की गई। बैंकों को सूचित किया गया था कि 24 अगस्त 2013 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से, जुलाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर(बी) जमा राशियों के साथ ही एनआरई जमा राशियों, जिनकी संदर्भ आधार तिथि 26 जुलाई 2013 हो तथा जिनकी परिवक्वता अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो, के संबंध में आरक्षित नगदी निधि अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने से छूट प्रदान की जाएगी। यह सुविधा 7 मार्च 2014 तक जुलाई गई जमा राशियों के लिए उपलब्ध थी।
20 अगस्त 2013	<ul style="list-style-type: none"> विनियमों की यह अपेक्षा थी कि बैंकों द्वारा परिवक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में सांविधिक चलनिधि अनुपात को निर्धारित समय सीमा के अंदर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से उत्तरोत्तर घटाकर 23 प्रतिशत करना चाहिए। जून 2013 के अंत में, यह अपेक्षा 24.5 प्रतिशत थी। बैंकों को उनके सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी धारिताओं को, आगे निर्देश प्राप्त होने तक, परिवक्वता तक धारित श्रेणी में 24.5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने की अनुमति देकर इस अपेक्षा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, बैंकों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)/व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर (एमटीएम) मूल्यन के आधार पर निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में बराबर किशतों में विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई।
23 अगस्त 2013	<ul style="list-style-type: none"> ₹.62.3 बिलियन की ओएमओ खरीद
28 अगस्त 2013	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसी, एचपीसीएल एवं बीपीसीएल) की डॉलर संबंधी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप विंडो की शुरुआत 28 अगस्त 2013 को की गई। स्वैप सुविधा के तहत, रिजर्व बैंक ने मनोनीत बैंकों के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों के साथ निर्धारित अवधि के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप के अंतर्गत अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपया की बिक्री/खरीद किया।
30 अगस्त 2013	<ul style="list-style-type: none"> ₹.62.3 बिलियन की ओएमओ खरीद।
जुलाई/अगस्त/सितंबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के नगद प्रबंध बिलों की नीलामी की।
4 सितंबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की निर्धारित दर पर जुलाई गई नई एफसीएनआर(बी) डॉलर निधियों की अदला-बदली (स्वैप) करने के लिए एक विंडो उपलब्ध कराया। टियर I की अक्षत पूंजी के अंतर्गत विदेशी उधार लेने की 50 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को भी बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई तथा इस प्रावधान के तहत जुलाई गई उधार राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान स्वैप दर से 100 आधार अंक कम की रियायती दर पर बदला जा सकता है। योजनाएं 30 नवंबर 2013 तक चालू थीं।
मौद्रिक नीति को सामान्य बनाना	
20 सितंबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> एमएसएफ दरों में 75 आधार अंकों की कमी की गई और इसे 10.25 से कम कर 9.50 प्रतिशत कर दिया गया। न्यूनतम दैनिक नकद आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) शेष की अपेक्षा को 99 प्रतिशत से कम करके 95 प्रतिशत कर दिया गया और इसे 21 सितंबर 2013 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी बनाया गया। एलएएफ के तहत नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई और इसे तत्काल प्रभाव से 7.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया गया।
7 अक्टूबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर में 50 आधार अंकों की कटौती की गई और इसे 9.50 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया। परिवर्तनीय दर नीलामी के जरिए बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य अधिसूचित राशि के लिए 7 दिवसीय और 14 दिवसीय रेपो प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त चलनिधि मुहैया कराई गई और 11 अक्टूबर 2013 से शुरू कर इसे प्रत्येक शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। 99.7 बिलियन ₹. की ओएमओ खरीद।
29 अक्टूबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> एमएसएफ दर में 25 आधार अंकों की कटौती की गई और इसे 9.0 प्रतिशत से 8.75 प्रतिशत कर दिया गया। एलएएफ के तहत नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई और 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एमएसएफ और रिजर्व रेपो दरों के बीच रेपो दर से (+/-) 1 प्रतिशत के अंतर को पुनः प्राप्त किया जा सका। 7-दिवसीय और 14-दिवसीय परिवक्ता अवधि के टर्म रेपो के जरिए प्रदान की जाने वाली चलनिधि को बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया।
18 नवंबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> ₹. 80 बिलियन की ओएमओ खरीद। सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र जो रोजगार प्रदान करता है और निर्यात में काफी योगदान करता है, में चलनिधि समस्या का समाधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4 एच) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को ₹. 50 बिलियन राशि का पुनर्वित्त। यह पुनर्वित्त सुविधा प्रायों, साथ ही 14 नवंबर, 2013 से बकाया निर्यात प्रायों पर उपलब्ध है। यह सुविधा प्रचलित 14-दिवसीय रेपो दर पर 90 दिन के लिए है। पुनर्वित्त सुविधा एक वर्ष के लिए 13 नवंबर, 2014 तक उपलब्ध होगी। मध्यम क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा मध्यम उद्यमों को 13 नवंबर 2013 की स्थिति के अनुसार दिए गए बकाया ऋण पर निर्यात ऋण सहित वृद्धिशील ऋण को पात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। यह सुविधा समग्र लक्ष्य के 4.0 प्रतिशत के भीतर 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध थी।
18 दिसंबर 2013	<ul style="list-style-type: none"> चलनिधि समायोजन सुविधा के तरह नीतिगत रेपो दर 7.75 प्रतिशत और सीआरआर एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
22 जनवरी, 2014	<ul style="list-style-type: none"> 94.8 बिलियन ₹. की ओएमओ खरीद।

(जारी...)

मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को थामने के लिए मौद्रिक उपाय-मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ बनाने हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

28 जनवरी 2014	<ul style="list-style-type: none"> चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो में 25 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत कर दिया गया। परिणामस्वरूप, रिजर्व रिपो दर 7.0 प्रतिशत के स्तर पर समायोजित हुई एवं मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 9.0 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहीं। आरक्षित नगदी निधि अनुपात अपरिवर्तित रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत से कम तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से कम के स्तर पर रखने के उद्देश्य, जैसा कि डॉ. ऊर्जित पटेल समिति ने सूचित किया है, को प्राप्त करने की विशेषता वाले 'ग्लाइड पथ' का प्रस्ताव किया गया। आगे से, मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक दो महीनों के अंतराल पर की जाएगी।
1 अप्रैल, 2014	<ul style="list-style-type: none"> 7-दिवसीय और 14-दिवसीय मीयादी रेपो के अंतर्गत चलनिधि सुविधा को बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया, और एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाइट रेपो सुविधा में चलनिधि को बैंकवार एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया।
3 जून, 2014	<ul style="list-style-type: none"> ईसीआर के अंतर्गत उपलब्ध चलनिधि को पात्र निर्यात ऋण बकाया के 50 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया। आनुपालिक रूप से, बैंकों की एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की एक विशेष मीयादी रेपो की गई। वाणिज्य बैंकों की एसएलआर 14 जून, 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटाकर उनके एनडीटीएल के 23.0 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत कर दी गई।
5 अगस्त 2014	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात में 9 अगस्त 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंकों की कमी करते हुए उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 22.5 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत कर दिया गया। वित्तीय बाजारों में बैंकों को और अधिक प्रतिभागिता करने के लिए सक्षम बनाने हेतु परिपक्वता तक धारित आस्तियों की उच्चतम सीमा को 9 अगस्त 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 24 प्रतिशत तक कम कर दिया गया।
<p>जनवरी 2014 से, 7-दिवसीय एवं 14-दिवसीय नियमित नीलामियों के अलावा चलनिधि के आकलन के आधार पर समय-समय पर विभिन्न अवधियों (1-दिवसीय, 3-दिवसीय, 5-दिवसीय, 7-दिवसीय, 9-दिवसीय, 21-दिवसीय तथा 28-दिवसीय) के लिए परिवर्तनशील दर आधारित मीयादी रिपो नीलामियों की गई हैं। जून 2014 से 4-दिवसीय मीयादी रिजर्व रिपो नीलामियां दो बार की गई हैं।</p>	

मीयादी रेपो पर निर्भरता को बढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है कि समग्र ब्याज दर के ढांचे पर नीति के प्रभाव को फैलाना। मीयादी रेपो अंतर्निहित चलनिधि की स्थिति के एक उपयोगी संकेतक के रूप में प्रकट हुआ है। यह बाजार के सहभागियों को दीर्घ अवधि के लिए चलनिधि को धारण करने हेतु प्रेरित करता है। इसके चलते बाजार में दीर्घ अवधि का प्रभाव पड़ता है और विभिन्न वित्तीय उत्पादों के

मूल्य निर्धारण के लिए बाजार-आधारित मानदंड स्थापित किया जा सकता है तथा नकदी/ ट्रेजरी प्रबंधन में कार्य-दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्षेत्र-विशेष वित्तीयन के स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र या संस्था को तरजीही एक्सेस दिए बगैर समस्त प्रणाली के स्तर पर चलनिधि का अपेक्षाकृत सामान्यीकृत प्रावधान करने की ओर आगे बढ़ने हेतु सहायता मिली है।

के लिए चलनिधि प्राप्त करने की राशि बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1 प्रतिशत पर सीमित कर दी गई, और (सी) 120 बिलियन रुपये की खुला बाजार बिक्री की घोषणा की गई (बॉक्स III.2)।

III.12 23 जुलाई, 2013 को घरेलू चलनिधि की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि चलनिधि स्थिति इतनी कठोर नहीं थी कि वह विदेशी मुद्रा बाजार पर अपेक्षित प्रभाव डाल सके। तदनुसार, और भी कठोरता उपायों की घोषणा की गई : (ए) एलएएफ के अंतर्गत रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए चलनिधि प्राप्त करने की राशि प्रत्येक बैंक की एनडीटीएल का 0.5 प्रतिशत कर दी गई, और (बी) बैंकों से कहा गया कि वे सीआरआर अपेक्षा का न्यूनतम दैनिक शेष 99 प्रतिशत रखें, जिसे एक दिवस में औसतन सीआरआर की अपेक्षा को पूरा करते हुए पूर्व में किसी एक दिन में अपेक्षा से कम करके 70 प्रतिशत तक रखने की छूट थी। 8 अगस्त, 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकार से परामर्श करके 220 बिलियन रुपये के नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) प्रति

सप्ताह नीलाम किए जाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य बाजार से अल्पकाल में चलनिधि को हटा लेना था। इन उपायों ने मुद्रा बाजार की स्थिति तंग बनाए रखने में मदद की, जिसमें मुद्रा बाजार की दरें लगभग एमएसएफ दरें (अर्थात् रेपो दर से 300 आधार अंक अधिक) के समान बढ़ गईं। इस प्रकार से, इस अवधि में एमएसएफ दर, प्रभावी नीतिगत दर बन गई थी। असाधारण मौद्रिक उपायों के अलावा, विदेशी मुद्रा बाजार के दबावों को खत्म करने के लिए अन्य नीतिगत उपाय किए गए जैसे - एनआरआई जमाराशियां (बैंक) और तेल का विपणन करने वाली कंपनियों (ओएमसी) के लिए तीन स्वैप विंडोज खोलना, स्वर्ण के आयात पर पाबंदी तथा एनआरआई जमाराशियों पर ब्याज दरों की पुनः समीक्षा।

असाधारण उपायों को सावधानीपूर्वक हटाया जाना

III.13 अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता पर्याप्त रूप से करने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल पर बढ़ते दबावों को नियंत्रित किया जाए, जो 20 अगस्त, 2013 को घोषित 80 बिलियन रुपये की खुला बाजार

खरीद के माध्यम से अपनाए गए असाधारण उपायों से पैदा हुए थे। जैसे-जैसे विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता वापस लौट रही थी, रिजर्व बैंक ने 20 सितंबर, 2013 की मध्य-तिमाही समीक्षा में असाधारण मौद्रिक उपायों को नपे-तुले अंदाज में सामान्य करना प्रारंभ कर दिया था। बाहरी जोखिम भी कुछ हद तक कम हो गए थे क्योंकि फेडरल रिजर्व ने 18 सितंबर, 2013 से टेपरिंग न करके बाजारों को आश्चर्य में डाल दिया था असाधारण उपायों को सामान्य बनाना अर्थात् सामान्य स्प्रेड को एमएसएफ की रेपो दर से 100 आधार अंक ऊपर रखना, इसे अक्टूबर 2013 के अंत तक प्राप्त कर लिया गया था, इसके लिए एमएसएफ दर में तीन चरणों में 150 आधार अंकों की कमी की गई, साथ ही रेपो दर में 25-25 आधार अंक की दो बार में कुल 50 आधार अंक की वृद्धि की गई ताकि मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति विरोधी रुझान बहाल हो सके।

नया मौद्रिक नीति ढांचा और परिचालन प्रक्रिया

III.14 भारत में, मौद्रिक नीति का ढांचा, अर्थव्यवस्था की संरचना के हिसाब से एक लंबे समय में बनकर तैयार हुआ है। बहु-संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत संकेतकों का एक बहुत बड़ा पैनाल बन गया है जो मौद्रिक नीति को एक स्पष्ट परिभाषित सामान्य अवलम्ब प्रदान करने में अपर्याप्त रहा है जो उन बातों के बारे में अनिश्चितता पैदा कर रहा है जिनसे रिजर्व बैंक के नीतिगत निर्णयों को मार्गदर्शन

मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने से संबंधित विशेषज्ञ समिति जिसे मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने का अधिकार दिया गया था, और उसे पारदर्शी तथा अनुमान लगाने योग्य बनाना था, ने यह सिफारिश की है कि सीपीआई को भारत की मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को मापने तथा सामान्य नियंत्रक (ऐंकर) के उपाय रूप में अपनाया जाए। वर्तमान परिचालन ढांचा, उधार भंडार के लिए तय लक्ष्य (बैंकों की एनडीटीएल की तुलना में) पर टिका हुआ है, और नीति दर के निकट की मांग दर को रिजर्व रेपो दर तथा एमएसएफ दर के बीच होना ही है। भंडार अनुरक्षण चक्र के साथ समकालिक हो जाने के नाते मीयादी रेपो की बाजार में स्वीकार्यता बढ़ रही है और अंतर्निहित चलनिधि स्थिति का उपयोगी संकेतक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि विभिन्न दरों पर नीलामी करने से मीयादी प्रीमियम का मूल्य-निर्धारण करने में आसानी होती है।

मौद्रिक नीति का प्रसारण

III.15 हालांकि नीतिगत दर में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव अभी तक पता नहीं लग पाए हैं, नीतिगत दर के प्रसारण से मुद्रा बाजार की दर की तुलना में बैंक की जमा और उधार दर पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, जिससे यह पता चलता है कि ऋण बाजार में संरचनागत कठोरताएं मौजूद हैं (बॉक्स III.3, सारणी III.1)।

बॉक्स III.3

मौद्रिक नीति के सहज प्रसारण में रुकावट डालने वाले कारक

मौद्रिक नीति का प्रभाव, विकास के स्वरूप और बाजार के एकीकरण पर निर्भर करता है जो उसके प्रसारण को प्रभावित करते हैं। इसके प्रसारण में लंबे विलंब तो कई छोटे-छोटे विलंब होते हैं, नीति के आवेग के संबंध में प्रतिक्रियाएं असमान होती हैं, जो मौद्रिक नीति के प्रभाव के बारे में बता पाना मुश्किल बनाती हैं। विश्व में हुए संकट को देखते हुए मौद्रिक नीति ढांचे की प्रभावशालिता और विश्वसनीयता काफी हद तक प्रकाश में आ गई है, खासतौर से मुद्रास्फीति की दर ऊंची होने और विकास की दर कम रहने के कारण; मौद्रिक नीति के सहज प्रसारण में रुकावट डालने वाले कारकों से संबंधित मुद्दों की मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में व्यापक विश्लेषण किया गया है।

जहां मौद्रिक नीति के प्रसारण चैनलों को मोटे तौर पर ब्याज दर, विनिमय दर और परिसंपत्ति मूल्य में बांटा जा सकता है, वहीं पर भारत में अनुभव जन्य साक्ष्य यह बताते हैं कि परिसंपत्ति मूल्य चैनल और विनिमय दर चैनल पर प्रभाव हलका होता है। जबकि ब्याज दर चैनल मौद्रिक नीति प्रसारण का प्रमुख स्रोत है, मध्य-अवधि से लेकर दीर्घ-अवधि की दरें जैसे बैंक की जमा और उधार दरों में विभिन्न बाजार स्थितियों में नीतिगत दरों में परिवर्तन से प्रतिक्रिया असमान रहती है, बेशी चलनिधि स्थिति की तुलना में चलनिधि की तंगी की हालत में प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा और तेज होती है।

ऋण बाजार में मौद्रिक नीति के सहज प्रसारण में रुकावट डालने वाले कारक हैं - मीयादी जमा के मामले में मूल्यों का पुनः निर्धारण करने में अनमनापन, सरकार के उधार का बड़ा आकार, सरकारी प्रतिभूति-प्रतिफल से जुड़ी छोटी

बचतों पर ब्याज दर के वार्षिक निर्धारण की परंपरा, ब्याज-दर अनुदान जो मौद्रिक नीति और उधार दरों के बीच के संपर्क को तोड़ देती है, तदनुसंगी अवधि की परिपक्वता वाली मीयादी जमा राशियों की तुलना में एक वर्ष या अधिक की अवधि के ऋण म्युचुअल फंड की मीयादी परिपक्वता योजना पर वरीयता कर का लाभ, एनपीए का उच्च स्तर, अल्पाधिकार ऋण बाजार और अनौपचारिक वित्त की अत्यधिक मौजूदगी। ये कारक नीति दर के प्रसारण को अंतिम परिणाम प्राप्त होने तक बहुत अधिक मन्द कर देते हैं, और वैकल्पिक निवेश माध्यम को अधिक आकर्षक बना देते हैं, खासतौर से मौद्रिक सहजता के समय में।

इस संदर्भ में समिति की प्रमुख सिफारिशों में ये बातें शामिल हैं - एसएलआर में उस स्तर तक कमी की जाए जो बासेल III ढांचे के अंतर्गत उल्लिखित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अनुरूप हो, बैंकों को निदेश देने के बारे में सरकार की भूमिका को कम करना, बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल के अनुसार छोटी बचत योजना की ब्याज दर में और अधिक बार परिवर्तन करना, बैंक से इतर उत्पादों और बैंक जमा राशियों के लिए समान कर-संरचना और ब्याज दर अनुदान न दिया जाना।

संदर्भ :

भारतीय रिजर्व बैंक (2014) 'मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट', (अध्यक्ष - डॉ. ऊर्जित पटेल) जनवरी।

सारणी III.1 : मौद्रिक नीति चक्र के विभिन्न चरण में प्रसारण में असमानता (बैंकों की जमा और उधार दरों के प्रति)

(प्रतिशत)

मंदे	मार्च 10	मार्च 12	मार्च 13	जून 13	सितं 13	दिसं 13	मार्च 14	जून 14	घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु)		
									कठोरता चरण (19 मार्च 2010 से 16 अप्रैल 2012)	सहजता चरण (17 अप्रैल 2012 से 15 जुलाई 2013)	कठोरता चरण ** (16 जुलाई 2013 से)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
नीतिगत दर (रेपो दर)	5.00	8.50	7.50	7.25	7.50	7.75	8.00	8.00	3.75	-1.25	0.75
सीआरआर	5.75	4.75	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-1.00 @	-0.75	0.00
मांग दर	3.83	9.02	7.58	7.10	11.41	7.51	7.64	7.43	4.98	-1.51	0.59
सीबीएलओ दर	3.01	8.12	7.51	6.34	8.67	7.38	7.75	7.51	5.43	-2.34	1.60
बाजार रेपो दर	2.65	7.63	7.75	6.75	10.03	7.85	8.22	8.18	6.12	-1.49	1.23
91-दिवसीय खजाना बिल	4.27	8.97	8.06	7.41	10.32	8.63	8.99	8.51	4.53	-1.29	1.05
3-माह कमर्शियल पेपर दर	6.10	11.61	9.61	8.50	10.85	9.10	10.01	8.88	4.24	-2.17	0.52
3-माह सीडी दर @	5.48	11.06	9.14	8.11	10.40	8.74	9.55	8.57	4.36	-2.08	0.65
5-वर्ष कापोरेट ऋण प्रतिफल	8.61	9.47	8.96	8.55	9.90	8.75	9.73	9.23	0.93	-0.71	0.38
10-वर्ष कापोरेट ऋण प्रतिफल	6.61	9.77	9.01	8.66	10.84	9.77	9.75	9.00	3.13	-1.02	0.22
2- वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	6.16	8.04	7.76	7.45	8.89	8.54	8.67	8.33	1.87	-0.35	0.64
3- वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	6.82	8.27	7.85	7.51	8.87	8.49	8.73	8.37	1.34	-0.57	0.72
5- वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	7.54	8.46	7.94	7.52	8.95	8.78	8.92	8.52	1.05	-0.84	0.74
10- वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	7.92	8.36	7.91	7.34	8.57	8.85	8.80	8.64	0.64	-1.10	1.13
मध्यमान जमा दर	5.15	7.46	7.42	7.48	7.78	7.75	7.74	7.74	2.31	0.00	0.28
मध्यमान आधार (बेस)	7.75	10.50	10.20	10.20	10.25	10.25	10.25	10.25	2.75	-0.35	0.25
डब्ल्यूएलआर (बकाया रुपया ऋण)	10.53	12.64	12.27	12.20	12.31	12.25	12.19	12.20	2.13	-0.44	0.00
डब्ल्यूएलआर (नये रुपया ऋण)	-	-	11.54	11.46	12.03	11.73	11.64	11.67	-	-	0.13

* : आधार दर प्रणाली 1 जुलाई, 2010 से प्रारंभ की गई थी।

** : डाटा जून 2014 के अंत तक के हैं (डब्ल्यूएलआर- भारत औसत उधार दर)

@ : अगले सहजता चरण में रेपो दर में कटौती के साथ-साथ सीआरआर में भी कटौती की गई ताकि अपेक्षित चलनिधि स्थिति पैदा की जा सके।

टिप्पणी : नीति दर, जमा और आधार दरें माह के अंत की हैं, जब कि मुद्रा और बाण्ड बाजार दरें मासिक औसत हैं।

स्रोत : ब्लूमबर्ग और भारतीय रिजर्व बैंक

III.16 ब्याज दर चक्र के नीचे की ओर जाने के समय में नियत दर की उच्च लागत वाली बकाया जमाराशियां, बैंकों द्वारा परिसंपत्ति पक्ष की ओर ब्याज दर को पुनः नियत करने की तुलना में प्रतिकूल होती हैं क्योंकि बैंकों को ऋण दरों को घटाने से रोकती हैं। यह बिलकुल उस स्थिति के विरुद्ध है जो ब्याज दर चक्र के ऊपर की ओर जाने के समय में अनुभव की जाती है जब बैंक अपनी उधार दरें बढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। मौजूदा कठोरता का चरण अपवाद है क्योंकि उसमें उधार दरों में एक शांत प्रकार की प्रतिक्रिया है, जिससे प्रतीत होता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट हुई है और फलस्वरूप ऋण की मांग में कमी आ गई है। हालांकि, बैंकों द्वारा स्वीकृत नये रुपए ऋणों के संबंध में जनवरी 2013 को हासिल आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीति के प्रसारण के सिग्नल काफी प्रभावी रहे हैं (सारणी III.1 और III.2)।

सारणी III.2 : अनुमूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरें (क्ष.ग्रा.बैं.को छोड़कर)

(प्रतिशत)

माह के अंत में	रेपो दर	मध्यमान मीयादी जमा दर	भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर)	
			बकाया रुपया ऋण	नये रुपया ऋण
1	2	3	4	5
मार्च-13	7.50	7.42	12.27	11.54
जून-13	7.25	7.48	12.20	11.46
सितं-13	7.50	7.78	12.31	12.03
दिसं-13	7.75	7.75	12.25	11.73
मार्च-14	8.00	7.74	12.19	11.64
जून-14	8.00	7.74	12.20	11.67
घट-बढ़ (प्रतिशतता अंक)	0.50	0.32	-0.08	0.10
(मार्च 13 की तुलना में मार्च 14)				

सारणी III.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों को छोड़कर) की क्षेत्रवार मध्यमान उधार दरें
(वे दरें जिनपर 60 प्रतिशत कारोबार की संविदा की जाती है)

(प्रतिशत)

माह का अंत	घरेलू	वाहन	कृषि	एसएमई	क्रेडिट कार्ड	शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
मार्च-13	11.25	12.71	11.63	12.99	27.07	13.00
जून-13	11.20	12.50	11.50	12.98	24.12	13.06
सितंबर-13	11.20	12.30	11.86	13.00	24.74	13.13
दिसंबर-13	11.24	12.25	11.81	12.90	25.24	13.13
मार्च-14	11.27	12.19	11.70	12.73	25.00	12.88
जून-14	11.13	12.13	11.63	12.71	27.34	12.88
घट-बढ़ (प्रतिशतता बिंदु) (मार्च 13 की तुलना में मार्च 14)	0.02	-0.52	0.07	-0.26	-2.07	-0.12

जमा और उधार दरें

III.17 वर्ष 2012-13 और 2013-14 की पहली तिमाही में मौद्रिक सहजता आने से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक को छोड़कर) द्वारा दिए गए बकाया रूपये ऋणों पर भारित औसत उधार दर वर्ष 2012-13 में 37 आधार अंक कम हुई और 2013-14 की पहली तिमाही में 7 आधार अंक और भी कम हो गई थी। बैंकों की मध्यमान मीयादी-जमा दर वर्ष 2012-13 में 4 आधार अंक घटकर 7.42 प्रतिशत हो गई थी जबकि 2013-14 की पहली तिमाही में उसमें 6 आधार अंक की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा 2013-14 की दूसरी तिमाही में असाधारण उपाय किए जाने से जमा और उधार दोनों दरें सितंबर 2013 तक स्थिर हो गई थीं (सारणी III.2)। विनिमय दर में दबाव कम होते ही, रिजर्व बैंक ने इन उपायों को सावधानीपूर्वक हटा लिया, जिससे उधार दर 2013-14 की दूसरी छमाही में नर्म पड़ गई थी। संतुलन के रूप में देखें तो, जहां उधार दर वर्ष के दौरान स्थिर रही थी, वहीं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मध्यमान मीयादी-जमा दर पूरे वर्ष में 32 आधार अंक तक बढ़ गई, हालांकि वर्ष की दूसरी छमाही में कमोबेश अपरिवर्तित रही।

क्षेत्रवार उधार दर

III.18 मौद्रिक नीति चक्र के कठोरता चरण में मौद्रिक नीति संबंधी जो कार्रवाइयां की जाती हैं, कुल मिलाकर उनका अधिकांश प्रभाव चुनिंदा क्षेत्रों की उधार दरों पर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जिससे

यह पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों के मंद होने के कारण बैंकों की मूल्य-निर्धारण शक्ति कमजोर हो गई है (सारणी III.3)।

मौद्रिक नीति प्रसारण को बेहतर बनाना

III.19 मौद्रिक नीति के प्रसारण में संरचनागत रुकावटों को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और सुदृढ़ बनाने से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक उपाय सुझाये हैं, जो इस प्रकार हैं : एसएलआर को कम करके उस स्तर तक लाना जो बासेल III ढांचे के अंतर्गत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की अपेक्षा के अनुरूप हो; सरकार, ब्याज दरों के संबंध में प्रत्यायन या निदेश जारी करने से परहेज करें; छोटी बचत को लिखतों जो बेंचमार्क सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल से निहित तौर पर आटोमैटिक तरीके से जुड़े हों, से संबंधित ब्याज दरों में वर्ष के भीतर और अधिक बार परिवर्तित किया जाए। कराधान और टीडीएस के प्रयोजन से सभी स्थिर आया वाले वित्तीय उत्पादों को बैंक जमा (डिपॉजिट्स) के समान माना जाए; कतिपय क्षेत्रों को दिए गए उधार पर ब्याज दर पर सरकारी रियायत कम करना; वित्तीय उत्पादों के मूल्य-निर्धारण के लिए ब्याज दर तय करने हेतु बाहरी बेंचमार्क स्थापित करने की संस्कृति विकसित करना; रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का मौद्रिक नीति के रुझान के साथ सामंजस्य होना जिसके संकेत नीतिगत दर में परिवर्तन के माध्यम से दिए जाते हैं; मौद्रिक नीति और मैक्रो-विवेकपूर्ण नीतियों के निर्धारण के बीच गहन समन्वय हो; और खुला बाजार परिचालन को केवल चलनिधि के प्रबंधन से जोड़ा जाए।

IV

ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में सभी को औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने का रोडमैप तैयार किया गया है तथा बैंकों को आबंटित किया गया है। महानगरीय शहरों में वित्तीय वंचन की समस्या के मद्देनजर अग्रणी बैंक योजना 16 महानगरीय जिलों में बढ़ाई गई। बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं तेजी से बना लेने के बाद वित्तीय समावेशन योजना के अगले चरण में बैंक-खातों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारी नीतियों ने वित्तीय समावेशन को विस्तार दिया है और वित्तीय साक्षरता पहल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की पूर्ति तथा बढ़ती हुई मांग की कमियों को दूर किया गया है जिससे जागरूकता बढ़ेगी और वित्त का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग हो सकेगा।

IV.1 रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रमुख चुनौती है, वित्तीय रूप से वंचित समाज के उन क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की परिधि में लाना। इस कार्यक्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) तैयार करना, व्यवसायी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के अवसरों को बढ़ाना, माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के संबंध में ऋण वितरण प्रक्रियाओं को सुधारना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सोल्यूशन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य प्राप्त करने में कार्य-निष्पादन

IV.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या आती है जो कृषि, माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई), शिक्षा और आवास क्षेत्र से जुड़े हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा कम से कम 20 शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए गत वर्ष के 31 मार्च 2013 को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य (ओबीई का सीई) का, जो भी अधिक हो, 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 20 शाखाओं से कम विदेशी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए गत वर्ष के 31 मार्च को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य (ओबीई का सीई) का, जो

भी अधिक हो, 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा (सारणी IV.1)।

IV.3 बैंकों से प्राप्त डाटा के अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति तक 26 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 10 बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंकों में से 4 और 39 विदेशी बैंकों में से 1 समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह :

IV.4 कृषि ऋण कृषि संबंधी उत्पादन का एक प्रमुख अंग है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार प्रत्येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि को ऋण प्रवाह हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 2013-14 के लिए ₹7,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण, लक्ष्य से अधिक रहा (सारणी IV.2) तथापि, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

सारणी IV.1 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

(राशि ₹बिलियन में)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2013	12,822 (36.2)	3,274 (37.5)	849 (35.1)
2014	16,190 (39.4)	4,645 (43.9)	907 (35.8)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में एएनबीसी या ओबीई का सीई, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष 2014 का डाटा अर्न्ततम है।

सारणी IV.2 : कृषि ऋण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

(राशि रु. बिलियन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
2010-11	3,750	4,683
2011-12	4,750	5,110
2012-13	5,750	6,074
2013-14	7,000	7,116*

*: अर्न्तम।
स्रोत : नाबार्ड

(आरआरबी) द्वारा ऋण उनके संबंधित लक्ष्य से कम रहा (सारणी IV.3)।

ब्याज सहायता योजना से मिश्रित परिणाम आए हैं; प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली में सुधार की आवश्यकता है।

IV.5 सरकार ने ₹0.3 मिलियन तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2006-07 में ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की जो अल्प परिवर्तनों के साथ तब से चली आ रही है। फिलहाल, यह ₹0.3 मिलियन तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में बैंकों, आरआरबी और सहकारी बैंकों को ब्याज सबवेंशन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, वे किसान जो समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दिया जाएगा जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगा। वर्ष 2013-14 से निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर उनके ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रदान ऋणों के संबंध में लागू किया गया है।

IV.6 सबवेंशन योजना ₹0.3 मिलियन तक की फसल ऋण

सारणी IV.3 : कृषि ऋण हेतु लक्ष्य और उपलब्धि,

बैंक समूह - वार: 2013-14

(राशि रु. बिलियन में)

एजेंसी	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
वाणिज्यिक बैंक	4,750	5,090
सहकारी बैंक	1,250	1,199
आरआरबी	1,000	827
जोड़	7,000	7,116

*: अर्न्तम।
स्रोत : नाबार्ड/आइबीए/पीएसबीएस

सारणी IV.4 : एनपीए - कृषि ऋण

(राशि रु. बिलियन में)

वर्ष	कृषि ऋण (31 मार्च को बकाया)	सकल एनपीए (कृषि)*	कृषि ऋण (31 मार्च को बकाया) की तुलना में सकल एनपीए का अनुपात (कृषि)
1	2	3	4
2008	3,081	97	3.2
2009	3,744	72	1.9
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014*	7,792	340	4.4

*: अर्न्तम।

का उपयोग करनेवाले किसानों तक सीमित है। त्वरित चुकौती के लिए प्रोत्साहन के रूप में ब्याज सबवेंशन से कृषि क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधारने में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। कृषि ऋणों में अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) बढ़ रही हैं तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार यह 4.4 प्रतिशत रहा (सारणी IV.4)। कृषि अग्रिमों की वसूली लगभग 75 प्रतिशत के आस-पास स्थिर रही और उसमें सुधार अपेक्षित है (सारणी IV.5)।

संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना हेतु मूलाधार

IV.7 मई - जुलाई 2013 के दौरान बैंकों के साथ आयोजित एफआईपी समीक्षा बैठकों के दौरान यह पाया गया कि जीसीसी के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत डाटा में व्यक्तियों को प्रदान उद्यमी ऋण दर्शाया नहीं जाता है। समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी लाभप्रद गतिविधियों के लिए अधिकतर ऋण सहबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीसीसी योजना के कवरेज को बढ़ाने हेतु तथा बैंक द्वारा व्यक्तियों को कृषितर उद्यमी संबंधी

सारणी IV.5 : प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

(₹ बिलियन)

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	मांग की तुलना में वसूली का %
1	2	3	4
2011	1,822	1,383	75.9
2012	1,918	1,429	74.5
2013	2,596	1,976	76.1

गतिविधियों के लिए प्रदत्त समस्त ऋणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीसीसी दिशानिर्देशों में 2 दिसंबर, 2013 को संशोधन किए गए थे। संशोधित योजना में ऋण राशि के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बशर्ते यह ऋण कृषि से इतर उद्यमी संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान किया जा रहा है और अन्यथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र है, जबकि पुरानी योजना में प्रति व्यक्ति इस ऋण की सीमा ₹25,000/- निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, संशोधित योजना के अंतर्गत दिया गया ऋण कृषि से इतर उद्यमिता गतिविधियों के लिए होगा, जबकि पुरानी योजना में ऋण के प्रयोजन और उसके अंतिम उपयोग के बारे में कोई आग्रह नहीं था।

किसान क्रेडिट कार्ड (योजना)

IV.8 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को मई 2012 में संशोधित किया गया तथा सभी बैंकों को सभी किसानों को स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए सूचित किया गया। 30 सितंबर 2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 20.0 मिलियन ओपरेटिव कार्डों में से 4.9 मिलियन स्मार्ट कार्ड सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह

IV.9 वर्ष 2013-14 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसई क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.6)।

अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

IV.10 वर्ष 2013-14 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख है कि वित्तीय वंचन की चुनौती महानगरीय क्षेत्रों में भी फैली हुई है विशेषकर सुविधाहीन और निम्न आय वर्गों में। शहरी गरीब के वंचित समूह के लिए दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा सरकार और बैंकों के बीच समन्वयन हेतु एक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए महानगरीय क्षेत्रों में सभी जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, महानगरीय क्षेत्रों के 16 जिलों में नामित बैंकों को अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया और इस प्रकार संपूर्ण देश को इस योजना के दायरे में लाया गया। निचले स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना की प्रक्रिया

सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण

मार्च माह के अंत में	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (₹. बिलियन में)	
1	2	3	4
2013	11.2 (13.1)	6,872.1 (30.2)	14.8
2014	12.4 (10.7)	8,461.3 (23.1)	15.6

टिप्पणी: 1. 2014 का डाटा अर्न्तम है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रारंभ की गई है और उस पर निगरानी, ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से की जाती है। इन मंचों में बैंकरों तथा सरकारी एजेंसियां एक ही प्लेटफार्म पर आ जाते हैं ताकि रुकावटों को दूर किया जाए और विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वालों को सहूलियत प्रदान की जा सके। जबकि महत्वपूर्ण मामले जो संपूर्ण राज्य को प्रभावित करते हैं के बारे में चर्चा एसएलबीसी में की जाती है, डीसीसी बैठकों में निश्चित जिला संबंधी मामले सुलझाए जाते हैं।

जिलों के लिए अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

IV.11 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व के लिए 644 बैंकों को नामित किया गया था जिनकी तुलना में यह कार्य मार्च 2014 के अंत में देश के 671 बैंकों को सौंपा गया था। गुजरात में निर्मित सात नए जिलों में देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक को अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया। बैंक ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश में एक नए जिले में अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा भारतीय स्टेट बैंक को मेघालय में सभी 4 नए जिलों में अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया। साथ ही, वर्ष 2013-14 के दौरान चेन्नै (1), दिल्ली (11), हैदराबाद (1), कोलकाता (1) और मुंबई (2) के महानगरीय क्षेत्रों में 16 जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाया गया।

वित्तीय समावेशन

बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप

IV.12 रिजर्व बैंक ने सभी बैंक रहित गांवों में चरणबद्ध रूप से दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायक एवं सहज वातावरण बनाने हेतु अपना प्रयास जारी रखा है। प्रथम चरण में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 बैंक रहित गांवों को पहचाना गया तथा उन्हें कवरेज के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि शाखाओं, बीसी या अन्य माध्यमों यथा एटीएम और सैटीलाइट शाखाएं आदि द्वारा एसएलबीसी के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया। इन सभी बैंक रहित गांवों को बैंकिंग आउटलेट, जिसमें 2,493 शाखाएं, 69,589 बीसी तथा अन्य माध्यमों से 2,332 सम्मिलित हैं, के जरिए कवर किया गया है।

IV.13 चरण II में 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप के अंतर्गत लगभग 4,90,000 बैंक रहित गांव पहचाने गए तथा उन्हें 31 मार्च 2016 तक समयबद्ध तरीके से कवरेज हेतु बैंकों को आबंटित किया गया।

एसएलबीसी से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार बैंकों ने मार्च 2014 तक 183,993 बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोले जिसमें 7,761 शाखाएं, 163,187 बीसी तथा अन्य माध्यमों से 13,045 शामिल हैं। रिजर्व बैंक, रोडमैप के अंतर्गत बैंकों द्वारा की जा रही प्रगति पर ध्यानपूर्वक निगरानी कर रहा है।

वित्तीय समावेशन प्लान तथा उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

IV.14 रिजर्व बैंक ने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एफआईपी तैयार करने के माध्यम से उच्च स्तरों पर प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के प्रति एक संरचित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। एफआईपी का प्रथम चरण 2010-13 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया। रिजर्व बैंक ने बैंकों के वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत उनके निष्पादन को आंकने के लिए एफआईपी का प्रयोग किया है। प्रथम योजना अवधि की समाप्ति के साथ ही एक बड़े बैंकिंग नेटवर्क का निर्माण हुआ है तथा अधिक संख्या में बैंक खाते भी खोले गए हैं (सारणी IV.7)। तथापि, यह पाया गया है कि खोले गए खातों तथा निर्मित बैंकिंग मूलभूत सुविधाओं के जरिए किसी भी प्रकार के बड़े लेन-देन नहीं किए गए। वंचितों को

सारणी IV.7: वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2013 - मार्च 2014 के दौरान प्रगति
1	2	3	4	5
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	40,837	46,126	5,289
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखा रति	34,316	2,27,617	3,37,678	1,10,061
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - अन्य विधि	67,694	2,68,454	3,83,804	1,15,350
बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी इलाके	447	27,143	60,730	33,587
शाखाओं के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.2	100.8	126.0	25.2
शाखाओं के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (राशि रु. बिलियन में)	44.3	164.7	273.3	108.6
बीसी के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.3	81.3	116.9	35.7
बीसी के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (राशि रु. बिलियन में)	10.7	18.2	39.0	20.7
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73.5	182.1	243.0	60.9
कुल बीएसबीडीए (राशि रु. बिलियन में)	55.0	182.9	312.3	129.3
साधारण बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	4.0	5.9	2.0
साधारण बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (राशि रु. बिलियन में)	0.1	1.6	16.0	14.5
केसीसी - (संख्या मिलियन में)	24.3	33.8	39.9	6.2
केसीसी - (राशि रु. बिलियन में)	1240.1	2623.0	3684.5	1061.5
जीसीसी - (संख्या मिलियन में)	1.4	3.6	7.4	3.8
जीसीसी - (राशि रु. बिलियन में)	35.1	76.3	1096.9	1020.6
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - संख्या मिलियन में (वर्ष के दौरान)	26.5	250.5	328.6	328.6
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - राशि रु. बिलियन में (वर्ष के दौरान)	6.9	233.9	524.4	524.4

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम 5 में दर्शाए गए आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।

अर्धपूर्ण बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बैंकों को 2013-16 के लिए नया तीन-वर्षीय एफआईपी तैयार करने हेतु सूचित किया गया। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा तैयार किए गए एफआईपी का विसमूहन हो और यह शाखा स्तर तक फैला हुआ हो ताकि वित्तीय समावेशन प्रयासों में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके तथा एफआईपी के अंतर्गत रिपोर्टिंग ढांचे में एकरूपता भी सुनिश्चित की जा सके। नई योजना में अब बड़ी संख्या में खोले गए खातों में लेन-देनों की मात्रा पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। एफआईपी के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तक बैंकों के निष्पादन का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :

बैंकिंग आउटलेटों की संख्या लगभग 3,84,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,15,350 बैंकिंग आउटलेट वर्ष 2013-14 के दौरान खोले गए।

पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5,300 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं। इनमें से लगभग 4,600 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (टियर V और टियर VI केन्द्र) में खोले गए।

वर्ष के दौरान लगभग 33,500 बीसी आउटलेट शहरी स्थलों पर खोले गए जिसके फलस्वरूप मार्च 2014 के अंत तक शहरी

स्थलों में बीसी आउटलेटों की कुल संख्या 60,730 तक पहुंच गई।

पिछले वर्ष के दौरान 60 मिलियन से अधिक साधारण बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) जोड़े गए जिससे बीएसबीडीए की बकाया कुल संख्या 243 मिलियन तक पहुंच गई।

2013-14 के दौरान 6.2 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋण के जुड़ने से 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 40 मिलियन ऐसे खाते हैं।

2013-14 के दौरान 3.8 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋण के जुड़ने से 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 7.4 मिलियन ऐसे खाते बकाया रहे।

पिछले वर्ष के दौरान बीसी - आईसीटी खातों में लगभग 328 मिलियन लेन-देन किए गए जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान 250 मिलियन लेन-देन किए गए।

IV.15 पिछले वर्ष के दौरान बीसी - आईसीटी लेन-देनों की संख्या में काफी वृद्धि होने के बावजूद प्रति खाता लेन-देन का औसत अब भी कम है। चैनल से और अधिक ऋण उत्पाद जारी करते हुए इन खातों के उपयोग की निगरानी पर अब और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने बीसी मॉडेल को मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं (बॉक्स IV.1)

बॉक्स IV.1

बीसी मॉडेल को मजबूत बनाने हेतु दिशा-निर्देश

और अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र का आउटरीच बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यवसायी प्रतिनिधियों (बीसी) का प्रयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में मध्यवर्ती संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की।

बैंकों द्वारा उनके वित्तीय समावेशन प्लानों के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 2,48,000 बीसी एजेंट तैनात किए गए थे जो 3,33,000 से अधिक बीसी आउटलेटों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बीसी के माध्यम से लगभग 117 मिलियन साधारण बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए जो एक असाधारण बात थी। हालांकि, बीसी-आईसीटी लेन-देनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, यह पाया गया कि लेन-देनों की मात्रा में वृद्धि, कार्यरत बीसी की संख्या में वृद्धि तथा उनके माध्यम से खोले गए खातों के अनुरूप नहीं

थी। बीसी मॉडेल की समीक्षा में यह विशिष्ट रूप से पाया गया कि बैंकों द्वारा बीसी परिचालन के लिए अपनाई जा रही नकदी प्रबंधन प्रणाली, बीसी मॉडेल की बढ़ोत्तरी में एक प्रमुख बाधा है।

बीसी मॉडेल के प्रवर्धन को सुकर बनाने हेतु रिजर्व बैंक ने हालही में दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें बैंक के बोर्ड को कहा जाए कि - (i) प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बीसी के परिचालन की समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर्पोरेट बीसी और बीसी एजेंटों के पूर्व-निधियन की अपेक्षाएं उत्तरोत्तर कम हो रही हैं तथा (ii) बीसी के पारिश्रमिक की समीक्षा की जाए तथा बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए। रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया कि बीसी के पास रखी नकद को बैंक का नकद माना जाए तथा इस नकद के बीमा की जिम्मेवारी बैंक की होनी चाहिए।

वित्तीय साक्षरता

रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता गतिविधियों में बढ़ोत्तरी

IV.16 रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता कार्यनीति का समग्र उद्देश्य है औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके वित्तीय समावेशन प्राप्त करना। रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता प्रयास, बैंकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान जिसमें बैंकरहित स्थलों में वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन शामिल है, किए जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ सभी वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को माह में कम से कम एक बार जागरूकता शिविरों के रूप में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का निदेश दिया गया है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने तीन चरणों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए मॉडेल संरचना उपाय बनाया है जिसका आरंभ पहले चरण में जागरूकता उत्पन्न करने, दूसरे चरण में खाता खोलने तथा तीसरे चरण में खातों की उपयोगिता की निगरानी करने के जरिए किया गया। एफएलसी द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लक्ष्य समूह तक अनुकूल संदेश पहुँचाना सुनिश्चित करने हेतु रिजर्व बैंक ने व्यापक वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की है जिसमें एक वित्तीय साक्षरता गाइड, एक वित्तीय डायरी और 16 पोस्टर्स का एक सेट जो अब 13 भाषाओं में उपलब्ध है, शामिल है। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया कि वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मूल वैचारिक समझ प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री को मानक पाठ्यक्रम के रूप में प्रयोग करें।

IV.17 एफएलसी की प्रगति की समीक्षा से यह पता चलता है कि 2012-14 के दौरान 514 एफएलसी जोड़े गए जिसके साथ ही एफएलसी की कुल संख्या मार्च 2012 के अंत में 428 से बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 942 हो गई (सारणी IV.8)। ये एफएलसी भीतरी और बाहरी गतिविधियों के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं।

IV.18 एफएलसी द्वारा आयोजित गतिविधियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2013 में उनके जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव पर एक त्वरित अध्ययन किया गया। यह अध्ययन 23 राज्यों में 46 जिलों में फैला हुआ था; 730 सहभागियों,

सारणी IV.8 : वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा प्रारंभ गतिविधियां

विवरण	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
1	2	3
आयोजित की गई बाहरी गतिविधियों की संख्या	40,838	56,985
बाहरी गतिविधियां - भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	1,733,198	3,178,425
भीतरी गतिविधियां - भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	483,980	647,643
भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या - बाहरी तथा भीतरी गतिविधियां	2,217,178	3,826,068

जो पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय साक्षरता शिविरों में उपस्थित थे, का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि लगभग सभी सहभागी (99 प्रतिशत) औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गए थे और बचत खाता (89 प्रतिशत) उनके द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जानेवाला बैंकिंग उत्पाद था और 44 प्रतिशत सहभागियों ने ऋण उत्पादों का उपयोग किया था। विप्रेषणों और सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) उत्पादों का कम से कम उपयोग किया गया (20 प्रतिशत)। निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों को उपलब्ध विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने का निदेश दिया गया ताकि उनका उपयोग बढ़ाया जा सके।

IV.19 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की निगरानी में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की गई है, जिसे लागू करने के लिए वित्तीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई है। एनसीएफई एक मानक वित्तीय शैक्षिक सामग्री तैयार करेगा जिसे (www.ncfeindia.org) के माध्यम से एक्सेस की जा सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई साक्षरता सामग्री भी इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

लघु कारोबारों और कम आय वाले गृहस्थों के लिए

व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति की सिफारिशें

IV.20 वित्तीय समावेशन बढ़ाने तथा उसके सघनीकरण हेतु रिजर्व बैंक ने एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. नचिकेत मोर) गठित की थी। समिति ने आपनी सिफारिशों के रूप में निम्नलिखित विजन

प्रस्तुत किए हैं : (i) 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी भारतीयों के लिए सर्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता (यूईबीए), (ii) सभी स्थानों पर भुगतान सेवा की उपलब्धता और उचित प्रभार पर जमा-उत्पाद, (iii) वहनीय औपचारिक ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, (iv) भिन्न

प्रकार के जमा और निवेश उत्पादों को उचित प्रभार पर सर्वत्र उपलब्ध कराना, (v) भिन्न प्रकार के बीमा और जोखिम प्रबंधन उत्पादों को उचित प्रभार पर सर्वत्र उपलब्ध कराना, और (vi) उपयुक्तता का अधिकार। मुख्य सिफारिशों को बॉक्स IV.2 में दिया गया है।

बॉक्स IV.2

लघु कारोबारों एवं कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में समिति की सिफारिशें

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा दूर-दूर तक वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाना रिजर्व बैंक की प्रमुख विकासशील कार्यसूचियों में से है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी बैंकों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, स्वयं-सहायता समूहों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, या व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षा से कम सफलता हासिल हुई है तथा क्षेत्रीय एवं क्षेत्रवार आधार पर हुई प्रगति में असमानता पाई गई है। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वर्तमान कार्यनीतियों की समीक्षा करने; संस्थागत ढांचा तथा विनियम विकसित करने के लिए नियम बनाने; एवं प्रगति को आंकने के लिए व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण करने की दृष्टि से सितंबर 2013 में लघु कारोबार एवं कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एक समिति (अध्यक्ष: डॉ. नचिकेत मोर) की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में पेश की है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 90 प्रतिशत लघु कारोबारों का, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई सरोकार नहीं है जबकि 60 प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी आबादी के पास कार्यात्मक बैंक खाता उपलब्ध नहीं है तथा अर्थव्यवस्था की अधिकांश वित्त संबंधी जरूरतों की आपूर्ति अनौपचारिक क्षेत्रों के जरिए पूरी होती है। वित्त की सुलभता में कठिनाइयों एवं वित्तीय बचतों से सकारात्मक वास्तविक लाभ न होने के कारण लोग वित्तीय आस्तियों से हटकर भौतिक आस्तियों तथा अविनियमित प्रदाताओं की ओर बढ़ने लगे हैं। इससे लघु कारोबारों एवं कम आय वाले गृहस्थों की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग का पता चलता है। कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे कि बैंक खाता का सर्वव्यापी एक्सेस; सर्वव्यापी भुगतान अवसंरचना; एवं अन्य सभी वित्तीय उत्पादों जैसे, अपेक्षाकृत कम समयावधि में ऋण एवं बीमा की आधार स्तर पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर बैंक से संबंधित इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतवासियों को 1 जनवरी, 2016 तक सर्वव्यापी बैंक खाता उपलब्ध कराना।

नीचे से ऊपर के क्रम में विभेदक बैंकिंग प्रणाली, जिसमें जमा और भुगतान के लिए भुगतान बैंक और क्रेडिट आउटरीच के लिए थोक बैंक शामिल हैं, जिन्हें खोलने के लिए रियायती प्रवेश मानदंडों के तहत ₹ 0.5 बिलियन की आवश्यकता है।

ऋण देने संबंधी कठिनाई के स्तर के आधार पर क्षेत्रवार और क्षेत्रीय भार के साथ मौजूदा 40 प्रतिशत के प्रति 50 प्रतिशत का समायोजित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य।

बाजार के जरिए जोखिम और चलनिधि का अंतरण और मुख्य पुनर्वित्त संस्थाओं के आंतरिक जोखिम के मूल्यांकन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

प्रत्येक आस्ति-वर्ग के लिए विभेदक प्रावधानीकरण मानदंड और बैंकों द्वारा दबाव-परीक्षण को सार्वजनिक करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

एनबीएफसी से संबंधित अनेक परिभाषाओं को दो वर्गों में रखना : (i) मूल निवेश कंपनियां (सीआईसी) और (ii) अन्य सभी एनबीएफसी।

बैंक द्वारा चुने गए परिचालनगत मानदंडों के आधार पर किसी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि (बीसीज) के रूप में कार्य करने के लिए जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडीज) को अनुमति प्रदान करना।

एनपीए मानदंड, मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में एनबीएफसी और बैंकिंग विनियमनों की आंशिक अभिरूपता और उसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) के तहत शामिल करना।

एनबीएफसी को थोक वित्त प्रदान करने में आने वाले अड़चनों का समाधान करने वाला स्पष्ट ढांचा जो कि रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा तैयार किया जाना है जिसमें अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी), प्रमाणिक वैयक्तिक निवेशकों के लिए दिशा-निर्देश शामिल हों जो सभी संस्थाओं के लिए भारतीय रुपये (आइएनआर) में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबीज) की अनुमति प्रदान करें

(जारी....)

और आकार और क्षमता की तुलना में अन्य मुद्राओं में ईसीबी के लिए पात्रता से जोड़ने की अनुमति प्रदान करें ताकि एनबीएफसी वर्ग विशेष के बजाय विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम का सामना कर सकें।

दबाव-परीक्षण के परिणामों का समुचित प्रकटीकरण के साथ बेहतर अविरत जोखिम उपायों को लागू करना और बेहतर परोक्ष पर्यवेक्षण के अतिरिक्त, कोर बैंकिंग सुविधा को अपनाना।

छोटे उधारकर्ता वर्ग के लिए कुल उधार सीमा को सभी देनदारों में बढ़ाकर ₹0.1 मिलियन की गई जिसमें इस वर्ग को बैंक द्वारा दी जाने वाली उधार राशि शामिल है।

नए संवर्ग की संस्था थोक बैंक की स्थापना करना और एनबीएफसी को थोक उपभोक्ता बैंक अथवा थोक निवेश बैंक में मात्र थोक लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करना बशर्ते वे निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरतों को पूरा करती हों। पीसीएल आस्तियों के लिए सक्रिय बाजार बनाया जाए ताकि बैंक और

एनबीएफसी आपस में पीएसएल आस्तियों का लेनदेन कर सकें।

मौजूदा राज्य सरकार-स्तरीय विनियामकों का विलय करके राज्य वित्त विनियामक आयोग (एसएफआरसी) की स्थापना करना और उसमें एनजीओ-एमएफआई और स्थानीय मुद्रा सेवा कारोबार जैसे कार्यों को शामिल करना।

“भुगतान बैंक को लाइसेंसीकरण” और “लघु बैंक को लाइसेंस देने” से संबंधित दिशा-निर्देशों का मसौदा जुलाई 2014 में जारी किया गया है ताकि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लघु बैंक जमाराशि और ऋण आपूर्ति जैसे बुनियादी बैंकिंग उत्पाद प्रदान करेंगे, इनका परिचालन एक सीमित दायरे में होगा। भुगतान बैंक प्रौद्योगिकी का फायदा उठाएंगे और एक व्यापक नेटवर्क की पहुंच विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में मांग जमा और निधियों को भेजने के लिए सीमित दायरे वाले उत्पाद प्रदान करेंगे।

V

वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

वित्तीय बाजारों को और अधिक विकसित करने और उनके विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने प्रयास निरंतर जारी रखे। इस संबंध में किए गए उपायों में मुद्रास्फीति से संबद्ध बांड जारी करना और ब्याज दर वायदा सौदों का नकद-निपटान करना शामिल है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए गए हैं। बढ़ते हुए चालू खाता घाटे और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के दबावों के बीच पूंजी के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। वैश्विक और आंतरिक संक्रमणों से वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न होने वाले जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की गई और उन्हें कम करने के लिए सभी समुचित उपाय किए गए। इसके अलावा, वित्तीय बेंचमार्कों में सुधार करने की भी योजना बनाई गई है।

V.1 मई 2013 के अंत से अमेरिकी मात्रात्मक सहजता में क्रमिक रूप से कमी के जोखिम के शुरू होने की आशंका से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण पूंजी प्रवाह में हुई वृद्धि से उत्पन्न चुनौती के लिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न उपाय किए गए जिससे मुद्रा बाजारों में सफलतापूर्वक स्थिरता लौट आई। अन्य वित्तीय बाजारों को विकसित करने के लिए भी रिजर्व बैंक द्वारा प्रयास किए गए ताकि मौद्रिक नीति के संचरण को बढ़ाया जा सके, बाजार में और अधिक उत्पाद नवोन्मेष लाए जा सकें और स्थिर पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके।

V.2 वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और उसमें मौजूद जोखिमों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से निरंतर निगरानी करने और समीक्षा ढांचे का मौजूद रहना आवश्यक है। वित्तीय बेंचमार्क त्वरित और सुविधाजनक रूप से प्रणाली की निगरानी करने की सुविधा देते हैं और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर उनका काफी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के बेंचमार्कों के जरिए काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय सौदों को संदर्भित किया जाता है अथवा उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में वित्तीय बेंचमार्कों का विश्लेषण करने के लिए वित्तीय बेंचमार्कों के संबंध में एक समिति (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) गठित की थी (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1 वित्तीय बेंचमार्कों में सुधार

वित्तीय बेंचमार्कों का उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय करारों की कीमत, निपटान और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। लंदन इंटर बैंक ऑफ़र्ड रेट (लीबोर), यूरो इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (यूरीबोर), टोक्यो इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (टीबोर) और लंदन 4 एफएक्स निर्धारण आदि जैसे विभिन्न प्रमुख वैश्विक बेंचमार्कों के संबंध में हाल ही में की गई छेड़छाड़ ने वित्तीय बेंचमार्कों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। विभिन्न अंतर-राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों, राष्ट्रीय नियामकों, केंद्रीय बैंकों और स्वयं-विनियामकीय निकायों ने वित्तीय बेंचमार्कों के सुधार के लिए विस्तृत उपायों और अभिशासकीय सिद्धांतों की घोषणा की है। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, व्हीटले द्वारा लीबोर की समीक्षा (सितंबर 2012), यूरोपियन प्रतिभूति बाजार प्राधिकरण और यूरोपियन बैंकिंग प्राधिकरण के बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया हेतु सिद्धांत (जून 2013) और वित्तीय बेंचमार्कों के लिए सिद्धांतों के संबंध में प्रतिभूति आयोग के अंतर-राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) की रिपोर्ट (जुलाई 2013)।

देश-विदेश के अनुभवों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय बेंचमार्कों के संबंध में समिति (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) ने मौजूदा बेंचमार्क

निर्धारण पद्धति और भारतीय रूपए की ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा बेंचमार्कों के प्रमुख अभिशासन ढांचे का गहनता से विश्लेषण किया। इसने बेंचमार्कों का प्रयोग होने और उनकी संगतता के आधार पर प्रमुख बेंचमार्कों की पहचान की और यह पाया कि मौजूदा प्रणाली काफी हद तक संतुष्टिपूर्ण है। बेंचमार्क की गुणवत्ता को सुदृढ़ता प्रदान करने और बेंचमार्क प्रशासकों, गणनाकर्ता एजेंटों और प्रस्तुतकर्ताओं के लिए पद्धतियों और अभिशासन का ढांचा तैयार करने के लिए इसने कई उपाय सुझाए हैं।

बेंचमार्क संबंधी गुणवत्ता और पद्धति निर्धारण के विषय में दी गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- i. स्थायी आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी संघ (फिमडा) और भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय डीलर संघ (एफईडीएआई) को क्रमशः भारतीय रूपए की ब्याज दर और विदेशी विनिमय बेंचमार्क को प्रशासित करना होगा और उनके ऊपर संपूर्ण निर्धारण प्रक्रिया की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी;

(Contd...)

- ii. बेंचमार्क की गणना दृष्टव्य लेन-देनों, जहां भी वे उपलब्ध हों, के आधार पर की जाएगी क्योंकि इनपुट का पहला चरण समुचित सीमारेखा के अधीन होगा। इनपुट के अनुक्रम के रूप में, साध्य बोलियों और पेशकशों का उपयोग क्रमशः इनपुट के दूसरे और तीसरे चरण के लिए किया जाएगा, जो समुचित सीमारेखा और निर्वाचित प्रस्तुतियों के अधीन होगा।
- iii. एकदिनी मुंबई इंटर बैंक बोली दर (एमआईबीआईडी) - मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड दर (मीबोर) का निर्धारण मौजूदा निर्वाचित आधार पद्धति के स्थान पर निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम- कॉल मनी मार्केट (एनडीएस-कॉल) पर प्रातः 9-10 के बीच किए गए व्यापारों की औसत भारित मात्रा के आधार पर किया जाएगा।
- iv. पूर्व में हुए करारों जो कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से एमआईबीआईडी-मीबोर पर संदर्भित हैं उन्हें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संशोधन समझौतों, जो भी समुचित हों, के जरिए परिवर्तित करने के कार्य का समन्वय फिमडा द्वारा किया जाएगा;
- v. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल वक्र के निर्माण का आधार पिछले सौदे में प्राप्त प्रतिफलों के स्थान पर दीर्घावधि में कार्यान्वित किए गए सौदों के वीडब्ल्यूए पर आधारित होगा;
- vi. राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में अपेक्षित व्यापारिक मात्रा का अभाव होने पर मौजूदा निर्धारित 25 बीपीएस स्प्रेड का उपयोग करने के स्थान पर पिछली दो एसडीएल नीलामियों में प्राप्त किए गए स्प्रेड का प्रयोग किया जाएगा, बशर्ते कि वह समुचित पात्रता मानदंड को पूरा करता हो;
- vii. पर्याप्त रूप से लंबी समयावधि के दौरान वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए लेन-देनों के वीडब्ल्यूए पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर का उपयोग किया जाए न कि मौजूदा निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया जाए; और
- viii. अप्रयुक्त बेंचमार्कों को उनके संबंधित प्रशासकों द्वारा क्रमिक रूप से समाप्त कर दिया जाए।

अभिशासन ढांचे से संबंधित मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है:

- i. प्रशासक प्रस्तुतकर्ताओं के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाएं जिसमें प्रस्तुति के समय डेटा इनपुट के अनुक्रम, प्रस्तुति-पूर्व सत्यापन और प्रस्तुति-पश्चात् इनपुट आदि की समीक्षा का विशेष उल्लेख किया गया हो और वे प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अनुपालन की निगरानी कर सकें;

- ii. फिमडा और फीडाआई बेंचमार्कों के प्रशासन के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग एक स्वतंत्र ढांचे का निर्माण करें ताकि मौजूदा अभिशासन ढांचे के कारण बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया के साथ उत्पन्न होने वाले संभावित हित टकरावों से बचा जा सके;
- iii. गणना एजेंट समुचित वरिष्ठता स्तर वाले स्टाफ की नियुक्तियां करें जो बेंचमार्क गणना के उत्तरदायित्व, गणना पूर्व और गणना पश्चात् सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित करने, उनके द्वारा प्राप्त अथवा सृजित सूचना, जो आवधिक रूप से आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा में गणना कार्यप्रणाली के अधीन होगी, के संबंध में समुचित गोपनीयता प्रोटोकॉल बनाने और आवधिक रूप से प्रशासक को उसकी पुष्टि प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट रूप से जवाबदेह होंगे; और
- iv. बेंचमार्क प्रस्तुतकर्ताओं के पास आंतरिक निदेशक मंडल से अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए ताकि प्रस्तुति प्रक्रिया के अभिशासन के संबंध में, प्रभावी हित टकराव नीति और मुखबिर नीति की स्थापना करने, प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी स्टाफ को स्पष्ट रूप से जवाबदेह बनाने, प्रस्तुतियों की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मेकर-चेकर(निर्माता-जांचकर्ता) प्रक्रिया स्थापित करने, जहां उचित हो वहां प्रस्तुति प्रक्रिया को आवधिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षणों और बाह्य लेखा परीक्षणों के तहत लाने और आवधिक रूप से प्रशासक को उसकी पुष्टि भेजने के लिए व्यवस्था की जा सके।

समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में समुचित संशोधन करने की संस्तुति की है ताकि भारत में मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, क्रेडिट और विदेशी मुद्रा विनियम में प्रयुक्त बेंचमार्कों के संबंध में नीति निश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक को सशक्त बनाया जा सके और बेंचमार्क निर्धारण में सलिप्त सभी एजेंसियों पर बाध्यकारी निर्देश लागू किए जा सकें।

रिजर्व बैंक ने हाल ही में फिमडा और फीडाआई को सूचित किया है कि वे समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करें। बेंचमार्क प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में कार्य करने वाले बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके। बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बेंचमार्क प्रस्तुत करने संबंधी गतिविधियों और इसके साथ ही प्रस्तुति के लिए अभिशासन ढांचे को रिजर्व बैंक के ऑन-साइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के तहत लाया जा रहा है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.3 रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) और ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरडी) बाजारों को विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि मुद्रास्फीति से संबद्ध बांड, नकद रूप में निपटान किए जाने वाले 10 वर्षीय ब्याज दर वायदा और एनडीएस-ओएम

पर अलग से बेची जाने वाली पंजीकृत प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन (एसटीआरआईपीएस) का व्यापार प्रारंभ करना; पुनः खरीद और स्विक के जरिए प्रतिभूतियों का समेकन करना; जी-सेक में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश सीमा को क्रमिक रूप से बढ़ाना; परिपक्वता के लिए रखे जाने वाले पोर्टफोलियो को कम कर इसे निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का

24 प्रतिशत करना; और ब्याज दर स्वैप व्यापारों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक प्लेटफार्म प्रारंभ करने हेतु भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के पक्ष में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन लेना शामिल है।

V.4 एफआईआई/ पात्र विदेशी निवेशकों को जी-सेक में निवेश करने के लिए उपलब्ध सीमा में 5 बिलियन यूएस डालर की वृद्धि करना और तदनुसार, दीर्घावधि निवेशक के लिए उपलब्ध राशि को 10 बिलियन यूएस डालर से कम कर 5 बिलियन यूएस डालर करके उसे समग्र 30 बिलियन यूएस डालर की सीमा के भीतर ले आना। वृद्धिशील निवेश सीमा को जी-सेक में निवेश किया जाएगा जिसकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होगी।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार

V.5 लगातार बढ़ते हुए चालू खाते घाटे से निपटने के लिए और घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आकस्मिक बहिर्वाह से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने वर्ष के दौरान कई उपाय किए, जिनका व्यापक रूप से उद्देश्य यह था कि स्वर्ण के आयात को घटाया जाए; पोर्टफोलियो निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, विशेष रूप से कर्ज क्षेत्र में और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों को युक्तिसंगत बनाया जाए; निवासियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले सीधे निवेश के जरिए होने वाले बहिर्वाह को कम किया जाए; और बाजार के खिलाड़ियों द्वारा लगाई जाने वाली अटकलों पर लगाम लगाई जा सके। रुपए-डालर विनिमय दर में स्थिरता लौटने पर ओडीआई के तहत और व्यक्तियों द्वारा किए जाने विप्रेषणों के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों का काफी हद तक हटा लिया गया है।

चालू खाता

चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए स्वर्ण के आयात पर प्रतिबंध लगाना

V.6 बढ़ते हुए स्वर्ण आयात बिल के दबाव कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए ताकि घरेलू उपयोग के लिए स्वर्ण हेतु मांग में कमी की जा सके। अन्य के साथ-साथ इनमें ये शामिल हैं: (i) स्वर्ण आयातों पर सीमा शुल्क बढ़ाना, (ii) सिक्कों और पदकों के रूप में स्वर्ण आयात को प्रतिबंधित करना, और (iii) सभी नामित बैंकों और अन्य निकायों को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित कराना कि आयात किए गए स्वर्ण के प्रत्येक लॉट में कम से कम

20 प्रतिशत निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जाए। इन उपायों से 2013-14 के दौरान स्वर्ण के आयात पर काफी नियंत्रण लगाया जा सका।

केंद्रीकृत निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली प्रारंभ होना

V.7 1 मार्च 2014 से एक विस्तृत निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली को प्रारंभ किया गया ताकि निर्यात लेन-देनों की प्रभावी निगरानी, सहज निगहबानी और समेकन किया जा सके। इस स्वचालित केंद्रीकृत निर्यात लेन-देन प्रणाली को सभी प्रकार के निर्यातों के लिए एकल मास्टर डेटाबेस के साथ विकसित किया गया है जो सभी प्रकार के निर्यात लेन-देनों का रिकार्ड रखेगा। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास उपलब्ध पोत-लदान डेटा, निर्यात के संबंध में की जाने वाले सभी अनुवर्ती कार्रवाइयों का आधार होगा। इस डेटा को इसमें शामिल सभी हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा ताकि निर्यात दस्तावेजों की रसीदों और निर्यात प्राप्तियों के प्रत्यावर्तनों दोनों पर बैंकिंग माध्यमों से निगरानी रखी जा सके।

अन्य युक्तिसंगत उपाय

V.8 सौदागरी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विस्तृत नए विनियमन जारी किए गए जिनमें अग्रलिखित हैं: (i) लेन-देनों को नौ माह के भीतर पूरा करने के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना, जिसमें चार माह से अधिक के लिए विदेशी मुद्रा का परिव्यय नहीं होना चाहिए, (ii) सौदागरी लेन-देनों के लिए अल्पावधि क्रेडिट (आपूर्तिकर्ताओं या खरीददारों) निर्यात के उस चरण के लिए केवल उसी सीमा तक ही उपलब्ध कराना जिसके लिए उन्हें अग्रिम विप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें निर्यात के उस चरण के लिए प्रदान किए गए साख पत्र के लिए दी गई बट्टा राशि भी शामिल होगी। वस्तुओं/सॉफ्टवेयर के निर्यात/आयात लेन-देनों के लिए तीसरे पक्ष को भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है बशर्ते कि पक्का अटल खरीदी आदेश/ त्रिपक्षीय समझौता मौजूद हो अन्यथा अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य हो जिसमें इस प्रकार की परिस्थितियां दर्शायी गई हो जो किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने का संकेत करती हों।

जावक विप्रेषण

V.9 सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी को 19 मई 2014 से प्रभावी बनाया गया जिसे ओडीआई करने के लिए 'भारतीय पक्ष' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

V.10 किसी भारतीय पक्ष द्वारा स्वचालित तरीके से सुमुद्रपारीय सीधा निवेश करने के लिए विप्रेषणों की सीमा को अगस्त 2013 से उनकी नेट वर्थ (पिछले लेखा-परीक्षित तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार) के 400 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसे विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता के लौटने पर जुलाई 2014 में पुनःबहाल कर दिया गया। इसमें एक अतिरिक्त शर्त यह जोड़ी गई कि किसी एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन यूएस डालर से अधिक किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

V.11 अगस्त 2014 में, छूट-प्राप्त विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत किसी स्वीकृत पूंजी या चालू खाते के लेन-देन या दोनो के मिश्रित स्वरूप के लिए विप्रेषणों की निर्धारित सीमा को भी कम किया गया और इसे प्रति वित्तीय वर्ष यूएस डालर 200,000 से कम करके यूएस डालर 75,000 कर दिया गया। तथापि, विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों का निर्माण करने/अधिग्रहण करने के उद्देश्य से एलआरएस सुविधा का विस्तार किया गया है ताकि एलआरएस के तहत निर्धारित सीमा के भीतर निवासी व्यक्ति विदेशों में सीधे निवेश (ओडीआई) कर सकें। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थिरता लौटने से जून 2014 में पात्रता सीमा को बढ़ाकर यूएस डालर 125,000 कर दिया गया और इसके अंतिम उपभोग के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन मार्जिन व्यापार जैसे प्रतिबंधित लेन-देन इसमें शामिल नहीं हैं।

V.12 विदेश यात्रा करने वाले निवासियों और भारत आने वाले अनिवासियों की यात्रा अपेक्षाओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी लोगों, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, के लिए रुपए 25,000 मूल्य की भारतीय मुद्रा की अनुमति प्रदान की गई।

आवक विप्रेषण

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

V.13 सितंबर 2013 में रिजर्व बैंक ने छूट देने के उपायों के रूप में एफडीआई योजना के तहत अनिवासियों को (पोर्टफोलियो निवेशकों के अलावा) सूचीबद्ध ऐसी भारतीय कंपनियों में शेयर अधिग्रहित करने की अनुमति दी है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण विनियमन का अनुपालन करती हैं।

V.14 भारत में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को विदेश में पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई और इसके लिए भारत में पहले अथवा

बाद में सूचीबद्धता की अपेक्षा नहीं रखी गई है। प्रारंभ में यह योजना 2 वर्ष के लिए है और इसके बाद इसकी शर्तों और योजना की समीक्षा की जाएगी। एफडीआई योजना के तहत, ईक्विटी शेयरों में विकल्प-शर्त की अनुमति दी गई है और निश्चित तथा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीह प्राप्त शेयर/डिबेंचर भारत से बाहर रहने वाले निवासियों को जारी किए जाएंगे जिसमें कुछ शर्तों के तहत किसी भी प्रकार के प्रतिफल की गारंटी नहीं दी जाएगी।

V.15 एफडीआई नीति की प्रभावकारिता बढ़ाने और स्वामित्व तथा नियंत्रण के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए भारतीय कंपनियों में निचले स्तर पर होने वाले निवेशों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। इनमें वे भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं जो निवासी निकायों के स्वामित्व में/या नियंत्रण में नहीं हैं। इसी प्रकार सरकारी और कारपोरेट कर्ज में विदेशी निवेश को निवेशक के लिए सहज बनाने हेतु मौजूदा सीमाओं को युक्ति संगत बनाया गया और परिपक्वता प्रतिबंधों तथा लॉक-इन अवधि से संबंधित नियमों को हटाया गया।

V.16 एफआईआई और क्यूएफआई के लिए उपलब्ध मौजूदा विनियामकीय ढांचे को सम्मिलित करते हुए एफपीआई नामक एक नई निवेशक श्रेणी बनाई गई और इनके लिए युक्तिपरक अपने ग्राहक को जानिए मानदंड लागू किए गए। अप्रैल 2013 में खजाना बिलों में दीर्घावधि निवेश सीमा को यूएस डालर 5.5 बिलियन तक सीमित किया गया। जून 2013 में दीर्घावधि निवेशकों के लिए सीमा को यूएस डालर 5 बिलियन बढ़ाते हुए इसे यूएस डालर 30 बिलियन कर दिया गया ताकि अल्पावधि में सीमित की गई निवेश सीमाएं दीर्घावधि परिपक्वताओं के लिए उपलब्ध रहें। जनवरी 2014 में दीर्घावधि निवेशकों के लिए सीमा को बढ़ाकर यूएस डालर 10 बिलियन कर दिया गया जो 30 बिलियन यूएस डालर की समग्र सीमा के भीतर थी।

V.17 दीर्घावधि प्रवाहों को और अधिक बढ़ाने के लिए अप्रैल 2014 में एफपीआई सहित सभी पात्र निवेशकों को निवेश की अनुमति ऐसी दिनांकित जी-सेक में दी गई जिनकी परिपक्वता एक वर्ष अथवा उससे अधिक के लिए बची हुई थी और एक वर्ष से कम समय के लिए बची हुई परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिलों तथा जी-सेक में मौजूदा निवेश को परिपक्वता/ बिक्री के समय कम करने की अनुमति प्रदान की गई।

V.18 भारतीय कंपनियों को सामान्य रूप से अनुमति प्रदान की गई कि वे अपने सामान्य आरक्षी में से बोनस के रूप में वितरण करने के लिए अमेरिकन निक्षेपागार रसीद (एडीआर)/वैश्विक

निक्षेपागार रसीद (जीडीआर) के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने वाले निक्षेपागारों सहित अनिवासी शेयरधारकों को गैर-परिवर्तनीय/शोध्य तरजीह प्राप्त शेयर या डिबेंचर जारी कर सकती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था संबंधी योजना कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भारतीय अदालत द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, बशर्ते कि उसे आयकर अधिकारियों से अनापत्ति मिल गई हो। इस प्रकार की लिखतों के बाद में सूचीबद्ध होने पर, पंजीकृत एफपीआई को प्रत्यावर्तन के आधार पर इस प्रकार की लिखतों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई जो कारपोरेट ऋण के उद्दिष्ट 51 बिलियन यूएस डालर की समग्र सीमा के भीतर होगी।

V.19 एफडीआई निवेशों के अवसरों को व्यापक बनाने के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत एलएलपी को एफडीआई की अनुमति उन क्षेत्रों लिए दी गई जहां 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है और उस पर एफडीआई से संयुक्त निष्पादन संबंधी किसी प्रकार के मानदंडों नहीं हैं।

बैंकों की विदेशी उधारियों को बढ़ाने के लिए स्वैप सुविधा

V.20 पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देने और बाहरी निधियों के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के लिए विदेशी उधारियों की सीमाओं को उनकी अक्वशुण टिअर-1 पूंजी; जो पिछली तिमाही के अंत में उपलब्ध या यूएस डालर 10 मिलियन, जो भी अधिक हो; के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, जबकि मौजूदा सीमा 50 प्रतिशत ही है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को 11 सितंबर 2013 से 30 नवंबर 2013 के बीच की सीमित अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय/ बहुउद्देश्यीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई और इसके साथ उन्हें रिजर्व बैंक के साथ स्वैप लेन-देन करने का विकल्प प्रदान किया गया। ये स्वैप, न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध सभी नई उधारियों के लिए बाजार में प्रचलित दर से 100 आधार अंक कम की छूट प्राप्त दर पर उपलब्ध थे।

आवक विप्रेषण योजनाओं में छूट प्रदान करना

V.21 आवक विप्रेषणों को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक चैनलों में रुपए के लिए आहरण व्यवस्था (आरडीए) के दृष्टिकोण को और विस्तार दिया गया। इसमें अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई, इसमें (क) भारत में सुविधा सेवा प्रदाताओं और कर प्राधिकरणों को बिलों का सीधा भुगतान करना और (ख) ऋणों के पुनः भुगतान के लिए बैंकों और गैर बैंक वित्त कंपनियों

(गैर्बैंकिंग) को भारत में समान मासिक क्रिस्तों का भुगतान करना शामिल है। इसके अलावा, आरडीए के तहत व्यापारिक लेन-देनों की सीमा को 200,000 से बढ़ाकर 500,000 प्रति-लेन कर दिया गया।

V.22 मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में विप्रेषण सीधे प्राप्त करने की सुविधा दी गई, चाहे वह खाता प्राप्तकर्ता बैंक से इतर ही क्यों न हो या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) जैसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में आरडीए सीधे अंतरित करने की अनुमति प्रदान की गई बशर्ते कि खाता केवाईसी की जरूरतें पूरी करता हो। यह सुविधा नेटवर्क का फैलाव करने और कुछ हद तक नकद लेनदेन को कम करने में भी प्रदान करेगी।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी)

V.23 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में विदेशी पूंजी अंतर्वाह को मजबूती प्रदान करने के लिए (क) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है ताकि ईसीबी लेने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके; (ख) गैर्बैंकिंग-आस्ति वित्त कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे स्वचालित/ अनुमोदन मार्ग के तहत सशर्त ईसीबी की सुविधा लेने सकती हैं ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को लीज पर देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के आयात का वित्त पोषण कर सकें और (ग) गैर्बैंकिंग के लिए ईसीबी की सीमा- स्वचालित मार्ग के तहत बकाया ईसीबी सहित उनकी स्वाधिकृत निधियों की 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है और उनकी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से अधिक के लिए सीमा में विस्तार अनुमोदन मार्ग के तहत दिया गया और मुद्रा जोखिम के लिए प्रतिरक्षा (हेजिंग) अपेक्षा को एक्सपोजर के 100 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत कर दिया गया।

V.24 यूएस डॉलर 10 बिलियन योजना, जो उन उधारकर्ताओं को लाभ देती है जो निरंतर रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, ताकि वे ईसीबी को बढ़ाते हुए घरेलू बैंकों से रुपए में लिए गए ऋण का पुनः वित्तीयन कर सकें, इसका लाभ उन कंपनियों को भी उपलब्ध कराया गया है जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम/ पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगियां/आस्तियों का अधिग्रहण किया है। यह लाभ इस शर्त के साथ दिया गया कि इस प्रकार के ईसीबी का पुनः भुगतान पूरी कड़ाई के साथ केवल विदेशी मुद्रा आय से ही चुकाया जाएगा।

V.25 पात्र अनिवासी निकायों (बहुपक्षीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं, सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्त संस्थाएं और प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारक(को)) द्वारा क्रेडिट में वृद्धि की अनुमति, जो पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए उपलब्ध थी, ऐसे सभी उधारकर्ताओं के लिए मुहैया कराई गई जो स्वचालित मार्ग के तहत ईसीबी उठाने के लिए पात्र हैं।

V.26 विदेशी कंपनियों की पात्र घरेलू अनुषंगियों को कुछ शर्तों के साथ उनके विदेशी ईक्विटी धारक से सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए ईसीबी लेने की सुविधा प्रदान की गई है जिनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 7 वर्ष होगी।

रुपए बांड को प्रायोगिक तौर पर जारी करना

V.27 विदेशी बाजारों में प्रायोगिक तौर पर रु.620 बिलियन राशि के रुपए में अंकित बांड जारी करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को अनुमत प्रदान की गई। इन बांडों को भारतीय रुपए के साथ संबंध किया गया परंतु इनकी खरीदारी और निपटान विदेशी मुद्रा में किया गया। इस प्रकार के बांड जारी करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा पहली बार अनुमति प्रदान की गई। वैश्विक निवेशकों ने सभी निर्गमों में गहरी रुचि दर्शायी गई।

व्युत्पन्नी बाजार

10-वर्षीय जी-सेक के संबंध में नकद निपटान आईआरएफ लागू करना

V.28 जी-सेक और आईआरडी में चलनिधि को बढ़ाने के लिए गठित कार्यदल ने आईआरएफ बाजारों का विस्तृत अध्ययन किया और सिफारिश की कि प्रतिबंधित भागीदारी, प्रविष्टि-आधारित खुली स्थिति सीमा और मूल्य-संचरण जैसे समुचित विनियमनों के अधीन नकद रुप में निपटाए जाने वाले 10-वर्षीय आईआरएफ को प्रारंभ किया जाए। नकद रुप में निपटाए जाने वाले आईआरएफ के संबंध में 10-वर्षीय जी-सेक के बारे में 5 दिसंबर 2013 को दिशानिर्देश जारी किए गए। बाजार प्रतिभागियों और सेबी के साथ विचार विमर्श करके इसके दो भिन्न रूपों: (क) आधार आस्ति के रूप में कूपन वाली जी-सेक अर्थात् 10-वर्षीय जी-सेक पर एकल आईआरएफ बांड, और (ख) विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर आधारित निपटान मूल्य के साथ नेशनल कूपन वाली 10-वर्षीय जी-सेक, जिनका 10-वर्षीय जी-सेक के संबंध में नकद रुप में निपटाया जाने वाले वायदा सौदा किया जा सकता था, की अनुमति

प्रदान की गई। एक्सचेंजों को किसी एक प्रकार के या दोनो प्रकार के रूपों में करारों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। सभी तीन प्राधिकृत एक्सचेंजों में (एनएसई, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) जनवरी 2014 में 10-वर्षीय जी-सेक के संबंध में नकद निपटान आधारित आईआरएफ को प्रारंभ किया गया।

V.29 लागू होने के पश्चात देखी गई प्रारंभिक ऊँचाइयों के बाद व्यापार की मात्रा में कमी आई। बाजार अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है क्योंकि बहुत से बाजार प्रतिभागियों के पास समुचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अभाव है। तथापि, ऐसी आशा की जाती है कि बाजार के विकसित होने के साथ ही सभी विनियमित निकाय आईआरएफ बाजार में सक्रिय रूप से अपनी स्थितियां लेने लेंगे ताकि ब्याज दरों के जोखिम का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकें।

उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए मुद्रा व्युत्पन्नी सौदों पर प्रतिबंध लगाना

V.30 विनियम बाजार के दबावों को देखते हुए, घरेलू एक्सचेंजों पर किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्नी सौदों की मात्रा में तेजी आई जो यह दर्शाता है कि मई 2013 के अंत से उतार-चढ़ाव भरी स्थितियां मौजूद थीं। बाजार में कुछ स्थिरता लाने के उद्देश्य से सेबी ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके मुद्रा व्युत्पन्नी बाजार पर प्रतिबंध लगा दिए जैसे कि प्रारंभिक और अत्यंत हानि मार्जिन को बढ़ा देना और ग्राहकों तथा गैर-बैंक व्यापारिक सदस्यों की खुली सीमाओं में कटौती कर देना। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को अपने ग्राहकों की ओर से किए गए व्यापार को छोड़कर मुद्रा वायदा/एक्सचेंज पर किए जाने वाले मुद्रा विकल्प बाजारों में सीधे तौर पर कोई भी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई।

विनियम जोखिम की प्रतिरक्षा(हेजिंग) करने के लिए बाजार प्रतिभागियों को लचीलापन देने संबंधी उपाय

V.31 2013-14 की तीसरी तिमाही के प्रारंभ में विदेशी मुद्रा विनियम बाजारों में स्थितियों स्थिरता प्राप्त कर लेने पर चालू खाते और पूंजी खाते लेन-देनों के संबंध में, निर्यातकों (आयातकों) को अपने निर्यात (आयात) करारों की प्रतिरक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष में निष्पादित किए गए करारों के 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत) तक के वायदा करारों को समाप्त करने और उन्हें फिर से निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद, एक वर्ष या उससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले सभी चालू खाता लेन-देनों

और पूंजी खाता लेन-देनों के संबंध में सभी वायदा करारों को मुक्त रूप से समाप्त करने और पुनः निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों/ पात्र विदेशी निवेशकों/ अन्य पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निष्पादित किए गए वायदा करारों को परिपक्वता पर अथवा उसके पूर्व आगे ले जाने की और एक बार समाप्त किए गए करारों को, उनकी समापन कीमत के 10 प्रतिशत तक फिर से निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई।

V.32 इस सुविधा के तहत की गई यह अपेक्षा कि (निर्यातकों और आयातकों दोनों द्वारा) निष्पादित किए गए सभी वायदा करार पूर्णतया सुपुर्दगी आधारित होने चाहिए, में भी छूट प्रदान की गई। संबंधित पात्रता सीमा के 75 प्रतिशत तक निष्पादित किए गए करारों को संबंधित निर्यातक/आयातक के साथ समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई चाहे वह घाटे में हो अथवा लाभ में। तथापि, पात्रता सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में निष्पादित किए गए करारों का सुपुर्दगी आधारित होना अपेक्षित रहा और उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता था, जिसका अर्थ यह हुआ कि समापन की स्थिति में निर्यातक/आयातक को घाटा तो वहन करना होगा परंतु वह किसी प्रकार के लाभ का पात्र नहीं होगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में छूट प्रदान करना

V.33 एफपीआई को अब सूचकांक पर किए जाने वाले व्युत्पन्नी सौदों(ईटीसीडी) में एक सीमा तक भाग लेने की अनुमति दी गई है और उस सीमा के बाद सशर्त अनुमति दी गई है। निवासियों के लिए भी ईटीसीडी में भाग लेने की व्यवस्था को युक्ति संगत बनाया

गया है। सूचकांक से इतर (ओटीसी) और सूचकांक पर किए जाने वाले सौदों से संबंधित बाजारों में कुछ एकरूपता लाने के लिए कुछ नीतिगत उपाय प्रारंभ किए गए हैं। एडी श्रेणी-1 के बैंकों को भी ईटीसीडी बाजारों में स्वामित्वपूर्ण स्थितियां बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। बाजार की अस्थिर स्थितियों को देखते हुए पहले बैंकों को अस्थायी तौर पर ऐसा करने करने से रोका गया था। बैंक अब अपनी ओटीसी स्थितियों को वायदा बाजार में और उसके विपरीत समायोजित कर सकते हैं।

V.34 विदेशी मुद्रा बाजारों पर दिसंबर 2011 में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें लगभग पूरी तौर पर हटा लिया गया है। समाप्त किए गए करारों को फिर से बुक करने की सुविधा बहाल कर दी गई है। पिछले निष्पादन मार्ग के तहत अनिवार्य सुपुर्दगी को भी समाप्त कर दिया गया है, निर्यातकों के लिए सीमाओं को पूर्णतः बहाल कर दिया गया है और इसी प्रकार आयातकों के लिए इसे मूल्यांकित की गई सीमा के 50 प्रतिशत पर रखा गया है।

V.35 निर्यातकों के लिए सेवाओं/सुविधाओं के संबंध में गठित तकनीकी समिति (अध्यक्ष: श्री जी. पद्मनाभन) की सिफारिशों के अनुसरण में दस्तावेजी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे अपने ग्राहकों को करार किए गए जोखिम माध्यम के तहत हेजिंग (प्रतिरक्षा) उत्पादों की पेशकश करते समय सांविधिक लेखा-परीक्षकों से वार्षिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आशा की जाती है कि इस उपाय से विनिमय जोखिमों की प्रतिरक्षा (हेजिंग) प्रक्रिया में दस्तावेजों का बोझ कम हो सकेगा।

वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने के बाद के पाँच वर्षों में दुनिया भर के नीति निर्माताओं ने अपनी वित्तीय प्रणाली को फिर से बनाने पर ध्यान दिया है ताकि प्रणाली मजबूत हो, संक्रमण के खतरों को कम किया जा सके और भविष्य में ऐसे संकटों को रोका जा सके। विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व नॉन-बैंकिंग क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता की चिंता को देखते हुए जोखिम को कम करने पर भी ध्यान दिया है। बैंक ने पूर्व चेतावनी व्यवस्थाएं कायम की हैं और उधारकर्ता खातों की क्रेडिट क्वालिटी की लगातार निगरानी हेतु व्यवस्थाओं को तैयार किया है। वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए इसने प्रतिक्रम्य बफर्स की प्रक्रिया शुरू की है। आम तौर पर एनबीएफसी की पहुँच उन ग्राहकों में दूर-दूर तक फैली हुई है जो बैंक सुविधाओं से उतना नहीं जुड़े हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेश को बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम है। अतः ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इनका पर्यवेक्षण और विनियमन भी सावधानी से किए जाने की जरूरत है।

VI.1 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के तुलन-पत्रों से होने वाले संक्रामक खतरों तथा बाद में यूरो संकट में उजागर हुए सरकारी तुलन-पत्रों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों से जाहिर होता है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में नीतिगत ढाँचे का स्थान महत्वपूर्ण है। हाल में घरेलू अर्थव्यवस्था की कमजोरी और बैंकिंग क्षेत्र के दबावग्रस्त आस्ति परिदृश्य के बीच यूएस टेपरिंग की घोषणा के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में देखे गए दबावों से घरेलू बाजार की कमजोरियां सामने आईं जिससे भारतीय नीति-निर्माता समष्टि स्तर पर विवेकपूर्ण व टिकाऊ समाधानों की ओर उन्मुख हुए।

VI.2 प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था विकसित करने के अपने प्रयास में रिजर्व बैंक ने अग्रसक्रिय होकर जोखिम वाले ऋण की पहचान, दिए जा चुके ऐसे ऋणों का पता लगाने व इन पर निगरानी रखने तथा समय रहते चूक की संभावना को समुचित रूप से निष्क्रिय कर देने तथा जहाँ अपरिहार्य हो, वहाँ फँसे धन को जल्द व किफायती ढंग से निकाल लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में अधिक उपाय किए ताकि हानि तथा प्रणाली स्तर पर संभाव्य संक्रमण को रोका जा सके। इसने बैंक व नॉन-बैंक क्षेत्रों में ऋण-मूल्य-निर्धारण की अधिक न्याय-संगत व्यवस्था लागू करने का भी प्रयास किया। ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी तथा बैंकिंग जागरूकता व बैंकिंग प्रसार में बेहतरी लाने के प्रयास रिजर्व बैंक के विनियामक व पर्यवेक्षी उपायों की कार्यसूची में प्राथमिकता पर बने हुए हैं।

वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन

चक्रिय ढलान व क्षेत्र विशेष की समस्याओं के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता दबाव में

VI.3 बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और आस्ति गुणवत्ता के मानकों में वर्ष के दौरान गिरावट आई (सारणी VI.1)। तथापि, अंतिम तिमाही में इन संकेतकों में सुधार के लक्षण दिखे। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात भी 2013-14 में नीचे गया। चलनिधि व लाभप्रदता के संकेतक दबाव में बने हुए हैं।

VI.4 विभिन्न बैंकिंग स्थिरता उपाय जो बैंकिंग इक्विटी मूल्यों में साथ-साथ होने वाले उतार-चढ़ावों पर आधारित हैं, बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो दबाव निर्भरताएं (स्ट्रेस डिपेंडेंसिज) 2013-14 की दूसरी तिमाही से उठान पर थीं, वे जनवरी 2014 से स्थिर हैं। दबाव की स्थितियों को बहुत ज्यादा मानकर किए गए दबाव परीक्षण बताते हैं कि यद्यपि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रणाली स्तरीय सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से काफी अधिक है, परंतु प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों में प्रत्याशित क्षतियों की पूर्ति के लिए अपेक्षतया अधिक प्रावधानीकरण की जरूरत है। तथापि, सामान्य परिस्थितियों में, हालात के और बिगड़ने की संभावना नहीं लगती।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सुधारों का कार्यान्वयन जारी है

VI.5 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति खाता एकत्रीकरण सुविधा (अकाउंट एग्रीगेशन

फेसिलिटी) विकसित करने के रास्ते तलाश रही है जिससे किसी ग्राहक को अपनी सभी वित्तीय आस्तियां एक ही जगह पर दिख सकेंगी। यह वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के कुछ सुझावों को समान रूप से लागू करने के लिए भी समन्वय कर रही है जिनमें विधायी

संशोधनों/नए विधानों की आवश्यकता नहीं है। उप-समिति, जिसने 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 के बीच तीन बैठकें की हैं, भारत में उन विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन को भी देख रही है जिन पर जी20 विचार विमर्श के तहत सहमति बनी है। इस संबंध में, विभिन्न अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूह बनाए गए हैं (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1

अंतर्राष्ट्रीय सहमति वाले सुधारों का भारत में कार्यान्वयन

राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के कार्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने तथा प्रभावी विनियामक, पर्यवेक्षी व वित्तीय स्थिरता के हितार्थ, वित्तीय क्षेत्र की अन्य नीतियों को विकसित करने व बढ़ावा देने के लिए 2009 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना की गई। तब से, एफएसबी ने कई प्रकार के विनियामक और पर्यवेक्षी सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए हैं जिनके दायरे को देखते हुए उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से संबंधित उपायों/सुधारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (ए) बड़े हैं तो फेल नहीं होंगे वाला मर्ज; (बी) संरक्षित व सुरक्षित बाजारों व बाजार का आधारभूत ढाँचा; (सी) छाया (शैडो) बैंकिंग की समस्या; और (डी) समष्टि विवेकपूर्ण ढाँचों की स्थापना।

जी20 के एक हस्ताक्षरकर्ता और एफएसबी के एक सदस्य के रूप में भारत उन सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन पर संकट के बाद के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सहमति हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों और प्राधिकारियों के बीच समन्वयकर्ता की भूमिका निभाती है और सुधारों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है। विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह अंतर-विनियामक/अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूहों का गठन करती है जो सुधारों को आगे कार्यान्वित करने का तरीका तय करते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

- वित्तीय संस्थाओं के लिए एक प्रभावी समाधान व्यवस्था हेतु एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री आनंद सिन्हा और डॉ अरविंद मायाराम) ने सुझाव दिया है कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं पर लागू वर्तमान कानून चाहे जो हों, उनके स्थान पर एक अलग व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए और उसे सभी वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार आधारभूत ढाँचों से संबंधित मुद्दों के समाधान के आवश्यक साधन दिए जाएं। इसमें एक एकल वित्तीय समाधान प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है जो संस्थागत रूपसे विनियामकों/पर्यवेक्षकों और सरकार से स्वतंत्र होंगी।
- इसके अन्य सुझाव इस प्रकार हैं : समाधान कार्रवाई की शुरुआत समय से व तेजी से हो; आवश्यक वित्तीय सेवाओं और महत्वपूर्ण

कार्यों जैसे भुगतान, क्लियरिंग और निपटान की निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ मूल्य हास से बचा जाए एवं समाधान की लागत कम से कम हो; संरक्षण योजनाओं के जरिये जमाकर्ताओं, इश्योरेंस पॉलिसी धारकों और क्लैमंट फंड्स/एसेट्स की रक्षा की जाए; सुनिश्चित किया जाए कि क्षति का बोझ शेयरहोल्डरों और बेजमानती लेनदारों पर पड़े।

- ओटीसी डेरिवेटिव्स और बाजार सुधारों हेतु कार्यान्वयन दल (अध्यक्ष: आर गांधी) के सुझाव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इस संबंध में समय सीमा मार्च 2015 तक है।
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को विश्व स्तर पर संगत कानूनी इकाई पहचान संख्या (लीगल एंटिटी आइडेंटिफायरर्स) जारी करने की सुविधाएं तैयार करने को कहा गया है। सीसीआईएल तत्संबंधी आवश्यक तकनीकी आधारभूत ढाँचा तैयार कर रहा है।
- अंतर-विनियामक/अंतर-एजेंसी छाया बैंकिंग कार्यान्वयन समूह अभी (i) यह आकलन कर रहा है कि एफएसबी के नीतिगत दिशानिर्देशों की कसौटी पर वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों की अपने-अपने विनियामक दायरे में अनुपालन स्थिति क्या है, (ii) प्रारंभिक अंतर विश्लेषण ताकि उन सुधार उपायों की पहचान की जा सके जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है और जहाँ कार्यान्वयन करना आवश्यक नहीं है, (iii) अनुपालन या विश्लेषण ढाँचे के चलते अनपेक्षित उपायों के रूप में कुछ सुधार उपायों को चिह्नित करने के कारण और (iv) सुधार लागू करने के लिये अनंतिम समय सीमा।
- सीआरए पर निर्भरता कम करने से संबंधित अंतर-एजेंसी समूह ने कहा है कि यद्यपि वित्तीय क्षेत्र के संबंधित वर्गों के विनियमों में सीआरए रेटिंग्स के संदर्भ थे, पर वे जोखिम आकलन में परिपूरक जानकारी की भूमिका में थे। अतः बाजार के सहभागियों को चाहिए कि निवेश के पूर्व वे समुचित सावधानी बरतें ताकि सीआरए पर यांत्रिक निर्भरता न हो।

बैंकिंग क्षेत्र का मूल्यांकन

बैंकों/एफआईएज के प्रमुख वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों (एफएसआईज) का रुझान

VI.6 घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण कई कंपनियों/प्रोजेक्टों पर दबाव पड़ा जिसके चलते हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और पुनर्चित खातों की संख्या अपेक्षतया अधिक रही। इससे बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हुई जो कि आस्तियों पर घटते प्रतिफल (रिटर्न) में दिखता है। चूक को कवर करने के लिए अधिक

प्रावधानीकरण अपेक्षाओं और ऑपरेटिंग खर्चों (जो लागत-आय अनुपात में बढ़ोतरी में दिखता है) में वृद्धि से बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेषतः 2013-14 में (सारणी VI.1)

VI.7 कम लाभप्रदता के साथ-साथ 1 अप्रैल 2013 से बेसल III पूँजीमानकों के लागू होने के चलते लगाई गई नई पूँजी के कारण अधिकांश वर्गों में इक्विटी पर प्रतिफल घट गया। यद्यपि सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआईज) ने अपने क्षमता मानकों में सुधार किया है, पर 2013-14 में उनका प्रदर्शन अन्य मानकों के संबंध में कमजोर प्रतीत होता है। बढ़ते

सारणी VI.1 : चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च - अंत	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी)	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)	प्राथमिक व्यापारी (पीडी)	जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई
1	2	3	4	5	6	7	8
सीआरएआर #	2013	13.9	12.7	19.9	39.4	22.3	28.0
	2014	13.0	12.6	17.8	48.6	22.2	28.3
मूल (कोर) सीआरएआर #	2013	10.3				19.0	24.3
	2014	10.1				17.8	25.0
कुल अग्रिमों की तुलना में कुल एनपीए	2013	3.4	5.4	0.6		2.5	3.5
	2014	4.1	5.4	0.6		3.1	4.0
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	2013	1.7	1.3	0.2		0.8	1.6
	2014	2.2	1.6	0.1		1.0	2.0
आस्तियों पर प्रतिफल	2013	1.1	0.9	1.0	1.5	2.7	2.1
	2014	0.8	0.7	0.9	1.9	2.7	2.2
इक्विटी पर प्रतिफल	2013	12.9		9.5	10.1	15.4	8.6
	2014	9.5		8.8	13.3	15.0	8.8
क्षमता (लागत/आय अनुपात)	2013	46.2	50.4	17.0	27.2	72.2	73.9
	2014	48.0	56.1	18.8	30.6	76.5	72.1
ब्याज स्प्रेड (प्रतिशत)	2013	1.9		2.0		3.6	5.3
	2014	1.9		1.9		3.7	5.6
कुल आस्तियों की तुलना में चल (लिक्विड) आस्तियां	2013	28.8	33.6			9.1	4.8
	2014	28.4	35.2			10.7	4.8
सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्चित अग्रिम	2013	5.8	0.5				
	2014	5.9	0.6				

#: मार्च-13 बेसल-2 के अनुसार और मार्च -14 बेसल-3 के अनुसार.

टिप्पणी: 1. मूल सीआरएआर की गणना टीयर-1 पूँजी/कुल जोखिम भारित आस्तियों के रूप में की जाती है।

2. चल आस्तियों में नकद, बैंक बैलेस और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं।

3. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के नाबार्ड, सिडबी और एक्सिस बैंक के लेखा परीक्षित आँकड़े (ऑडिटेड डेटा)।

4. 30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के एनएचबी के लेखा परीक्षित आँकड़े, एनएचबी के मामले में वित्तीय वर्ष जुलाई से जून है।

5. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के अन-ऑडिटेड आँकड़े तथा एक्सिस बैंक के ऑडिटेड आँकड़े।

स्रोत : ऑसमॉस विवरणियां; (एससीबी), परोक्ष निगरानी विवरणियां (यूसीबी); पीडी विवरणियां (पीडी); कॉसमॉस विवरणियां (एनबीएफसी)

एनपीए के आसन्न दबाव को तुरंत पहचानने हेतु एक पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने के लिए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2014 में एक ढाँचा जारी किया जिससे दबावग्रस्त एसेट्स में जान फूँकी जा

सके। इस फ्रेमवर्क के प्रस्ताव के तहत, बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) का गठन किया गया है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2

अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने का ढाँचा: सीआरआईएलसी की प्रमुख भूमिका

बैंकों के ऋण जोखिम आकलन की गुणवत्ता और प्रणाली में उभरते ऋण जोखिमों का पता लगाने की पर्यवेक्षकों की क्षमता को प्रभावित करने वाली मूलभूत चुनौती है सूचनाओं की असममिति। दबावग्रस्त आस्तियों की प्रबंधन व्यवस्था को सक्रिय करने व इसका समन्वय करने के लिए, जिससे अच्छे जोखिम प्रबंध व वित्तीय स्थिरता हेतु पारदर्शी ऋण सूचना उपलब्ध हो, रिजर्व बैंक ने जनवरी 2014 में 'वित्तीय दबाव की शीघ्र पहचान, समाधान हेतु तुरंत कार्रवाई और ऋण देने वालों के लिए उचित वसूली: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने का ढाँचा' की शुरुआत की। इस ढाँचे में निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए एक सुधारात्मक कार्य योजना है : (i) समस्याग्रस्त खातों की शीघ्र पहचान, (ii) व्यवहार्य समझे जाने वाले खातों की समय से पुनर्चना, और (iii) अव्यवहार्य खातों की वसूली या बिक्री के लिए तुरंत कार्रवाई।

ऋण आँकड़े (क्रेडिट डेटा) जुटाने, उसे स्टोर करने और इसे ऋणदाताओं (लेंडर्स) को उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) की स्थापना की। सीआरआईएलसी का मूल उद्देश्य है सूचना असममिति को घटाकर बैंकों को क्रेडिट के संबंध में जानकारी भरा निर्णय लेने व आस्ति गुणवत्ता की समस्याओं की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाना। सीआरआईएलसी में निवेशों के साथ-साथ निधिक व गैर-निधिक एक्सपोजर्स सहित उधारकर्ता-वार ब्यौरे रखे जाते हैं।

बैंकों को सीआरआईएलसी को अपने उन सभी उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी देनी होती है जिनका कुल निधि-आधारित (फंड बेस्ड) व गैर-निधि आधारित एक्सपोजर ₹50 मिलियन या उससे अधिक है। अधिसूचित प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एसआई) और एनबीएफसी-फैक्टर्स को भी ऐसी सूचना देनी होगी। इसके अलावा, बैंकों को अपने ग्राहकों के उन सभी चालू खातों का विवरण भी देना होगा जिनमें ₹10 मिलियन व उससे अधिक का बकाया शेष (डेबिट या क्रेडिट) है। भारत में इस फ्रेमवर्क में आने वाले ऋणदाताओं को अपने विदेशी शाखाओं/कार्यालयों से मिले बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबीज) को भी रिपोर्ट करना होगा।

उधारकर्ताओं को पेश आ रही वित्तीय परेशानियों के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पकड़ने के लिए फ्रेमवर्क में अपेक्षा की गई है कि अन्य बातों के अलावा बैंक सीआरआईएलसी को उधारकर्ता के विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की स्थिति की जानकारी तत्काल दें। एसएमए -1(31-60 दिनों के बीच मूल या ब्याज अतिदेय) और एसएमए-2(61-90 दिनों के बीच मूल या ब्याज अतिदेय) जहाँ भुगतान की तारीख के बाद (पास्ट ड्यू) के लिए निर्धारित

मानदंडों पर आधारित होंगे, वहीं एसएमए-0 में वैसे नॉन-पास्ट ड्यू खाते होंगे जिनमें दबाव के प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब कोई बैंक किसी उधारकर्ता को एसएमए-2 के रूप में सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करता है तो, उस उधारकर्ता में एक्सपोजर रखने वाले अन्य सभी बैंकों को एक ऑटो फ्लैश रिपोर्ट चली जाती है ताकि ऋणदाता (लेंडर्स) मिलकर एक संयुक्त लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) बनाने तथा फ्रेमवर्क के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जरूरी कदम उठाएं।

जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के विकल्प में सामान्यतः ये शामिल हैं: (ए) संशोधन, (बी) पुनर्चना, और (सी) वसूली। ₹1 बिलियन और उससे अधिक कुल निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित (एई) एक्सपोजर वाले दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए जेएलएफ बनाना आवश्यक होगा, चाहे किसी भी कारोबार में क्यों न हों। पुनर्चना (रिस्ट्रक्चरिंग) या तो कंपनी कर्ज पुनर्चना (सीडीआर) व्यवस्था के तहत या तो जेएलएफ के तहत की जा सकती है, परंतु यदि संभाव्य नहीं पाए गए तो जेएलएफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू करेगा। ऋणदाताओं को जहाँ इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है कि समाधान योजना बने तो वे दबावग्रस्त आस्तियों की बेहतर विनियामक व्यवस्था द्वारा किसी योजना पर एक साथ व तेजी से सहमत हों, विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रवाधानीकरण बढ़ाकर हतोत्साहित करने की व्यवस्था है।

सूचीबद्ध कंपनियों की बकाया राशियों (ड्यूज)की पुनर्चना (रिस्ट्रक्चरिंग) के लिए, ऋणदाताओं को उनकी हानि/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य की दृष्टि से खाते के उचित मूल्य में आई कमी) की क्षतिपूर्ति शुरुआत में ही की जाए तथा इसके लिए वर्तमान विनियमों व सांविधिक अपेक्षाओं के तहत कंपनी की इक्विटीज शरू में दे दी जाए। निम्नलिखित को भी हतोत्साहित करने के प्रस्ताव हैं: (i) जान-बूझकर नहीं चुकाने वाले और असहयोगी उधारकर्ताओं के लिए, भाविष्य में उनके उधार को और अधिक महंगा बनाकर, और (ii) लेखापरीक्षकों, वकीलों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जो अपने उधारकर्ताओं के बारे में गलत सूचना देते हैं जिससे बैंकों की एसेट क्वालिटी में गिरावट आती है।

इस फ्रेमवर्क में एसेट बिक्री के लिए अधिक उदार विनियामक व्यवस्था और एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियों (एआरसी) के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है ताकि दबाव आस्ति पुनर्चना और पुनर्वास बाजार बेहतर हो। ढाँचे के प्रस्ताव पर आवश्यक विनियामक परिपत्र रिजर्व बैंक ने जारी कर दिए हैं और 1 अप्रैल 2014 से यह काम कर रहा है।

सारणी VI.2: संकेतक

(प्रतिशत)

	सकल एनपीए अनुपात		निवल एनपीए अनुपात		सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम	
	मार्च-13	मार्च -14	मार्च -13	मार्च -14	मार्च -13	मार्च -14
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3.8	4.7	2.0	2.7	7.2	7.2
प्राइवेट सेक्टर बैंक	1.9	1.9	0.5	0.7	1.9	2.3
विदेशी बैंक	3.0	3.9	1.0	1.1	0.2	0.1
सकल/कुल	3.4	4.1	1.7	2.2	5.8	5.9

स्रोत: बैंकों के देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

कुछ बैंकों की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बढ़ीं, पर बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य संतोषजनक बना हुआ

VI.8 2013-14 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जो मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन को दर्शाता है। पीएसबी के सकल व निवल एनपीए अनुपात न केवल समग्र उद्योग के औसतों से अधिक हैं, बल्कि पुनर्चित मानक अग्रिमों में उनका हिस्सा लगभग 92 प्रतिशत है (सारणी VI.2)।

VI.9 2012-13 व उसके बाद से पुनर्चित मानक अग्रिमों के स्तर का बढ़ना ऋण आस्ति गुणवत्ता में संभावित प्रच्छन्न दबाव का सूचक है। बैंकों द्वारा आस्ति पुनर्चना कंपनियों (एआरसी) को ऋणों की बढ़ती बिक्री (ऑफलोडिंग) को देखते हुए 2013-14 की चौथी तिमाही में एनपीए में सुधार की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए (सारणी VI.3)।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का बढ़ता हिस्सा

VI.10 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की ऋण आस्ति गुणवत्ता के हास में गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अधिक भागीदारी रही है। सिस्टम के कुल एनपीए के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुल एनपीए का हिस्सा पिछले वर्ष के लगभग 40 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 के अंत में 36 प्रतिशत पर आ गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में, मध्यम व लघु उद्यम वर्ग के एनपीए अनुपात बढ़े हैं (सारणी VI.4)।

कुल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में प्रमुख उद्योग वर्गों का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक

VI.11 बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का लगभग 47 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र को गया। मार्च 2014 के अंत में सिस्टम के कुल एनपीए का 58 प्रतिशत से अधिक अकेले इसी क्षेत्र का रहा। छह उद्योगों

सारणी VI.3: एआरसी को ऋण की बिक्री (लोन सेल्स)

(₹ बिलियन)

बैंक समूह	जून-12	सितं-12	दिसं-12	मार्च-13	जून-13	सितं-13	दिसं-13	मार्च-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-	0.2	0.2	3.2	0.1	1.6	32.0	121.0
प्राइवेट सेक्टर बैंक	1.0	0.9	1.6	2.7	0.5	4.4	3.7	5.9
विदेशी बैंक	0.1	0.4	1.2	1.7	0.2	-	-	0.1
सभी बैंक	1.1	1.5	3.0	7.6	0.8	6.0	35.7	127.1

टिप्पणी : आंकड़े तिमाही में प्रवाह को दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

सारणी VI.4: सभी क्षेत्रों में कुल एनपीए

(संबंधित क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में)

	मार्च-11	मार्च -12	मार्च -13	मार्च -14
1	2	3	4	5
कृषि	3.3	4.3	4.7	4.4
मध्यम व लघु उद्यम	3.6	4.0	5.1	5.2
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	4.0	4.4	3.0	3.0
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	3.6	4.2	4.4	4.4
गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1.8	2.3	3.0	4.0
कुल	2.4	2.9	3.4	4.1

स्रोत: बैंकों के देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

- आधारभूत ढाँचा, धातु व उत्पाद, वस्त्र, रसायन व रसायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उद्योग तथा खनन व उत्खनन, को दिया गया अग्रिम सकल अग्रिमों का 30 प्रतिशत और सकल एनपीए का 36 प्रतिशत रहा।

खुदरा ऋण में वृद्धि, परंतु अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गिरावट

VI.12 मार्च 2014 की समाप्ति पर खुदरा ऋण (रिटेल क्रेडिट), मामूली रूप से बढ़कर सकल ऋण का 19 प्रतिशत हुआ जिसके सबसे बड़े घटक रहे वैयक्तिक आवास ऋण (47 प्रतिशत), उसके बाद निजी ऋण (पर्सनल लोन्स) (36 प्रतिशत) और ऑटो लोन्स (14 प्रतिशत)। दिए गए ऋण की मात्रा में मामूली वृद्धि के बावजूद, रिटेल क्रेडिट में कुल एनपीए गत वर्ष के 2.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2.0 प्रतिशत पर आ गया। समग्र तौर पर कुल (ओवरऑल ग्राँस) एनपीए अनुपात की तुलना में भी यह काफी कम है।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

VI.13 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी व विनियामक कदमों को दिशा देने वाला मार्गदर्शक बना रहा। बीएफएस ने जुलाई 2013 से मई 2014 के बीच 11 बार बैठकें कीं। इस निरीक्षण चक्र में 49 बैंकों को कैमल्स एप्रोच के तहत और 28 बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) एप्रोच के तहत कवर किया गया। सभी बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण ज्ञापन और 2013-14 के निरीक्षण में आने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की स्थिति बीएफएस को अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत की गई। 15 ऐसे

विदेशी बैंकों की आधार पर्यवेक्षी समीक्षा भी बीएफएस के समक्ष रखी गई जिनका भारत में ऑपरेशन छोटा है।

VI.14 बीएफएस से जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं : चुनिंदा एससीबी के पूंजीगत आधार का विस्तार, वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण की प्रक्रिया, ग्रामीण बुनियादी विकास संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का आगे उधार दिया जाना (ऑन-लेंडिंग), प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की गुणवत्ता और आँकड़ों का खरापन (डेटा इंटीग्रिटी), प्रशासन से जुड़े मुद्दे, इंश्योरेंस उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए गलत प्रोत्साहन व्यवस्था/तौर-तरीके, मनमाने ब्याज दर प्रभार, असमाधानकृत निर्यात बिलों की वसूली से जुड़ी कमियां, एसेट क्वालिटी में बढ़ता दबाव और ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) के आवधिक निरीक्षण की आवश्यकता।

VI.15 बीएफएस के निर्देश पर, जुर्माना लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई और बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट (बीआर एक्ट), 1949 के तहत एक संशोधित प्रक्रिया लाई गई। ₹500 मिलियन और उससे अधिक की राशि के फ्रॉड के मामलों में बैंकों की कार्यविधि व की गई कार्रवाई का एक विषय के रूप में रिजर्व बैंक ने अध्ययन किया।

VI.16 एक राष्ट्रीयकृत बैंक के निरीक्षण में देखा गया कि इसकी अनर्जक आस्तियों, विशेषतः चूक/गिरावट और बट्टे खाते में काफी वृद्धि हुई है। इसके कारणों का पता लगाने तथा संबंधित बैंक द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों को जानने के लिए बीएफएस ने एक विशेष जाँच के आदेश दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बड़े फ्रॉड के बारे में बीएफएस ने सेबी के साथ एक संयुक्त अध्ययन का निदेश देकर यह पता लगाने को कहा कि बैंक व कंपनी द्वारा कहाँ गलती हुई। एक फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया।

VI.17 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में, बीएफएस ने निरीक्षण रिपोर्टों के 42 सारांश तथा ए+ और बी- के बीच रेट किए गए 30 यूसीबी एवं सी+ और डी के बीच रेट किए गए 12 यूसीबी की मुख्य बातों की समीक्षा की। लाइसेंस वाले यूसीबी को रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट), 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के मानकों की समीक्षा का

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बीएफएस ने यह भी कहा है कि अपनी जमाराशियों के आकार के अनुसार, सभी यूसीबी एक क्रमिक समय सीमा रखते हुए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की ओर बढ़ें।

VI.18 बिना लाइसेंस वाले 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की स्थिति की एक समीक्षा के आधार पर, बीएफएस ने इन बैंकों के विरुद्ध विनियामक कार्रवाई करने को कहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के काम-काज की एक समीक्षा करके बीएफएस ने निदेश दिया कि 31 मार्च 2014 से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न्यूनतम 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर रखें। साथ ही, 1995 से आरआरबी को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलएआर) के संबंध में बाजार भाव पर रखने वाले मानकों से प्राप्त छूट वापस ले ली गई। बीएफएस ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत का सीआरएआर (जिसे क्रमशः 31 मार्च 2017 तक हासिल किया जाना है) निर्धारित करने और राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के पूँजी संवर्धन के लिए एसटीसीबी/डीसीसीबी द्वारा दीर्घावधि जमाराशियां और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखतों के अनुमोदित निर्गम (इश्यूएंस) का निदेश भी किया। बीएफएस ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत का सीआरएआर निर्धारित करने के भी निदेश दिए जिसे क्रमशः 31 मार्च 2017 तक हासिल करना होगा। साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के पूँजी संवर्धन के लिए एसटीसीबी/डीसीसीबी द्वारा दीर्घावधि जमाराशियां और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखतों के निर्गम को अनुमोदित भी किया।

VI.19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वर्ग में बीएफएस ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया: स्वर्ण ऋण के कारोबार में शामिल होना, सूक्ष्म-वित्त संस्थानों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड द सिक्यूरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) में रिकॉर्ड फाइल करना, किसी पार्टनरशिप फर्म में पूँजी का योगदान करने या पार्टनरशिप फर्मों में पार्टनर बनने और एनबीएफसियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट पर रोक। सभी एनबीएफसियों को कहा गया कि बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण और सोने के सिक्कों पर कोई अग्रिम न मंजूर किया जाए।

वाणिज्यिक बैंक

विनियामक प्रयास

ऋण के मूल्य-निर्धारण की उचित व्यवस्था शुरू करने के प्रयास

VI.20 ऋण मूल्य निर्धारण ढाँचे में पारदर्शिता व औचित्य लाने के नीतिगत प्रयासों के बावजूद, ग्राहक सेवा के परिप्रेक्ष्य से कुछ चिंताएं रह गई हैं। ये मुख्यतः ब्याज दरों के अधोगामी बने रहने, नए ग्राहकों की तुलना में पुराने से भेदभाव के बर्ताव और स्प्रेड्स में मनमाने बदलाव से संबंधित हैं। स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ऋण मूल्य-निर्धारण से जुड़े मुद्दों की जाँच करने तथा फ्लोटिंग रेट व्यवस्था में एक पारदर्शी व उचित मूल्य-निर्धारण का तरीका निकालने के लिए बैंकों, भारतीय बैंक संघ (ईबीए), अकादमिक दुनिया और रिजर्व बैंक के सदस्यों को लेकर एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री आनंद सिन्हा) गठित किया।

VI.21 इसके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं: (i) फंड्स की सीमांत लागत के आधार पर बैंक बेस रेट की गणना की ओर बढ़ें, विशेषतः जमाराशियों के कमतर भारित औसत परिपक्वता वाले; (ii) यह सुनिश्चित करें कि मूल्य में आने वाला या किया गया कोई अंतर बैंक के बोर्ड द्वारा पूँजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) को ध्यान में रख कर निर्धारित ऋण मूल्य से संगत हो; (iii) किसी उधारकर्ता के संबंध में स्प्रेड का कारण, उसके रेंज तथा ऋण मूल्य निर्धारण में प्रदत्त शक्तियों का भी स्पष्ट उल्लेख करते हुए आंतरिक नीति बनाई जाए; (iv) पहले के ग्राहक को चार्ज किए गए स्प्रेड में कोई बढ़ोतरी न की जाए, सिवाय तब जबकि उसका रिस्क प्रोफाइल खराब हो जाए और (v) फ्लोटिंग रेट ऋण प्रसंविदाओं में ब्याज दर आवधिकता का पुनर्निर्धारण इस प्रकार तय हो कि पुनर्निर्धारण की अनुमति केवल उन्हीं तारीखों को हो।

VI.22 अन्य सुझाव इस प्रकार हैं: (i) बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक समय-सीमा-समाप्ति खंड (सनसेट क्लॉज) ताकि उसके बाद आने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स बेस रेट से लिंक किए जाएं; (ii) फ्लोटिंग ब्याज दर उत्पादों के लिए एक नया मानदंड (बेंचमार्क) विकसित हो यथा आईबीए द्वारा भारतीय बैंक बेस रेट (आईबीबीआर) और इसे आवधिक

रूप से जारी किया जाए; (iii) बैंक को जिस दिन पैसा मिले, प्री-पेमेंट का फायदा उसी दिन से मूल पर लगने वाले ब्याज में कमी के रूप में दिया जाए न कि क्रेडिट को प्रभावी करने के लिए अगले ईएमआई साइकल का इंतजार किया जाए; (iv) रिटेल लोन्स में कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते समय ही ग्राहकों को 'निकासी' के साथ और 'बिना निकासी' का विकल्प दिया जाए; (v) अधिक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली जो ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखे।

VI.23 रिजर्व बैंक उन बैंकों को दंडित कर सकता है जो बार-बार शिकायतों के बावजूद, पर्याप्त कदम नहीं उठाते। कार्यदल ने अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भी सुझाव दिए ताकि सभी बैंकों की तुलना की जा सके और ग्राहक जानकारी पर धारित निर्णय लें। रिपोर्ट पर प्राप्त जनता की राय पर विचार किया जा रहा है और यथासमय बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली इकाइयों में एक्सपोजर के लिए पूँजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

VI.24 चूँकि विदेशी मुद्रा की अस्थिरता, कॉरपोरेट जगत पर प्रभाव के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, प्रस्ताव है कि बहुत ज्यादा अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पोलीशन वाली इकाइयों में बैंकों के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार

और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं बढ़ा दी जाएं। जनवरी 2014 में जारी दिशानिर्देशों में वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूँजी अपेक्षाओं की गणना की विधि दी गई है।

बेसल III के कार्यान्वयन में हाल का घटनाक्रम

VI.25 यद्यपि अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार बेसल समिति के तहत आने वाली सभी 27 इकाइयों ने बेसल III पूँजी विनियम लागू कर लिए थे, भारत ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ मिलाने के लिए इसे तीन महीने देर (1 जनवरी 2013 की जगह 1 अप्रैल 2013) से लागू किया था।

VI.26 रिजर्व बैंक ने बेसल III पूँजी विनियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की अंतिम तारीख एक वर्ष (31 मार्च 2019 तक) आगे बढ़ा दी जिससे एसेट क्वालिटी पर संभावित दबाव व इसके चलते बैंकों के प्रदर्शन/लाभप्रदता पर पड़ने वाले असर को देखते हुए बैंकों को कुछ समय (लीड टाइम) मिल जाए। तारीख बढ़ाने के कारण, भारत में बेसल III का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय सहमति की अंतिम तारीख अर्थात् 1 जनवरी 2019 से कुछ बाद में हो पाएगा। भारत में प्रतिचक्रिय पूँजी बफर्स की शुरुआत की जहाँ तक बात है, एक आंतरिक कार्यदल इस संबंध में अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जनता की राय का अध्ययन कर रहा है (बॉक्स VI.3)।

बॉक्स VI.3

बासल III: प्रतिचक्रिय पूँजी बफर

2008 के वित्तीय संकट के बाद, केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों ने 7 सितंबर 2009 के अपने प्रेस रिलीज द्वारा एक प्रतिचक्रिय पूँजी बफर (सीसीसीबी) ढाँचे को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बाद में दिसंबर 2010 में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने *प्रतिचक्रिय पूँजी बफर ऑपरेंट करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शन* प्रकाशित किया जिसमें बेसल II ढाँचे से पैदा हुई न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षाओं की अतिरिक्त चक्रियता को निष्क्रिय करने का एक ढाँचा प्रस्तावित किया गया, इस उद्देश्य से कि अच्छे समय में संचित पूँजी का प्रयोग करके आर्थिक सुस्ती के समय बैंकों से वास्तविक क्षेत्र की ओर फंड का प्रवाह बनाए रखा जाए।

इसके अलावा, उछाल के समय में, जब बैंकों को पूँजी का स्तर बढ़ाना होगा, तो वे जैसे-तैसे क्रेडिट देने पर संयम बरतें। बीसीबीएस मार्गदर्शन में एक ऋण-जीडीपी अंतराल (जीडीपी और ऋण (क्रेडिट) अनुपात का अपने

एतिहासिक ट्रेंड से अंतर) को सीसीसीबी लागू करने के शुरुआती बिंदु के मुख्य संकेतक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तथापि, बीसीबीएस यह भी कहता है कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अन्य पूरक संकेतों को भी ऋण-जीडीपी अंतराल के साथ शामिल करके सीसीसीबी लागू कर सकते हैं जो कि किसी बैंक की कुल भारित आस्तियों का 2.5 प्रतिशत तक जा सकता है। भारत में सीसीसीबी फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने के लिए, रिजर्व बैंक में एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री बी. महापात्र) का गठन किया गया। अतिशय सावधानी में सीसीसीबी को बहुत जल्द शुरू कर देने से विकास की बलि चढ़ानी पड़ सकती है जबकि हल्के में लेने से और बफर निर्णय में असफल होने पर दबाव बढ़ सकते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यदल ने बेसल समिति द्वारा प्रस्तावित सीसीसीबी ढाँचे को भारतीय परिस्थितियों में बिठाने का प्रयास किया, जहाँ अपेक्षित था वहाँ

(जारी...)

उपयुक्त संशोधन सुझाए और दिसंबर 2013 की अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में भारत में सीसीसीबी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए :

- ऋण व जीडीपी के अंतराल का उपयोग यद्यपि यथार्थपरक विश्लेषण द्वारा सीसीसीबी के निर्णय में सहायक होगा, परंतु भारत में बैंकों के लिए यही एकमात्र संदर्भ बिंदु नहीं हो तथा ऋण-जीडीपी अंतराल को अन्य संकेतों जैसे कुल एनपीए (जीएनपीए) में वृद्धि के साथ प्रयोग में लाया जाए।
- जब बफ़र सक्रिय हो तो सीसीसीबी फ्रेमवर्क की निचली सीमा (एल) ऋण-जीडीपी अंतराल (क्रेडिट-जीडीपी गैप) के 3 प्रतिशत बिंदु पर सेट की जाए, बशर्ते जीएनपीए के साथ इसका संबंध अहम हो और ऊपरी सीमा (एच) ऋण-जीडीपी अंतराल के 15 प्रतिशत बिंदु पर रखी जाए।
- सीसीसीबी दोनों सीमाओं के दायरे में (3 और 15 प्रतिशत के बीच) अंतराल (गैप) की स्थिति के आधार पर बैंक के जोखिम भारित औसत (आरडबल्यूए) के 0 से 2.5 प्रतिशत तक रैखिक (लीनीयर) रूप से बढ़ेगी। तथापि, यदि गैप एच से अधिक होता है, तो बफ़र आरडबल्यूए के 2.5 प्रतिशत पर रहेगा, और यदि अंतराल (गैप) एल के नीचे चला जाता है तो बफ़र की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
- पूरक संकेतकों में तीन वर्षों की गतिशील अवधि का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, औद्योगिक परिदृश्य आकलन सूचकांक और ब्याज कवरेज अनुपात शामिल होंगे। इन परिवर्तियों को ऋण-जमा अंतराल के साथ उनके सह-संबंधों सहित देखना होगा।
- सीसीसीबी का निर्णय 4-तिमाहियों का समय हाथ में रखते हुए घोषित किया जा सकता है और बफ़र को सक्रिय करते समय या एडजस्ट करते समय संकेतकों के मामले में रिजर्व बैंक अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। इस ढाँचे को भारत में क्षेत्रवार तरीके के साथ काम में लाया जाए जिसका पिछले कुछ समय से भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। भारत में ऑपरेट कर रहे सभी बैंकों के लिए सीसीसीबी भारत में एकल आधार पर और समेकित आधार पर भी मॉटेन किया जाएगा।

- सीसीसीबी को सक्रिय करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के प्रयोग से सीसीसीबी के रिलीज चरण के लिए निर्णय लिया जा सकता है। तथापि, एक सख्त नियम-आधारित तरीके के बदले, सीसीसीबी के रिलीज फेज को कार्यान्वित करने के लिए रिजर्व बैंक को निर्णय व विवेकाधिकार में लचीलापन दिया जा सकता है। साथ ही, पूरी सीसीसीबी तुरंत एक ही समय भी जारी की जा सकती है।

ड्राफ्ट पर विभिन्न हितधारकों की राय को देखते हुए आवश्यक संशोधन के बाद फाइनल रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखी जाएगी। ज्वलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन और एलसीआर खुलासा मानकों पर रिजर्व बैंक ने 9 जून 2014 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में शुरूआत की व्यवस्था, एलसीआर की परिभाषा, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन और बीसीबीएस में प्रस्तावित मानकों के अनुसार एलसीआर खुलासा मानकों को शामिल किया गया है। तदनुसार, एलसीआर 01 जनवरी 2015 को शुरू किया जाएगा परंतु न्यूनतम अपेक्षा 60 प्रतिशत पर सेट की जाएगी और समान वार्षिक चरणों में बढ़ते हुए 01 जनवरी 2019 तक इसे 100 प्रतिशत पर पहुँचाया जाएगा। दिशानिर्देशों में भारतीय वित्तीय बाजार में उपलब्ध एचक्यूएलए की रेंज व उनकी क्वालिटी को बीसीबीएस मानक में निर्धारित चलनिधि के साधनों के मुकाबले भी देखा जाता है।

इसे ध्यान में रखकर, एनडीटीएल के 2 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को लेवल 1 एचक्यूएलए में शामिल करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, कवर्ड बॉन्ड्स, निवासी बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (आरएमबीएस) और ए+ और बीबीबी- रेटिंग वाली कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक पत्रों सहित) लेवल 2 एचक्यूएलए में शामिल नहीं हैं, 50 प्रतिशत हेयरकट (मार्जिन) के साथ पात्र कॉमन इक्विटी शेयर्स को लेवल 2बी एचक्यूएलए में शामिल किया जा सकता है। कुछ सैंपल बैंकों की बेसल III चलनिधि अनुपातों की तैयारी का आकलन करने के लिए दिसंबर 2013 में रिजर्व बैंक द्वारा किया गया मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन बताता है कि इन बैंकों का औसत एलसीआर 54 प्रतिशत से 507 प्रतिशत के बीच रहा।

देशी-प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों के लिए ढाँचा (डी-एसआईबी)

VI.27 दिसंबर 2013 में आम जनता की राय के लिए जारी भारत में डी-एसआईबी ढाँचा के ड्राफ्ट में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि प्रणालीगत दृष्टि से उच्चतर महत्त्व वाले बैंकों की पूँजी अपेक्षाओं को बढ़ाकर और इन बैंकों पर दूसरे कड़े विनियामक/पर्यवेक्षी उपाय द्वारा भी इनकी असफलता की संभावना

कम की जाए। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में रिजर्व बैंक द्वारा डी-एसआईबी की पहचान की प्रस्तावित विधि और इन बैंकों पर लागू अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूँजी की मात्रा के बारे में चर्चा की गई है। पहचान की विधि मोटे तौर पर संकेतक-आधारित तरीके (इंडिकेटर बेस्ड एप्रोच) पर आधारित है जो वैश्विक एसआईबी की पहचान के लिए बीसीबीएस द्वारा काम में लाया जाता है। डीएसआईबी को पहचानने के लिए प्रस्तावित इंडिकेटर्स इस प्रकार हैं: आकार, अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापनीयता (सबस्टीट्यूटेबिलिटी)

सारणी VI.5: डी-एसआईबी के लिए ड्राफ्ट ढाँचा

(जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

	वर्ग 5 (खाली)	वर्ग 4	वर्ग 3	वर्ग 2	वर्ग 1
1	2	3	4	5	6
अतिरिक्त सीईटी 1 की अपेक्षा	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2

स्रोत: दिसंबर 2013 में जारी ड्राफ्ट डी-एसआईबी ढाँचा।

का अभाव और जटिलता, जिसमें कि आकार के लिए अधिक भार होंगे। अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापनीयता और जटिलता संकेतकों को आगे और भी कई संकेतकों में बाँटा गया है। प्रणालीगत महत्त्व के अंकों के आधार पर बैंकों को 4 वर्गों (बकेट) में बाँटा जाएगा (सारणी VI.5)। डी-एसआईबी जिस बकेट में है, उसके अनुसार उस पर अतिरिक्त सीईटी -1 अपेक्षा (जोखिम भारित आस्तियों के 0.2 से 0.8 प्रतिशत के बीच) लागू होगी।

भारत में बैंकों के बोर्डों के प्रशासन (गवर्नेंस) की समीक्षा

VI.28 बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत भारत में बैंकों हेतु बोर्ड प्रशासन (गवर्नेंस) मानकों की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक ने विशेषज्ञों की एक समिति (अध्यक्ष: डॉ पी.जे. नायक) बनाई। समिति (मई 2014) के मुख्य सुझाव: (i) दुहरे विनियमन (वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक द्वारा), बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के तौर-तरीकों जैसी बाधाओं को हटाना (ii) पीएसबी में बोर्डों को पूरी तरह अधिकार देना (iii) एक स्वायत्त बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) का गठन जिसके पास बैंकों की इक्विटी हिस्सेदारी (स्टेक) हो (iv) उपर्युक्त की ओर तीन चरणों में बढ़ा जाए।

VI.29 अन्य सुझाव इस प्रकार हैं: पीएसबी के बोर्ड में रिजर्व बैंक के नामित वापस ले लिए जाएं तथा सीएमडी के पदों का कार्यकारी एमडी और गैर-कार्यकारी (नॉन-एक्जिक्यूटिव) अध्यक्ष में बँटवारा; प्राधिकृत बैंक निवेशकों (एबीआई) के नाम से बैंक में निवेशकों के एक निर्दिष्ट वर्ग का निर्माण; प्रवर्तक निवेशकों के लिए हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए; प्राइवेट इक्विटी फंड और सरकारी वेल्थ फंड्स को दबावग्रस्त बैंकों में 40 प्रतिशत तक की नियंत्रक हिस्सेदारी लेने की अनुमति और मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के लिए सीमा

बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जाना। बैंकों, भारतीय बैंक संघ और जनता से प्राप्त अभिमतों को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

निजी क्षेत्र में नए बैंकों का लाइसेंसिकरण

VI.30 निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंसिकरण के संबंध में 22 फरवरी 2013 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत अप्रैल 2014 में दो नए आवेदकों को बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। इस संबंध में आगे, रिजर्व बैंक इस लाइसेंसिकरण का प्रयोग करके दिशा-निर्देशों को समुचित रूप से संशोधित करना और अधिक नियमित रूप से लाइसेंस देना चाहता है, अर्थात् लगभग आवश्यकता पर'। 'भारत में बैंकिंग की संरचना - भावी मार्ग' पर चर्चा पत्र के आधार पर 'भुगतान बैंक' और 'छोटे बैंकों' हेतु ड्राफ्ट दिशानिर्देश जुलाई में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखे गए।

पर्यवेक्षी प्रयास

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण - प्रारंभिक अनुभव और आगे की राह

VI.31 बीएफएस निदेशों के अनुसार, 2013-14 में शुरुआत करते हुए 28 बैंकों को आरबीएस ढाँचे (एसपीएआरसी - जोखिम व पूँजी के आकलन पर्यवेक्षण कार्यक्रम) के तहत आकलित किया गया। इन बैंकों में बैंकिंग क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत आस्ति व देयताएं आ जाती हैं और लगभग हर प्रकार के बैंक (स्वामित्व के आधार पर) कवर हो जाते हैं। एसपीएआरसी फ्रेमवर्क पहले के अनुपालन-मुखी और समय-विशेष में प्रदर्शन आधारित आकलनों से अलग है जो सीएएमईएलएस और सीएएलसीएस के तहत किए जाते थे।

VI.32 एसपीएआरसी का डिजाइन वर्तमान और भावी जोखिमों को आँक सकता है जिससे किसी बैंक या प्रणाली में बढ़ रही समस्याओं को पहचाना जा सके और समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। एसपीएआरसी के तहत पर्यवेक्षण की निरंतरता से बैंकों व पर्यवेक्षकों में आदान-प्रदान लगातार बना रहता है न कि आवधिक बैठकों/निरीक्षणों तक सीमित। एसपीएआरसी ढाँचे को इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें परोक्ष (आफ-साइट) आकलन, निगरानी और पर्यवेक्षण कार्य अधिक किया जा सके, साथ ही निर्दिष्ट चिंताओं व जोखिम क्षेत्रों में

प्रत्यक्ष निरीक्षणों (ऑन-साइट इन्स्पेक्शन्स) पर फोकस किया जा सके।

विदेशी (क्रॉस-बॉर्डर) पर्यवेक्षण और सहयोग

VI.33 वर्तमान देशी कानूनी प्रावधानों और बीसीबीएस सिद्धांतों के तहत प्रभावी विदेशी पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए रिजर्व बैंक विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ द्विपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत कार्य कर रहा है। विदेशों में जहाँ भारतीय बैंक कार्य रहे हैं वहाँ एमओयू के रास्ते रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षी सूचना शेयर करने और सहयोग में काफी प्रगति की है।

पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना

VI.34 विदेशी (क्रॉस-बॉर्डर) समेकित पर्यवेक्षण में उस देश के घरेलू पर्यवेक्षकों व संबंधित अन्य पर्यवेक्षकों, मुख्यतः मेजबान (होस्ट) बैंकिंग पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग व सूचनाओं के आदान-प्रदान की जरूरत होती है। भारत में ऑपरेट कर रहे विदेशी बैंकों के अपने देश के/आंतरिक विनियामकों (होम रेग्यूलेटर्स) द्वारा संचालित पर्यवेक्षी कॉलेजों में रिजर्व बैंक सक्रियता से हिस्सा लेता रहा है। देशी/घरेलू पर्यवेक्षक (होम कंट्री सुपरवाइजर) की अपनी भूमिका में रिजर्व बैंक ने फरवरी 2014 में बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों की शुरुआत की। ये उनके अतिरिक्त हैं जो भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लि. के लिए पहले स्थापित किए गए हैं। भारतीय बैंकों के अहम और बढ़ते विदेशी कार्य-कलाप को देखते हुए संभावना है कि ये पर्यवेक्षी कॉलेज समेकित पर्यवेक्षण के प्रमुख साधन के रूप में उभरेंगे।

भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं का निरीक्षण

VI.35 भारतीय बैंकों के वैश्विक ऑपरेशन्स 54 देशों में हैं। विदेश स्थित शाखाओं की वित्तीय स्थिति, प्रणालियों व नियंत्रण का आकलन करने के लिए 2012-13 में 5 क्षेत्राधिकारों के 8 बैंकों का निरीक्षण किया गया जिसमें भारतीय बैंकों की विदेश स्थित कुल आस्तियों का लगभग 60 प्रतिशत तक कवर हो जाता है। 2013-14 में 6 क्षेत्राधिकारों में स्थित 6 बैंकों का निरीक्षण किया गया जिनके तहत कुल विदेशी आस्तियों की और 20 प्रतिशत आस्तियाँ कवर होती हैं।

केवाईसी/एएमएल मानकों के पालन की 36 बैंकों में विषयगत समीक्षा (थीमैटिक रिव्यू)

VI.36 एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल द्वारा बैंकों पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए 36 बैंकों (विदेशी, प्राइवेट सेक्टर एवं पब्लिक सेक्टर) में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएलएम) मानकों के पालन की विषयगत समीक्षा दो चरणों में की गई। अप्रैल 2013 में की गई पहली समीक्षा में 29 बैंक और मई 2013 में की गई दूसरी समीक्षा में 7 बैंक लिए गए। अनुवर्ती कार्रवाई क्रमशः जुलाई और अगस्त 2013 में पूरी की गई। 36 में से 28 बैंकों पर मौद्रिक हर्जाना लगाया गया और शेष को सतर्कता पत्र जारी किए गए।

एक्सबीआरएल परिवेश में ऑसमॉस प्रणाली का विकास

VI.37 विनियामक परिवर्तनों व उभरती पर्यवेक्षी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रयोग-सुगमता को बढ़ावा देने व तकनीकी प्रगति के साथ चलने के लिए 1997 में गठित परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) को फिर से विकसित किया जा रहा है। यद्यपि ऑसमॉस से जेनरेट की गई विवरणियों के क्षेत्र और दायरे की आवधिक समीक्षा की गई है और उसे नियमित अपडेट किया गया है, डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) परिवेश को ऑसमॉस व दूसरे रिटर्न्स में शामिल करना होगा ताकि पर्यवेक्षण सुदृढ़ हो।

शहरी सहकारी बैंक

वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुप्रबंधित कहे जाने के लिए संशोधित मानदंड

VI.38 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के क्षेत्र में प्रदर्शन संकेतकों में उन्नति को देखते हुए उनके लिए वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंडों में 1 अक्टूबर 2013 से बदलाव किया गया। बदलाव यह था कि अन्य मानकों के अलावा 7 प्रतिशत से कम सकल एनपीए वाले यूसीबी जिनका निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक न हो, वे एफएसडब्ल्यूएम के रूप में जाने जाएंगे जबकि इस संबंध में पहले 5 प्रतिशत निवल एनपीए की शर्त थी।

प्रकटन अपेक्षाओं को टीयर I यूसीबी पर भी लागू करना

VI.39 टीयर II यूसीबी को कुछ सूचनाएं अपने तुलन-पत्र में 'नोट्स ऑन अकाउंट्स' के रूप में और कई दूसरे खुलासों में बताने को कहा गया था। 31 मार्च 2014 से प्रकटन अपेक्षाओं को टीयर I यूसीबी पर भी लागू कर दिया गया है।

प्राथमिक यूसीबी को आरबीआई एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना

VI.40 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट) 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के आवेदन कुछ मानदंडों के पूरा करने पर स्वीकार किए जाएंगे जैसे मांग व मीयादी देयताएं लगातार एक वर्ष ' 7.5 बिलियन से कम न हों; न्यूनतम 12 प्रतिशत का सीआरएआर; विगत 3 वर्षों में लगातार निवल लाभ (नेट प्रॉफिट); सकल (ग्रॉस) एनपीए 5 प्रतिशत या उससे कम; सीआरएआर/एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन; और कोई बड़ी विनियामक व पर्यवेक्षी चिंता न हो।

कोर बैंकिंग सुविधा (सीबीएस) को अपनाना

VI.41 मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार, 1,589 यूसीबी में से 510 ने सीबीएस पूर्णतः और 465 ने अंशतः लागू किया था। टीयर I यूसीबी (इकाई बैंकों को छोड़कर) हेतु

सीबीएस लागू करने की संशोधित समयसीमा 30 जून 2014 है; यूनिट बैंकों के लिए 31 दिसंबर 2014 है जबकि टीयर II यूसीबी के मामले में कोई बदलाव नहीं है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अरक्षित ऋण देने के लिए सशर्त अनुमोदन

VI.42 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिए जाने को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेश के उद्देश्य को गति देने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने वाले यूसीबी को रिजर्व बैंक के अनुमोदन से कुल आस्तियों के 15 प्रतिशत तक उत्पादक कार्यों के लिए ' 10,000 तक का अरक्षित ऋण देने की अनुमति है। यूसीबी द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों को कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत के अरक्षित ऋण पर कुल सीमा से छूट दी गई है।

बाजार परिचालनों से संबंधित चुनिंदा दिशानिर्देश

VI.43 सुप्रबंधित यूसीबी को रिजर्व बैंक के अनुमोदन से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की अंतर्दिवसीय मंदड़िया बिक्री (इंट्रा-डे शॉर्ट सेलिंग) की अनुमति है। इंट्रा-डे शॉर्ट सेल्स से जी-सेक मार्केट को अधिक चलनिधि (लिक्विडिटी) मिलेगी और सामान्य शॉर्ट सेल की तुलना में यह कम जोखिम वाला भी है जहाँ शॉर्ट सेल पोजीशन को अगले दिन तक ले जाना होता है जिससे यूसीबी को मार्केट रिस्क की संभावना बनती है। कुछ यूसीबी को मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी) जैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल), नेशनल पेमेंट्स

सारणी VI.6: यूसीबी के विलय/अधिग्रहण में राज्य-वार प्रगति

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र	2	12	14	16	6	7	8	1	1	67
गुजरात	2	2	6	2	2	2	4	1	4	25
आंध्र प्रदेश		1	3	1	3	2	1			11
कर्नाटक			2	1						03
पंजाब		1								1
उत्तराखंड			1	1						2
छत्तीसगढ़				1		1				2
राजस्थान					2		1			3
मध्य प्रदेश										
उत्तर प्रदेश						1		1		2
कुल	4	16	26	22	13	13	14	3	5	116

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) के शेरों में निवेश की अनुमति दी गई है।

विलयन/अधिग्रहण द्वारा यूसीबी का समेकन

VI.44 कमजोर इकाइयों का मजबूत के साथ विलय करके यूसीबी के कॉन्सोलिडेशन के बारे में रिजर्व बैंक को मार्च 2014 तक 183 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसने 134 अनापत्ति प्रमाणपत्र/स्वीकृतियां जारी कीं जिसमें 116 को संबंधित आरसीएस/सीआरसीएस द्वारा विलय के लिए अधिसूचित (नोटिफाइ) किया गया है।

VI.45 सर्वाधिक विलय महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश (सारणी VI.6) में हुए। यूसीबी के एसेट्स और लायबिलिटीज को वाणिज्यिक बैंकों को ट्रांसफर करने के दिशा-निर्देश फरवरी 2010 में जारी किए गए।

ग्रामीण सहकारिताएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक लाइसेंसों की स्थिति

VI.46 वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) (अध्यक्ष: डॉ राकेश मोहन) ने 2009 में सुझाव दिया था कि बिना लाइसेंस वाले सहकारी बैंकों को बिना उथल-पुथल के क्रमशः 31 मार्च 2012 तक हटा दिया जाए। तथापि बिना लाइसेंस के काम कर रहे सहकारी बैंकों की बड़ी संख्या (31 एसटीसीबी में से 17 और 371 डीसीसीबी में से 296) को देखते हुए रिजर्व बैंक ने लाइसेंसिकरण मानकों को सरल किया। तदनुसार, लाइसेंसिकरण के लिए संशोधित मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 4 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर, और (ii) पिछले एक वर्ष में सीआरएआर/एसएलआर में चूक (डिफॉल्ट) शून्य/दुर्लभ। मार्च 2014 के अंत में बिना लाइसेंस के 23 डीसीसीबी (उत्तर प्रदेश-16, महाराष्ट्र -3, जम्मू और कश्मीर -3 और पश्चिम बंगाल -1) रह गए हैं तथा रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध उचित विनियामक कार्रवाई कर रहा है।

एसटीसीबी/डीसीसीबी के लिए न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण

VI.47 यद्यपि सीआरएआर ढाँचा एसटीसीबी/डीसीसीबी के लिए दिसंबर 2007 में जारी किया गया, सीआरएआर के लिए कोई न्यूनतम स्तर नहीं तय किया गया था। बीएफएस के अनुमोदन के

आधार पर एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त आधार पर 31 मार्च 2015 तक 7 प्रतिशत का सीआरएआर और 31 मार्च 2017 तक 9 प्रतिशत हासिल करने की कार्ययोजना भी बनाई गई है। चूंकि एसटीसीबी/डीसीसीबी के पास अतिरिक्त पूंजी संसाधन जुटाने के अवसर सीमित हैं, उन्हें रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दीर्घावधि जमाराशि (गौण) और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत (आईपीडीआई) जारी करने की अनुमति दी गई है।

कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) की ओर प्रस्थान

VI.48 जून 2014 के अंत तक 32 राज्य सहकारी बैंकों में से, 30 ने सीबीएस को पूरी तरह और 2 ने आंशिक रूप से लागू कर दिया है। 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से, 317 ने सीबीएस पूरी तरह और 31 ने आंशिक रूप से लागू कर दिया है जबकि 23 बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीबीएस पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2014 तक का समय दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का समामेलन

VI.49 1 अक्टूबर 2012 से प्रारंभ हो रहे समामेलन के वर्तमान चरण में, विभिन्न स्पॉन्सर बैंकों के तहत एक राज्य में भौगोलिक रूप से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को समामेलित (अमेलगमेट) किया जाना है ताकि मध्यम आकार के राज्यों में केवल एक आरआरबी हो और बड़े राज्यों में 2 या 3 आरआरबी। तदनुसार, 12 राज्यों में 44 आरआरबी को समामेलित करके 18 कर दिया गया जिससे उनकी प्रभावी संख्या घटकर 56 रह गई है। समामेलन के पश्चात आरबीआई एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में 13 आरआरबी रह गए हैं जबकि पहले के 31 बाहर कर दिए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए 9 प्रतिशत के न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण

VI.50 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बेहतर करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनःपूँजीकरण पर बनी समिति (अध्यक्ष: डॉ के. सी. चक्रवर्ती) के सुझावों तथा कमजोर आरआरबी के समामेलन और पुनः पूँजीकरण के बाद 31 मार्च 2013

की स्थिति के अनुसार आरआरबी के सीआरएआर स्थिति की समीक्षा की गई। सभी आरआरबी के लिए 31 मार्च 2014 से अवरित आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर तय किया गया। 31 मार्च 2014 के अनुसार, ₹21 बिलियन तक की पूँजी का प्रयोग करते हुए 38 आरआरबी का पूरी तरह पुनः पूँजीकरण हो गया है।

आरआरबी द्वारा निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन का दिशा-निर्देश

VI.51 31 मार्च 2013 तक एसएलआर सिक्यूरिटीज के संबंध में मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मानकों के प्रयोग से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट दी गई थी और अपने पूरे एसएलआर निवेश को उन्हें 'परिपक्वता तकधारित' (एचटीएम) वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुमति थी। तथापि, इसकी समीक्षा के बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएम वर्ग में धारित मांग व मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 24.5 प्रतिशत से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में 1 अप्रैल 2014 से एमटीएम मानक लागू करने और अपने निवेश को इन तीन वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा गया: एचटीएम, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.52 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) रिजर्व बैंक की एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो भारत में कार्यरत सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी समेत सभी बैंकों को जमाराशि बीमा प्रदान करती है। मार्च 2014 के अंत में रजिस्टर्ड बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,145 थी जिसमें 89 वाणिज्यिक बैंक, 58 आरआरबी, 4 एलएबी और 1,994 सहकारी बैंक थे। भारत में जमाराशि बीमा की वर्तमान सीमा ₹100,000 है। मार्च 2014 के अंत में, खातों की कुल संख्या का 92 प्रतिशत (1,370 मिलियन) डीआईसीजीसी द्वारा पूर्णतः रक्षित था, जबकि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक¹ 80 प्रतिशत का है। राशि के हिसाब से ₹24 ट्रिलियन की बीमाकृत जमाराशि कुल निर्धारणीय जमाराशियों का 31 प्रतिशत है जबकि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक 20 से 40 प्रतिशत है। वर्तमान

स्तर पर बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय का 1.3 गुना निकलकर आता है।

VI.53 2013-14 के दौरान, डीआईसीजीसी द्वारा निपटाए (सेटल किए) गए कुल दावे (क्लेम्स) गत वर्ष के लगभग आधे (51 सहकारी बैंकों से संबंधित ₹1 बिलियन) थे। बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे के लिए परिसमापन (लिक्विडेशन), पुनर्चना (रिकन्स्ट्रक्शन)/सामामेलन में लिया गया बीमा जमाराशि फंड (डीआईएफ) 31 मार्च 2014 को ₹406 बिलियन का रहा जो 1.7 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशियां) देता है। टैक्स निकालने के बाद डीआईसीजीसी के वार्षिक सरप्लस के अंतरण (ट्रांसफर) से डीआईएफ संचित होता है।

मूलभूत सिद्धांतों के संशोधन पर आईएडीआई संचालन समिति (स्टीयरिंग कमीटी) की बैठक

VI.54 प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के मूल सिद्धांत जमा बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जून 2009 में जारी किए गए। मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा करने व इन्हें अपडेट करने के लिए और संशोधनों का एक प्रस्तावित सेट विकसित करने के लिए, आईडीआई ने फरवरी 2013 में एक आंतरिक संचालन समिति बनाई। मूलभूत सिद्धांतों का अंतिम संशोधित सेट शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा

VI.55 जमा देयताओं का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जमाराशि लेने वाली सभी कंपनियों का विनियमन रिजर्व बैंक ने कड़ाई से किया है और इसमें काफी हद तक सफल भी रहा है। तथापि, हाल में घटित 'शारदा घोटाला' जैसी घटनाओं ने रेखांकित किया है कि विनियमित इकाइयों पर महज विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टि से सीमित न रहकर, इसके पार जाने व अविनियमित क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गैर-बैंकिंग क्षेत्र में बहु-विनियामक व्यवस्था को देखते हुए रिजर्व बैंक ने लोगों में जागरूकता लाने तथा विधायी सुधारों में स्पष्टता लाने व इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई प्रयास किए हैं।

¹ मई 2002 में बेसल, स्विटजरलैंड में जमा बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में व्यवहारिक नियम के रूप में स्वीकृत।

VI.56 इन दुहरे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं : जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले व कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ मास मीडिया में संयुक्त विज्ञापन अभियान, टाउन हाल कार्यक्रमों का आयोजन और देश व्यापी निवेशक जागरूकता अभियान, विशेषतः टीयर II और III शहरों में, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के माध्यम से वर्तमान अंतर-विनियामक समन्वय प्रणाली को मजबूत बनाना ताकि भ्रष्टाचार से निपटने हेतु समन्वित कार्रवाई के विकल्प सहित वर्तमान कानून बेहतर व प्रभावी ढंग से लागू हों। रिजर्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को भी लिखा है कि वे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ इंटरैस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स ऐक्ट) को लागू करें जिसमें जमाशायियों को अनधिकृत रूप से स्वीकार करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था है।

अपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल) डिबेंचरों (एनसीडी) की निजी तौर पर बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) के संबंध में दिशानिर्देश

VI.57 हाल में रिजर्व बैंक ने गौर किया है कि एनबीएफसी द्वारा बड़े पैमाने पर निर्गम, प्रायः खुदरा निवेशकों द्वारा धड़ल्ले से, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के माध्यम से हो रहा है जिसकी विशेषताएं जनता की जमाशायियों (पब्लिक डिपॉजिटर्स) जैसी हैं। जहाँ तक निजी तौर पर बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) का संबंध है, एनबीएफसी को दूसरी वित्तीय इकाइयों की बराबरी पर लाने के लिए, उन्हें यह कहा गया है कि : (i) एनसीडी के प्राइवेट प्लेसमेंट के ग्राहकों की अधिकतम संख्या सीमित करें (ii) संसाधन योजना हेतु अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति लागू करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना का क्षेत्र और निजी बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) की आवश्यकता को कवर किया जाए, और (iii) एकल निवेशक के लिए खरीद (सब्सक्रिप्शन) की न्यूनतम राशि ₹2.5 मिलियन पर और उसके बाद ₹1 मिलियन के गुणजों में निर्धारित की गई है।

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा ऋण के मूल्य निर्धारण में संशोधन

VI.58 एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लगाई गई संशोधित ब्याज दरें (2014-15 की पहली तिमाही से लागू) में वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार फंड की लागत और मार्जिन का जोड़

होंगी या एसेट्स के लिहाज से 5 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों के औसत बेस रेट का 2.75 के फैक्टर से प्राप्त गुणनफल, जो भी कमतर हो। पिछली तिमाही के अंतिम दिन रिजर्व बैंक द्वारा घोषित 5 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों (घरेलू एसेट्स के लिहाज से) के बेस रेट्स का औसत आगामी तिमाही की ब्याज दरों का निर्धारण करेगा।

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

VI.59 वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी की समग्र देयताओं में जमाशायियां एक बहुत छोटा घटक हैं क्योंकि वे अपने फंडिंग की जरूरतों के लिए बैंक उधारियों और पूँजी/मुद्रा बाजारों सहित मुख्यतः संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र से वित्तीय स्थिरता को होने वाले जोखिम की जड़ एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थों व उनकी फंडिंग निर्भरताओं के बीच की अंतर-संबद्धताएं हैं। तदनुसार, विनियामक दिशा-निर्देशों का रुख अधिक लीवरेज को हतोत्साहित करने और पर्याप्त पूँजी बफर रखने की ओर होता है ताकि उनके बैलेंस शीट पर पड़ने वाला कोई भी दबाव झेल लिया जाए न कि वित्तीय प्रणाली में संचरित हो जाए। 2013-14 में जारी कुछ विनियामक व पर्यवेक्षी अनुदेश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं:

एकल उत्पाद - स्वर्ण आभूषण की प्रतिभूति पर उधार दिया जाना :

VI.60 स्वर्ण आयात और एनबीएफसी के स्वर्ण ऋणों से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री के.यू.बी. राव) के सुझावों के बाद निम्नलिखित मुद्दों पर सभी एनबीएफसी (पीडी को छोड़कर) को दिशानिर्देश जारी किए गए। 08 जनवरी 2014 से स्वर्ण आभूषणों के संपार्श्विक पर कर्ज के लिए एलटीवी अनुपात को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्चना:

VI.61 जैसा कि 2013-14 (अक्टूबर 29, 2013) की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में कहा गया था, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्चना पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी. महापात्र) के सुझावों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की

पुनर्चना पर वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, एक निश्चित अवधि तक वाणिज्य परिचालनों की तारीख बढ़ा देने भर से इन्फ्रा, नॉन-इन्फ्रा और वाणिज्यिक रियल इस्टेट प्रोजेक्टों की पुनर्चना (रिस्ट्रक्चरिंग) नहीं हो जाती, अलबत्ता इसमें सभी नए ऋणों और ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधानीकरण मानक लागू होंगे। बुनियादी ढाँचे और कुछ विशेष शर्तों के तहत बुनियादी ढाँचे से इतर प्रोजेक्ट ऋणों को छोड़कर एसएमई ऋण पुनर्चना व्यवस्था सहित कंपनी कर्ज पुनर्चना (सीडीआर) और संघीय मामलों के लिए एक विशेष आस्ति वर्गीकरण उपलब्ध किया जाएगा। 1 अप्रैल 2015 से विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को हटा लिया जाएगा, सिवाय बुनियादी ढाँचे और बुनियादी ढाँचे से इतर प्रोजेक्ट ऋणों के संबंध में भी डीसीसीओ में परिवर्तन से जुड़े प्रावधानों पर। सीआरआईएलसी के माध्यम से वित्तीय समस्या की पूर्व पहचान को संस्थागत रूप दे दिया गया है (बॉक्स VI.2)।

प्रतिभूतिकरण लेन-देन में ऋण वृद्धि:

VI.62 ओरिजिनेटर्स को कुछ पूंजीगत राहत देने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को लेन-देन के कुल प्रदर्शन और कारकों, जैसे प्रतिभूतिकृत आस्तियों की क्रेडिट क्वालिटी, समूह (पूल) की विशेषताएं और संबंधित एसेट्स की प्रकृति के आधार पर, सिक्यूरिटी लेन-देन में पुनर्निर्धारण करके ऋण वृद्धि की अनुमति दी गई है।

चूककर्ताओं द्वारा एससी/आरसी से आस्तियों की वापसी-खरीद (बाइ-बैक) और एससी/आरसी द्वारा स्पॉन्सर बैंकों से आस्तियों का अधिग्रहण (एक्विजिशन):

VI.63 जिन एससी/आरसी को अपने स्पॉन्सर बैंकों से द्विपक्षीय आधार पर कोई एनपीए अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं थी, वे अब ऐसा कर सकते हैं परंतु केवल स्पॉन्सर बैंकों द्वारा संचालित नीलामियों में भाग लेकर ही। चूक करने वाली कंपनी/उधारकर्ताओं को एससी/आरसी से अपने एसेट्स वापस खरीदने (बाइ बैक) की अनुमति है, बशर्ते बाइ बैक से कानूनी खर्च व समय की बचत होती हो, आस्तियों के मूल्य में और हास रुकता हो तथा समाधान प्रक्रिया में सहायता मिलती हो।

छोटे कारोबारों और निम्न आय वाले हाउसहोल्ड्स के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति

VI.64 समिति (अध्यक्ष: नचिकेत मोर), ने एनबीएफसी के संबंध में कई सुझाव (देखें बॉक्स IV.2) दिए हैं। इस क्षेत्र में अधिक इकाइयों को प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करने से पूर्व आरबीआई ऐक्ट, 1934 की धारा 45आई(ए) के तहत एनबीएफआई कारोबार संचालित करने जा रही कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने के कार्य को एक वर्ष तक (अप्रैल 2014 से) प्रास्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। इसका अपवाद वे सीओआर आवेदन थे जो रिजर्व बैंक को 31 मार्च 2014 को या उससे पहले प्राप्त हो गए थे, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भावी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडीएसआई), बुनियादी ढाँचा वित्त कंपनियां (आईएफसी), बुनियादी ढाँचा ऋण निधि कंपनियां (आईडीएफ-एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त कारोबार (माइक्रो फाइनेंस बिजनेस) संचालित करना चाह रही एनबीएफसी (एनबीएफसी - एमएफआई)।

VI.65 नए बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, गैर-परिचालनीय वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) को एनबीएफसी के एक अलग वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था। बैंक को और रिजर्व बैंक द्वारा अथवा वर्तमान विनियामक ढाँचे के तहत संभव अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा विनियमित अन्य सभी वित्तीय कंपनियों को भी एनओएफएचसी होल्ड करेगी।

जोखिम कम करने वाले अन्य उपाय

VI.66 एनबीएफसी के लिए 'बुनियादी क्षेत्रको उधार' की वर्तमान परिभाषा को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बुनियादी क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की मास्टर लिस्ट के अनुसार बदला गया है। इस क्षेत्र में संस्थाओं की पैठ व भौगोलिक विस्तार को जानने के लिए वर्तमान सभी एनबीएफसी के लिए एक शाखा सूचना विवरणी की शुरुआत की गई है।

VI.67 रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर एनबीएफसी 'व्हाइट लेबल एटीएम' लगा सकते हैं। इसमें शामिल तीन मानक ये हैं: लगातार लाभार्जकता, निरंतर आधार पर अपेक्षित

सीआरएआर का मेंटेनेंस और किसी बड़ी पर्यवेक्षी चिंता का न होना।

VI.68 रिजर्व बैंक द्वारा जारी उचित पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना एनबीएफआई कारोबार करने वाली कंपनियों को छाँटने के लिए, तय किया गया कि कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के रिकॉर्ड्स में दर्ज और रिजर्व बैंक के यहाँ पंजीकृत देश में काम कर रही वित्त कंपनियों की संख्या का पता लगाया जाए। इनमें से कुछ कंपनियों के वित्त के प्रथम दृष्टया विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य कारोबारी मानदंड² ये पूरा करते हैं और ऐसी कंपनियों के लिए समुचित कार्रवाई पर विचार किया गया है।

ग्राहक सेवा

प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें

VI.69 पूरे देश में बैंकिंग सेवा में उचित तौर-तरीकों और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख है बैंकिंग लोकपाल योजना जो बैंक ग्राहकों के लिए मुफ्त और आसान शिकायत निवारण का अवसर देता है। एक ओर जहाँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, वहीं गत 2 दशकों से योजना काफी सफल रही है और सालाना 70,000 से अधिक शिकायतों का निवारण हो चुका है (बॉक्स VI.4)।

बॉक्स VI.4 : बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली और बैंकिंग लोकपाल योजना

बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल कार्यालय, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड, बैंकों में बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियाँ, ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति, नियंत्रक कार्यालय/शाखा स्तर पर एक ग्राहक सेवा समिति, ग्राहक सेवा के लिए केंद्रीय (नोडल) विभाग/नोडल अधिकारी, शिकायत निवारण कक्ष जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं खड़ी की हैं।

व्यवस्था तक ग्राहकों की पहुँच को सुगम बनाने और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए, बैंकों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे: (i) अपनी शाखाओं में एक प्रमुख स्थान पर शिकायत रजिस्टर रखें ताकि ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, (ii) यदि शिकायतें पत्र से मिलें तो प्राप्त-सूचना देने की व्यवस्था हो, (iii) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु समय सीमा का निर्धारण हो, (iv) शिकायत निवारण से संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण को प्रमुखता से दर्शाएं, और (v) बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर एक शिकायत फॉर्म रखें।

आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था पर किसी बैंक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों से प्राप्त शिकायतों के एक विश्लेषण के साथ शिकायतों की एक समीक्षा अपने बोर्डों/ग्राहक सेवा समितियों को प्रस्तुत करनी होती है। बैंकों को कहा गया है कि उनके बोर्ड ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों की

समीक्षा करने व इन पर विचार करने के लिए अलग से समय दें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि विभिन्न ग्राहक-वर्गों के प्रतिनिधियों को लेकर शाखा-स्तरीय ग्राहक सेवा समितियाँ बनाएं।

बैंकिंग लोकपाल योजना

विवादों के निपटारे के लिए शीर्ष स्तर पर निःशुल्क व सुगम वैकल्पिक प्रणाली लाने के लिए, बीआर ऐक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत रिजर्व बैंक ने जून 1955 में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना लागू की जो भारत में 15 बीओ कार्यालयों में कार्य कर रही है। अपनी शुरुआत के बाद से, बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुसार इस योजना में चार बार (2002, 2006, 2007 और 2009) संशोधन किया गया है।

निम्नलिखित समेत 27 आधारों पर बैंकिंग सेवा में कमी बताते हुए ग्राहक बीओ के पास जा सकते हैं: क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक व इसके सेल्स एजेंटों द्वारा किए गए सेवा के वादों में कमी, बिना पूर्व सूचना के ग्राहकों पर सर्विस चार्ज लगाना, बैंकों द्वारा अपनाए गए उचित तौर-तरीकों की संहिता को नहीं मानना और ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की बीसीएसबीआई संहिता का पालन नहीं करना। बीओ योजना भारत में कार्य कर रहे सभी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी

जारी

² 8 अप्रैल 1999 की हमारी प्रेस रिलीज संख्या 1998-99/1269 के जरिये इस पर विस्तार से बताया गया है।

बैंकों पर लागू है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत किसी भी स्वरूप में और आरबीआई वेबसाइट से ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं।

औसतन, बीओ कार्यालय को सालाना 70,000 से अधिक शिकायतें मिलती हैं, मुख्यतः महानगरी(मेट्रो)/शहरी इलाकों से, जहाँ से 2013-14 में कुल में से 72 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुईं। महानगरी और शहरी इलाकों से अधिक शिकायतों के आने के लिए दिए जाने वाले कुछ कारण ये हैं: अर्ध-

शहरी व ग्रामीण इलाकों के मुकाबले बैंकिंग सेवाओं की अधिक उपलब्धता, बैंक के ग्राहकों की वित्तीय साक्षरता व उनकी प्रत्याशा का ऊँचा स्तर तथा इस योजना के बारे में अधिक जागरूकता।

रिजर्व बैंक और बीओ कार्यालय ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में योजना के बारे में जागरूकता अभियानों/लोकसंपर्क(आउटरीच) गतिविधियों और टाउन हाल कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता फैलाने में लगे हुए हैं।

इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता

VI.70 सीबीएस परिवेश में बैंक की सभी शाखाओं/ सर्विस डिलीवरी लोकेशन्स में ग्राहकों से उचित, भेदभाव रहित और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कहा गया कि वे मूल्य निर्धारण की एक जैसी, सही व पारदर्शी नीति अपनाएं तथा होम-ब्रांच व नॉन-होम ब्रांचों के ग्राहकों के बीच भेदभाव न करें।

केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण (अपडेशन) के मानकों का सरलीकरण

VI.71 बैंकों/ग्राहकों द्वारा केवाईसी के संबंध में व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों/बाधाओं को देखते हुए केवाईसी मानकों को सरल कर दिया गया है। बार-बार आवधिक अपडेशन के लिए नए केवाईसी कागजातों को लेने/ जमा करने के संबंध में बैंकों को कहा गया कि वे मध्यम व कम जोखिम वाले खातों के लिए केवाईसी की कार्रवाई कम आवृत्ति से किया करें। यदि ग्राहक अपने स्थायी पते का 'वैध दस्तावेज' देता है तो बैंक खाता खोलने, अद्यतन बनाने के लिए या वर्तमान खाते की जानकारी को स्थायी पते और वर्तमान पते में भिन्नता होने पर पता संबंधी सबूत देने की अपेक्षा हटा दी गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया से प्राप्त यूआईडीएआई से उपलब्ध सूचना को धन-शोधन-निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

एटीएम लेन-देन के लिए ग्राहक सेवा की वृद्धि

VI.72 एटीएम के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए, बैंकों को कहा गया कि कैश उपलब्ध न हो तो लेन-देन शुरू होने से

पहले इसके बारे में संदेश दर्शाएं, एटीएम परिसर में एटीएम आईडी साफ-साफ दर्शाएं, एटीएम संबंधी शिकायतों के लिए फॉर्म एटीएम परिसरों में उपलब्ध कराए जाएं और उस अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (कॉन्टैक्ट डिटेल्स) भी दर्शाया जाए जिसके पास शिकायत दर्ज की जानी है।

VI.73 बैंकों को कहा गया था कि शिकायतें दर्ज करने/ खो गए कार्डों की रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग के लिए पर्याप्त टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराएं ताकि देर न हो और अनुरोधों को प्राथमिकता दी जाए, ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी को तत्परता से दर्ज करें और एटीएम लेन-देन के सभी स्क्रीनों/चरणों के लिए टाइम आउट सेसन की व्यवस्था करें।

ग्राहकों के हित में अन्य उपाय

VI.74 ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने में लगाए गए प्रभारों को उचित व समान बनाने के लिए बैंकों को कहा गया है कि वे अपने पास व टेलिकॉम कंपनियों के पास उपलब्ध टेक्नॉलॉजी का अधिकतम उपयोग करके यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार सभी ग्राहकों पर वास्तविक उपयोग के आधार पर लगाए जाएं।

VI.75 किसी निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) खाते में न्यूनतम बैलेंस न मेंटेन करने पर दंडात्मक प्रभार लगाने से भी बैंकों को मना किया गया है। तथापि, इन खातों की निष्क्रियता को देखते हुए इन्हें मिलने वाली अतिरिक्त सेवाओं को वापस लिया जा सकता है। व्यक्ति उधारकर्ताओं को दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट सावधि ऋणों पर समय-पूर्व भुगतान दंड लगाने से बैंकों को मना किया गया है।

VI.76 वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने तथा नाबालिगों के खाते खोलने व ऑपरेट करने में समानता लाने के लिए भी बैंकों को कहा गया है कि अपने प्राकृतिक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कोई भी नाबालिग एक बचत/मीयादी/ आवर्ती बैंक जमा खाता खोल सकता है। 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिग, यदि चाहें तो, बचत खाता स्वतंत्र रूप से खोल सकते हैं।

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड

VI.77 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है तथा व्यक्तियों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जाने वाली बैंकिंग सेवा के न्यूनतम मानक तय करता है। इसने दो संहिताएं (कोड्स) प्रस्तुत की हैं: ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के प्रति बैंक

की प्रतिबद्धता, जिसमें पहले को जनवरी 2014 में दूसरी बार संशोधित किया गया है।

VI.78 शाखाओं में विजिट करके और बैंक ग्राहकों के साथ संवाद के जरिये, बीसीएसबीआई सदस्य बैंकों द्वारा संहिताओं के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखता है और तदनुसार बैंकों को उनके अनुपालन पर रेट किया जाता है। 'ग्राहक सभाएं' आयोजित करने के अलावा टाउन हॉल मीटिंगों तथा बीओ व अन्य बैंकों द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बीसीएसबीआई ने संहिताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे।

एफएसएलआरसी के सुझावों का कार्यान्वयन

VI.79 रिज़र्व बैंक एफएसएलआरसी रिपोर्ट (मार्च 2013) की गैर-विधायी सिफरिशों को लागू करने की प्रक्रिया में है। फिर भी, अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के साथ विनियामक की स्वतंत्रता

बॉक्स VI.5: एफएसएलआरसी के सुझावों का कार्यान्वयन

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन मार्च 2011 में किया गया था जिसका उद्देश्य 'वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार वित्त जगत के कानूनों को पुनः लिखना और उनमें साफगोई लाना था'। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2013 को प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सात एजेंसियों को शामिल करते हुए एक वित्तीय नियामकीय तंत्र बनाने का प्रस्ताव किया है।

एजेंसी	उत्तरदायित्व
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)	<ul style="list-style-type: none"> मौद्रिक नीति बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के संदर्भ में सूक्ष्मविवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और ग्राहक सुरक्षा
एकीकृत वित्तीय एजेंसी (यूएफओ)	<ul style="list-style-type: none"> सभी वित्तीय फर्मों के संदर्भ में सूक्ष्मविवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और ग्राहक सुरक्षा (बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को छोड़कर) संगठित वित्तीय व्यापार का विनियमन
वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण (एफसैट)	भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय कार्यकलापों, यूएफए, एफआरए के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और संकल्प (रिज्योल्यूशन) निगम के कार्यों के कुछ घटक।

एजेंसी	उत्तरदायित्व
संकल्प निगम	डीआईसीजीसी को निगम में समामेलित कर दिया जाएगा जो समस्त वित्तीय प्रणाली के लिए कार्य करेगा।
वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए)	सभी प्रकार की वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था।
लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए)	लोक ऋण का प्रबंध करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)	एफएसडीसी का एक सांविधिक निकाय के रूप में पुनः गहन किया जाना जिसके पास कार्यकारी शक्तियां होंगी और प्रणालीगत जोखिम और विकास के क्षेत्र में इसकी संशोधित गतिविधियां होंगी।

आयोग ने वित्तीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र-रहित तथा सिद्धांत-आधारित एक विधियक हेतु "भारतीय वित्तीय संहिता" का मसौदा भी बनाया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि चार प्रकार के प्रकरणों के आस-पास वित्तीय विनियामकीय प्रक्रिया के लिए आधारशिला रखी जाए, नामतः उद्देश्य की स्पष्टता और हितों के टकराव से बचाव, शक्तियों को सुविचारित रूप से परिभाषित करना, परिचालन और राजनीतिक स्वतंत्रता, एवं तदनुसार, न्यायिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के जरिए उत्तरदायित्वता तंत्र।

जारी

आयोग की रिपोर्ट भारतीय वित्तीय इतिहास में अत्यधिक अनुसंधान कर लिखी गई रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट है। ग्राहक सुरक्षा के संबंध में इसके द्वारा किए गए प्रावधान स्वागतयोग्य हैं और आयोग द्वारा अपनाई गई समग्र पद्धति भी सराहनीय है- जैसे कि वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए गैर-क्षेत्रगत पद्धति, सिद्धांत पर आधारित कानून, विनियामकीय स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत, विनियमन निर्माण के ढांचगत प्रक्रिया, आदि। बेहतर कारपोरेट अभिशासन और विनियामकों की पारदर्शिता के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वागतयोग्य हैं।

एफएसएलआरसी ने ग्राहक सुरक्षा के संबंध में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेष रूप से, इसने ग्राहकों को बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पादों के उचित स्वरूप का निर्धारण करने के बारे में वित्तीय संस्थाओं के उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया है। इस पर बहस की जा सकती है कि क्या ग्राहक सुरक्षा क्षेत्रगत विनियामक के भीतर होनी चाहिए अथवा इसे नए वित्तीय निस्तारण प्राधिकरण के तहत होना चाहिए। पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत जहां क्षेत्रगत विनियामक त्वरित रूप से सूचना एकत्रित कर सकेगा और यदि आवश्यक हुआ तो, विनियमनों को अपना सकेगा, वहीं दूसरी व्यवस्था विभिन्न विनियामकों के तहत आने वाली उत्पादों के लिए निस्तारण की सुविधा सुनिश्चित कर सकेगी। संतुलित रूप में देख जाए तो, एफआरए की व्यवस्था अपनाने के पूर्व हमें क्षेत्रगत नियामकों के तहत ग्राहक सुरक्षा विभागों को मजबूत करना चाहिए ताकि अंतरों को भरा जा सके।

राजकोष में अति कम लागत पर विफल वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए समाधान निगम का गठन करने के प्रस्ताव की भी काफी आवश्यकता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए एफएसडीसी द्वारा गठित समाधान व्यवस्था कार्य समूह ने ऐसी एजेंसी पर विवरण प्रस्तुत किए हैं। तथापि इस संबंध में एफएसएलआरसी के कुछ प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता होगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हैं और वित्तीय फर्मों की जांच करने के लिए समाधान निगम की शक्तियां विनियामकों की शक्तियों का दुहरीकरण और ओवरलैपिंग नहीं हैं।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया के लिए एफएसएलआरसी द्वारा निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण रिजर्व बैंक की सोच के अनुरूप है। मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ और संशोधित करने के लिए रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित पटेल) की रिपोर्ट के बाद एफएसएलआरसी द्वारा एक स्पष्ट मौद्रिक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में प्रस्तावित मौद्रिक नीति के लिए जवाबदेही संरचनाएं व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं। तथापि, मौद्रिक नीति समिति की संरचना और एक कार्यकारी निकाय के रूप में इसके गठन के संबंध में कुछ बदलावों की जरूरत होगी। मौद्रिक नीति निर्माण में सरकार की प्रस्तावित संबंधित भूमिका पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ इन मुद्दों को उठाया है।

रिजर्व बैंक पहले से ही एफएसएलआरसी की अनेक सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर चुका है जो स्वभाव से अभिशासन में संवर्धन करने वाली हैं और जिनमें विधायी बदलावों की आवश्यकता नहीं है। ये सिफारिशें उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, विनियमन निर्माण की प्रक्रिया, जवाबदेही, विनियामक बोर्ड के सदस्यों

का गठन और चयन प्रक्रिया, बोर्डों की कार्यपद्धति, रिपोर्टिंग और निष्पादन मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित हैं। एक समय निर्धारित (90 दिन) अनुमोदन प्रक्रिया अपनाने के सुझाव का अनुसरण करते हुए रिजर्व बैंक ने सेवाओं की प्रदायगी के लिए उचित विनियामक अनुमोदनोत् के लिए समय-सीमा और उद्योगिक चार्टर प्रकाशित किया है। जैसाकि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, रिजर्व बैंक में सभी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया और लागू प्रणालियों के अंदर की जाती है जिससे कि किसी भी जांच में समय-सीमा से अधिक समय लगने की समीक्षा की जा सके। रिजर्व बैंक जांच प्रक्रिया को और ठीक करने की प्रक्रिया में है। रिजर्व बैंक द्वारा गठित दो समितियां बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के स्टाफ और बोर्ड के निदेशकों दोनों के लिए रिजर्व बैंक तथा इसके द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार खंडों में आवश्यक क्षमता निर्माण की जांच कर रही हैं। इस प्रकार कई सिफारिशों का विनियामकों द्वारा पहले से कार्यान्वयन जिनमें विधायी बदलावों की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी कुछ अवशिष्ट मुद्दे हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

प्रस्तावित विनियामक संरचना

मुद्दों का पहला सेट प्रस्तावित विनियामक संरचना से संबंधित है। आयोग के प्रस्ताव कुछ मामलों जैसे नए संस्थान सृजित करने और मौजूदा संस्थानों को तोड़ने के औचित्य और आने वाली लागत और लाभ का विश्लेषण के लिए पर्याप्त रूप से सही प्रतीत होता है। आयोग उन सहक्रियाओं पर चर्चा करता है जो कुछ विनियामकों को एक साथ लाने से प्राप्त की जा सकती हैं। तथापि, उन सहक्रियाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है जो अन्य विनियामकों के विखण्डन से खत्म हो जाएंगी। सभी के विनियमन निर्माण की आधारशीला के रूप में पुष्ट लागत लाभ विश्लेषण के रूप में प्रस्तावित विनियामक संरचना की लागतों और लाभों का बहुत कम अनुभवजन्य विश्लेषण नहीं है।

आयोग के दृष्टिकोण में कुछ विसंगतियां भी हैं। जबकि एक तरफ यह वित्तीय उत्पादों और पण्य वस्तुओं की संगठित ट्रेडिंग के विनियमन का सुझाव देता है, ट्रेडिंग एक विनियामक एजेंसी के पास केंद्रीकृत होनी चाहिए, बैंकों जैसे कार्यकलाप करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन बैंकिंग विनियमन के साथ प्रस्तावित नहीं किया गया है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां आयोग एक एजेंसी को कुछ उत्तरदायित्व सौंपने का प्रस्ताव करता है किंतु उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों के उपयोग के लिए शक्तियां अन्य एजेंसी के पास छोड़ देता है। उदाहरण के लिए रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य और अधिक व्यापक रूप से समष्टि आर्थिक स्थिरता को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। पूंजीगत प्रवाहों को आकार देने की योग्यता को अब समष्टि-विवेकपूर्ण साधनों के अंग के रूप में पहचाना गया है। फिर भी आवक पूंजीगत अंतर्वाहों, अधिक विशेषरूप से रिजर्व बैंक से ऋण प्रवाहों पर नियंत्रण पाने का सुझाव देते हुए एफएसएलआरसी रिजर्व बैंक से एक महत्वपूर्ण साधन वापस ले रहा है।

समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण फर्मों के विनियमन, सभी जमा स्वीकार करने वाली और ऋण संस्थाओं का विनियमन, ऋण उन्मुखी पूंजीगत अंतर्वाहों का विनियमन, मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण और विदेशी

मुद्रा बाजारों का विनियमन तथा केंद्रीय बैंक के पास सार्वजनिक ऋण के प्रबंध के संबंध में प्रबल तर्क हैं जो विशेषरूप से वैश्विक वित्तीय संकट के अनुभवों से उत्पन्न हुए हो रहे हैं।

विनियमन के कुछ खंडों के लिए आयोग का दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के विकास स्तर को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रतिकूल हो सकता है। अंतर्निहित स्थिति यह है कि सभी वर्तमान खाते लेनदेन पूरी तरह से विनियमन मुक्त होने चाहिए। जबकि तदस्थता और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण सराहनीय है, विदेशी बैंकों और विदेशी संस्थाओं के लिए ऐसे दृष्टिकोण में कुछ सुधार और सावधानी की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के समग्र दृष्टिकोण का वित्तीय फर्मों और वित्तीय स्थिरता वाली फर्मों की स्थिति पर विचार करने पर आकलित किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव कि हेज निधियों, निजी इक्विटी निधियों, उद्यम निधियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं जैसे कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सूक्ष्म विवेकपूर्ण ढंग से विनियमित होनेकी आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में हाल की वैश्विक प्रगति को अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। विनियामक विश्वभर में विनियमित संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करते हैं जो ऐसी संस्थाओं के साथ उनके न्यासीय संबंध पर आधारित होते हैं। विनियमित संस्थाओं से सीधे सूचना प्राप्त करने के लिए विनियामकों पर रोक लगाने वाली सिफारिश प्रतिबंधात्मक है और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के विरुद्ध है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को बार-बार समीक्षा करने के लिए खुला छोड़ने के प्रस्ताव से केंद्रीय बैंक के लिए मौद्रिक विश्वसनीयता प्राप्त करने में बाधा आएगी। ये उद्देश्य अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होने चाहिए और संसद द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

न्यायिक निगरानी

एफएसएलआरसी उल्लेख करती है कि विनियामक उचित लघु राज्यट हैं जिनके पास विधायी, कार्यपालक और न्यायिक शक्तियां हैं और एक संस्था में संपुटित हैं। यह विनियामकों के लिए अभिशासन के वस्तुनिष्ठ मानकों वाली विस्तृत जांच और संतुलन व्यवस्था, संरचित विनियमन प्रक्रिया, निष्पादन माप व्यवस्था और न्यायिक अधिकरण द्वारा निगरानी का प्रस्ताव करती है।

निश्चित रूप से नियंत्रण और संतुलन के उपाय जरूरी हैं। पहले से ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सांविधिक न्यायालयों, यथा- उच्च न्यायालयों में दाखिल रिट याचिकाओं के माध्यम से की जाने वाली समीक्षा शामिल है। सरकार द्वारा विनियामक के वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, और उन्हें निकाला जा सकता है। विनियामकों की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस कदम से विनियामकों के दायित्व और उन पर निगरानी बढ़ेगी।

एफसैट के सुजन के प्रस्ताव और विनियामक के प्रत्येक कदम, जैसे विनियमन बनाना, नीतिगत निर्णय, निर्णयन प्रक्रिया, विनियामक निर्णय आदि, का नियंत्रण किए जाने से अत्यधिक विधिक निगरानी का खतरा पैदा हो जाएगा। विनियामक अपने अनुभव से न्यायसंगत निर्णय लेकर कानूनों, संविधाओं और विनियमों में

रहने वाली खामियों को दूर करने का प्रयास करता रहता है। किंतु विनियामक द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को किसी भी न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक विनियामक निर्णय पर अन्यो द्वारा आलोचना किए जाने से प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे खतरे का प्रभाव विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से और नुकसानदेह होता है, जहां मंद गति से चलने वाली विधिक प्रणाली और अनुभवहीन न्यायाधिकरण का मेल विनियमन प्रक्रिया को धीमा कर देगा और समग्र प्रणाली में अस्तव्यवस्था फैल जाएगी।

किसी भी देश में, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था वाले हमारे देश में नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने हेतु विनियामक के पास रहने वाले जांच के साधनों से विनियमिता में विनियामक के प्रति आदर का भाव पैदा होता है। किंतु विनियामक के प्रत्येक कदम पर निजी क्षेत्र द्वारा जांच किया जाना विनियामक को अपने अधिकार से वंचित रखने के समान है और यहां तक कि वह सदाचार को कायम रखने के लिए भी कदम नहीं उठा सकता।

इस आयोग ने केंद्रीय बैंक को विशिष्ट स्वतंत्रता प्रदान करने पर जोर दिया है। किंतु उसकी सिफारिशों में स्वतंत्रता को बढ़ाने के बजाय विनियामक को वर्तमान में प्राप्त स्वतंत्रता को छीनने की बात कही गई है।

विनियमन और सिद्धांतों पर आधारित कानून

आयोग के प्रस्ताव में क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण के अभाव के चलते अत्यधिक जनरलैजेशन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विवेकपूर्ण मानदंड प्रचलन में हैं (उदाहरणार्थ बैंकिंग संबंधी बेसल मानदंड, बीमा संबंधी सॉल्वेन्सी मानदंड, आदि)। जबकि विनियमन के स्तर पर क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप विनियमावली रूपी 'विशालकाय संरचना' 'कमजोर विधिक आधार' पर खड़ी हो जाएगी।

पुनश्च, सिद्धांतों पर आधारित विधि बनाने हेतु इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के चलते विनियामकों को नियम निर्मित करने का दायित्व मिलता है, जबकि यह कार्य विधायकों का प्रमुख दायित्व होना चाहिए। परिणामस्वरूप, इस विधि के निर्वचन में कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है तथा इससे वित्तीय प्रणाली पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ सकता है। समस्त विनियमन व्यवस्था पर सिद्धांतों पर आधारित विनियमन रखने के बजाय विनियमन के एक निश्चित क्षेत्र पर नपे तुले तरीके से सिद्धांतों पर आधारित विनियमन शुरू किया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भारतीय वित्तीय संहिता - खामियां

भारतीय वित्तीय संहिता का प्रारूप व्यापक है, जबकि इसे एक विधि रूप देने से पहले महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। इस आयोग ने अकारणवश बैंकिंग, जमाराशि, सरकारी प्रतिभूति आदि जैसे शब्दों को पुनः परिभाषित करने की चेष्टा की है। इसके कारण बनने वाली परिभाषाओं के निर्वचन में काफी मतभेद पैदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों व कथनों तथा कानूनी मसौदों में काफी अंतर है। इन्हें दूर करना आवश्यक है। निष्कर्षतः यदि इस विधि को प्रभावी बनाना हो तो उपर्युक्त खामियों को दूर करना जरूरी है।

³ श्री पी.जे. नायर द्वारा एफएसएलआरसी रिपोर्ट के बारे में असहमति नोट।

के साथ संतुलन बनाने को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों का सावधानीपूर्वक आकलन किए जाने की जरूरत है (बॉक्स VI.5)। अधिक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने और उसमें निहित

जोखिमों को कम करने की दृष्टि से ग्राहक सुरक्षा व संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग व गैर-बैंकिंग क्षेत्रों की सहायता करने व इनका पोषण करने के अपने प्रयासों को रिजर्व बैंक जारी रखेगा।

रिजर्व बैंक विनिमय दर अस्थिरता एवं स्फीतिकारी दबावों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वर्ष के दौरान ऋण प्रबंधन कार्य व्यवस्थित रूप से कर सका। सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों के निकट समय में परिपक्व हो रहे कतिपय ऋणों को दीर्घ-कालिक ऋणों में बदल दिया गया था। साथ ही, रिवर्स नीलामी के जरिए बाजार से ऋण की वापसी-खरीद की गई। इन क्रियाओं से सरकारी ऋण की परिपक्वता संरचना में मजबूती आई, ऋण बाजार में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ और रोलओवर जोखिम घटा।

VII.1 2013-14 में केंद्र सरकार की भारी उधार संबंधी जरूरतों के साथ-साथ स्फीतिकारी दबाव एवं विनिमय दर अस्थिरता के कारण बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियां ऋण प्रबंधन के कार्य में बड़ी चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों के बावजूद, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के साथ मिलकर सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से उधार कार्यक्रम आयोजित किया जा सका। 10 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि में प्रतिभूति जारी करने के सीमित दायरे को देखते हुए रोलओवर जोखिम को नियंत्रण में करने के इरादे से ऋण प्रबंधन कार्यनीति में वर्ष के दौरान परिपक्वता अवधि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैंक ने स्विच ऑपरेशन का भी उपयोग किया जिसके जरिए अल्प-कालिक ऋणों को दीर्घ-कालिक ऋणों में बदल दिया गया था ताकि रोलओवर जोखिमों को कम किया जा सके। बैंक ने अल्प-कालिक ऋण की वापसी-खरीद भी की ताकि अल्प-कालिक रिडेम्प्शन संबंधी दबाव कम किया जा सके। राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों का आयोजन भी सुचारू रूप से किया गया।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंध

बाजार से उधार

VII.2 2013-14 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उगाही गई सकल एवं निवल राशि गत वर्ष उगाही गई राशि से थोड़ी अधिक

थी (सारणी VII.1)। 2004-05 की तुलना में केंद्र सरकार का निवल बाजार उधार 10 गुना अधिक रहा। अस्थिर बाजार माहौल के कारण खासकर जुलाई-सितम्बर 2013-14 के दौरान, और अधिक चुनौतियां उभरकर सामने आईं। रिजर्व बैंक ने अनिश्चित बाजार परिस्थितियों में बाजार की सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के संबंध में समान कीमत नीलामी अपनाया। गत वर्ष की तुलना में, लागत में सीमांत वृद्धि हुई (8.45 प्रतिशत बनाम 8.36 प्रतिशत) और प्राथमिक व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ी (गत वर्ष के दौरान 3 नीलामियों के जरिए उगाहे गए ₹18 बिलियन की तुलना में इस वर्ष 26 नीलामियों के जरिए ₹175 बिलियन की प्रतिभूतियां)।

VII.3 वित्त वर्ष 2014-16 में रिडेम्प्शन संबंधी दबाव को कम करने के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ सरकारी-प्रतिभूतियों में ₹317 बिलियन का स्विच ऑपरेशन किया गया। मार्च 2014 में बाजार से ₹156 बिलियन की राशि की अल्प-कालिक प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद रिवर्स नीलामी के जरिए की गई।

VII.4 2013-14 के दौरान जारी किए गए ऋणों की औसत परिपक्वता अवधि बढ़कर 15.1 वर्ष हो गई जो 2012-13 में 13.5 वर्ष थी। बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (अवशिष्ट

सारणी VII.1: केंद्र सरकार का सकल और निवल बाजार उधार

मद	(₹ बिलियन)				
	2004-05	2011-12	2012-13	2013-14*	2014-15 (बीई)*
1	2	3	4	5	6
निवल उधार	460 (905)	4,364 (3,430)	4,674 (4,790)	4,685 (4,840)	(4,612)
सकल उधार	803 1,248	5,100 (4,171)	5,580 (5,696)	5,635 (5,790)	(6,000)

दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जारी * : वापसी खरीद एवं स्विच को छोड़कर है।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बजट के अनुमान हैं।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - प्रोफाइल

(आय प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गम के अनुसार वाईटीएम का दायरा			वर्ष के दौरान निर्गम			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत के अनुसार)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्षों से अधिक	भारित औसत आय	प्रतिभूतियों की अवधि (दायरा)	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.80	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	7-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97
2013-14	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.45	6-30	15.05	10.00	7.98

वाईटीएम: परिपक्वता आय # एमएसएस के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर

परिपक्वता के आधार पर) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 10 वर्ष हो गई जो 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति 9.7 वर्ष थी। वर्ष के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों (प्राथमिक बाजार) की भारत औसत आय 2012-13 के 8.36 प्रतिशत से 9 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 2013-14 में 8.45 प्रतिशत हो गई। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (₹65 बिलियन के इनफ्लेशन इंडेक्स बांड को छोड़कर) के बकाया स्टॉक का भारत औसत कूपन 31 मार्च, 2013 के 7.97 प्रतिशत से सीमांत रूप से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को 7.98 प्रतिशत हो गया (सारणी VII.2)।

VII.5 वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार उधार का 57 प्रतिशत 10 वर्ष से अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के जरिए जुटाया गया (सारणी VII.3)। जमाखोरी जोखिम को कम करने के लिए, कुल निर्गमों में 15 वर्ष से अधिक परिपक्वता

वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा 2012-13 के 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 33.4 प्रतिशत हो गया। समानुपातिक रूप से, 5 वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा 8.4 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 2 प्रतिशत हो गया।

VII.6 वर्ष 2013-14 के लिए केंद्र सरकार के वास्तविक सकल बाजार उधार को 2012-13 में उगाही गई राशि ₹5,580 बिलियन की तुलना में बजट राशि ₹5,790 बिलियन से घटाकर ₹5,635 (बजट राशि का 97.3 प्रतिशत) कर दिया गया। संघ के बजट 2014-15 के अनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए लिया गया सकल बाजार उधार ₹6,000 बिलियन था जो गत वर्ष (₹5,635 बिलियन) से 6.5 प्रतिशत अधिक था जबकि निवल उधार की बजट राशि गत वर्ष की ₹4,685 बिलियन से 1.6 प्रतिशत कम अर्थात् ₹4,612 बिलियन थी। 04 अगस्त, 2014 तक बाजार से

सारणी VII.3: भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ बिलियन में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2011-12		2012-13		2013-14	
	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में औसत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में औसत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में औसत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	180	3.50	470	8.42	110	1.95
5-9.99 वर्ष	2,340	45.88	1,910	34.23	2,305	40.91
10-14.99 वर्ष	1,230	24.12	1,730	31.00	1,340	23.78
15-19.99 वर्ष	650	12.75	270	4.84	930	16.50
20 वर्ष एवं अधिक	700	13.73	1,200	21.51	950	16.86
कुल	5,100	100.0	5,580	100.00	5,635	100.00

₹2,700 बिलियन उधार लिया गया। 2013-14 में भारत औसत आय 7.75 प्रतिशत से बढ़कर 8.84 प्रतिशत हो गई जबकि भारत औसत परिपक्वता 14.49 वर्ष से घटकर 14.14 वर्ष हो गई।


VII.7 वर्ष के दौरान ट्रेजरी बिलों की आय दृढ़ हुई जो मौद्रिक नीति के रुख में परिवर्तन दर्शाती है। जुलाई 2013 के मध्य में लागू किए गए चलनिधि सख्ती संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन ट्रेजरी बिलों की आय बढ़कर क्रमशः 12.02 प्रतिशत, 12.01 प्रतिशत एवं 10.46 प्रतिशत हुई। मार्च 2014 में संपन्न अंतिम नीलामी में उक्त दिनों की ट्रेजरी बिलों की प्राथमिक बाजार आय क्रमशः 8.86 प्रतिशत, 8.86 प्रतिशत तथा 8.89 प्रतिशत रही जो मार्च 2013 के अंत की संबंधित आय से 67, 85 एवं 110 बेसिस प्वाइंट अधिक थी।

VII.8 सरकार की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विनिमय दर प्रबंधन के लिए प्रणालीगत चलनिधि की जांच करने के उद्देश्य से जुलाई-सितम्बर 2013 के दौरान ₹1,072 बिलियन का नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) जारी किया गया। सीएमबी की आय का दायरा 10.36 प्रतिशत से 12.28 प्रतिशत रहा।

VII.9 जून 2013 में संस्थागत निवेशकों के लिए 2013-14 के दौरान ₹65 बिलियन की कुल राशि का इनफ्लेशन इंडेक्स्ड बांड (आईआईबी) लागू किया गया। खुदरा निवेशकों के लिए आईआईबी, नामतः, इनफ्लेशन इंडेक्स्ड नेशनल सेविंग सेक्यूरिटीज-क्युमुलेटिव (आईआईएनएसएस-सी), दिसंबर 2013 में लागू किया गया। इन बांडों के प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी क्योंकि इसका समय पीएसयू के विभिन्न कर मुक्त बांड, इसके कतिपय डिजाइन संबंधी विशेषताओं के मुद्दे से मेल खा रहा था और खुदरा निवेशकों में इस उत्पाद के संबंध में जानकारी की कमी थी।

नकदी प्रबंध

VII.10 भारत सरकार ने ₹1,166 बिलियन के अतिरिक्त नकदी शेष के साथ वर्ष 2013-14 की शुरुआत की किंतु सरकार ने अपनी व्यय संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 12 जून, 2013 को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का सहारा लिया (चार्ट VII.1)। सरकार ने सकारात्मक शेष बनाने से पहले 7 दिसंबर, 2013 से दस दफे डब्ल्यूएमए का इस्तेमाल किया। इस प्रकार का सकारात्मक शेष मार्च के अंत तक बरकरार रखा गया। सरकार के पास वित्त वर्ष के अंत में ₹1,284 बिलियन नकदी शेष था। 2013-14 में सरकार ने



42 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए और 9 दिनों के लिए ओडी (3 दफे) का उपयोग किया जबकि गत वर्ष में 40 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का उपयोग किया गया और कोई ओडी नहीं हुआ।

VII.11 2013-14 के दौरान, डब्ल्यूएमए की सीमा 1 अप्रैल - 30 सितंबर, 2013 के लिए ₹300 बिलियन और 1 अक्टूबर, 2013 - 31 मार्च, 2014 के लिए ₹200 बिलियन निर्धारित की गई थी। वित्त वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹350 बिलियन निर्धारित की गई है।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंध

बाजार से उधार

VII.12 वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटन राशि ₹2,185 बिलियन निर्धारित की गई थी। ₹321 बिलियन की चुकौती के कारण सकल आबंटन की राशि ₹2,506 बिलियन हुई। राज्य सरकार ने 2013-14 में ₹1,967 बिलियन की सकल राशि जुटाई जो गत वर्ष में ₹1,773 बिलियन थी (सारणी VII.4)। 2013-14 में दो राज्यों (असम और ओडिशा) ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जबकि 2012-13 में एक राज्य (ओडिशा) ने भाग नहीं लिया। 2013-14 में बारह राज्यों ने अपनी पूरी मंजूरी का उपयोग नहीं किया जबकि 2012-13 में ऐसे 11 राज्यों ने उपयोग नहीं किया।

सारणी VII.4: राज्यों द्वारा बाजार से लिए गए उधार

(₹ बिलियन)				
मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
निवल आबंटन	1,459	1,881	2,185	लागू नहीं
अतिरिक्त आबंटन	157	0	0	लागू नहीं
वर्ष के दौरान की परिपक्वताएं	220	306	321	
सकल आबंटन	1,835	2,187	2,506	लागू नहीं
धारा 293(3) के तहत सकल मंजूरी	1,634	1,861	2,174	898*
वर्ष के दौरान उगाही गई सकल राशि	1,586	1,773	1,967	599*
वर्ष के दौरान उगाही गई निवल राशि	1,366	1,467	1,646	440*
कुल मंजूरी के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	97	95	90	67*
बकाया एसडीएल (अवधि के अंत में)	7,424	9,291	10,418	लागू नहीं

*: 31 जुलाई, 2014 तक

VII.13 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों की भारित औसत आय गत वर्ष के 8.84 प्रतिशत की तुलना में अधिक अर्थात् 9.18 प्रतिशत थी, जिससे सामान्य ब्याज दर संचलन का पता चलता है। केंद्र सरकार की भारित औसत आय की तुलना में भारित औसत स्प्रेड गत वर्ष के 71 बेसिस प्वाइंट से बढ़कर इस वर्ष 75 बेसिस प्वाइंट हुआ। मोटे तौर पर, राज्य सरकारों का वास्तविक बाजार उधार प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में इंगित सीमा के अनुसार था।

VII.14 वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के संबंध में, सभी महीनों को मिलाकर कुल 26 बार नीलामी की गई जो कि गत वर्ष 28 थी। औसतन 10 राज्य सरकारों ने 2013-14 में हुई नीलामी में भाग लिया जबकि 2012-13 में यह आंकड़ा 8 था। गत वर्ष की भांति, 10 वर्षीय नियमित परिपक्वता बांड के अतिरिक्त 4 वर्ष एवं 5 वर्ष की भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाले एसडीएल जारी किए गए और इसके प्रति प्रतिक्रिया संतोषजनक थी।

नकदी प्रबंध

VII.15 राज्यों के साथ-साथ संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी हेतु ₹102 बिलियन की वर्तमान कुल डब्ल्यूएमए सीमा को 11 नवंबर, 2013 से 50 प्रतिशत बढ़ाकर ₹154 बिलियन कर दिया गया है। डब्ल्यूएमए, विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) एवं ओडी पर लागू ब्याज दर लगातार रिपो दर से संबद्ध रही। राज्यों की एसडीएफ, डब्ल्यूएमए एवं ओडी संबंधी मासिक औसत उपयोगिता सारणी VII.5 में उपलब्ध है।

VII.16 गत वर्ष की तुलना में 2013-14 में 8 राज्यों की अपेक्षा 13 राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, 9 राज्यों की अपेक्षा 13 राज्यों ने एसडीएफ का सहारा लिया और 6 राज्यों की अपेक्षा 8 राज्यों ने ओडी का सहारा लिया। राज्य सरकारों सहित संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए 2014-15 में कुल डब्ल्यूएमए सीमा ₹153.6 बिलियन निर्धारित की गई है।

VII.17 राज्य सरकारों के अतिरिक्त नकदी शेष का केंद्र सरकार के 14-दिन के इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल (आईटीबी) में स्वतः निवेश होता है। भारत सरकार ने आईटीबी को 5 प्रतिशत की निर्धारित दर पर पारिश्रमिक देना जारी रखा है। 14-दिन के आईटीबी में दैनिक औसत निवेश गत वर्ष के ₹849 बिलियन से 15 प्रतिशत घटकर ₹726 बिलियन हो गया। आईटीबी में राज्यों का बकाया निवेश मार्च 2014 के अंत में ₹862 बिलियन रहा जो मार्च 2013 के अंत में ₹1,181 बिलियन था। नीलामी ट्रेजरी बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों का दैनिक औसत निवेश गत वर्ष के ₹441 बिलियन से बढ़कर ₹597 बिलियन हो गया। एटीबी में राज्य सरकारों का बकाया निवेश मार्च 2013 के अंत के ₹286 बिलियन की तुलना में मार्च 2014 के अंत में बढ़कर ₹463 बिलियन हो गया।

VII.18 केंद्र सरकार के बजट 2014-15 में सकल बाजार उधार में गत वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। सक्रिय ऋण प्रबंध कार्यनीति को जारी रखते हुए जो 2013-14 में अपनाई गई थी, बजट में ऋण की स्वचिंग/वापसी-खरीद का भी प्रावधान किया गया है। समष्टिआर्थिक स्थितियों में स्थिरता

सारणी VII.5: डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग एवं राज्य सरकार के निवेश (औसत मासिक बकाया)

(₹ बिलियन)

माह	एसडीएफ #			डब्ल्यूएमए			ओवरड्राफ्ट			कुल		
	2012-13	2013-14	2014-15*	2012-13	2013-14	2014-15*	2012-13	2013-14	2014-15*	2012-13	2013-14	2014-15*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	5.0	0.8	9.1	4.0	3.1	7.8	3.0	1.9	4.1	12.0	5.8	21.0
मई	1.0	0.6	1.8	0.3	1.5	5.8	0.0	0.3	1.0	1.4	2.4	8.6
जून	0.6	5.7	2.4	2.0	5.0	6.6	0.2	1.9	1.0	2.8	12.6	10.0
जुलाई	2.0	1.9	0.1	2.0	2.9	5.2	0.8	0.6	0.3	4.8	5.4	5.6
अगस्त	0.6	3.3		1.0	2.7		0.3	2.9		1.9	8.9	
सितं	4.0	3.3		4.0	1.8		2.0	0.6		10.0	5.7	
अक्तू	5.0	7.2		4.0	3.8		1.0	0.1		10.0	11.1	
नवं	5.0	0.8		4.0	0.0		1.0	0.0		10.0	0.8	
दिसं	4.0	1.5		4.0	3.7		2.0	0.0		10.0	5.2	
जन	0.6	6.9		1.0	5.2		0.1	1.0		1.7	13.1	
फर	0.1	0.7		3.0	4.1		2.0	0.3		5.1	5.1	
मार्च	0.9	0.2		1.6	4.0		4.9	2.8		7.4	7.0	

टिप्पणी : एसडीएफ पर ब्याज दर: रिपो दर से 1 प्रतिशत कम; डब्ल्यूएमए: 1-90 दिनों की अवधि के लिए रिपो दर एवं 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए रिपो दर से 1 प्रतिशत अधिक; और ओडी: डब्ल्यूएमए के 100 प्रतिशत तक के ओडी के लिए रिपो दर से 2 प्रतिशत अधिक एवं डब्ल्यूएमए के 100 प्रतिशत से अधिक ओडी के लिए रिपो दर से 5 प्रतिशत अधिक।

*:- 31 जुलाई, 2014 तक।

#: 23 जून, 2014 से विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नामकरण बदलकर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) कर दिया गया है।

के संकेत दिखाई देने तथा स्फीतिकारी दबाव कम होने के साथ 2014-15 में बाजार उधार कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित किए जाएंगे।

VII.19 फिर भी, 2014-15 के दौरान ऋण प्रबंध के जरिए अन्य उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे, बैंकों के

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की मांग में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में लाभ के कारण निजी ऋणों में उछाल की संभावना तथा भारी रिडेम्प्शन दबाव के चलते इस समूह (बैंक) में 10 वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों को जारी किए जाने की संभावनाओं का घटना।

बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग में पिछले वर्षों की ही भांति बढ़ोत्तरी का रुझान रहा। रिजर्व बैंक ने जनता के लिए बैंक शाखाओं, जो लोगों के अधिक नजदीक होती हैं, के माध्यम से विनिमय सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने का क्रम जारी रखा। बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए पुरस्कारों एवं दण्डों की योजना को पुनरीक्षित कर बेहतर बनाया गया साथ ही, मुद्रा के निर्गमन एवं वितरण की गतिविधियों में प्रौद्योगिकीय सहायता पर जोर देते हुए विस्तार किया गया। रिजर्व बैंक बढ़िया गुणवत्ता वाले बैंक नोटों तथा सिक्कों की आपूर्ति करने के साथ ही अंतिम छोर तक जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए वितरण के नेटवर्क को विस्तारित करने के माध्यम से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए लगातार यत्न कर रहा है।

VIII.1 केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मुद्रा प्रबंध होने के कारण इसमें उच्च श्रेणी की दृष्टिसीमा की अपेक्षा होती है क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति अक्सर उनकी (केंद्रीय बैंकों की) दक्षता को अपने तक बैंक नोटों की सरलतापूर्वक उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर परखने की होती है। बैंक नोटों का निर्गमन एवं मुद्रा प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार 22 रिजर्व बैंक को बैंक नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्रदान करती है। रुपया सिक्के (₹1, 2, 5 एवं 10) तथा 50 पैसे के सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं किंतु उनका परिचालन सिर्फ रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा प्रबंध के अंतर्गत मुद्रा के बारे में योजना बनाना तथा उसकी रूपरेखा (डिजाइन) तैयार करना एवं इसकी गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से समुचित मात्रा में इसके निर्गमन/वापस लेने का कार्य करते हुए इसकी सत्यनिष्ठा और उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है।

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.2 प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान के गैर-नगदी माध्यमों के हाल के समय में अधिक प्रयोग होने के बाद भी 2013-14 में बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग बढ़ना जारी रहा। मार्च 2014 के अंत में, परिचालनगत बैंक नोटों का मूल्य ₹12,829 बिलियन रहा। इसमें मार्च 2013 के अंत की तुलना में 10.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान परिचालनगत बैंक नोटों की मात्रा में 77 बिलियन नगों की वृद्धि हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.1)।

सारणी VIII.1 : परिचालनगत बैंक नोट

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹. बिलियन)		
	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
₹ 2 एवं ₹ 5	11,540 (16.6)	11,624 (15.8)	11,698 (15.1)	45 (0.4)	46 (0.4)	46 (0.4)
₹ 10	23,002 (33.2)	25,168 (34.2)	26,648 (34.5)	230 (2.2)	252 (2.2)	266 (2.1)
₹ 20	3,510 (5.1)	3,825 (5.2)	4,285 (5.5)	70 (0.7)	77 (0.6)	86 (0.7)
₹ 50	3,488 (5.0)	3,461 (4.7)	3,448 (4.5)	174 (1.6)	173 (1.5)	172 (1.3)
₹ 100	14,119 (20.3)	14,421 (19.6)	14,765 (19.1)	1,412 (13.4)	1,442 (12.4)	1,476 (11.5)
₹ 500	10,256 (14.8)	10,719 (14.6)	11,405 (14.7)	5,128 (48.7)	5,359 (46.0)	5,702 (44.4)
₹ 1,000	3,469 (5.0)	4,299 (5.9)	5,081 (6.6)	3,469 (33.0)	4,299 (36.9)	5,081 (39.6)
कुल	69,384	73,517	77,330	10,528	11,648	12,829

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

परिचालनगत सिक्के

VIII.3 पिछले वर्षों में देखा गया परिचालनगत सिक्कों में बढ़ोत्तरी का रुझान 2013-14 के दौरान भी जारी रहा। मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से परिचालनगत सिक्कों में क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी VIII.2)।

सारणी VIII.2 : परिचालनगत सिक्के

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,785 (19.0)	14,788 (17.4)	14,788 (16.1)	7 (5.3)	7 (4.6)	7 (4.1)
₹ 1	34,414 (44.1)	35,884 (42.4)	38,424 (41.9)	34 (25.6)	36 (23.5)	38 (21.9)
₹ 2	18,201 (23.3)	22,113 (26.1)	24,823 (27.1)	36 (27.1)	44 (28.8)	50 (28.9)
₹ 5	9,981 (12.8)	10,675 (12.6)	11,577 (12.7)	50 (37.2)	53 (34.6)	58 (33.5)
₹ 10	648 (0.8)	1,267 (1.5)	2,017 (2.2)	6 (4.8)	13 (8.5)	20 (11.6)
कुल	78,029	84,727	91,629	133	153	173

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

मुद्रा संबंधी लेनदेन

VIII.4 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपना मुद्रा प्रबंध कार्य 19 निर्गम कार्यालयों, कोच्चि स्थित एक करेंसी चेस्ट, 4,183 करेंसी चेस्टों (उप-राजकोष कार्यालयों सहित) तथा देश भर में फैले वाणिज्य, शहरी सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे सिक्कों के 3,967 डिपो के नेटवर्क के माध्यम से किया (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.3 : मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
राजकोष (ट्रेजरी)	11	0
भारतीय स्टेट बैंक	2,103	2,036
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	769	767
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,149	1,018
निजी क्षेत्र के बैंक	139	134
सहकारी बैंक	2	2
विदेशी बैंक	5	5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
कुल	4,183	3,967

VIII.5 नजदीकी बैंक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को अधिक आसान विनिमय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए रिजर्व बैंक ने मुद्रा के खुदरा वितरण से धीरे-धीरे बाहर निकलना जारी रखा है। बैंकों को अपनी वितरण प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है ताकि वे आम आदमी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार, रिजर्व बैंक के काउंटरो से बैंक नोटों, सिक्कों एवं कटे-फटे बैंक नोटों के अधिनिर्णय में 01 जनवरी 2013 की स्थिति की तुलना में क्रमशः 80 प्रतिशत, 94 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत की कमी आई। साथ ही, इसी अवधि के दौरान निर्धारित बैंक शाखाओं से बैंक नोटों, सिक्कों एवं कटे-फटे नोटों के वितरण में क्रमशः 222 प्रतिशत, 85 प्रतिशत एवं 19 की वृद्धि हुई।

VIII.6 बैंक नोटों तथा सिक्कों के वितरण में बैंकों के सुस्पष्टरूप से अधिक हिस्से एवं महानगरों तथा शहरी केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर बैंक नोटों एवं सिक्कों की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक योजना (एलबीएस) की तर्ज पर एक योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार निर्धारित क्षेत्रों (जिलों/राज्यों) का आबंटन अलग-अलग बैंकों को किया जाना है। प्रायोगिक तौर पर, मुद्रा प्रबंध के लिए रिजर्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (मुंबई और दिल्ली को छोड़कर) ने एक-एक जिला तथा प्रत्येक जिला के लिए एक बैंक का निर्धारण कर लिया है। यह योजना मुद्रा प्रबंध के लिए नोडल बैंक बनने की बैंकों की इच्छा एवं उत्साह पर निर्भर है। निर्धारित लीड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि साफ-सुथरे बैंक नोटों तथा सिक्कों की लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को उस क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों एवं छोटे सिक्कों के डिपो से उचित समन्वय के माध्यम से समुचित ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

VIII.7 देश में बैंक नोटों तथा सिक्कों की बढ़ती मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों को बैंक नोटों एवं सिक्कों के वितरण के लिए कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) तथा नगद की दुलाई करने वाली (सीआईटी) संस्थाओं की सेवाएं लेने की संभावनाओं का पता लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

VIII.8 रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के अनुरोध पर बैंक नोटों की विभिन्न श्रृंखलाओं का परिचालन करने से उत्पन्न हुए जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में 2005 से पहले निर्गमित सभी बैंक नोटों को परिचालन से वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ किया है क्योंकि इनमें 2005 के बाद छोपे गए बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा संबंधी विशेषताएं (चिह्न) हैं। बैंक नोट वापस लेने की प्रक्रिया इस मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप है कि एक ही समय पर विभिन्न श्रृंखलाओं के बैंक नोट परिचालन में नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक, बैंकों के माध्यम से इन बैंक नोटों को नेमी कार्य की भांति वापस लेता रहा है। 1 जनवरी 2015 तक इन बैंक नोटों को किसी भी बैंक शाखा में स्वतंत्रतापूर्वक बदला जा सकता है। 1 जनवरी 2015 के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा यथा समय सूचित की जाएगी। नोट वापस लेने की प्रक्रिया से जनता को असुविधा के बिना सुगम तथा गैर-बाधाकारी ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया था। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा समुचित उत्तरों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट में सूचीबद्ध किया गया है।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों तथा सिक्कों की मांग और आपूर्ति

VIII.9 रिजर्व बैंक अर्धमितीय मॉडलों, जिनमें अन्य बातों के अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की संभावनाओं, मुद्रास्फीति की दर एवं मूल्य-वर्गवार गंदे बैंक नोटों; के आधार पर

सारणी VIII.4 : बैंक नोटों की मांग और प्रेसों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
₹ 5	0	2	-	-	-	-	-	
₹ 10	5,700	6,252	12,094	5,506	12,164	9,467	8,000	
₹ 20	600	1,045	1,060	1,154	1,203	935	2,300	
₹ 50	1,200	949	1,182	1,626	994	1,174	2,100	
₹ 100	6,100	5,079	5,704	6,675	5,187	5,131	5,200	
₹ 500	2,000	2,330	3,985	3,002	4,839	3,393	5,400	
₹ 1,000	2,000	1,927	746	1,141	975	818	1,500	
कुल	17,600	17,584	24,770	19,103	25,362	20,918	24,500	

सारणी VIII.5 : सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	Volume (million pieces)							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
50 पैसे	70	107	50	6	50	40	40	
₹1	1,600	1,480	4,177	1,572	5,418	3,092	6,000	
₹2	2,900	3,343	2,741	3,742	3,546	2,424	4,000	
₹5	800	761	1,586	615	1,819	1,393	2,000	
₹10	1,000	403	1,000	943	1,200	728	1,460	
कुल	6,370	6,094	9,554	6,878	12,033	7,677	13,500	

सिक्कों एवं बैंक नोटों की मांग क्रमशः टकसालों एवं प्रेसों के समक्ष रखता है। तदनुसार, बैंक नोटों की आपूर्ति 2012-13 के 19.1 बिलियन नगों से बढ़ाकर 2013-14 में 20.9 बिलियन नग (9.5 प्रतिशत वृद्धि) कर दी गई (सारणी VIII.4)। इस अवधि में सिक्कों की आपूर्ति भी पिछले वर्षों की तुलना में 11.6 बढ़कर 7.7 बिलियन नग हो गई (सारणी VIII.5)।

गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना

VIII.10 2013-14 के दौरान लगभग 14.2 बिलियन नग गंदे बैंक नोट नष्ट किए गए जबकि लक्ष्य 17 बिलियन नगों को नष्ट करने का था। नोट नष्ट करने की उपलब्ध क्षमता तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तव में नष्ट किए जाने के रुझान को ध्यान में रखते हुए 2014-15 के लिए लगभग 17 बिलियन नगों को नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया (सारणी VIII.6)।

सारणी VIII.6 : रिजर्व बैंक द्वारा गंदे नोटों का नष्ट किया जाना

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)		
	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
₹ 1,000	375	450	511
₹ 500	1,994	2,263	2,405
₹ 100	5,577	5,627	4,972
₹ 50	1,578	1,357	1,398
₹ 20	562	609	725
₹ 10	3,584	3,752	4,128
₹ 5 तक	101	72	48
कुल	13,772	14,130	14,187

जाली नोट

VIII.11 रिजर्व बैंक ने जाली नोटों की समस्या पर नजर रखने के लिए जाली नोटों की रिपोर्टिंग को उचित एवं तत्पर बनाना सुनिश्चित करने के लिए चेस्टों/शाखाओं में छटनी की मशीनें लगाने और सभी बैंकों में जाली नोट निगरानी (एफएनवी) प्रकोष्ठ बनाने पर जोर देना जारी रखा है। परिचालनगत बैंक नोटों में जनता का भरोसा मजबूत करने तथा वित्तीय घाटे के साथ ही प्रतिष्ठा में कमी के जोखिमों को नियंत्रित और कम करने की दृष्टि से बैंकों को अपने नगदी प्रबंध को इस प्रकार से पुनर्समायोजित करने की सलाह दी गई है कि नगदी रूप में प्राप्त ₹100 या अधिक मूल्य-वर्ग के बैंक नोटों को असली होने की मशीनी प्रक्रिया से गुजारे बिना पुनःपरिचलन में नहीं डाला जाना सुनिश्चित करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों के पता लगाने और रिपोर्टिंग करने के संबंध में पुरस्कार-दण्ड की प्रणाली भी प्रारंभ की गई है।

VIII.12 2013-14 के दौरान 488,273 नग जाली नोटों का पता लगाया गया जिनमें से 468,446 नगों (95.9 प्रतिशत) का पता वाणिज्य बैंकों की शाखाओं ने लगाया जबकि 19,827 नगों (4.1 प्रतिशत) का पता रिजर्व बैंक के कार्यालयों ने लगाया

सारणी VIII.7 : पता लगाई गई जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

वर्ष	में पता लगाया गया		कुल
	रिजर्व बैंक	अन्य बैंक	
1	2	3	4
2011-12	37,690 (7.2)	4,83,465 (92.8)	5,21,155
2012-13	29,200 (5.9)	4,69,052 (94.1)	4,98,252
2013-14	19,827 (4.1)	468,446 (95.9)	488,273

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

सारणी VIII.8 : बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान जाली नोटों का मूल्य-वर्ग वार पता लगाना

(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

मूल्य-वर्ग ₹ में	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
2 एवं 5	—	2	1
10	126	321	157
20	216	221	87
50	12,457	9,759	6,851
100	123,398	108,225	118,873
500	301,678	281,265	252,269
1,000	83,280	98,459	110,035
कुल नग	521,155	498,252	488,273
अनुमानित मूल्य ₹ बिलियन में	0.25	0.25	0.25

टिप्पणी : आंकड़ों में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

(सारणी VIII.7)। 2013-14 के दौरान ₹1,000 एवं ₹100 के जाली नोटों का पता लगाने में क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ₹500 मूल्य-वर्ग में पिछले वर्ष की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)। हालांकि, इस आंकड़े में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोटों को शामिल नहीं किया गया है।

प्रतिभूति के मुद्रण एवं वितरण पर व्यय

VIII.13 रिजर्व बैंक, बैंक नोटों के परिवहन के लिए बार-बार दुलाई तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता में कमी लाने और इस प्रकार से खजाने के लाने-लेजाने की लागत में कमी के साथ ही तीव्र गति को सुनिश्चित करने के लिए नोट प्रिंटिंग प्रेसों से सीधे करेंसी चेस्टों में बैंक नोट जमा करने की योजना का उत्तरोत्तर अनुसरण कर रहा है। 2013-14 (जुलाई-जून) के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर ₹32.1 बिलियन का व्यय किया गया जबकि 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान ₹28.7 बिलियन का व्यय हुआ था।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अधिक अपनाने का उद्देश्य प्रयोक्ताओं में परिचालनों की सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के साथ-साथ गति, कुशलता और सुरक्षा प्रदान करना है। देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने और नकदी का इस्तेमाल कम करने वाला समाज बनाने के अपने विज्ञान के अनुसार रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने और भुगतान प्रणाली के जोखिम यदि कोई हो, को समाप्त करने संबंधी नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, इन प्रयासों में स्वेत लेबल एटीएम की शुरुआत, बैंक से असंबद्ध लोगों के लिए कार्ड रहित नकदी आहरण सुविधा, नई पीढ़ी आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत और भारी मात्रा और कुशलता के लिए एनईएफटी प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करना शामिल हैं। वर्ष के दौरान पेपर चेक के स्थान पर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देना जारी रखा।

IX.1 वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए प्रयासों के चलते विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक

भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत भारी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए गए हैं (सारणी IX.1)। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने के

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली के संकेतक - कुल वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन में)			मूल्य (₹ बिलियन में)		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआइएफएमआइ)						
1. आरटीजीएस	55.0	68.5	81.1	539,307.5	676,841.0	734,252.4
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2+3+4)	1.9	2.3	2.6	406,071.2	501,598.5	621,569.6
2. सीबीएलओ	0.1	0.2	0.2	111,554.3	120,480.4	175,261.9
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.4	0.7	0.9	72,520.8	119,948.0	161,848.2
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.3	1.4	1.5	221,996.1	261,170.1	284,459.5
कुल एसआइएफएमआइ (1-4)	56.9	70.8	83.7	945,378.7	1,178,439.5	1,355,822.0
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6+7)	1,341.9	1,313.7	1,254.0	99,012.1	100,181.8	9,3014.8
5. चेक ट्रेडिंग प्रणाली	180.0	275.0	589.3	15,103.7	21,779.5	44,203.1
6. माइकर समाशोधन	934.9	823.3	439.0	65,093.2	57,504.0	31,129.8
7. गैर-माइकर समाशोधन	227.0	215.3	225.7	18,815.1	20,898.3	17,681.8
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	512.5	694.1	1,108.3	20,575.3	31,881.1	47,856.3
8. ईसीएस नामे	164.7	176.5	192.9	833.6	1,083.1	1,268.0
9. ईसीएस जमा	121.5	122.2	152.5	1,837.8	1,771.3	2,492.2
10. ईएफटी/एनईएफटी	226.1	394.1	661.0	17,903.5	29,022.4	43,785.5
11. त्वरित भुगतान सेवा (आइएमपीएस)	0.1	1.2	15.4	0.4	4.3	95.8
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	-	-	86.5	-	-	214.8
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	678.1	931.7	1,262.1	1,562.5	2,051.5	2,576.3
13. क्रेडिट कार्ड	320.0	396.6	509.1	966.1	1229.5	1539.9
14. डेबिट कार्ड	327.5	469.1	619.1	534.3	743.4	954.1
15. पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआइ)	30.6	66.1	133.9	62.0	78.7	82.4
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15 तक)	2,532.4	2,939.5	3,624.4	121,149.9	134,114.4	143,447.4
कुल जोड़ (1 से 15)	2,589.3	3,010.2	3,708.0	1,066,528.5	1,312,554.0	1,499,269.4

: - लागू नहीं

नोट : 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) में मात्र ग्राहक और अंतरबैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से किया जाता है।

3. 27 चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर) चेक संसाधन केंद्रों (सीपीसी) और 67 गैर-माइकर सीपीसी स्थानों; 20 माइकर सीपीसी और 3 गैर-माइकर सीपीसी स्थानों; 21 माइकर सीपीसी और 1 गैर माइकर सीपीसी स्थानों से बैंक क्रमशः सीटीएस चेन्ने, मुंबई और नई दिल्ली ग्रिड में भाग लेते हैं। कुल चेक की मात्रा का अनेक सीपीसी स्थानों पर सीटीएस को अपनाने से देश में माइकर सीपीसी की कुल संख्या (21 मई 2014 की स्थिति के अनुसार) 66 से घटकर 19 रह गई है।

4. कार्ड के आंकड़े सिर्फ बिजनेस केंद्र टर्मिनल (पीओएस) पर किए गए लेनदेनों से संबंधित हैं।

5. एनएसीएच प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा (29 दिसंबर 2012 में) शुरू की गई थी ताकि अंतरबैंक, बड़ी मात्रा वाले, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन जो दोहराने योग्य और आवधिक स्वरूप के हैं, के लिए सुविधाजनक हो सके।

6. हो सकता है कि संख्या का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े मेल न खाते हो।

साथ-साथ अन्य गैर-नकदी भुगतान माध्यमों की तुलना में पेपर आधारित समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत संसाधित लेनदेनों की मात्रा में कमी होना जारी है। कुल मिलाकर, 2013-14 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली में मात्रा की दृष्टि से 23.2 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भुगतान प्रणालियों की प्रवृत्तियां

पेपर समाशोधन

IX.2 पेपर समाशोधन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अनुकूल प्रभाव देखा गया जिससे मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से पेपर आधारित लेनदेनों में कमी आई। 2013-14 के दौरान मात्रा की दृष्टि से पेपर आधारित लेनदेन का हिस्सा कुल गैर-नकदी लेनदेनों में 34.6 प्रतिशत (2012-13 के दौरान 43.4 प्रतिशत) रहा। मूल्य की दृष्टि से भी पेपर आधारित लेनदेनों का हिस्सा (2012-13 में 7.6 प्रतिशत) घटकर 6.3 प्रतिशत रह गया।

IX.3 मौजूदा समय में, चेक समाशोधन प्रणाली में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं : (i) चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली में ग्रिड आधारित चेक ट्रैकिंग प्रणाली¹ (ii) 19 बड़े केंद्रों पर स्थित माइकर सीपीसी, और (iii) 1,339 छोटे केंद्रों पर स्थित एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस)। ग्रिड-सीटीएस समाशोधन प्रणाली अपने ग्रिड क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय चेक के रूप में बैंक की शाखाओं के नाम पर आहरित सभी चेकों के समाशोधन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें त्वरित समाशोधन प्रभार/बाहरी चेकों को स्वीकार करने से संबंधित प्रभार इत्यादि नहीं देने होते हैं। मई 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रिड सीटीएस की शुरुआत होने से 47 माइकर केंद्रों के सभी लेनदेनों को ग्रिड केंद्रों के जरिए किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त के चलते ही उन्हें बंद किया जा सका। ईसीसीएस एप्लीकेशन का प्रयोग पैकेज कम मात्रा वाले लेनदेनों वाले केंद्रों पर किया गया और उन केंद्र पर ही प्रतिभागी बैंक के लिए 'स्थानीय' स्तर पर समाशोधन की सुविधा भी प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.4 2013-14 के दौरान आरटीजीएस के अंतर्गत ₹734 ट्रिलियन मूल्य के लगभग 81 मिलियन लेनदेन किए गए। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार आरटीजीएस सुविधा युक्त बैंक शाखाओं की संख्या 109,506 दर्ज की गई।

IX.5 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा 158 बैंकों की 111,619 शाखाओं में उपलब्ध कराई गई। 2013-14 के दौरान ₹44 ट्रिलियन मूल्य के लगभग 661 मिलियन लेनदेन किए गए। मार्च 2014 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा के तहत सबसे अधिक मात्रा में 82.8 मिलियन लेनदेन किए गए।

IX.6 2013-14 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) नाम के तहत लगभग ₹1,268 बिलियन मूल्य के 193 मिलियन लेनदेन किए गए और ईसीएस जमा के तहत लगभग ₹2,493 बिलियन मूल्य के 152 मिलियन लेनदेन किए गए। क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) प्रणाली का क्रमशः विस्तार होने के कारण अनेक ईसीएस केंद्रों के लेनदेन की मात्रा आरईसीएस केंद्रों में पूरी तरह शामिल हो गई। अब अनेक केंद्रों पर 12 आरईसीएस और मुंबई में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के अतिरिक्त ईसीएस केंद्रों की संख्या 34 है।

IX.7 2013-14 के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए ₹1,539 बिलियन मूल्य के 509 मिलियन लेनदेन किए गए, वहीं डेबिट कार्ड के जरिए ₹954 बिलियन मूल्य के 619 मिलियन लेनदेन किए गए।

IX.8 वर्ष के दौरान मोबाइल बैंकिंग सेवा के अंतर्गत ₹60 बिलियन मूल्य के 95 मिलियन लेनदेन किए गए।

व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)

IX.9 बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं को टियर III से टियर VI के सभी केंद्रों पर आटोमेटेड टेलर मशीन लगाने और उनका संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। 18 आवेदन करने वाली संस्थाओं में से

¹ इमेज आधारित समाशोधन

12 संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसमें से 6 संस्थाओं को अंतिम रूप से एटीएम स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 1,960 व्हाइट लेबल एटीएम खोले गए।

भुगतान प्रणाली के लिए प्राधिकार देना

IX.10 2013-14 के दौरान 17 नई संस्थाएं जुड़ जाने से प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की संख्या बढ़कर 58 हो गई, जिसमें पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता, सीमापार मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, डब्ल्यूएलए परिचालक, एटीएम नेटवर्क और सीसीआईएल और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अतिरिक्त कार्ड भुगतान नेटवर्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 8 अन्य संस्थाओं को पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी और संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष के दौरान पीपीआई जारी करने वाले 3 भुगतान प्रणाली परिचालकों को 'बंद करने की प्रक्रिया' के तहत रखा गया। मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत सीमापार इन-बाउंड विप्रेषण सेवा प्रदान करने वाली एक ओवरसीज संस्था के परिचालनों में दिशा-निर्देशों न पालन करने के

कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 27X7 तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) का संचालन करने वाले एनपीसीआई को बहुविध निपटान सत्रों की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की गई है। कार्ड रहित नगदी आहरण प्रणाली की स्थापना करने के लिए सिद्धांतः अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है (बॉक्स IX.1)।

नीतिगत पहलें

चेक समाशोधन प्रणाली: जांच और निगरानी

IX.11 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने निपटान उद्देश्य के लिए सबसे पहले सभी समाशोधन गृहों को स्वचालित किया और फिर बाहरी चेकों को त्वरित समाशोधन के तहत स्थानीय रूप में संसाधित करने के लिए बैंकों के सीबीएस का उपयोग किया। बाद में, चेक समाशोधन की कुशलता बढ़ाने के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीटीएस) और ग्रिड-आधारित सीटीएस प्रणाली की शुरुआत की गई। तथापि, कई वर्षों के बाद भी गैर-सीटीएस 2010 मानक वाले चेक सीटीएस ग्रिड में आना जारी रहे जिससे जोखिम बना रहा। इसलिए संचलन में मौजूद गैर मानक वाली चेकों के लिए कम अंतराल पर अलग समाशोधन की प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 2014 से 3 ग्रिड

बॉक्स IX.1

बैंक सुविधा से वंचित लोगों के लिए कार्ड रहित नगदी आहरण सुविधा

वर्ष के दौरान 2 संस्थाओं को भारत में ऐसी भुगतान प्रणाली शुरू करने की 'सैद्धांतिक मंजूरी' प्रदान की गई जो भेजने वालों/विप्रेषकों द्वारा अपने बैंक खाते से भेजे गए पैसे को बैंक में खाता न रखने वाले लोगों को पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करेगी। कार्ड रहित सेवा शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे बैंक खाता धारक बैंक में रखा न रखने वाले लोगों को निर्धारित सीमा के भीतर पैसा अंतरित कर/भेज सकेंगे, इसमें प्राप्तकर्ता की पहचान के रूप में मोबाइल नंबर और पैसा निकालने के लिए पिन कोड का प्रयोग जरूरी है। यह सेवा कथित संस्था द्वारा प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही शुरू होगी। अनुमोदित प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है

किसी खाता धारक द्वारा गैर खाता धारक को पैसा भेजने की सुविधा इंटरनेट अथवा एटीएम पर उसके डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही संभव होगी। पैसा भेजने वाला व्यक्ति निधि-अंतरण करने के लिए किसी भी प्रतिभागी बैंक के एटीएम में विशेष बटन को ऐक्टिवेट करके प्राप्तकर्ता को पैसा भेज सकेगा। इसके लिए, उसे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी :

- प्राप्तकर्ता/लाभार्थी का मोबाइल नंबर
- उसकी पसंद का 4-अंक वाला सेंडर कोड

- भेजी जाने वाली रकम
- भेजने वाले का मोबाइल नंबर

लाभार्थी प्रतिभागी बैंक के किसी भी एटीएम से पूरा पैरा निकला सकता है, बस उसे बैंक से प्राप्त कोड और भेजने वाले से प्राप्त कोड दोनों का इस्तेमाल करना होगा। एटीएम पर लाभार्थी को विशेष बटन को एक्टिवेट करना होगा और निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी :

- उसका स्वयं (प्राप्तकर्ता) का मोबाइल नंबर
- भेजने वाले का कोड (विप्रेषक से फोन पर प्राप्त कोड/एसएमएस)
- लेनदेन पिन (बैंक द्वारा सृजित और एसएमएस द्वारा उसे भेजा गया)
- रकम (बैंक से प्राप्त और एसएमएस द्वारा विप्रेषक से प्राप्त)

लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा होने पर विप्रेषक को उस मूल्य की सफलतापूर्वक सुपुर्दा का एसएमएस प्राप्त होगा। इस सेवा के लिए भेजने वाले को शुल्क देना होगा। प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए मैक्रो एटीएम (व्यावसाय प्रतिनिधि (बीसी) के पास हैंड हेल्ड डिवाइस) के जरिए भी आहरण किया जा सकता है।

सीटीएस स्थानों पर की गई। बैंकों को सूचित किया गया कि जहां ईसीएस सुविधा उपलब्ध है, वहां उत्तर-दिनांकित चेक लेना बंद करें।

IX.12 ग्राहक सेवा उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे चेक वापसी प्रभार केवल उन्हीं स्थितियों में ग्राहक पर लगाए जाएं जहां उनकी गलती और उनका उत्तरदायित्व हो, अन्यथा ग्राहक पर कोई प्रभार न लगाया जाए। समान अवकाश की व्यवस्था प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 3 ग्रिड-सीटीएस स्थानों पर लागू की गई और ग्रिड में शामिल सभी राज्यों में चेक भुनाने में तेजी आई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना

IX.13 अधिक मात्रा में लेनदेनों और कार्यक्षमता को संभालने के लिए एनईएफटी प्रणाली को उन्नत बनाया गया। ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों से संबंधित निम्नलिखित एनईएफटी प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का पालन करें : वापसी नियमों का पालन, वॉक-इन-ग्राहक को विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना और विलंबित जमा अथवा वापसी की प्रतिपूर्ति का बिना मांगे भुगतान करना।

IX.14 बैंकों को सूचित किया गया कि वे एटीएम लेनदेनों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए त्वरित सुविधा प्रदान करें और साथ ही अलर्ट भेजने के लिए ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ईमेल आइडी को तत्परता से पंजीकृत करें। धोखाधड़ी नियंत्रण उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे सामान्य स्थिति में इस प्रकार के कार्य हेतु अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए एटीएम लेनदेनों की सभी स्क्रीन/अवस्थाओं के लिए स्वतः टाइम-आउट हो जाने की व्यवस्था करें।

IX.15 खाता खोलने के लिए बैंकों में उपलब्ध ई-केवाईसी सुविधा ऐसी गैर-बैंक संस्थाओं को भी प्रदान की जाएं जिन्हें पीपीआई जारी करने की अनुमति है। अप्रैल 2009 में पहली बार जारी किए गए पीपीआई दिशा-निर्देशों में मार्च 2014 में संशोधन और समेकन किया गया। परिचालनगत जोखिम का समाधान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में पीपीआई जारीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली संस्थाओं हेतु पूंजीगत और निवल मालियत की जरूरत के संबंध में इंटी पोइंट्स मानदंडों को सख्त किया गया और निलंब लेखा (एस्करो अकाउंट) में अनुमत नामे और जमा लेनदेनों की सीमा निर्धारित करने के लिए लागू किए गए दिशानिर्देशों को भी सख्त बनाया गया ताकि ग्राहकों की निधियों को सुरक्षित रखा जा सके।

IX.16 कार्ड से भुगतान किए जाने वाले लेनदेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने यूरोपे, मास्टरकार्ड और विजा (ईएमवी) चिप और सभी अंतरराष्ट्रीय कार्डों हेतु व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) और बिक्री-केंद्र पटल (पीओएस) पर सभी डेबिट कार्ड लेनदेनों हेतु पिन की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। जहां, इन अपेक्षाओं का पालन कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को करना है, वहीं समान दिशानिर्देश उन बैंकों पर भी लागू हैं जिन्होंने भुगतान कार्ड उद्योग आंकड़े सुरक्षा मानक (पीसीआई-डीएसएस), टर्मिनल लाइन इंक्रिप्शन (टीएलई) और प्रति टर्मिनल यूनीक की/व्युत्पन्न प्रति टर्मिनल यूनीक-की (डीयूकेपीटी) सुरक्षा के अनुपालन के लिए कार्ड स्वीकार वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि यदि वे इन मानदंडों का पालन नहीं करते हैं और ग्राहक के खाते में नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। समय के दौरान कार्ड-नाट-प्रेजेंट और कार्ड प्रेजेंट संबंधी दोनों प्रकार के लेनदेनों को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त कारकों (एएफए) का इस्तेमाल करके सुदृढ़ बनाया गया है।

IX.17 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार 10 आरआरबी और 19 यूसीबी सहित 86 बैंकों को बैंक बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की गई (बॉक्स IX.2)।

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)

IX.18 रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) के विनियमन और पर्यवेक्षण' के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जिसमें एफएमआई को पदनामित करने, इसकी निगरानी और अन्य संबंधित पक्षों के लिए विस्तृत मानदंड की जानकारी दी गई है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) द्वारा संयुक्त रूप से जारी वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) को अपनाने के लिए सूचित किया गया। 01 जनवरी 2014 से सीसीआईएल को भारतीय क्षेत्राधिकार में एक अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी) के रूप में घोषित किया गया।

IX.19 वर्ष के दौरान, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को अनेक बातों के लिए अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गया: i) मुद्रा आप्शनस में व्यापार के लिए भौतिक विनियम का पुष्टिकरण बंद करना, ii) ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) आधारित गारंटीकृत निपटान की शुरुआत, iii) यूएसडी/भारतीय रुपया निपटान में भुगतान बनाम भुगतान मॉडल की शुरुआत करने के लिए सैद्धांतिक

बॉक्स IX.2

मोबाइल बैंकिंग से संबंधित तकनीकी समिति

देश में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही मोबाइल सुविधा का लाभ उठाने के लिए और इस माध्यम के जरिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भुगतान लेनदेन करने के एक वहनीय माध्यम प्रदान करने की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन हेतु मोबाइल बैंकिंग पर एक तकनीकी समिति का गठन आइडीआरबीटी के निदेशक श्री बी. संबामूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में प्रस्तुत की।

समिति ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंकों के समक्ष आ रही चुनौतियों की पहचान की, जिसमें ग्राहक पंजीकरण, तकनीकी मुद्दे और एसएमएस/असंरचित संपूरक सेवा आंकड़ा (यूएसएसडी)/एप्लीकेशन आधारित मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं। रिपोर्ट में ग्राहकों के पंजीकरण और सत्यापन के लिए मानकीकृत और सरलीकृत प्रक्रिया की आवश्यकता, संसक्तिशील जागरूकता

कार्यक्रम और सभी बैंकों में समान एप्लीकेशन प्लेटफार्म जिसे प्रत्येक ग्राहक के हैंडसेट पर स्थापित किया जाए, को अपनाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएमएस और इनक्रिप्शन प्रौद्योगिकी सहित यूएसएसडी के प्रयोग किए जाने पर जोर दिया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों की सरहना की गई है, इन दिशानिर्देशों में अधिकतम सेवा मानदंडों की सीमा निर्धारित करना, बैंकों और अपने एजेंटों को दूरसंचार परिचालकों द्वारा यूएसएसडी सेवाएं प्रदान करने के लिए संव्यवहार लागत की सीमा निर्धारित करना भी शामिल है। समिति ने सिफारिश की है कि ट्राई के विनियमनों का कार्यान्वयन सभी हितधारकों द्वारा शीघ्रता से किया जाए।

अनुमोदन, और iv) सदस्यों के लिए यूएसडी-भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा वायदा व्यापार में संविभाग कम्प्रेसन। वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआइ) के प्रति अनुपालन के लिए सीसीआईएल की निगरानी की जा रही है। पीएफएमआई का सुझाव है कि 'एफएमआइ, सिद्धांतों की आंशिक अथवा पूर्ण स्व-मूल्यांकन अवलोकन आवधिक रूप से करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल कर सकती है।' तदनुसार, सीसीआईएल को सूचित किया गया कि वह 'पीएफएमआइ-प्रकटीकरण ढांचा और

मूल्यांकन पद्धति' के स्थान पर स्व-मूल्यांकन करें, इस संबंध में दस्तावेज दिसंबर 2012 में सीपीएसएस-आइओएससीओ द्वारा जारी किया गया था।

IX.20 वर्तमान निगरानी प्रणाली के अनुसार, सीसीआईएल को सूचित किया गया कि वह अपनी उप विधियों, नियमों और विनियमनों की व्यापक समीक्षा करे। सीसीआईएल ने विदेशी मुद्रा वायदा और आइआरएस घटक के संबंध में उप विधियों, नियमों और विनियमनों

बॉक्स IX.3

विदेशी मुद्रा व्यापार संपीड़न (कंप्रेशन)

व्यापार-संपीड़न जोखिम को कम करने की एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक व्यापार को समाप्त/आंशिक रूप से समाप्त करके की प्रक्रिया के जरिए बाजार में बकाया व्यापार की अनुमानित मात्रा में कटौती की जाती है। व्यापार-संपीड़न जिसमें अपने बकाया व्यापार में काफी कटौती की जाती है, के जरिए सदस्य व्यापार और संबंधित जोखिम के बीच समायोजन करते हैं।

जो सदस्य संविभाग संपीड़न में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें परिभाषित मापदंडों के बारे में अपनी इच्छा और स्वीकृत के संबंध में सेवा प्रदाता को बताना होता है। सामान्यतः प्रतिभागियों को समय के पहले व्यापार समाप्त करने के कारण होने वाले बाजार मूल्य पर लाभ/हानि की अधिकतम सीमा और इन सहन सीमाओं पर आधारित समय से पहले व्यापार समाप्त के लिए पात्र व्यापारों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होता है। इसमें इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए गणतीय अल्गोरिदम का कार्यान्वयन शामिल है। संपीड़न सर्किल्स के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। सामान्यतः अनिवार्य ट्रायल रन के पश्चात ही लाइव सर्किल किया गया और इस पूरे कार्य को करने में 4 से 5 कारोबारी दिन लगे हैं।

इस नई रणनीति से होने वाले लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं - प्रतिपक्ष ऋण जोखिम, परिचालनगत जोखिम, लागत, जोखिम भारित आस्तियां और वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र के आकार में कमी। संविभाग संपीड़न को वैश्विक स्तर पर जोखिम कम करने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में चिह्नित किया गया है। आवधिक संविभाग-संपीड़न से बैंक/वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्रों में दिखने वाली जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजीगत प्रभार समाप्त हो जाएंगे।

रिजर्व बैंक के अनुमोदन के आधार पर सीसीआईएल मात्र ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) के लिए व्यापार संपीड़न प्रदान कर रहा है।

अब, सीसीआईएल को सदस्य घटकों के लिए यूएसडी-आइएनआर विदेशी मुद्रा वायदा व्यापार में संविभाग संपीड़न करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। सीसीआईएल इन सभी प्रकार के व्यापार के निपटान के लिए उत्तरदायी होना बना रहेगा वह चाहे संविभाग संपीड़न के जरिए हो अथवा परिपक्ता पर उन व्यापार के निपटान के समय पर हो।

की व्यापक समीक्षा की थी (बॉक्स IX.3)। इसमें किए गए संशोधनों में सीसीआइएल में दिवालियापन पर एक नया अध्याय, उप विधियां जो सीसीआइएल चूक और इस प्रकार की स्थितियों में छोड़ने के लिए सदस्यों के अधिकार को कवर करती हैं, को शामिल किया गया है।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

IX.21 निगरानी ढांचा तीन मापदंडों पर आधारित है : निगरानी, मूल्यांकन और परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना। इसका प्रबंधन प्राधिकृत संस्था द्वारा स्व-मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन का निर्धारण और पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण, परोक्ष निगरानी और बाजार आसूचना के जरिए किया जाता है।

भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस)

IX.22 सीपीएसएस प्रणाली भुगतान, समाशोधन, निपटान और अन्य समझौतों की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय स्थिरता और व्यापक अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है।

यह केंद्रीय बैंक सेवाओं के प्रावधान सहित निगरानी, नीति और परिचालनगत मामलों में केंद्रीय बैंक सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य करती है। भारत ने इस महत्वपूर्ण मंच का सदस्य बना रहना जारी रखा है।

पीएफएमआइ का कार्यान्वयन और निगरानी

IX.23 अप्रैल 2012 में, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) द्वारा 'वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना संबंधी सिद्धांत' जारी किए थे (बॉक्स IX.4)। पीएफएमआइ भुगतानों, समाशोधन, निपटान और दर्ज समझौतों और मोटे तौर पर प्रणालीगत जोखिम को सीमित करने और पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सुरक्षा और दक्षता को बढ़ा सकती है। सीपीएसएस और आइओएससीओ के सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में पीएफएमआइ को अपनाएं। सीपीएसएस-आइओएससीओ ने सभी क्षेत्राधिकारों में कार्यान्वयन में अनुरूपता को

बॉक्स IX.4

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचा

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) को सिस्टम परिचालकों सहित प्रतिभागी संस्थाओं में बहु-स्तरीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका प्रयोग समाशोधन के उद्देश्य, भुगतानों, प्रतिभूतियों, व्युत्पन्नी अथवा अन्य वित्तीय लेनदेनों के निपटान अथवा दर्ज करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः शब्द 'एफएमआई' का संबंध प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली, केंद्रीय प्रतिभूति जमाकर्ताओं (सीएसडी), प्रतिभूति निपटान प्रणाली (एसएसएस), केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) और ट्रेड रिपॉजिटर्स (टीआर) से है जो वित्तीय लेनदेनों का समाशोधन, निपटान और दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड और सीपीएसएस के सदस्य के रूप में रिजर्व बैंक पीएफएमआइ को अपनाने और इसका कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एफएमआई के पर्यवेक्षण और विनियमन संबंधी नीति में एफएमआई को पदनामित करने के मानदंड, एफएमआई पर पीएफएमआई की व्यवहार्यता, एफएमआई और अन्य संबंधित पक्षों की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी तक, निगरानी अंतरराष्ट्रीय मानकों यथा नियमानुसार प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के मूल सिद्धांत (सीपीएसआईपीएस), प्रतिभूति निपटान प्रणाली की सिफारिशें (आरएसएसएस) और केंद्रीय प्रतिपक्ष की सिफारिशों (आरसीसीपी) पर आधारित थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपन्न गतिविधियों के समान और जैसा कि 'भारत में भुगतान प्रणाली: दस्तावेज 2012-15' में उल्लेख किया गया है कि रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) के संरक्षण में एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पीएफएमआई में निर्धारित मानकों को अपना लिया है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी एफएमआई से अपेक्षा है कि वे उन पर लागू पीएफएमआई जरूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एफएमआई आरटीजीएस, एसएसएस, सीसीआइएल और तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आर्डर मिलान हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए आरजीटीएस और एसएसएस रिजर्व बैंक के स्वामित्व में हैं और रिजर्व बैंक द्वारा इनका संचालन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एफएमआई सहित एफएमआई का मूल्यांकन दिसंबर 2012 में सीपीएसएस-आईओएससीओ द्वारा प्रकाशित 'पीएफएमआई-मूल्यांकन पद्धति' दस्तावेज के अनुसार पीएफएमआई के विपरीत होगी। एफएमआई की निगरानी परोक्ष पर्यवेक्षण जिसमें स्व-मूल्यांकन, सूचना की मांग, अलर्ट प्रणाली, नियंत्रण उपाय की बाढ़ और अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा और परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन शामिल है, और प्रत्यक्ष निरीक्षण और अन्य उपाय जिसमें गतिविधियों, निगरानी चिंताओं और प्रत्याशा के बारे में चर्चा करने के लिए एफएमआई के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की आवधिक बैठकें शामिल हैं, के संयोजन के जरिए की गई है।

बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएफएमआई के कार्यान्वयन की निगरानी प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगरानी के कार्यान्वयन के पहले चरण में मूल्यांकन किया कि क्या क्षेत्राधिकारों द्वारा एफएमआई के लिए 24 सिद्धांतों के कार्यान्वयन और प्राधिकारियों के लिए जिम्मेदारियों के लिए विधान और अन्य नीतियों को अपनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

IX.24 उद्देश्य अंतराल के प्रभाव की प्रासंगिता को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन उपाय और सिद्धांतों के बीच अंतराल की पहचान करना है। स्तर-1 मूल्यांकन रिपोर्ट में, अगस्त 2013 में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों में भारत को पीएफएमआई सिद्धांतों को अपनाने में '1' और एफएमआई की जिम्मेदारियों का पालन करने में '4' रेटिंग प्रदान की गई है²। परिणामस्वरूप, पीएफएमआई और एफएमआई का अंगीकरण करने और व्यवहार्यता को सार्वजनिक करने के लिए रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उपाय किए गए हैं। सर्वेक्षण का दूसरा दौर मई 2014 में प्रकाशित किया गया जिसमें भारत को सिद्धांत के अनुपालन और जिम्मेदारियों दोनों के लिए '4' रेटिंग प्रदान की गई है।

वैध संस्था पहचानकर्ता (एलआईई) और स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू)

IX.25 रिजर्व बैंक विनियामकीय निगरानी समिति (आरओसी) और इसकी कार्यान्वयन समिति का भी सदस्य है। सीसीआईएल को भारत में वैश्विक स्तर पर उपयुक्त एलआईआई जारी करने के लिए एलओयू के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। एलओयू के रूप में, सीसीआईएल वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली सभी पात्र और इच्छुक वैध संस्थाओं को विशिष्ट पहचानकर्ता कोड जारी करेगा।

सार्क भुगतान परिषद (एसपीसी) की बैठक

IX.26 रिजर्व बैंक ने 9 दिसंबर 2013 को केरल में एसपीसी की 14वीं बैठक का आयोजन किया। एसपीसी ने सार्क क्षेत्र में भुगतान प्रणाली विकसित करने की एक योजना तैयार की और ध्यान देने के लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की : i) अधिक बड़े मूल्य वाली

भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्यान्वयन और सुधार; ii) इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान प्रणाली का विकास; iii) भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए जोखिम कम करने संबंधी उपाय; iv) बाजार सहभागियों में प्रतिस्पर्धा/नए सहभागियों की पहुंच को बढ़ावा देना; v) कानूनी और विनियामकीय ढांचे में सुधार; vi) गवर्नेंस संरचना में सुधार; vii) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत (पहला कार्यक्रम नेपाल में मई 2014 को 15वीं एसपीसी बैठक के बाद आयोजित किया गया था); viii) सीमापार भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार। इसके अतिरिक्त, सार्क ने एक तकनीकी समूह का गठन किया और क्षेत्र में भुगतान प्रणाली के समन्वयन पर एक कन्सेप्ट पेपर तैयार किया जिसमें सुमेलित भुगतान के लिए निम्नलिखित दो क्षेत्रों को शामिल किया गया: i) कार्ड भुगतान: सीमापार लेनदेन को रूट करने के लिए देश के एटीएम की मेन स्वीच से अंतर-कनेक्टिविटी और ii) कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए क्षेत्रीय देशों और पीओएस गेटवे के बीच एकीकरण करने के लिए ई-भुगतान गेटवे की कनेक्टिविटी।

बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय पहलें

आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह

IX.27 आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) के अंतर्गत बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) या अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से आंकड़ों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के व्यवधान के बिना सीधे रिजर्व बैंक को स्वचालित रिटर्न भेजे। आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) के कार्यान्वयन को जारी और बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रगति की सतत निगरानी के लिए आंतरिक रिटर्न गवर्नेंस की स्थापना करें।

नई पीढ़ी तत्काल सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)

IX.28 19 अक्टूबर 2013 को नई तत्काल सकल निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत 28 मार्च 2014 को रिकार्ड संख्या में 0.48 मिलियन लेनदेनों का निपटान किया गया।

² रेटिंग स्तर 1 : अप्रकाशित मसौदा कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 2 : प्रकाशित मसौदा कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 3 : प्रकाशित अंतिम कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 4 : पूर्णतः लागू प्रकाशित अंतिम कार्यान्वयन उपाय; और रेटिंग स्तर एनए : किसी कार्यान्वयन उपाय की जरूरत नहीं (अर्थात लागू नहीं)।

वैश्विक स्तर पर, यह पहली बार है जब आईएसओ 20022 मैसेज फॉर्मेट का इस्तेमाल आरटीजीएस मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। यह आरटीजीएस प्रणाली बहुत स्केलेबल है, जिसमें ग्रीडलाक सुविधा प्रणाली और हार्डब्रिड निपटान सुविधा, बहु-मुद्रा लेनदेनों को संसाधित करने के लिए भावी मूल्य दिनांकित लेनदेनों और ऑप्शन को स्वीकार करने की सुविधा जैसी अनेक विशेषां शामिल हैं। नई आरटीजीएस प्रणाली प्रतिभागियों को 3 ऐक्सेस ऑप्शन प्रदान करती है: थिक-क्लाइंट, वेब-एपीआइ (इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क अथवा अन्य किसी अनुमोदित नेटवर्क के जरिए) और भुगतान ओरिजिनेटर मड्यूल। सहभागी लेनदेनों की मात्रा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लगने वाली लागत के आधार पर प्रणाली में सहभागिता के प्रकार पर स्वयं निर्णय कर सकते हैं। नए आरटीजीएस के कार्यान्वयन से पुरानी आरटीजीएस प्रणाली बंद हो जाएगी और आरटीजीएस प्रणाली विनियमन 2013 को आरटीजीएस (सदस्यता) कारोबार परिचालन दिशानिर्देश, 2004 और आरटीजीएस (सदस्यता) विनियमन, 2004 से बदल दिया गया है।

‘भुगतान प्रणाली एप्लीकेन्स में पब्लिक-की-इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) को इनेबल’ करने संबंधी रिपोर्ट

IX.29 रिजर्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली एप्लीकेन्स के लिए पब्लिक-की-इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) को इनेबल करने करने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए सितंबर 2013 में एक दल गठित किया। इस दल में बैंकों, आइडीआरबीटी-सत्यापन प्राधिकारी, सत्यापन प्राधिकारी नियंत्रक और रिजर्व बैंक के विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस दल ने भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से विचार-विमर्श किया। तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2014 को निर्गत की गई।

IX.30 रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सभी बैंकों के इंटरनेट बैंक एप्लीकेशन में पासवर्ड आधारित द्वि-स्तरीय अनुमोदन और अनुमोदन के लिए पीकेआइ आधारित प्रणाली और ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों के लिए लेनदेन सत्यापन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और इनका कार्यान्वयन कई चरणों में किया जाए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों के लिए पीकेआइ इनेबल करने के लिए अपने ग्राहकों को विकल्प प्रदान करें।

रिजर्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आइटीएससी)

IX.31 आईटीएससी का गठन रिजर्व बैंक को अपनी समग्र आईटी रणनीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन्स और सुरक्षा के बारे में परामर्श देने और आईटी विज्ञान दस्तावेज 2011-2017 की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया था। आइटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन की जाने वाली पद्धति, उद्यम आर्किटेक्चर, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआइएसओ) की भूमिका को सुदृढ़ करना, सूचना सुरक्षा (आइएस) लेखा-परीक्षा, आइडीआरबीटी की आइटी सहयोगी संस्था, आईएस नीति दिशानिर्देश और रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित आपदा उद्धार (डीआर) ड्रिल की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आइटीएससी की बैठक वर्ष के दौरान दो बार आयोजित की गई।

रिजर्व बैंक के लिए सूचना सुरक्षा नीति

IX.32 आइटीएससी ने संशोधित सूचना सुरक्षा नीति और संबंधित उप-नीतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीति को प्रभाव में लाने के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश अप्रैल 2014 में निर्गत किए गए।

इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंध प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.33 इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यवस्थित ढंग से दस्तावेजों को रखने के उद्देश्य से ईडीएमएस के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। ईडीएमएस का समय-बद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है।

इंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (इकेपी)

IX.34 रिजर्व बैंक में ज्ञान साझा करने की पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए संवादमूलक व्यावहारिकता सहित अनेक उन्नत विशेषताओं के साथ परिष्कृत इकेपी नवंबर 2013 में शुरू किया गया। यह रिजर्व बैंक में ज्ञान साझा करने वाले प्रयासों के लिए अधिक जोर देने वाला दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्टाफ द्वारा इसके उपयोग करने में वृद्धि दर्ज की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली को उन्नत करना

IX.35 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उन्नत करने संबंधी कार्य जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा स्थानों पर विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस कमरों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा, बेहतर गुणवत्ता के लिए हाई डेफिनिशन तकनीक, वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा, मांग किए जाने पर वीडियो सुविधा प्रदान की जाएगी, रिजर्व बैंक में चिह्नित किए गए सभी स्थानों पर शुरू कर दिया गया है।

पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन (पीएसएस)

IX.36 पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन का उद्देश्य रिजर्व बैंक की सूचना प्रणालियों को बाह्य साइबर संसार की सभी धमकियों/हमलों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना है। इस सॉल्यूशन में राउटर, स्वीचेस, फायरवाल्स और अनाधिकार प्रवेश की पहचान और निवारण प्रणाली शामिल हैं। परियोजना को दो अलग-अलग चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में, स्वीच, राउटर और स्वीच के आटो-फेल-ओवर का कार्यान्वयन जैसे नेटवर्किंग घटकों की खरीद और बदलने का कार्य पूरा किया गया और दूसरे चरण में फायरवाल्स और इन्ट्रूशन निवारण प्रणाली (आइपीएस) से संबंधित परिचालनगत कार्य पूरे किए गए।

इन्फरमेशन सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (आइएसओसी)

IX.37 रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की तत्परता से पता लगाने के लिए एक उन्नत आइएसओसी प्रणाली रिजर्व बैंक में लागू जा रही है। आपूर्ति, स्थापना, कनफिगरिंग, अनुरक्षण और आइएसओसी के

परिचालन में रुचि-प्रकटन (एक्प्रेशन आफ इन्टरेस्ट) जारी कर दिया गया है। यह परियोजना दिसंबर 2015 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

मेल मैसेजिंग सॉल्यूशन (एमएमएस)

IX.38 रिजर्व बैंक के कारपोरेट मेल को प्रयोक्ताओं को बेहतर एक्सेस, स्टोरेज और मेल्स को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उन्नत आर्काइवल सॉल्यूशन के जरिए सुदृढ़ बनाया गया। इस आर्काइवल सुविधा के चलते एमएमएस से किसी भी मेल को पुनः प्राप्त करना संभव होगा। इस सॉल्यूशन से जल्दी-जल्दी अंतराल में प्रयोक्ताओं के लिए मेल बॉक्स के आकार को नियमित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। आर्काइवल कानूनी/विनियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मेल को बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमएमएस को उन्नत करने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया गया है और मार्च 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

आंकड़ों के मानकीकरण से संबंधित समिति

IX.39 रिजर्व बैंक के आइटी विज्ञान 2011-2017 दस्तावेज में एमआइएस और निर्णय लेने के उद्देश्य से उपयोगी सूचना में इसका संसाधन करने के लिए आंकड़ों की गुणवत्ता और सामयिकता दोनों के महत्त्व पर जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, समान आंकड़े रिपोर्टिंग मानक बहुत जरूरी हैं। आंकड़ों के मानकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो इसके साथ-साथ आंकड़ों की रिपोर्टिंग के क्षेत्र में सिनर्जी और एकरूपता लाएगी।

कार्यों की विविधता तथा परिचालन परिवेश में बढ़ती हुई जटिलताओं के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के प्रयास जारी रखे हैं। उच्च अभिशासन का उच्च स्तर बनाए रखने के अलावा क्षमता निर्माण, संप्रेषण और पारदर्शिता को और बेहतर बनाने तथा संगठनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक ने प्रकाशनों, सम्मेलनों, सेमिनारों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान तथा जानकारी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना सतत जारी रखा है। कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने तथा अन्य जोखिम जिनका बैंक सामना कर रहा है, का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन के प्रति अनेक पहल की गईं। आशा की जाती है कि इससे परिचालनात्मक जोखिम कम होगा तथा विभिन्न आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने पर, उनका सामना करने की केन्द्रीय बैंक की क्षमता मजबूत होगी और इस प्रकार रिजर्व बैंक लोक-हित में सेवाएं प्रदान करता रहेगा।

X.1 रिजर्व बैंक ने नए स्टाफ की भर्ती करते हुए तथा मौजूदा स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण भी प्रदान करने के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को मजबूत करने का कार्य जारी रखा है। रिजर्व बैंक की संप्रेषण नीति ने पारदर्शिता, जनता को व्यापक स्तर पर ज्ञान-प्रसार और उन्हें उनके दैनंदिन जीवन में आ रहे वित्तीय जोखिमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है। संप्रेषण नीति के अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। संगठनात्मक ढाँचे के प्रति पहल में से एक महत्वपूर्ण फोकस था परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन तथा उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढाँचे के माध्यम से कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करना। वर्ष 2013-14 के दौरान ईआरएम ढाँचे को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए काफी प्रगति हुई।

अभिशासन में सुधार के उपाय

अभिशासन का ढाँचा

X.2 भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है, और लोकहित, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलता है, समानता और निष्पक्षता इसका चिंतन है तथा आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदारी लेता है और विविधतापूर्ण एवं समावेशी स्थिति की ओर आगे बढ़ता है। तदनुसार, रिजर्व बैंक में अभिशासन के ढाँचे में केन्द्रीय निदेशक मंडल शीर्ष संस्था है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिजर्व बैंक की सामान्य नीति, कार्यनीति, प्रशासन तथा कारोबार उसकी निर्दिष्ट भूमिका के

अनुसार हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष आनेवाली चुनौतियों का सामना करता है। केन्द्रीय मंडल की बैठक की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं तथा उन्हें रिजर्व बैंक के कार्यों के प्रबंधन में चार उप गवर्नर तथा नौ कार्यपालक निदेशकों की सहायता प्राप्त होती है।

X.3 21 निदेशकों की संपूर्ण संख्या के एवज में केन्द्रीय मंडल में वर्तमान में 17 निदेशक हैं तथा चार रिक्तियां सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के कारण हैं। इसके अलावा, बैंक में देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा गठित चार स्थानीय बोर्ड हैं। भारत सरकार केन्द्रीय मंडल में निदेशकों की तथा चार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन करता है। फिलहाल, केन्द्रीय मंडल की तीन समितियां (केन्द्रीय बोर्ड समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) तथा केन्द्रीय बोर्ड भी चार उप-समितियां (लेखा-परीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति) हैं।

केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समिति की बैठकें

X.4 अभिशासन को सुधारने के मद्देनजर बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों को सुव्यवस्थित, अभिकेंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों की संख्या संवैधानिक रूप से न्यूनतम तक घटा दी गई है तथा संसाधनों और समय को बचाने हेतु प्रौद्योगिकी का फायदा उठाया जा रहा है। वर्ष 2013-14 (जुलाई 2013 - जून 2014) के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की

6 बैठकें हुईं। इनमें से चार बैठकें परंपरागत केन्द्रों (चेन्नै, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली) में तथा दो बैठकें गैर-परंपरागत केन्द्रों (रायपुर, शिमला) में आयोजित की गईं। श्री पी.चिदंबरम, माननीय वित्त मंत्री ने 07 मार्च 2014 को नई दिल्ली में आयोजित लेखानुदान बैठक के बाद केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों में हुई चर्चाएं सामान्य पर्यवेक्षण और रिजर्व बैंक के कार्यों को दिशा तथा उनके अधिदेश के अनुरूप राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों तथा विकास को समर्थन देने में रिजर्व बैंक की भूमिका से जुड़ी हुई थीं।

X.5 वर्ष (जुलाई 2013 से जून 2014) के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की समिति की छियालीस साप्ताहिक बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं। समिति ने रिजर्व बैंक के चालू कारोबार पर विचार करने तथा निर्गम और बैंकिंग विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखों को अनुमोदन प्रदान करने का कार्य किया।

X.6 गवर्नर ने विभिन्न स्थानों में आयोजित केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों के समय संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। इन अधिकारियों के साथ ऐसी चर्चाओं के दौरान सामान्यतः बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराए जाने, वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी - चालित बैंकिंग सेवाओं/उपायों का प्रयोग, ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) योजनाओं, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को विकसित करने, ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाए जाने तथा मुद्रा प्रबंधन मामलों को शामिल किया गया।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशक/सदस्य - परिवर्तन

नामांकन

X.7 वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री गुरुदयाल सिंह संधु को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री राजीव टकरू के स्थान पर 01 अप्रैल 2014 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकार नामित) नामित किया गया। श्री अजीम

प्रेमजी 20 सितंबर 2013 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

X.8 श्री के.वेंकटेशन, श्री डी.वी.सालगांवकर और श्री जे.बी.पटेल 27 जनवरी 2014 से पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नहीं रहे तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार डॉ. रामनाथ उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

नियुक्तियां

X.9 श्री आर. गांधी को 03 अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्होंने उसी दिन से कार्यभार ग्रहण किया।

X.10 हारुन आर. खान को 4 जुलाई 2014 से दो वर्ष के लिए या आगे के आदेश तक, जो भी पहले हो, उप-गवर्नर के रूप में दुबारा नियुक्त किया गया है।

X.11 श्री एस.एस. मूंदड़ा को उनके कार्यग्रहण की तारीख अर्थात् 31 जुलाई 2014 से तीन वर्ष के लिए या आगे के आदेश तक, रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने उसी तारीख से उप-गवर्नर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सेवानिवृत्तियां/पदत्याग

X.12 श्री आनंद सिन्हा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद 20 जनवरी 2014 को रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के पद का त्याग कर दिया।

X.13 डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने 25 अप्रैल 2014 को रिजर्व बैंक के उप गवर्नर का पद त्याग दिया।

X.14 श्री. एम. वी. राजीव गौड़ा, 12 जून 2014 से राज्य सभा में चयनित होने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य तथा केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

कार्यपालकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

X.15 श्री एस.करुप्पासामी, कार्यपालक निदेशक 31 जनवरी 2014 को कारोबार की समाप्ति के समय से सेवानिवृत्त हो गये ।

X.16 श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक 20 अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए ।

X.17 श्री एन.एस.विश्वनाथन, श्री यू.एस.पालीवाल और श्री चंदन सिन्हा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधकों को 25 अप्रैल 2014 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ।

विदेशी विशिष्ट अतिथियों का दौरा

X.18 वर्ष के दौरान 20 देशों से 38 शिष्ट मंडलों ने बैंक का दौरा किया । शिष्ट मंडल ने वैश्विक आर्थिक स्थिति, धारणीय और संतुलित वैश्विक वृद्धि हेतु ढांचे, आपसी व्यापार तथा द्विपक्षीय संबंधों तथा बैंक के कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की नीति संबंधी पहल सहित व्यापक मुद्दों पर शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया । वर्ष 2013-14 के दौरान दौरा करने वाले विदेशी विशिष्ट अतिथियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है ।

संप्रेषण प्रक्रिया में की गई पहल

X.19 रिजर्व बैंक की संप्रेषण रणनीति का मुख्य आधार पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता रही है । बड़े पैमाने पर जानकारी अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, डाटा और भाषण के माध्यम से बैंक की वेबसाइट पर प्रसारित की जाती है । रिजर्व बैंक अपने अधिकतम हितधारकों तक पहुंच बनाने के प्रयास में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करता है । उदाहरण के तौर पर मौद्रिक नीति संबंधी संप्रेषण, गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य का सीधा प्रसारण तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब मोबाइल फोन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तथा टेलीवीजन चैनलों एवं वेबकास्टिंग की सहायता से मौद्रिक नीति संबंधी घोषणाओं को सीधे दिखाया जाता है ।

X.20 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 2,500 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं । वेबसाइट का कुल आकार तकरीबन 75 जीबी तक बढ़ गया है । फीडबैक प्राप्त करना रिजर्व बैंक की संप्रेषण गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विनियामक तथा बाजार संबंधी मुद्दों के बारे में 3 रिपोर्टों के प्रारूप और 5 दिशानिर्देशों के प्रारूप वेबसाइट पर जनसामान्य के अभिमतों के लिए जारी किए गए ।

वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता अभियान

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के जमाकर्ता

X.21 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान कुछेक कपटपूर्ण जमा योजनाओं के प्रकाश में आने के बाद एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया था । इस जागरूकता कार्यक्रम में 'प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न' नामक प्रकाशन निकाला गया जिसमें एनबीएफसी से जुड़े समस्त मुद्दों को शामिल किया गया था और 02 सितंबर, 2013 से लगातार विज्ञापन जारी किए गए हैं । रिजर्व बैंक ने अगले कदम के रूप में एनबीएफसी के सभी विनियामकों को चंडीगढ़ के टाउनहाल में उन कंपनियों के ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए एकत्रित किया था । इस प्रकार की पहल का उद्देश्य विनियामकों और जनता को एनबीएफसी से जुड़े मुद्दों के बारे में संवेदी बनाना था । रिजर्व बैंक ने कंपनी कार्य मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य विभाग के साथ मिलकर भी संयुक्त अभियान में भाग लिया । 217 समाचारपत्रों में 11 भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी के अलावा) में विज्ञापन दो बार में प्रकाशित किए गए । यह प्रचार अभियान निरंतर जारी रहेगा ।

जाली प्रस्ताव

X.22 भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली प्रस्तावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में पूरे देश में दो बार विज्ञापन जारी किए गए थे (09 अप्रैल 2013 को पहली बार में 608 समाचार पत्रों में और दूसरी बार 19 जून, 2013 को 210 समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए)। यह कार्य उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के 'जागो ग्राहक जागो' श्रृंखला के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग के साथ मिलकर किया गया था । रिजर्व बैंक ने उसके नाम से कतिपय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ की गई जाली वेबसाइट के बारे में मई 2014 में चेतावनी सूचना जारी की थी, जाली वेबसाइट में विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया था और जनसाधारण से 'आरबीआई बचत खाता' आनलाइन खोलने के लिए कहा गया था । इस जाली प्रस्ताव के संबंध में जागरूकता अभियान को व्यापक बनाने के लिए जाली प्रस्ताव से संबंधित 30 सेकंड के आडियो स्पाट्स 59 आल इंडिया रेडियो (विविध भारती चैनलों सहित) तथा 22 निजी एफएम चैनलों के (145 निजी एफएम रेडियो स्टेशनों) पर प्रसारित किए गए थे ।

मुद्रास्फीति आधारित सूचकांकित बाण्ड

X.23 रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति आधारित सूचकांकित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचयी (आइआइएनएसएस-सी) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21-31 दिसंबर, 2013 के दौरान एक प्रारंभिक विज्ञापन और उसके बाद 3 विज्ञापन जारी किए जो 14 भाषाओं में 23 बड़े परिचालन वाले समाचारपत्रों में थे और पुनः मार्च 2014 के दौरान हिंदी एवं अंग्रेजी सहित 46 समाचार पत्रों में 13 भाषाओं में विज्ञापन जारी किए गए। एक जागरूकता कार्यक्रम लोकप्रिय रेडियो एफएम चैनल पर और निवेशकों के सम्मेलन में आयोजित किया गया था।

स्व-मूल्यांकन

X.24 रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति के संबंध में संप्रेषण वित्तीय बाजार के सहभागियों को संवेदी बनाने तथा उसकी मौद्रिक नीति के रुझान की स्वीकार्यता को बढ़ाने में काफी हद तक सफल रहा है। हालांकि, इसकी संप्रेषण नीतियों का आंतरिक मूल्यांकन करते समय यह पाया गया था कि 2013-14 की पहली छमाही में जब वित्तीय बाजार दबाव में था उस समय इसके संप्रेषण में थोड़ा अंतराल आ गया था। रिजर्व बैंक अपनी संप्रेषण नीतियों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत प्रक्रिया के साथ अपना आंतरिक मूल्यांकन तरीका अपनाता है।

सेमिनार

X.25 रिजर्व बैंक ने अपने प्रकाशनों की पहुंच को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान 4 अंचलों में 4 संपर्क सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ संकाय-सदस्यों ने भाग लिया था।

रिजर्व बैंक का शैक्षिक दौरा

X.26 संचार विभाग, रिजर्व बैंक की वित्तीय शिक्षण पहल के रूप में 2006 से रिजर्व बैंक में शैक्षिक दौरे आयोजित करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के दौरे महाविद्यालयों और प्रबंधन स्कूलों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। विभाग ने जुलाई 2013 से जून 2014 के बीच ऐसे 40 दौरे आयोजित किए जिसमें 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। दौरों में सहभागिता मुख्य रूप से स्कूलों, महाविद्यालयों,

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वरिष्ठ नागरिक समूहों, महिला समूह तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की थी।

अनुसंधान और धर्मदाय योजनाएं

X.27 रिजर्व बैंक स्टाफ के अनुसंधान प्रकाशन, जैसे-रिजर्व बैंक अकेजनल पेपर्स और वेब-आधारित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज बड़े पैमाने पर मैक्रो-इकॉनॉमिक एवं नीति के मुद्दों के संबंध में आंतरिक तकनीकी और विश्लेषणात्मक अनुसंधान का निरंतर एक बड़ा प्लेटफार्म रहा है। अनुसंधान पहल को और आगे ले जाने के लिए, रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज और रिजर्व बैंक अकेजनल पेपर्स में योगदान पहले केवल रिजर्व बैंक के स्टाफ तक ही सीमित था, जिसे बाहरी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से फरवरी 2014 से प्रकाशित करने की अनुमति दे दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज मार्च 2011 से प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत जून 2014 तक अनेक मुद्दों से संबंधित 56 पेपर अपलोड किए गए।

X.28 रिजर्व बैंक इन-हाउस अनुसंधान के अलावा, धर्मदाय योजनाओं के माध्यम से अकादमी और अनुसंधान संस्थाओं में बाह्य अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और बढ़ावा देता है, साथ ही विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में रिजर्व बैंक का प्रोफेशनल पद (चेयर) स्थापित करना, मध्यावधि अनुसंधान परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करना, सम्मेलन/ कार्यशालाएं /सेमिनार के आयोजन में सहायता देना, जर्नल के प्रकाशन और अकादमिक संस्थाओं के संकाय-सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना तथा विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन (सहयोग से) का आयोजन शामिल है। अब तक 40 डीआरजी अध्ययनों को प्रकाशित किया जा चुका है और अकादमी संस्थाओं के संकाय-सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 पेपर पूरे किए जा चुके हैं।

X.29 भारतीय रिजर्व बैंक ने *निधीयन योजना* के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान आइएसआइ-आरबीआइ (डीएसआइएम) की शुरुआत की है, जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आइएसआई), कोलकाता ने एक वर्ष के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के मान्यकरण और सुधार के लिए चार प्रस्तावों पर कार्य करने की सहमति दी है। बैंक ने प्रो. के.एन.एज स्मारक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना जो बैंक

ने 2012 में प्रारंभ की थी, की श्रृंखला में प्रथम शिक्षावृत्ति डॉ. रवि कानबर, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, कार्नेल विश्वविद्यालय, अमरीका को उनके 'अनौपचारिकता : कारण, परिणाम और नीतिगत प्रतिक्रिया' विषय पर अनुसंधान के लिए प्रदान की। बैंक ने अनुसंधान पेपर को जून 2014 में जारी किया था।

मानव संसाधन संबंधी पहल

प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि से संबंधित की गई पहल

X.30 रिजर्व बैंक अपने मानव संसाधन के तकनीकी एवं व्यवहारगत कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यकतानुसार ज्ञान व कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक की 6 प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् - रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नै, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै में चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र इसकी आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं (सारणी X.1)

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.31 रिजर्व बैंक द्वारा 2013-14 में भारत में बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और सम्मेलनों में 798 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया

सारणी X.1 : रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान - आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2011-12 (जुलाई - जून)		2012-13 (जुलाई - जून)		2013-14 (जुलाई - जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै,	125	2,492	126	2,676	140	3,302*
सीएबी, पुणे	190	5,647	164	5,105	168	5,149 [®]
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी I)	116	2,098	116	2,526	116	2,559
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी III)	35	639	64	1,492	92	2,006
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी IV)	65	1,237	58	1,184	56	1,076

*: 58 विदेशी सहभागी शामिल है।
[®]: 48 विदेशी सहभागी शामिल है।

सारणी X.2 : भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (बाहरी संस्थाएं)	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2011-12	1,072	511
2012-13	874	510
2013-14	798	530

गया। बैंक के श्रेणी III और श्रेणी IV के बहुत से कर्मचारियों को भी वर्ष के दौरान बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए भी 530 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। (सारणी X.2)

X.32 बैंक के सात अधिकारियों ने वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन-अवकाश लिया था। इसके अलावा, 442 कर्मचारियों ने 2013-14 के दौरान चुनिंदा अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा ग्रहण की।

सार्क वित्त छात्रवृत्ति

X.33 रिजर्व बैंक ने 2013 से सार्क सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों/वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए भारत में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 2014-15 में बांग्लादेश और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के दो अधिकारियों को क्रमशः अर्थशास्त्र में पीएचडी करने और अर्थशास्त्र में मास्टर्स करने के लिए चयन किया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक (सियासेन)

X.34 बैंक, सियासेन (एसईएसीईएन) का जनवरी, 2013 में सदस्य बना और वर्ष के दौरान उसकी अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूपसे भाग लिया तथा 'प्रतिचक्रिय बफर सहमति बनाना: एशियाई अनुभवजन्य जांच' विषय पर अनुसंधान अध्ययन का नेतृत्व करने के लिए अपने एक अधिकारी को 'आगतुक अनुसंधान अर्थशास्त्री' के रूप में प्रतिनियुक्त किया।

अनुदान और धर्मदाय

X.35 रिजर्व बैंक ने 2013-14 के दौरान बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कनसल्टेंसी के क्षेत्र में गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को 220 मिलियन रुपये; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल), मुंबई को 60.5 मिलियन रुपये, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम), पुणे को 15.9 मिलियन रुपये, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम), गुवाहाटी को 5.10 मिलियन रुपये तथा लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स में इंडिया आबजर्वेटरी एवं आईजी पटेल पद (चेयर) की स्थापना के लिए 10 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आरबीआई क्विज

X.36 वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई अखिल भारतीय अंतर-स्कूल क्विज, वर्ष 2013 में पूरे भारत में 42 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की गई जिसका आंचलिक एवं अंतिम (फाइनल) चक्र मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें 2000 स्कूलों और 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आंचलिक और पूरे राष्ट्र के अंतिम चक्र (फाइनल) की क्विज दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर भी प्रसारित की गई जिससे बैंक के इस आयोजन और उसके प्रयासों को व्यापक प्रचार मिला।

संगठनात्मक प्रबंधन में की गई पहल

X.37 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वर्तमान स्टाफ के कौशल-उन्नयन के अलावा, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने तथा नई प्रतिभाओं को लाने के लिए भी पहल की।

औद्योगिक संबंध

X.38 रिजर्व बैंक ने प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग के बीच स्वस्थ संबंध कायम रखने के लिए मान्यता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों की एसोसिएशनों/फेडरेशनों से वर्ष के दौरान स्टाफ कल्याण एवं सेवा स्थितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया है। वर्ष के दौरान कर्मचारी-प्रबंधन के संबंध स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहे हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005

X.39 रिजर्व बैंक में वर्ष के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 7041 अनुरोध सूचना के लिए तथा 1130 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं जिसमें से सभी के जवाब दिए गए। बैंक ने अपने स्टाफ के लिए आरटीआई के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र पर 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

भर्ती

X.40 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2013 (जनवरी-दिसंबर) में 574 कर्मचारियों की भर्ती की, जिनमें से 92 अनुसूचित जाति (एससी) और 39 अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी की थी, जो कुल भर्ती का 22.82 प्रतिशत था (सारणी X.3)।

स्टाफ संख्या

X.41 रिजर्व बैंक की 31 दिसंबर, 2013 को कुल स्टाफ संख्या 17,360 थी जो दिसंबर, 2012 के अंत में 17,714 थी। कुल स्टाफ संख्या में से 20.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अजा) और 7.0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अजजा) थे (सारणी X.4)।

X.42 वर्ष 2013 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिजर्व बैंक प्रबंधन और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बुद्धिष्ठ फेडरेशन ने रिजर्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के बारे में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 बार मुलाकात की। 31 दिसंबर 2013 को रिजर्व बैंक में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की संख्या 1513 थी (सितंबर 1993 के बाद की गई भर्ती)। इनमें से 429 श्रेणी I में, 1554 श्रेणी III में और 530 श्रेणी

सारणी X.3 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2013 *

भर्ती की श्रेणी	श्रेणीवार-संख्या				
	कुल	जिनमें से		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	90	10	9	11.1	10.0
श्रेणी III	406	71	28	17.5	6.9
श्रेणी IV	78	11	2	14.1	2.6
ए) अनुरक्षण परिचर	16	2	0	12.5	0.0
अन्य	62	9	2	14.5	3.2
कुल	574	92	39	16.0	6.8

*: जनवरी - दिसंबर

सारणी X.4 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

श्रेणी	श्रेणीवार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं 2013	31 दिसं 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	8,132	7,864	1,154	1,133	563	499	14.4	6.3
श्रेणी III	3,716	3,916	603	586	395	252	15.0	6.4
श्रेणी IV	5,866	5,580	1,874	1,764	660	463	31.6	8.3
कुल	17,714	17,360	3,631	3,483	1,618	1,214	20.1	7.0

टिप्पणी : अजा : अनुसूचित जाति अजजा : अनुसूचित जनजाति

IV में हैं। रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या दिसंबर 2013 के अंत में 923 थी, जिनमें से 178 श्रेणी I में, 145 श्रेणी III में और 600 श्रेणी IV में थे। रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2013 के अंत में विकलांग कर्मचारियों की संख्या श्रेणी I, III, IV में क्रमशः 200, 92 और 99 थी।

X.43 29 जून, 2014 को कुल स्टाफ संख्या 17,334 थी जो एक वर्ष पूर्व 17,449 थी। श्रेणीवार स्टाफ संख्या सारणी X.5 में दी गई है।

X.44 कार्यालय/स्थानवार स्टाफ के वितरण से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुंबई (केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित) में कुल स्टाफ संख्या के 29.5 प्रतिशत स्टाफ हैं जिसमें स्टाफ-सदस्यों की संख्या लगातार सबसे अधिक है, उसके बाद कोलकता में 8.4 प्रतिशत, चेन्नै में 7.1 प्रतिशत और नई दिल्ली में 6.5 प्रतिशत स्टाफ हैं (सारणी X.6)।

व्यापक मानव संसाधन प्रणाली (सीएचआरएस) परियोजनाएं

X.45 रिज़र्व बैंक ने प्रचलित मानव संसाधन प्रणाली (एचआर) को कारोबारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) में बदलने की परियोजना प्रारंभ की है और उसके लिए एक व्यापक मानव संसाधन प्रणाली लागू की जा रही है। बीपीआर कार्य के लिए एक कन्सल्टेंट की सेवाएं ली गई हैं और परियोजना को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कार्यान्वित करने के लिए भी परामर्शी सेवाएं ली जा रही हैं। कन्सल्टेंट ने बीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वर्तमान मानव संसाधन प्रक्रिया में अनेक सुझाव दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इन सुझावों की जांच करने के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। यह भी निर्णय लिया

गया है कि समस्त मानव संसाधन संबंधी वित्तीय लेनदेन को सहज बनाने के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जाए। इस प्रयोजन से एक सिस्टम-इंटीग्रेटर का अभिनिर्धारण किया गया है।

**सारणी X.5 : श्रेणीवार वास्तविक स्टाफ-संख्या
(29 जून, 2014 की स्थिति)**

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
श्रेणी I	
1. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड एफ	96
2. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ई	333
3. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड डी	306
4. अधिकारी ग्रेड सी	1,097
5. अधिकारी ग्रेड बी	1,449
6. अधिकारी ग्रेड ए	4,466
7. कोषपाल	3
8. उप कोषपाल	2
9. सहायक कोषपाल	0
10. इक्जीक्यूटिव इन्टर्न्स	69
कुल (ए)	7,801
श्रेणी III	
1. वरिष्ठ सहायक	262
2. सहायक	1,888
3. सचिवालय सहायक	47
4. शब्द संसाधक सहायक	210
5. विशेष सहायक (टेलर)	964
6. श्रेणी III (अन्य)	367
कुल (बी)	3,738
श्रेणी IV	
1. अनुरक्षण स्टाफ	1,545
2. सेवा स्टाफ	3,357
3. तकनीकी स्टाफ	157
4. अन्य स्टाफ	736
कुल (सी)	5,795
रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या (ए+बी+सी)	17,334

**सारणी X.6 : रिजर्व बैंक में
कार्यालयवार स्टाफ-संख्या**

(29 जून, 2014 की स्थिति)

कार्यालय (उप-कार्यालयों सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	5	3	0	8
अहमदाबाद	300	177	233	710
बेंगलूर	452	163	233	848
बेलापुर	138	59	197	394
भोपाल	167	97	126	390
भुवनेश्वर	157	94	184	435
चंडीगढ़	197	70	130	397
चेन्नै	487	339	399	1,225
देहरादून	22	5	2	29
गंगटोक	7	0	0	7
गुवाहाटी	210	134	202	546
हैदराबाद	327	135	263	725
जयपुर	253	127	193	573
जम्मू@	97	46	61	204
कानपुर	242	167	298	707
कोच्चि	37	37	27	101
कोलकाता	537	428	498	1,463
लखनऊ	178	77	127	382
मुंबई	650	354	1042	2,046
नागपुर	258	194	253	705
नई दिल्ली	578	234	321	1,133
पणजी, गोवा	18	2	3	23
पटना	192	108	218	518
पुणे -सीएबी-सी आरडीसी-आईटीपी	67	24	79	170
रायपुर	18	4	0	22
रांची	15	7	0	22
शिलांग	7	3	0	10
शिमला	12	3	0	15
तिरुवनंतपुरम	214	93	144	451
कुल	5,842	3,184	5,233	14,259
कें.का. विभाग #	1,959	554	562	3,075
सकल योग	7,801	3,738	5,795	17,334

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र।
आईटीपी : आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे।
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है।
: डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय विभाग।

यह परियोजना 2014-15 में दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में वेतन-पर्ची के कार्यान्वयन का कार्य होगा जिससे प्रशासन को एक केंद्रीकृत स्थान से कार्य करने का फायदा मिलेगा और दूसरे चरण में भर्ती, प्रतिभा प्रबंधन और प्रशिक्षण व नियोजन मॉड्यूल का कार्य पूरा किया जाएगा।

सदाचार संहिता और अभिशासन

X.46 ईमानदारी, रिजर्व बैंक की प्रमुख शक्ति रही है। नवंबर 2013 के प्रारंभ से बैंक ने 'कार्य पर सदाचार' नामक सदाचार संहिता अपनाया है। यह संहिता, बैंक के सभी कर्मचारियों पर सभी स्तर पर लागू है, जिसमें मुख्य रूप से नए भर्ती कर्मचारियों और सेवारत स्टाफ-सदस्यों दोनों को अपेक्षित नैतिकता मानकों से अवगत कराया गया है।

यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निपटान

X.47 रिजर्व बैंक ने 13 अगस्त, 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए 1998 में एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की थी। इन दिशानिर्देशों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं निवारण) नियम, 2013 के प्रवाधानों के अनुसार संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। अतः, बैंक इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए नवीन व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। इन दिशानिर्देशों को 2014-15 के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है।

राजभाषा

X.48 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान अपने कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त सभी सांविधिक और अन्य प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंकिंग अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली का संशोधित संस्करण बढ़ती मांग के कारण वर्ष के दौरान पुनः मुद्रित कराया गया।

X.49 बैंक ने वर्ष के दौरान कई अंतर-बैंक और आंतरिक हिंदी प्रतियोगिताएं एवं अनेक हिंदी समारोह आयोजित किए। राजभाषा अधिकारियों का दो-दिवसीय सम्मेलन मई 2014 में और अनुवाद पर राजभाषा सेमिनार अक्टूबर 2013 में रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नै में आयोजित किया गया। राजभाषा विभाग की गतिविधियों पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई।

X.50 बैंक ने वर्ष के दौरान टंककों से इतर स्टाफ-सदस्यों (अधिकारियों सहित) के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किए और 120 प्रशिक्षार्थियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। वर्ष के दौरान बैंकिंग विषयों से संबंधित हिंदी पत्रिका 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के दो विशेष अंक प्रकाशित किए गए जिसमें बैंकिंग से संबंधित मूल रूप से हिंदी में लेख लिखे गए थे। पत्रिका का एक विशेष अंक *ग्राहक सेवा* (अक्टूबर-दिसंबर 2013) से संबंधित था और दूसरा पत्रिका के प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया था। यह कार्य, तिमाही न्यूजलेटर 'राजभाषा समाचार' और हिंदी पुस्तिका 'टिप्पण मार्गदर्शिका' के अतिरिक्त था।

X.51 संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 03 जुलाई, 2013 को बैंक के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया था। समिति ने बैंक में समग्र रूप से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कार्यों की सराहना की और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कतिपय सुझाव दिए।

रिजर्व बैंक परिसरों का प्रबंधन

X.52 परिसर विभाग, बैंक के अनुरक्षण तथा भौतिक सुविधाओं के उन्नयन का कार्य देखता है। विभाग का मुख्य फोकस सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, वातावरण को अनुकूल बनाने की पहल करना तथा उसकी विद्युत संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना था।

भौतिक रूप से सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाना

X.53 बैंक ने केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान सीसीटीवी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से अगले 2 वर्षों में सभी कार्यालयों में इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित क्लोज्ड सर्किट टेलिविज़न (सीसीटीवी) प्रणाली से बदल दिया जाएगा। बैंक के केंद्रीय कार्यालय परिसर में परिमापी सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से एक्सेस कंट्रोल कार्ड आधारित टर्न्सटाइल प्रणाली स्थापित की गई है और इसी प्रकार की प्रणाली अन्य कार्यालयों में भी लगाई जाएगी। बैंक परिसर के नकदी कार्य वाले क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए शूटिंग बोल्ट इंटरलाकिंग प्रणाली मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में सफलापूर्वक लागू हो जाने के बाद अन्य सभी कार्यालयों में लागू की जाएगी। बैंक परिसर में वाहनों के प्रवेश पर रेडियो-फ्रिक्वेंसी

आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रणाली की स्थापना से संबंधित प्रायोगिक परियोजना का कार्य बेंगलूर कार्यालय में शुरू कर दिया गया है।

हरित पहल

X.54 प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण, वातावरण की सुरक्षा के लिए तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को बेहतर बनाने हेतु, बैंक के लिए हरित नीति तैयार की गई है और उसे केंद्रीय बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

X.55 सौर्य-ऊर्जा प्राप्त करने और कार्बन बनने को कम करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित एक कार्यालय में ग्रिड इंटरएक्टिव रुफटाप सौर्य ऊर्जा संयंत्र (2x6.24 के डब्लू पी) को स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई, और संयंत्र को जुलाई 2013 में स्थापित कर दिया गया है। पावर प्लांट ने 14,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न की और लगभग 11,000 किलोग्राम कार्बनडाइआक्साइड को कम किया। उसके बाद चेन्नै कार्यालय ने भी 10 के डब्लू पी का सौर्य पावर प्लांट लगाया है। इन परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से अन्य कार्यालयों में भी लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रो-मेकैनिकल प्रणाली का उन्नयन

X.56 कार्यालयों में एनर्जी की बचत करने तथा आग लगने के खतरे को कम करने के लिए ऊर्जाक्षम केंद्रीकृत अबाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) प्रणाली पूरे कार्यालय में है और बैंक के सभी कार्यालयों में स्थापित की गई है।

X.57 क्षमता-शक्ति बढ़ने तथा ध्वनि-रहित तरीके से ऊपर जाने की गुणवत्ता, ऊर्जा कम ग्रहण करने, विभिन्न वोल्टेज विभिन्न फ्रिक्वेंसी (वी 3 एफ) वाली लिफ्ट अहमदाबाद कार्यालय में लगाई गई है और अन्य कार्यालयों जैसे - तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नई दिल्ली तथा बैंक की मुंबई स्थित कालोनियों - धनास्त्रा, मालाड, गोकुलधाम और दिल्ली में वसंत बिहार में भी ऐसी ही लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है। भोपाल कार्यालय में लिफ्ट बदलने के लिए उक्त प्रकार की लिफ्ट हासिल करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। रिजर्व बैंक के पटना तथा नागपुर कार्यालयों में एनर्जी की बचत करने वाली केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है।

बैंक में उद्यमगत व्यापक जोखिम प्रबंधन

X.58 रिजर्व बैंक को सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों को करने के लिए काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने अपनी आंतरिक जोखिम प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2012 में उद्यमगत जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे को लागू किया था, जो 'जोखिम -गवर्नेंस ढांचा'¹ तथा थ्री-टियर 'जोखिम प्रबंधन ढांचा'² पर आधारित है। यह ढांचा बैंक को इस योग्य बनाएगा कि वह संगठनात्मक स्तर पर सामना किए जा रहे जोखिमों पर सकल रूप से नज़र रख सके और इन जोखिमों को जोखिम नीतियों एवं जोखिम वहन करने की सीमा के अनुरूप नियंत्रित कर सके।

X.59 ईआरएम ढांचे को ऊपर-से नीचे तथा नीचे-से-ऊपर दोनों को मिलाकर लागू किया जाएगा। ऊपर-से-नीचे की ओर दृष्टिकोण में ऊपरी जोखिमों की शिनाख्त कर ली गई है और उन्हें स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, ईआरएम जोखिम नीतियां तथा पद्धतियां लागू की जा रही हैं ताकि पूरे बैंक में जोखिमों को पहचानने एवं उनका मूल्यांकन करने में एकरूपता रहे। नीचे-से-ऊपर की ओर दृष्टिकोण में, कारोबारी क्षेत्र के लिए जोखिम रजिस्ट्रों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

X.60 वर्ष के दौरान, जोखिम निगरानी विभाग ने 'परिचालनगत जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति' प्रारंभ की है ताकि विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में परिचालनगत जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनकी रेटिंग समान आधार पर की जा सके और जोखिम का शुरू में पता लगते ही उसके लिए योजना (हीट-मैप) तैयार की जा सके। जोखिम की एक शब्दावली तैयार की गई है और जोखिम का वर्गीकरण किया गया है ताकि पूरे बैंक में जोखिम का पता लगाने और वर्गीकरण करने के लिए एक जैसी भाषा का इस्तेमाल हो सके। साथ ही, जोखिम निगरानी विभाग द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश एवं कंप्यूटरीकृत

फार्मेट जारी किए गए हैं ताकि जोखिम रजिस्टर तैयार किए जा सकें और जोखिम संबंधित एमआइएस को मजबूत बनाया जा सके। घटना की रिपोर्टिंग करने का एक आनलाइन फार्मेट भी रखा गया है ताकि घटनाएं / घटना घटित होते-होते रह गईं, के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार की जा सके। साथ ही, बैंक में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजन से, केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम प्रबंधन ढांचे का विकास अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो, रिजर्व बैंक ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय परिचालनगत जोखिम कार्य समूह (आइओआरडब्ल्यूजी) से स्वयं को जोड़ा है। यह समूह 57 केंद्रीय बैंकों का समूह है जो एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिसपर केंद्रीय बैंक सर्वोत्तम प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन के तरीकों को परस्पर-रूप से बांटते हैं।

X.61 वित्तीय जोखिमों के संबंध में, बैंक के तुलन-पत्र के संबंध में, एक सुदृढ़ प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन तंत्र लागू किया गया है, अधिकांश एक्सपोजर्स को उच्च गुणवत्ता वाली संपार्श्विक से समर्थित किया गया है। बाजार जोखिम का नियंत्रण, पोर्टफोलियो इष्टतमीकरण तकनीक से किया जाता है। मौद्रिक/विनिमय दर नीति के कार्यों के मामले में, की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेते समय अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में जोखिमों/लागतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता विषयों के आगे तुलनपत्र पर विचार किया जाना गौण हो जाता है। हालांकि, रिजर्व बैंक इस बात पर पैनी निगाह रखता है कि उसे किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास इतनी वित्तीय समुत्थान-शक्ति है कि वह उन जोखिमों को आत्मसात कर ले। बैंक, मौद्रिक / विनिमय दर नीति परिचालनों से उत्पन्न होने

¹ जोखिम गवर्नेंस ढांचा शीर्ष स्तर पर केंद्रीय बोर्ड पर आधारित है, जिसे बोर्ड की लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (बैंक के स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं) और जोखिम निगरानी समिति द्वारा सहायता प्राप्त है, जोखिम निगरानी समिति शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है जिसके अध्यक्ष आरएमडी के प्रभारी गवर्नर होते हैं।

² जोखिम प्रबंधन ढांचा का आशय ऐसे थ्री-टियर ढांचे से है जो कारोबारी क्षेत्र जिसे बचाव की पहली पंक्ति कहा जाता है और जो प्राथमिक रूप से उसके जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि जोखिम निगरानी और जोखिम सुनिश्चयन (लेखापरीक्षा/निरीक्षण) क्रमशः दूसरी और तीसरी पंक्ति के जोखिम बचाव स्तर हैं।

वाले जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करने के लिए आकस्मिक भंडार रखते हैं।

X.62 कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) कार्य के महत्व को देखते हुए रिजर्व बैंक की मौजूदा कारोबार निरंतरता प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समर्पित बीसीएम ढांचे का अनुमोदन किया गया है और बैंक उसे लागू करने की प्रक्रिया में है। इस ढांचे से, किसी भी अवरुद्धता घटना के हो जाने के बाद भी, प्रणाली वापस क्षमता प्राप्त कर लेगी और उसके कार्य लगातार जारी रहेंगे।

बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

X.63 बैंक, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जांच/मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता एवं भरोसेमंद होने की रिपोर्टिंग के लिए, तीव्र जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) ढांचे के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण एवं अभिशासन हेतु एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाता है तथा अपने केंद्रीय बोर्ड की लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को नियमित रूप से फीडबैक उपलब्ध कराता है। परिचालनों में जोखिमों का मूल्यांकन करने के अलावा, ऐसी लेखा-परीक्षा जो 'मुद्रा का महत्व' दृष्टिकोण पर हो और सिद्धांतों पर बनी हो - मितव्ययिता, क्षमता और प्रभावशालिता को आरबीआइए की पद्धति की मूलभूत विशेषता के रूप में अपनाता है। निरीक्षण विभाग ने आरबीआइए के अंतर्गत 16 क्षेत्रीय कार्यालयों (शाखा कार्यालयों सहित), 9 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों, 14 केंद्रीय कार्यालय विभागों तथा 1 प्रशिक्षण संस्थान की लेखा-परीक्षा/निरीक्षण का कार्य किया है। बैंक के सभी वित्तीय कार्य, संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली के अधीन हैं। बैंक के मुद्रा प्रबंध के कार्य और प्रक्रियाओं का शुरू से अंत तक का मूल्यांकन वर्टिकल लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। नियमित आरबीआइए के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की सभी कार्यालयों (तीन डाटा केंद्रों सहित) में की गई।

X.64 बैंक, आरबीआइए ढांचे के हिस्से के रूप में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, वेबसाइट और डाटाबेस का असुरक्षित मूल्यांकन-भेदन जांच (वीए-पीटी) भी करवाता है। वर्ष के दौरान

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की सार्वजनिक वेबसाइट की वीए-पीटी की अनुपालन लेखा-परीक्षा की गई थी। बेहतर सुरक्षा विशेषताओं सहित पुनर्निर्मित आइएस संरचना पर विचार करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों/ विभागों द्वारा आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आईटी अनुप्रयोगों/प्रणालियों के स्व-मूल्यांकन प्रमाणन की प्रणाली 5 महानगर केंद्रों पर प्रारंभ की गई है, जो तत्कालीन निरंतर आश्वासन लेखा-परीक्षा व्यवस्था के स्थान पर शुरू की गई है।

X.65 केंद्रीय बोर्ड की एआरएमएस को यह आदेश है कि वह केंद्रीय बोर्ड को निगरानी कार्यों में निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा एवं निगरानी द्वारा सहायता प्रदान करे, एआरएमएस ने वर्ष के दौरान तिमाही अंतराल पर 4 बैठकें की और बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की समीक्षा की तथा उस संबंध में सामान्य निर्देश दिए।

बैंक को आदर्श केंद्रीय बैंक के रूप में बदलने के लिए और अधिक पहल की योजना

X.66 वर्ष 2013-14 में बैंक ने लगातार विकसित हो रहे वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य में केंद्रीय बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों के सामने उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर पहल की हैं। इस दिशा में बैंक ने संगठनात्मक पुनर्संरचना की एक रूपरेखा तैयार करने की आंतरिक रूप से पहल की है ताकि बढ़ते हुए वित्तीय क्षेत्र को सेवाएं दी जा सकें जिसके फलस्वरूप देश में स्थिरता के साथ विकास हो सकेगा। इससे प्रबंधकीय सहयोग बेहतर होगा और स्टाफ विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता भी विकसित कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा जिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए बैंक अपने मानव संसाधनों के मूल्यांकन पर भी फोकस कर रहा है, जिसमें कौशल संबंधी अंतराल की पहचान करने पर ध्यान दिया जा रहा है और उसे ज्ञान-प्रबंधन, क्षमता-निर्माण से दूर किया जा रहा है तथा अभिप्रेरणा स्तरों को बेहतर बनाने और कार्य की बढ़ती मात्रा को संगठन के संसाधन के अनुरूप बनाने एवं अधिक क्षमता पैदा करने के लिए नीति को उस प्रकार उन्मुख करने के लिए मानव संसाधन नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। परिचालनगत और वित्तीय जोखिमों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित

करने और कारोबार की निरंतरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बैंक विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख जोखिमों की पहचान करने प्रक्रिया में है जो उसकी आंतरिक जोखिम प्रबंधन रणनीति का केंद्र बिंदु होगा। इस संबंध में एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू करने की दिशा में की गई पहल, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। बैंक की यह भी योजना है कि एक विजन-वक्तव्य लाया जाए जो उसके प्रमुख उद्देश्यों और मूल्यों अथवा साझा सिद्धांतों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करेगा, जो संगठनात्मक निर्णयों और कर्मचारियों के कार्यव्यवहार को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है - सर्वश्रेष्ठ के अनुसरण के साथ-साथ मैक्रो-इकॉनॉमिक और वित्तीय स्थिरता,

जबकि संगठनात्मक मूल्य प्रदर्शित करने वाले सिद्धांतों में शामिल हैं - सार्वजनिक हित, निष्ठा, वैचारिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रतिक्रियाशील, गवेषणा और नवोन्मेष। मौद्रिक नीति के ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक अत्यधिक मौलिक परिवर्तन जिसकी वकालत की गई है, वह है बदलती हुई मौद्रिक नीति और उसकी संशोधित परिचालन संरचना को देखते हुए अभिशासन ढांचे की स्थापना करना, ताकि एक स्वतंत्र और जवाबदेह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के माध्यम से बदलती मौद्रिक नीति एवं परिचालन ढांचे के अनुसार मौद्रिक नीति का निर्धारण हो सके।

रिज़र्व बैंक का यह इरादा है कि लगातार पहल करते हुए वित्तीय क्षेत्र में और अधिक सुधार किया जाए और ये पहल पांच स्तंभों पर आधारित हैं। इसकी कार्यसूची में यह निहित है कि सरकार के साथ मिलकर मौद्रिक नीति के ढांचे को मजबूत किया जाए। बैंकिंग-संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रणाली लागू करेगा और आवश्यकता आधार (ऑन-टैप) यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्रदान करने की चेष्टा की जाएगी। कई प्रकार के पूरक उपाय, जैसे - प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों और केवाईसी मानदंडों को और भी बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार को व्यापक बनाने तथा गहनता प्रदान करने के लिए व्यवस्थित रूप से पहल करने का अपना प्रयास जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, सतत प्रयासों से विनियामकीय और पर्यवेक्षीय व्यवस्था मजबूत बनेगी, जिससे वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्मों की मुश्किलों को कम किया जा सकेगा।

XI.1 वर्ष 2013-14 के मध्य में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए मध्यावधि कार्यसूची तैयार कर ली थी ताकि वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़, गहन, अधिक कुशल और समावेशी प्रणाली में परिवर्तित किया जा सके। यह कार्यसूची पांच स्तंभों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में ये बातें शामिल हैं : (i) मौद्रिक नीति के ढांचे को मजबूत बनाना; (ii) मौजूदा बैंकों में अभिशासन की स्थिति बेहतर बनाने के साथ बैंकिंग उद्योग में विविधता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; (iii) वित्तीय लिखतों के विकल्प को व्यापक बनाना और वित्तीय बाजारों में गहनता पैदा करना तथा चलनिधि बढ़ाना; (iv) वित्त की उपलब्धता बढ़ाना, तथा (v) वित्तीय प्रणाली की क्षमता को सुदृढ़ बनाना ताकि वह दबाव का सामना कर सके।

मौद्रिक नीति के ढांचे और उसके प्रसारण को बेहतर बनाने की दिशा में

अवस्फीति का मार्ग और नये मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करना

XI.2 जैसाकि अध्याय I में उल्लेख किया जा चुका है, ऊंची और लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति की स्थिति विकास की संभावना और समग्र समष्टि-आर्थिक स्थिरता के प्रति अहम खतरा बन गई है। रिज़र्व बैंक ने अवस्फीति का एक मार्ग तय किया है जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि सीपीआई मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत पर और जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत पर बनाए रखा जाए। अध्याय I के संभावना खंड में यह उल्लेख किया गया है कि मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ बनाने और मौद्रिक नीति के प्रसारण में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण क्या होगा। मंशा यह है कि इस दृष्टिकोण को सरकार के समन्वयन से आगे बढ़ाया जाए, जिसमें आपूर्ति की क्षमता को बढ़ाने के सरकार के

प्रयासों को और साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा सकल मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक फोकस को ध्यान में रखा जाएगा। मुद्रास्फीति कम करने के लिए आपूर्ति एवं मांग पक्ष, दोनों दृष्टिकोण अनिवार्य हैं। इस प्रकार से, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मौद्रिक राजकोषीय और संरचनागत नीतियों को पूरक के रूप में भूमिका निभानी है। संघीय बजट 2014-15 में राजकोषीय समेकन पथ के अनुपालन, और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दिशा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसकी सहायता से रिज़र्व बैंक, जनवरी 2014 की मौद्रिक नीति में निर्धारित अवस्फीति मार्ग अर्थात् सीपीआई मुद्रास्फीति को 2015 के प्रारंभ तक 8 प्रतिशत और 2016 के प्रारंभ तक 6 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा जाना, का अनुसरण कर सकेगा।

XI.3 वित्त मंत्री के 2014-15 के बजटीय भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार, रिज़र्व बैंक के परामर्श से एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित नये मौद्रिक नीति ढांचे के कार्यान्वयन से लंबे समय तक मौद्रिक नीति के प्रति विश्वसनीयता पैदा होगी और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।

अत्याधुनिक मॉडल के इस्तेमाल से पूर्वानुमान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाना

XI.4 मुद्रास्फीति और विकास तथा मौद्रिक नीति के प्रसारण को समझने के लिए केंद्रीय बैंक में पूर्वानुमान तथा विश्लेषण क्षमता का होना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखते हुए रिज़र्व बैंक के पास व्यवस्थित रूप से क्रमिक मॉडल विकसित करने की कार्यसूची है जो मौद्रिक और समष्टि-आर्थिक नीति के निर्माण एवं विश्लेषण

में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। कई अन्य केंद्रीय बैंकों के समान, ऐसे मॉडलों को समर्पित तकनीकी टीम के माध्यम से मध्यावधि में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

बैंकिंग ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास

अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल एवं विविधतापूर्ण बैंकिंग ढांचे के निर्माण की ओर

XI.5 एक विविधतापूर्ण बैंकिंग प्रणाली विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकती है। इसकी सहायता से बहुत सी ग्राहक सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जो उपभोक्ता-कल्याण को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि विभिन्न बैंक अपनी पहुंच, चलनिधि, पूंजीकरण और बाजार में अपनी शक्ति के आधार पर अलग-अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं। समग्र रूप से, बैंकिंग प्रणाली में जितनी विविधता आएगी वह उतनी ही अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनेगी।

XI.6 01 अप्रैल, 2014 को जारी वर्ष 2014-15 की पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य में यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक विविध प्रकार के बैंकों को लाइसेंस देने तथा आवश्यकता-आधार पर (ऑनटैप) युनिवर्सल लाइसेंस प्रदान करने के स्वरूप के निर्धारण के संबंध में कार्य कर रहा है, “भारत में बैंकिंग संरचना - भावी दिशा” विषय पर चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है और हाल की लाइसेंसीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अनुभवों का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुनः पुष्टि संघीय बजट 2014-15 में भी की गई थी। विविध प्रकार के बैंक विशेष प्रकार के हितों से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे -छोटे कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वर्ग के गृहस्थों, किसानों तथा प्रवासी कामगारों की ऋण और विप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

XI.7 तदनुसार, रिजर्व बैंक ने जुलाई - 2014 के मध्य में लघु बैंकों और भुगतान बैंकों के लाइसेंसीकरण के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बारे में हितधारकों से अभिमत एवं सुझाव प्राप्त होने के बाद अंतिम दिशानिर्देश बाद में इसी वर्ष जारी किए जाने की उम्मीद है।

बासेल III लीवरेज अनुपात ढांचा

XI. 8 विश्व के वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभवों से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में तुलन पत्र में और तुलन पत्र से इतर लीवरेज

का अत्यधिक निर्मित हो जाना वित्तीय दुर्बलता का प्रमुख कारण था। इस संदर्भ में, बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति की हाल की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व बैंक लीवरेज्ड अनुपात के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगा। बासेल III लीवरेज अनुपात में किसी भी प्रकार का अंतिम समायोजन 2017 तक किया जा सकेगा, ताकि 1 जनवरी, 2018 से उन्नत न्यूनतम पूंजी और चलनिधि अपेक्षा के स्तंभ 1 की ओर जाया जा सके। रिजर्व बैंक, लीवरेज अनुपात के ढांचे के अतिरिक्त, बीसीबीएस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रति-चक्रीय पूंजी बफर के लिए रूपरेखा भी तैयार कर रहा है।

एकल/ सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर की सीमाओं की समीक्षा

XI.9 रिजर्व बैंक ने, किसी प्रतिपक्षी या संबंधित प्रतिपक्षी समूह की आकस्मिक विफलता की दशा में बैंक द्वारा उठाई जाने वाली अधिकतम हानि को नियंत्रण में करने तथा बैंकों की ऋण चुकौती क्षमता को बरकरार रखने के लिए, एकल और सामूहिक उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा निर्धारित किया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अप्रैल 2014 में बड़े जोखिमों के संबंध में अपने मानकों में संशोधन किया जिनके तहत ‘एकल’ और ‘प्रतिपक्षियों के समूह’ के लिए एक्सपोजर सीमाओं को टिअर-1 पूंजी के 25 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। उधारकर्ताओं के समूह के लिए हमारी वर्तमान एक्सपोजर सीमा कहीं अधिक है जो पूंजीगत निधियों (इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण के लिए 10 प्रतिशत और अधिक) की 40 प्रतिशत है। प्रस्ताव है कि वर्ष 2014-15 में एक्सपोजर मानकों की समीक्षा की जाए ताकि संशोधित वैश्विक मानकों के साथ क्रमिक रूप से ताल-मेल बैठाया जा सके। चक्रीय गिरावट के दौरान एक्सपोजर संबंधी मानदंडों में सख्ती बरतने से जोखिम के रोकथाम में भी मदद मिलेगी क्योंकि ऐसा करने पर बैंक के एक्सपोजर में और अधिक कमी आएगी और इस एक्सपोजर का विस्तार बड़े-बड़े एवं संगत प्रतिपक्षियों तक सीमित न रहकर बहुसंख्यक असंगत प्रतिपक्षियों में भी होगा।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की व्यवहार्यता में सुधार

XI.10 जहां बैंक अपने आप में विशिष्ट हैं क्योंकि वे चेक आधारित जमा राशि की सुविधा प्रदान करते हैं और उनके पास क्रेडिट निर्माण की क्षमता होती है लेकिन गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों

(एनबीएफसी) का वित्तीय प्रणाली में अतिमहत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे कम मध्यस्थता लागत पर विशेष लक्षित सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा दिए गए सुझावों तथा इस क्षेत्र में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक इस समय एनबीएफसी के मौजूदा विनियामकीय ढांचे की समीक्षा करने में व्यस्त है। विभिन्न वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा की जा रही इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए मौजूद विनियमन को समुचित रूप से संगत बनाने के दृष्टिकोण से कुछ परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है। फलस्वरूप, वित्त जगत के जिन क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है उनमें कोर पूंजी का सुदृढ़ीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, जमाराशियों को स्वीकार करना, कारपोरेट अभिशासन, उपभोक्ता संरक्षण और रिपोर्टिंग में वृद्धि करना, प्रकटन और पारदर्शिता के लिए विवेकपूर्ण विनियमन बनाया जाना शामिल है। इसके अलावा, पर्यवेक्षणीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी रिज़र्व बैंक समुचित उपाय कर रहा है।

XI.11 अन्य उपाय जिन पर विचार किया जा रहा है उनमें एनबीएफसी द्वारा निधियां जुटाने के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच करना शामिल है ताकि इस क्षेत्र के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी प्रतिभागिता पर संशोधित विनियमनों को ध्यान में रखते हुए निजी प्रतिभागिता के माध्यम से डिबेंचर जारी कर राशि जुटाने पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। रिज़र्व बैंक जी-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के कार्य को भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ताकि अंतरसंबद्धता के संभावित क्षेत्रों और ऐसे निकायों की पहचान की जा सके जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

XI.12 कुछ कंपनियों द्वारा अप्राधिकृत रूप से जमा राशि ग्रहण करने के संबंध में हाल ही में हुए खुलासे को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व विज्ञापन और ग्राहक जागरूकता के बारे में अपनी मुहिम तेज कर रहा है ताकि जनता को किसी निकाय के पास अपना धन जमा करने के पूर्व समुचित जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता के बारे में बताया जा सके और उसे इस बारे में शिक्षित किया जा सके। राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को मजबूत किया जा रहा है ताकि वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और राज्य सरकारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को और बढ़ाया जा सके तथा अनुशासनहीन निकायों के विरुद्ध समन्वित रूप से कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, बाजार आसूचना को

सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं जो इस क्षेत्र के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

शहरी सहकारी बैंक के लिए पर्यवेक्षणीय ढांचे को और मजबूत करना

XI.13 01 मार्च 2012 से शहरी सहकारी बैंकों को पर्यवेक्षणीय कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ) के तहत लाया गया है। यदि किसी शहरी सहकारी बैंक का कोई मुख्य संकेतक गिरावट का संकेत देता है तो इस फ्रेमवर्क में प्राथमिक रूप से कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्ताव है कि एसएएफ को मजबूत बनाया जाए ताकि समस्याओं की पहचान की जा सके और प्रारंभिक अवस्था में ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

XI.14 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की सुविधा देने और मजबूत निकायों के आविर्भाव को बढ़ावा देने तथा कमजोर/अव्यवहार्य निकायों की बाधा-रहित विदाई के लिए व्यवस्था बनाने के लिए वर्ष 2005-2010 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के विलय/सामामेलन के लिए जो दिशानिर्देश बनाए गए थे उनकी भी समीक्षा की जाएगी। नकारात्मक नेट वर्थ वाले बैंकों की आस्तियों और देयताओं के विलय/अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जाएगा कि अधिग्रहणकर्ता बैंक को हानि का बोझ न उठाना पड़े। इस समय किसी शहरी सहकारी बैंक को वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार के साथ कानूनी परिवर्तनों को सक्षम बनाने के लिए रिज़र्व बैंक इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है ताकि बड़े और इच्छुक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक अपने को वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित कर सकें।

दबाव जांच में सुधार लाना

XI.15 अगले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक, बैंकों की दबाव जांच करने के लिए अपने उपकरणों में और सुधार करने का प्रयास करेगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेतकों को शामिल किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिज़र्व बैंक ने काफी क्षमता विकसित की है और इसके पास एक सुस्थापित दबाव जांच फ्रेमवर्क है, फिर भी इसे आगे और परिष्कृत किया जा सकता है विशेष रूप से मल्टी-फैक्टर शुरू करने के संबंध में। रिज़र्व बैंक जून और दिसंबर में दो बार प्रकाशित होने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसबी) के माध्यम से अपने दबाव परिणामों का प्रचार-प्रसार करता रहा है। रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रगति और रुझान संबंधी अपनी सांविधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। अब से बाद में उल्लिखित प्रकाशन को यह

दिसंबर में प्रकाशित होने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित करने का विचार करता है ताकि प्रकाशनों में बेहतर तालमेल बैठाया जा सके।

वित्तीय बाजारों को गहन, व्यापक तथा अधिक चलनिधि युक्त बनाना

XI.16 बाजारों के गहन, व्यापक तथा अधिक चलनिधि युक्त और कुशल होने से वृद्धि में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने के लिए रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों में सुधार लाने, काउंटर पर लेनदेन (ओटीसी) किए जाने वाले व्युत्पन्नियों के व्यापार के लिए ट्रेड रिपोजिटरी की स्थापना करने तथा कर्ज प्रबंध रणनीति को सहायता प्रदान करने के लिए बहुत से अन्य कदम उठाने की योजना बना रहा है।

वित्तीय बेंचमार्कों में सुधार

XI.17 रिजर्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्कों पर गठित समिति (अध्यक्ष: पी. विजय भास्कर) की सिफारिशों के समान भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) एवं भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) को प्रमुख रुपया ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य उनके वर्तमान सरकारी संरचना के कारण बेंचमार्क निर्धारित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न हो रहे हितों के टकराव को दूर करना है। प्रस्तावित स्वतंत्र निकाय, वित्तीय बेंचमार्कों से संबंधित समिति की सिफारिशों को लागू करेगा और साथ ही वित्तीय बेंचमार्कों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा। बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों की बेंचमार्क प्रस्तुतिकरण संबंधी (सबमिशन) गतिविधियों, जिसमें प्रस्तुतियों के लिए उनके गवर्नेंस की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, को रिजर्व बैंक के ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।

काउंटर पर लेनदेन होने वाली व्युत्पन्नियों के लिए ट्रेड रिपोजिटरी

XI.18 ट्रेड रिपोजिटरी को रिपोर्ट किए गए विदेशी मुद्रा फॉरवार्ड्स एवं ऑपशनों जैसे काउंटर पर लेनदेन किए जाने वाले अंतर-बैंकों की प्रमुख विदेशी मुद्रा (एफएक्स) व्युत्पन्नियों के मूल्य एवं मात्रा से संबंधित सूचना की घोषणा करने के लिए लोक सूचना प्रसारित करने के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के

अंतर्गत समुचित प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

कर्ज बाजारों का विकास

XI.19 बाजार से रु. 6 ट्रिलियन का उधार लेने के कार्यक्रम के साथ राजकोषीय नीतियों के प्रबंध में सरकारी कर्ज बाजारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कर्ज बाजार का विस्तारकारी-प्रभाव (स्पिलओवर इफैक्ट) होता है, जिसका असर ब्याज दरों तथा विनिमय दर पर भी पड़ता है। रिजर्व बैंक की योजना एक समग्र कर्ज प्रबंध रणनीति तैयार करने की है जिसमें स्वस्थ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का समावेश हो और जो विभिन्न प्रकार के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मियाद (मैच्योरिटी) उपलब्ध कराए, सरकारी कर्ज का समेकन करे और सक्रिय स्वच/वापसी-खरीद (बाईबैक) परिचालनों के माध्यम से विस्तारणीय (रोलओवर) जोखिम को कम कर सके।

XI.20 सरकारी प्रतिभूति बाजारों में चलनिधि की स्थिति में सुधार लाना भी प्राथमिकता पर है। इस संदर्भ में, सरकारी प्रतिभूतियों के अधिविक्रय (शार्ट सेल) एवं पुनःखरीद (रिपो)/पुनःक्रय (रिवर्सरिपो) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की योजना बनाई गई है ताकि “पुनःखरीद की गई” सरकारी प्रतिभूतियों की सीमित पुनः-पुनःखरीद (रि-रिपो)/पुनःदृष्टिबंधन (रि-हाइपोथिकेशन) को प्रारंभ किया जा सके। प्राथमिक डीलरों द्वारा बाजार निर्माण को पुनरुज्जीवित करने के संभावित उपायों की भी जांच की जाएगी। 2014-15 के दौरान ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) बाजार में केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) के साथ अदला-बदली करने की सुविधा प्रारंभ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिक तीव्र प्रवाह-क्षमता, बेहतर कार्यात्मकता, सुविधायुक्त यूजर इंटरफेस और मैसेज फॉर्मेटों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगतता को हासिल करने के उद्देश्य से तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म के उन्नयन की शुरुआत की जाएगी। भारतीय सरकारी कर्ज प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय निपटान की व्यवहार्यता की भी जांच की जाएगी।

विदेशी मुद्रा प्रबंध का युक्तियुक्तकरण

XI.21 2013-14 की दूसरी तिमाही से चालू खाता घाटा (सीएडी) की स्थिति में सुधार होने के बावजूद भारत जैसी पूंजी की दृष्टि से अपर्याप्त अर्थव्यवस्था में दृढ़ एवं स्थायी पूंजी प्रवाहों की जरूरत, बचत-निवेश के अंतर को पूरा करने तथा अर्थव्यवस्था में

निवेश के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा प्रबंध का उद्भव दीर्घावधि उद्देश्यों के साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र की अल्पावधि गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए होगा।

XI.22 रिजर्व बैंक का ध्यान जिन विशिष्ट क्षेत्रों पर होगा उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) विदेशी निवेश प्रणाली को सरल करना ताकि सभी हिस्सेदारों के लिए उसका प्रयोक्ता-अनुकूल (यूजर-फ्रेंडली) होना सुनिश्चित किया जा सके (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की संभावना की जांच करना, तथा (iii) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी बाजार की समीक्षा करना ताकि उसके विस्तार एवं गहनता को बढ़ाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए, निकटस्थ लक्ष्य वर्तमान विनियमों को समेकित एवं युक्तियुक्त करना है ताकि सरल, समग्र और पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। रिजर्व बैंक की कार्ययोजना में आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए उधार लेने की प्रणाली की समीक्षा करना शामिल है। रुपया के प्रभुत्व वाले बांडों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ ही साथ आधारभूत संरचना का वित्त पोषण करने वाली भारतीय कंपनियों का ढांचा तैयार करने की संभावनाओं की तलाश भी की जाएगी।

XI.23 विदेशी मुद्रा बाजार में प्रतिभागियों को अपने विदेशी मुद्रा संबंधी जाखिम को नियोजित करने में मदद करने के लिए और अधिक उत्पादों की आवश्यकता है। अनिवासियों को भी बाजार में और अधिक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और उसके माध्यम से पूंजी खाता उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अब देशी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पन्नी बाजार का एक्सेस करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को और युक्तिसंगत किये जाने पर विचार किया जाएगा। मध्यावधि में, अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारों को काउंटर पर लेनदेन वाले बाजार में प्रवेश प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है। इनके अलावा, आने वाले वर्षों में ऑप्शन बाजारों का भी विस्तार किया जा सकता है ताकि बाजार के प्रतिभागी अधिक आसानी से और किरफायती ढंग से हैजिंग कर सकें।

वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाना और उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना

वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाना

XI.24 रिजर्व बैंक द्वारा विगत कई वर्षों के दौरान गरीब लोगों

और लघु उद्यमों तक वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। तथापि, कार्य की अत्यधिक विशालता को देखते हुए इन प्रयासों को बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। विद्यमान उपभोक्ताओं के लिए नवोन्मेषी उत्पादों, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार संबंधी आधारभूत संरचना एवं सरकार के बायोमेट्रिक डाटाबेस का प्रयोग करने तथा कार्य-निष्पादन एवं क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए पहुंच को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बैंकिंग को अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' संबंधी दिशानिर्देशों की पुनः जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे धन-शोधन को रोकने की शर्तों को कमजोर नहीं किया जाए। बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देश कदमताल नहीं कर पाए हैं और इसके कारण संसाधनों का कम दक्षतापूर्वक प्रयोग हो सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों की वर्ष के दौरान समीक्षा की जाएगी।

XI.25 आर्थिक रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में और अधिक बढ़ोत्तरी करना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में जनवरी 2013 में बैंकों को 2013-16 की अवधि के लिए नई 3-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करने को सूचित किया गया। नई योजना के अंतर्गत छोटे मूल्य के लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऋण संबंधी उत्पादों की उपलब्धता/प्रवाह को बढ़ाकर लेनदेन की मात्रा, विशेष रूप से बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट्स-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) खातों में, को बढ़ाना सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि लेनदेन की लागत कम करने तथा वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग प्रमुख बात है।

XI.26 वित्तीय समावेशन के प्रयासों को भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में की गई पहलों का सहयोग मिलेगा। देश में मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि देश में उपलब्ध मोबाइल की व्यापकता का लाभ उठाया जा सके। सभी बैंकों में हितधारकों के साथ मिलकर मोबाइल बैंकिंग के लिए मानकीकृत अप्लीकेशन होने की व्यवहार्यता की तलाश करने के अतिरिक्त लेनदेन में शामिल ग्राहक, लेनदेनों की सुरक्षा और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए मानकों को लागू किया जाएगा।

XI.27 रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित अधिकार-प्राप्त समितियों को सूचित किया जाएगा कि एमएसई की रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार प्रक्रिया की प्रगति की अधिक सघनतापूर्वक निगरानी तथा समीक्षा की जाए ताकि एमएसई इकाइयों की रुग्णता का जल्दी पता लगाया जा सके और उनका समय पर पुनरुत्थान किया जा सके। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र को तीव्र और कुशल वित्तपोषण के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए व्यापार में प्राप्य बड़ा प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रणाली एमएसएमई, उनके कॉर्पोरेट खरीददारों के साथ ही साथ ऋण प्रदाताओं को एक साथ लाकर खड़ा करेगी और एमएसएमई क्षेत्र द्वारा झेली जा रही चलनिधि प्रबंध की बाध्यताओं को कम करेगी।

वित्त देने को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों का प्रयोग

XI.28 2014-15 के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों की कार्रवाई योग्य कार्यसूची में अखिल भारतीय बिल भुगतान प्रणालियों जो कभी भी, कहीं भी बिल भुगतान करने को सुकर बनाएगी, से संबंधित दिशानिर्देशों और परिचालनात्मक मानदंडों को लागू करना शामिल होंगे। इसके साथ-साथ, भुगतान प्रणालियों जो समान सेवाएं प्रदान करती हैं अथवा समान बाजार के घटकों (उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)) की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, के समेकन का कार्य शुरू किया जाएगा।

व्यापक उपभोक्ता संरक्षण विनियमन तैयार करने की योजना

XI.29 किसी भी उद्योग के विनियमन जोखिम को कम करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने संबंधी उचित प्रथाओं को अपनाने की धारणा से मार्गदर्शित होते हैं। उपभोक्ताओं की अतिसंवेदनशीलता विशेष रूप से बैंक सहित वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं द्वारा रिटेल उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं की समय रहते पहचान की गई है। इसलिए, एक एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण ढांचा जो वित्तीय प्रणाली के सभी घटकों पर लागू होगा, बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। 2014-15 के दौरान, रिजर्व बैंक ने घरेलू अनुभव और वैश्वक श्रेष्ठ प्रथाओं के आधार पर व्यापक उपभोक्ता संरक्षण विनियमन

बनाने का प्रस्ताव किया है। बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता अधिकार चार्टर बनाया जाएगा। चार्टर से अपेक्षा होगी कि वह भविष्य में एक ऐसे व्यापक वित्तीय उपभोक्ता कोड के रूप में कार्य करे जिससे कि वित्तीय उत्पादों के उपभोक्ताओं को बेहतर ढंग से संरक्षण प्रदान किया जा सके और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके पास जवाबदेह वित्तीय निर्णय करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध हैं।

मुद्रा प्रबंधन संबंधी सुनियोजित पहलें

XI.30 रिजर्व बैंक आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और मुद्रा प्रबंधन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय करने की योजना बना रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि आगामी वर्ष तक प्लास्टिक नोटों को जनता में आजमाया जाएगा। रिजर्व बैंक, बैंकनोटों की आयु को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। संचलन में नोटों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक भंडारण, परिवहन तथा वितरण के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ-साथ प्रायोगिक परियोजना के रूप में पूर्णतः स्वचालित नकदी संसाधन केंद्र स्थापित करेगा। मुद्रा नोट मुद्रण प्रौद्योगिकी में हुई नवीनतम गतिविधियों का लाभ उठाने और जालसाजों से सतर्क रहने के लिए नई सीरीज के बैंकनोटों को शुरु करने और साथ ही सिक्कों को ग्राहक अनुकूल तथा टिकाऊ बनाने के लिए इन सिक्कों की रीडिजाइनिंग का भी प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक मुद्रा नोट की पैकिंग में भी सुधार कर रहा है ताकि इन्हें संभालना और आसान हो सके।

कठिनाइयों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता में सुधार करना

XI.31 तनाव और कठिनाइयों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता में सुधार करना न केवल प्रति-चक्रीय बफर प्रदान करने के जरिए किया जाना महत्वपूर्ण है बल्कि प्रभावी समाधान प्रणाली के जरिए तनाव का सीधे समाधान करके भी किया जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने 2013-14 के दौरान अनेक उपाय और कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना प्रणाली, ऋण सूचना और समाधान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं।

XI.32 एफएसबी द्वारा समर्थित प्रभावी समाधान प्रणाली से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं के लिए

समाधान प्रणाली पर गठित कार्यदल ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में संपूर्ण वित्तीय स्थिरता पर नज़र रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व के अधीन न आने वाले एवं उनके द्वारा असंचालित समस्त वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय बाजार की बुनियादी संरचना (एफएमआई) के लिए एक समाधान प्रणाली की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एफएसडीसी के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक आवश्यक कानूनी और संस्थागत परिवर्तन और रिजोलुशन फंड सृजित करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है।

बैंक द्वारा की गई अनुसंधान पहलें

XI.33 एक सफल नीतिगत कार्यसूची और इसका कार्यान्वयन जिसमें आम तौर पर उपर्युक्त पांच स्तंभ शामिल हैं, में अनुसंधान सहयोग की आवश्यकता है। तदनुसार, एक अनुसंधान कार्यसूची रिज़र्व बैंक में तैयार की गई है। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में, इन अध्ययनों में वांछनीय मौद्रिक ढांचा और मौद्रिक संचलन के पक्ष शामिल किए जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अध्ययनों में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, बासल III के संदर्भ में बैंकों के लिए पूंजी जुटाना और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की समस्याओं को शामिल किया जाएगा। वित्त की पहुंच के लिए भारतीय बैंकों के ऋण संविभाग का विश्लेषण छोटे उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए वित्त की पहुंच को समझने के लिए किया जाएगा। कारपोरेट कठिनाई के क्षेत्र में अनर्जक

आस्तियों में हुई बढ़ोतरी संबंधी कारण और कारपोरेट तुलन-पत्र में विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव की जांच की जाएगी। अन्य अध्ययन बाह्य क्षेत्र, राजकोषीय नीति, वित्तीय एकीकरण, निवेश सर्किल और संपित्त प्रभाव से संबंधित हैं।

XI.34 रिज़र्व बैंक के अनुसंधान स्टाफ-सदस्यों ने अपने दक्ष स्टाफ-सदस्यों तथा उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र (कैफरल) में अतिथि के तौर पर बुलाए गए विद्वानों के साथ मिलकर अनुसंधान की संभावनाओं की भी तलाश की है। इनमें से विशेष रुचि के विषय हैं - वित्तीय बाजार और विनिमय दरें।

XI.35 एकल बिंदु आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन और प्रसार पर जोर देने के लिए रिज़र्व बैंक सांख्यिकीय आंकड़े और सूचना प्रबंध प्रणाली में सुधार करने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य न सिर्फ रिज़र्व बैंक में डेटा गवर्नेंस प्रथाओं में सुधार करना है बल्कि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना है। इसमें मैनुअल हस्तक्षेप के बिना एक्सबीआरएल (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) के जरिए सभी प्रकार के रिटर्न और आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को बुद्धिसंगत बनाना भी शामिल है। रिज़र्व बैंक के भीतर और बाहर आंकड़े साझा करने के लिए अधिक संरचित आंकड़ा प्रसार नीति पर विचार किया गया है। अनुसंधान और सांख्यिकीय क्षेत्र में किए गए इन उपायों से रिज़र्व बैंक में नीति और परिचालनों के पक्ष में विश्लेषणात्मक मूल्यांकन में सुधार होने की आशा है।

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में विस्तार होना इसका मुख्य कारण है जिनमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में सकल आय ₹646.17 बिलियन थी जो कि 2012-13 की तुलना में 13.10 प्रतिशत कम थी, जबकि कुल व्यय 4.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹119.34 बिलियन रहा जो पिछले वर्ष ₹125.49 बिलियन था। वर्ष की समाप्ति ₹ 526.79 बिलियन के समग्र अधिशेष के साथ हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.75 प्रतिशत कम है। संपूर्ण अधिशेष सरकार को अंतरित कर दिया गया जो रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा अंतरण है।

XII.1 रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ ही साथ मौद्रिक और आरक्षित निधि की प्रबंधन नीति के उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। बृहद स्तर पर तुलनात्मकता और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में क्रमिक रूप से और अधिक खुलासे की ओर बढ़ रहा है। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखापद्धति संबंधी नीतियों के लेखे और विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

XII.2 2013-14 के दौरान तुलन पत्र के समग्र आकार में ₹2,337 बिलियन अर्थात् 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹ 23,907 बिलियन था जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹26,244 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में बढ़ोतरी होना रहा क्योंकि रिज़र्व बैंक अपनी एफसीए जिन अन्य प्रमुख मुद्राओं में रखता है उनकी तुलना में यूएस डालर का अवमूल्यन हुआ और यूएस डालर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन होने के कारण हुए समायोजन के चलते आस्ति पक्ष में स्वर्ण भंडारों की कीमत में गिरावट होना रहा। देयताओं की ओर वृद्धि होने का मुख्य कारण परिचालनगत मुद्रा में वृद्धि होना और मुद्रा तथा स्वर्ण पुनःमूल्यांकन खाते (सीजीआरए) में बढ़ोतरी होना रहा। वर्ष के अंत में, घरेलू आस्तियां कुल आस्तियों की 33.0 प्रतिशत रहीं जबकि शेष 67.0 प्रतिशत विदेशी आस्तियां रहीं, जबकि 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ये क्रमशः 36.2 प्रतिशत और 63.8 प्रतिशत थीं।

XII.3 तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के विवरण के प्रस्तुतीकरण के तरीके की समीक्षा करने के लिए 2012-13 में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी [(अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम (तकनीकी समिति I)] इस समिति ने यह पाया कि आरक्षित निधियों, प्रावधानीकरण और लेखांकन के मानदंडों के संबंध में मौजूदा नीतियों की विस्तार में जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में 2013-14 के दौरान एक अन्य तकनीकी समिति [अध्यक्ष: वाई.एच. मालेगाम (तकनीकी समिति II)] गठित की गई ताकि आंतरिक आरक्षित निधियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिशेष वितरण नीति के स्तर और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा की जा सके। विस्तृत अध्ययनों के आधार पर, तकनीकी समिति II ने यह सिफारिश किया कि चूंकि आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में आवश्यक बफर की तुलना में अधिशेष है अतः, सीआर और एडीआर में आगे कोई अंतरण करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस वर्ष सीआर और एडीआर में कोई अंतरण नहीं किया गया और समस्त अधिशेष ₹526.79 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित कर दिया गया, जो रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक अंतरित किया गया सबसे बड़ी अधिशेष राशि है। तकनीकी समिति-I ने रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र और लाभ तथा हानि के लेखों के प्रारूप और घटकों के संबंध में कई सिफारिशों की थी। इन सिफारिशों में, तुलन-पत्र की मदों को रिपोर्ट करने की विधियों, निर्गम और बैंकिंग विभागों दोनों के लिए एक ही तुलन-पत्र बनाने, तुलन-पत्र के प्रत्येक शीर्ष को एक ही पंक्ति में दर्शाना (तुलन-पत्र में केवल कुछ मदों की विस्तृत रिपोर्टिंग करना, जबकि अन्य मदों के घटकों को लेखा खाते के अध्याय में विश्लेषित करने की मौजूदा प्रथा के बजाय), और उसे विस्तृत अनुसूचियों में दर्शाना, कुछ मदों का पुनः वर्गीकरण और समूहन करना शामिल

था ताकि, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण मदों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-15 से लागू करने के लिए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तुलन-पत्रों का एकीकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना पर निर्भर है, इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। लाभ और हानि लेखा के प्रारूप में संशोधन के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 के नियम 22 में संशोधन किया जाए। अतः, संशोधित तुलन-पत्र को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद और संशोधित नियमों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित किए जाने के बाद वर्ष 2014-15 में इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

XII.4 तकनीकी समिति-II की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं,
(क) रुपए में अंकित प्रतिभूतियों का पुनःमूल्यांकन करने की विधि

को लेखा और बाजार मूल्य में जो भी कम हो (एलओबीओएम) से परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना और (ख) विदेशी विनिमय वायदा करारों को लेखों में शामिल करना। सिफारिशों में विविध प्रकार के जोखिमों और भविष्य में रुपए की विनिमय कीमत में वृद्धि होने, भविष्य में स्वर्ण के बाजार मूल्यों तथा विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की बाजार कीमत में कमी आने, परिचालनगत एवं प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने, आगे पूंजीगत व्यय करने तथा अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों में निवेश करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार को अधिशेष अंतरित करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति की रूपरेखा भी सिफारिशों में शामिल की गई है।

XII.5 वर्ष 2013-14 के लिए तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खाता नीचे दिए जा रहे हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2014 का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

(₹ हजार)

2012-13	देयताएं	2013-14	2012-13	आस्तियां	2013-14
80,169	बैंकिंग विभाग में रखे गये नोट	110,271	674,316,432	स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:	649,775,377
12016,157,427	परिचालन में नोट	13445,160,518	-	(क) भारत में धारित	-
12016,237,596	कुल जारी नोट	13445,270,789	11329,100,584	(ख) भारत के बाहर धारित	12783,310,039
			12003,417,016	विदेशी प्रतिभूतियां	13433,085,416
			2,356,280	कुल	1,721,073
			10,464,300	रुपया सिक्के	10,464,300
			-	भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-
			-	आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र	-
12016,237,596	कुल देयताएं	13445,270,789	12016,237,596	कुल आस्तियां	13445,270,789

बैंकिंग विभाग

(₹ हजार)

2012-13	देयताएं	2013-14	2012-13	आस्तियां	2013-14
50,000	प्रदत्त पूंजी	50,000	80,169	नोट	110,271
65,000,000	आरक्षित निधि	65,000,000	296	रुपया सिक्के	209
220,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	230,000	63	छोटे सिक्के	73
1,960,000	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,970,000		खरीदे तथा धुनाये गये बिल:	
				(क) आंतरिक	-
				(ख) बाह्य	-
				(ग) सरकारी खजाना बिल	-
	जमाराशि			विदेशों में रखी गयी राशि	3726,756,685
	(क) सरकार		3395,014,738	निवेश	7767,331,027
1,002,895	(i) केंद्र सरकार	1,000,207		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :	
424,847	(ii) राज्य सरकारें	424,661		(i) केंद्र सरकार	-
	(ख) बैंक		7276,101,007	(ii) राज्य सरकार	6,656,600
3391,427,816	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3469,155,998		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
32,038,844	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	37,292,739		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	294,173,000
55,210,206	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	63,307,042	146,610,000	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-
2,241,459	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,807,554	21,449,487	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	1,337,500
90,595,353	(v) अन्य बैंक	102,670,889		(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-
165,973,592	(ग) अन्य	213,885,518	187,170,300	(v) नाबाई	-
				(vi) अन्य	68,662,500
1,873,179	देय बिल	373,489	1,650,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:	
				(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
				(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-
				(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-
				(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-
				(iv) अन्य	-
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
				(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-
				(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-
				(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-
				(iv) अन्य	-
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
				(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	-
				(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	-
			854,561,276	अन्य आस्तियां	933,372,857
11890,873,984	कुल देयताएं	12798,400,722	11890,873,984	कुल आस्तियां	12798,400,722

2013-14 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(₹ हजार)

2012-13	आय	2013-14
455,635,749	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि	646,169,713
455,635,749	जोड़	646,169,713
	व्यय	
25,725	ब्याज	35,690
58,595,877	स्थापना	43,244,344
30,613	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय	30,963
640,702	खजाना प्रेषण	712,554
28,066,536	एजेंसी प्रभार	33,254,472
28,724,406	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	32,135,816
228,203	मुद्रण और लेखन-सामग्री	209,279
818,627	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	839,866
1,503,660	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	1,223,092
30,139	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय	24,221
36,316	विधि प्रभार	45,594
2,390,152	बैंक संपत्ति का मूल्यहास और उसकी मरम्मत	2,658,472
4,404,794	विविध व्यय	4,924,898
125,495,750	जोड़	119,339,261
330,140,000	उपलब्ध शेष राशि	526,830,452
	घटायें: निम्नलिखित में अंशदान:	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घाविधि परिचालन) निधि	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घाविधि परिचालन) निधि	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	10,000
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घाविधि परिचालन) निधि	10,000
40,000		40,000
330,100,000	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	526,790,452

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

एस. गणेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस. एस. मुंदड़ा
उप गवर्नर

आर. गांधी
उप गवर्नर

ऊर्जित आर. पटेल
उप गवर्नर

हारून आर. खान
उप गवर्नर

रघुराम जी. राजन
गवर्नर

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जांच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के अट्टरह लेखांकन श्काइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 103523 डब्ल्यू)
दिलीप बी. देसाई
भागोदार
सदस्यता क्र.300- 53078

कृते सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961 डब्ल्यू)
गौतम नायक
भागोदार
सदस्यता क्रम सं. 38127

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त 2014

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।”

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- ए) बैंक नोटों का निर्गम।
- बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध करना।
- सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।
- ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।
- जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।
- आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।
- जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन,

विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यान को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

II. राजस्व निर्धारण

लाभांश को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है उसकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है और उगाही के निश्चित होने पर ही दंडात्मक ब्याज की गणना की जाती है। सिर्फ उगाहे गए लाभ को ही गणना में लिया जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

III. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनः मूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन के बुलियन बाजार ऐशोसियेशन के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर, किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

(बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर), उन मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वे वहीं पर समायोजित रहती हैं।

खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, कुछ “परिपक्वता तक धारित” प्रतिभूतियों, जिनका लागत के आधार पर मूल्य निकाला जाता है को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य हास को, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में दर्ज किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नाम शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में वापस जमा किया जाता है।

विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। विदेशी प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक

पत्रों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के मामले में लाभ एवं हानि की गणना परिशोधित लागत के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनः प्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में अंतरित किया जाता है।

(सी) वायदा (फॉरवर्ड)/स्वैप संविदाएं

वायदा संविदाओं के संबंध में लेखांकन नीति में वर्ष के दौरान तकनीकी समिति II के परामर्श के अनुसार परिवर्तन किया गया है। तदनुसार, बैंक द्वारा उसके हस्तक्षेप करने के परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का, इस वर्ष से आगे, वार्षिक आधार पर पुनर्मूल्यन किया जाएगा (30 जून को)। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) लाभ को ‘विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता’ (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जो तुलन पत्र की एक मद है जिसमें वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी के नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाते के लिए पीएफसीवी में प्रतिपक्षी राशि जमा की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाएगा तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए में शेष राशि हस्तक्षेप परिचालनों के एक हिस्से के रूप में तय की गई वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ को दर्शाती है जबकि पीएफसीवीए में शेष राशि ऐसी संविदाओं के मूल्यांकन किए जाने पर अप्राप्त निवल हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां परिशोधन खाते में की जाती हैं। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए “अन्य देयताओं” का हिस्सा होती हैं किंतु आरएफसीए “अन्य आस्तियों” का हिस्सा होती हैं।

IV. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर, निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

पुनर्खरीद करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को अंकित मूल्य पर रिजर्व बैंक की बहियों में दर्शाया जाता है।

V. शेयर

शेयर में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

VI. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर/परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बने भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन	10 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

₹1,00,000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

₹10,000 से अधिक लागत वाले मूल्यवान लेकिन आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि को पूंजीकृत किया गया है।

₹ 1,00,000 और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर की गयी है। अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

‘अनुमानित इकाई ऋण’ प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

तैयार करने का आधार

XII.6 रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परंपरा के अनुसार रिजर्व बैंक दो तुलन पत्र तैयार करता है। एक निर्गम विभाग के लिए, जिसका संबंध सिर्फ उसकी मुद्रा प्रबंध की जिम्मेदारी से होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग के लिए जिसमें रिजर्व बैंक के अन्य सभी कार्यों का प्रभाव दर्शाया जाता है।

निर्गम विभाग की देयताएं तथा आस्तियां

निर्गम विभाग - देयताएं

XII.7 निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 34(1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिजर्व

बैंक द्वारा जारी की सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 2013-14 के दौरान, परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹13,445.16 बिलियन हो गई जबकि 2012-13 के दौरान इनमें 8.9 प्रतिशत तथा 2011-12 में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XII.8 अपनी मुद्रा देयताओं को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग की पात्र आस्तियों में स्वर्ण (सिक्के तथा बुलियन), विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का, भारत सरकार की प्रतिभूतियां (जो ₹10.46 बिलियन के अपरिवर्तित स्तर पर रहीं), आंतरिक विनिमय पत्र तथा अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मीट्रिक टन स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की अन्य आस्तियों का हिस्सा माना जाता है। निर्गम विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹674.31 बिलियन से 3.64 प्रतिशत घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 649.78 बिलियन रह गया है, जिससे बुलियन के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पता चलता है (सारणी XII.1)। निर्गम विभाग की कुल देयताओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में धारित सहारा प्रदान करने वाली जो आस्तियां 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹11,329.10 बिलियन थीं वे 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹12,783.31 बिलियन हो गईं। निर्गम विभाग के रुपया सिक्कों का मूल्य 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹2.36 बिलियन के स्तर से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार

₹1.72 बिलियन रह गया। इसमें 27.1 प्रतिशत की गिरावट आई। भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे ₹10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

बैंकिंग विभाग की देयताएं और आस्तियां

बैंकिंग विभाग - देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ सृजित इस निधि में रिज़र्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में बैंक से प्रत्येक वर्ष ₹10 मिलियन की टोकन राशि जमा की जाती है; वर्ष 2013-14 में इस परिपाटी को जारी रखा गया है और इस

सारणी XII.1: सोने की धारिता

	30 जून 2013 की स्थिति		30 जून 2014 की स्थिति	
	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में
1	2	3	4	5
निर्गम विभाग में रखा गया सोना	674.31	292.26	649.78	292.26
बैंकिंग विभाग में रखा गया सोना (‘अन्य आस्तियों’ के तहत)	612.54	265.49	590.24	265.49
कुल	1,286.85	557.75	1,240.02	557.75

प्रकार से 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि की शेष राशि ₹230 मिलियन रही।

iv) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए ₹500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ जनवरी 1989 में स्थापित निधि को उसके बाद से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वार्षिक सहयोग के माध्यम से बढ़ाया गया है। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष लाभ-हानि (आय विवरण) से सिर्फ ₹10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹1,970 मिलियन की राशि जमा है।

v) अन्य निधियों में अंशदान

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 46ए के अधीन दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जिसके के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक के लिए ₹10 मिलियन का टोकन अंशदान राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में जमा किया जाता है।

vi) जमाराशियां

इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक (एगिजम बैंक) और नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधियों संबंधी विविध खातों की शेष राशियों और हाल ही में स्थापित जमाकर्ता, शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी होती है। वर्ष के दौरान इस निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने के लिए और इस प्रकार के उद्देश्य जिन्हें समय-समय पर रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, के अनुसार जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, के लिए किया गया है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में ₹27.95

बिलियन की जमाराशि थी। कुल जमाराशि 30 जून 2013 के ₹3,738.92 बिलियन कुल राशि की तुलना में 30 जून 2014 को ₹3,892.54 बिलियन राशि रही जो 4.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

- *जमाराशियां - सरकारी*
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्य सरकारों की जमा राशियों का अंतिम शेष क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.42 बिलियन था जिनका योग ₹1.42 बिलियन होता है जो पिछले वर्ष की समाप्ति के स्तर से लगभग बराबर ही रहा।

- *जमाराशियां - बैंक*
भारतीय रिजर्व बैंक में बनाए रखे गए अपने चालू खाते में बैंक राशि नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान और निपटान के दायित्वों तथा आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा रखते हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान 3.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल जमा राशि ₹3,677.24 बिलियन थी जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹3,571.51 बिलियन थी।

- *जमाराशियां - अन्य*
2013-14 के दौरान अन्य जमाराशियों में समग्र रूप से 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें संचित सेवानिवृत्ति लाभों और हाल ही स्थापित डीईए निधि का प्रमुख योगदान रहा। विस्तृत विवरण सारणी XII.2 में दिया गया है।

vii) देय बिल

रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इक्लेक्ट्रॉनिक

सारणी XII.2: जमाराशियां - अन्य

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	15.33	11.56
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	0.70	2.53
III. म्यूचुअल फंडों की जमाराशियां	0.02	0.01
IV. संचित सेवानिवृत्ति-अधिवर्षिता लाभ (i+ii)	141.02	161.72
(i) भविष्य निधि	36.10	38.62
(ii) ग्रेच्युइटी और सेवानिवृत्ति-निधि	104.92	123.10
V. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि	0.00	27.95
VI. विविध	8.90	10.11
कुल	165.97	213.88

भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता करता है। इस मद की शेष राशि धन-प्रेषण समाशोधन खाते में धारित तत्कालीन धन-प्रेषण सुविधा योजना, 1975 के तहत के धन-प्रेषण और भुनाए न गए मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों को दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2013 के ₹1.87 बिलियन से घटकर 30 जून 2014 को ₹0.37 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/पीओ के जरिए धन-प्रेषण में कमी होना है जो भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

viii) अन्य देयताएं

अन्य देयताओं में आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। जहां, आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) बैंक से प्राप्त लाभ से सृजित की जाती है, वहीं 'अन्य देयताओं' के शेष घटक जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) इत्यादि अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं 30 जून 2013 के ₹ 8,082.86 बिलियन से 9.3 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 को ₹8,838.23 बिलियन हो गई जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में हुई वृद्धि होना था (सारणी XII.3)।

ए) आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर)

यह निधि अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दी गई कोई विशेष उत्तरदायित्व के चलते पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

बी) आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर)

1997-98 में सृजित आस्ति विकास आरक्षित निधि आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थानों में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाभ में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का अंतरण

आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष : श्री वी. सुब्रह्मण्यम) (1997) की सिफारिशों के आधार पर आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का लक्ष्य कुल आस्तियों का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था किंतु 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास निधि (एडीआर) दोनों मिलकर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों का 9.2 प्रतिशत रहीं। पिछले पांच वर्षों के अंत की स्थिति सारणी XII.4 में

सारणी XII.3: अन्य देयताओं के विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
ए. आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,954.05	2,216.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	262.47	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,216.52	2,216.52
बी. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	182.14	207.61
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	25.47	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	207.61	207.61
सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	4,731.72	5,201.13
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल निःशेष (-)	(+) 469.41	(+) 520.50
वर्ष के अंत में शेष राशि	5,201.13	5,721.63
डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	122.22	24.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(-) 97.37	(+) 13.06
वर्ष के अंत में शेष राशि	24.85	37.91
ई. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (पहले इसे विदेशी मुद्रा समकरण खाता के नाम से जाना जाता था)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	24.05	16.99
*विनिमय खाते से अंतरण/** वायदा संविदा पर एमटीएम अभिलाभ	16.99*	42.98**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय(+)/निवल उपयोग (-)	(-) 24.05	(-) 16.99
वर्ष के अंत में शेष राशि	16.99	42.98
एफ. बकाया व्यय के लिए प्रावधान	18.43	16.55
जी. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	330.10	526.79
एच. विविध	67.23	68.24
आइ. कुल (ए से एच)	8,082.86	8,838.23

दी गई है। तकनीकी समिति II की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए 30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सीआर और एडीआर में किसी प्रकार का अंतरण नहीं किया गया है।

सी) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) तथा स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं लिया जाता है, बल्कि तुलन-पत्र की मुद्रा और स्वर्ण

सारणी XII.4: आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीआर में शेष	एडीआर में शेष	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में सीआर और एडीआर
1	2	3	4=(2+3)	5
2010	1585.61	146.32	1731.92	11.3
2011	1707.28	158.66	1865.94	10.3
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2

पुनर्मूल्यन खाते की मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन के कारण होने वाले निवल अप्राप्त लाभ और हानि राशि को दर्शाता है। इसलिए इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। 2013-14 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते की राशि में ₹520.50 बिलियन की वृद्धि हुई। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस खाते में जमा राशि ₹5,201.13 बिलियन थी जो 30 जून 2014 को बढ़कर ₹5721.63 बिलियन हो गई। इसका मुख्य कारण अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर और रुपये की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में कमी होना है।

डी) निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)

रिज़र्व बैंक दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार करता है और इस प्रकार से हुई मूल्य में वृद्धि/कमी को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि ₹37.91 बिलियन रही जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹24.85 बिलियन थी। इस खाते में हुई वृद्धि बाजार में हुए उतार-चढ़ाव के कारण हुई थी।

इ) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

[पूर्व में इसका नाम विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) था]

वर्ष के दौरान तकनीकी समिति II द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार वायदा संविदा की संशोधित लेखांकन नीति का कार्यान्वयन किया गया, विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) जिसका प्रयोग बकाया वायदा संविदाओं से संबंधित एमटीएम हानियों को दर्ज करने किया जाता था, का नाम बदलकर 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) कर दिया गया है और विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के एमटीएम से होने वाले लाभ और हानियों जिन्हें बैंक के हस्तक्षेपी परिचालनों के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है, को अब खाते के इस शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में शेष राशि ₹42.98 बिलियन रही थी जबकि 30 जून 2013 के अंत में इस खाते में शेष राशि ₹16.99 बिलियन थी। पिछले पांच

सारणी XII.5: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए) 'पहले का विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए)' और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)			
30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	विदेशी मुद्रा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए)*	निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)
1	2	3	4
2010	1,191.34	0.19	93.71
2011	1,822.86	0.01	42.69
2012	4,731.72	24.05	122.22
2013	5,201.13	16.99	24.85
2014	5,721.63	42.98	37.91

*ईईए 2012-13 तक

वर्षों के लिए सीजीआरए, एफसीवीए और आईआरए में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

एफ) बकाया व्यय के लिए प्रावधान

वर्ष 2013-14 के लिए ₹16.55 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है जबकि 2012-13 के लिए इसके लिए ₹18.43 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया था।

जी) भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों आस्तियों में हुए मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि हेतु योगदान के लिए और इस अधिनियम के तहत प्रावधान करने के लिए अन्य सभी मामलों अथवा जो बैंकर्स के द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, के लिए प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार सांविधिक निधि के लिए ₹40 मिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय का समायोजन करने के बाद 2013-14 के लिए सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल अधिशेष राशि ₹526.79 बिलियन है। सरकार को 11 अगस्त 2014 को अंतरित की जाने वाली

राशि कुल अधिशेष (चार निधियों में अंतरित करने से पहले) का 99.99 प्रतिशत है जबकि 2011-12 और 2012-13 में यह राशि क्रमशः 37.2 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत थी (सारणी XII.6)। इसमें पिछले वर्षों के समान, स्व-मूल्यांकन के आधार पर माइकर चेक प्रोसेसिंग शुल्कों के कारण देय अनुमानित सेवा कर के लिए ₹0.03 बिलियन की राशि और पिछले वर्ष के ₹13.22 बिलियन की तुलना में विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार को देय ब्याज-अंतर के रूप में ₹12.69 बिलियन की राशि भी शामिल है।

एच) विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें छुट्टी का नकदीकरण किए जाने पर देय राशि, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए आरक्षित निधि जिसे कर्मचारी निधियों के लिए अलग रखा गया हो, रिपो लेनदेनों के मार्जिन के रूप में धारित संपाश्विकीकृत निधि का मूल्य, कर्मचारियों के लिए चिकित्सकीय प्रावधानों इत्यादि जैसे उप लेखों को शामिल किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार विविध देयताएं ₹68.24 बिलियन रहीं जबकि 30 जून 2013 को ये देयताएं ₹67.23 बिलियन थीं।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XII.9 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, विदेशों में धारित राशि, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन पत्र में उनको चलनिधि के घटते क्रम में दर्शाया जाता है।

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों का स्टॉक होता है। इस स्टॉक के मूल्य में 37.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 30 जून 2013 के ₹ 0.08 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 0.11 बिलियन हो गया।

ii) खरीदे गए और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किंतु 2013-14 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iii) विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिजर्व (एफईआर)

बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) को तुलन पत्र में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पेश किया गया है: (क) विदेशी मुद्रा के रूप में विदेश में धारित शेष, जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दर्शाया गया है। (ख) बैंकिंग विभाग के निवेश के हिस्से के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां तथा बीआईएस/स्विफ्ट के शेयर शामिल हैं) एवं (ग) “निर्गम विभाग की आस्तियां” से संबंधित पैराग्राफ में उल्लेख किए गए अनुसार निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं)।

विदेश में धारित शेष इस प्रकार हैं (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां, (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियां, (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी ट्रेजरी बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा, (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उपयोग किए गए विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है।

विदेशी मुद्रा रिजर्व (एफईआर) में एफसीए, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिजर्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं, जिनमें एफसीए का सर्वाधिक हिस्सा है। आईएमएफ की रिजर्व ट्रान्च स्थिति बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत सरकार के पास उसका शेयर

सारणी XII.6: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गयी	11,329.10	12,783.31
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल*	523.57	1,069.45
ख) विदेशों में रखी गयी शेष राशि	3,395.01	3,726.76
कुल	15,247.68	17,579.52

*: बीआईएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) में विदेशी प्रतिभूतियाँ और शेयर शामिल हैं (सारणी XII.8 की मदे ii+iii)

@: ₹. 49.31 बिलियन की एसडीआरएस मूल्य शामिल है।

- टिप्पणी :**
- 30 जून 2014 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशतः चुकता शेयरों की मांगी न गई राशि ₹1.12 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक 8740.82 मिलियन एसडीआर (₹812.00 बिलियन/13.15 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत ढ नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले किये गये वादा के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹. 600.93 बिलियन) शामिल है संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2014 को उधार के लिए नई व्यवस्था नोट क्रय करार के अंतर्गत 1,200.90 मिलियन एसडीआर (₹111.56 बिलियन/1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि निवेश की गई है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी (यूके) द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹300.47 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए, निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2014 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 1,181 मिलियन अमरीकी डालर (₹70.97 बिलियन) का निवेश किया गया है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, अमरीकी डालर 10 बिलियन (₹600.93 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकते हैं।
 - वर्ष 2013-14 के अंतर्गत, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच एसडीआर धारिता के अंतरण संबंधी रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता जापन हुआ। 30 जून 2014 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसडीआर 530.80 मिलियन (₹49.31 बिलियन; 820.56 मिलियन अमरीकी डालर) हैं।

है एवं इसलिए उसे रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में दर्शाया नहीं गया है। 30 जून 2013 एवं 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा रिज़र्व के मूल्यमान नामतः भारतीय रुपया और अमरीकी डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा रिज़र्व की स्थिति इस प्रकार है (सारणी XII.7 क एवं ख)।

सारणी XII.7(क): विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (रुपये में)

(₹ बिलियन में)

विवरण	तक		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)	15,247.69	17,530.21*	2,282.52	14.97
स्वर्ण	1286.86	1240.02*	(-) 46.84	(-) 3.64
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	259.20	268.31	9.11	3.51
आईएमएफ में रिज़र्व स्थिति *	130.67	103.23	(-) 27.44	(-) 21.00
कुल विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (एफईआर)	16,924.42	19,141.77	2,217.35	13.10

: एसडीआर धारिता के अंतर्गत जो राशि शामिल है उसमें ₹. 49.31 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व के एसडीआर की धारिता राशि को छोड़कर है।

@ : इसमें से ₹. 649.78 बिलियन रुपये के मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा हुआ है और 590.24 बिलियन रुपये मूल्य का सोना 'अन्य आस्ति' के तहत बैंकिंग विभाग में रखा हुआ है।

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व शेयर की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक एक जापान मद के रूप में दर्शाया गई थी, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से रिज़र्व में शामिल किया गया है।

सारणी XII.7 (ख) : विदेशी विनिमय आरक्षित निधि

(अमरीकी डालर में)

विवरण	तक		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)	254.37*	289.32**	34.95	13.74
स्वर्ण	21.55	20.63	(-) 0.92	(-) 4.27
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.34	4.47	0.13	3.00
आईएमएफ में रिज़र्व स्थिति *	2.19	1.72	(-)0.47	(-) 21.46
कुल विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (एफईआर)	282.45	316.14	33.69	11.93

*: आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की किए गए 950 मिलियन अमरीकी डॉलर और सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते के तहत भूटान से प्राप्त 100 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर की भूटान की मुद्रा (बीटीएन) शामिल नहीं है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब में लेने के लिए पात्र नहीं है।

**: आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश किए गए 1181 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त किए गए 820.56 मिलियन अमरीकी डॉलर के एसडीआर शामिल नहीं है।

सारणी XII.8: बैंकिंग विभाग का निवेश

(₹ बिलियन)

निवेश	2012-13	2013-14
1	2	3
क) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां @	6,739.33	6,684.68
ख) विदेशी प्रतिभूतियां	520.90	1,066.69
ग) बीआईएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) में शेयर	2.67	2.76
घ) सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	13.20	13.20
कुल	7,276.10	7,767.33

@: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए रु. 454.02 तथा 2013-14 के लिए ₹452.65 बिलियन के तेल बान्ड के रूप में जारी बान्ड शामिल है।

iv) निवेश

बैंकिंग विभाग के निवेश सारणी XII.8 में दिए गए

ए. रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां 2012-13 के ₹ 6,739.33 बिलियन से घटकर 2013-14 में ₹ 6,684.68 बिलियन रह गईं। पोर्टफोलिया की कुल रुपया प्रतिभूतियां वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ कम ही गईं क्योंकि रीडेम्पशन (₹236.38 बिलियन का) एवं भारत सरकार के शेष में परिवर्तन (₹ 182.85 बिलियन का) ओएमओ (₹ 302.83 बिलियन का) के जरिए की गई खरीद से अधिक था। स्वयं रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की राशि ₹ 5,663.32 बिलियन थी; पुनः क्रय करार - रिपो के अंतर्गत प्राप्त संपार्श्विकों की राशि ₹ 951.42 बिलियन थी जबकि सीमांत स्थायी सुविधा - एमएसएफ से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 92.46 बिलियन था और इसमें से रिवर्स रिपो खरीद के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रदत्त ₹ 22.52 बिलियन की प्रतिभूतियों को समायोजित किया गया है।

बी. विदेशी प्रतिभूतियां, सोवरेन और सुप्रा-नैशनल संस्थाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थाओं के ऋणों को दर्शाती हैं। विदेशी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा निर्गम विभाग की देयताओं में होने वाली कोई भावी वृद्धि को कवर करने के लिए बैंकिंग विभाग में रखा गया है।

सी. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) में धारित शेयरों का कुल मूल्य ₹ 2.76 बिलियन है।

डी. 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं की धारिता का ब्यौरा सारणी XII.9 में दिया गया है।

v) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सीमाएं सरकारों से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे; 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹ 146.61 बिलियन थी। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य ₹ 6.65 बिलियन था जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹ 21.45 बिलियन थी।

सारणी XII.9: सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं

(राशि ₹ मिलियन में)

	लागत	% धारिता
1	2	3
(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	500.00	100.0
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	200.00	1.0
(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4,500.00	100.0
(घ) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8,000.00	100.0
कुल	13,200.00	-

बी) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम

इसमें निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक से पात्र बकाया निर्यात ऋण के बदले प्राप्त पुनर्वित्त शामिल हैं। ईसीआर पुनर्वित्त सीमा बकाया पात्र निर्यात ऋण के अनुसार स्वतः बदलती है और इसमें वार्षिक वृद्धि/गिरावट बैंक द्वारा सुविधा के वास्तविक उपयोग में बढ़ोतरी/कटौती दर्शाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ईसीआर के उपयोग की राशि ₹ 188.82 बिलियन थी जबकि 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹ 295.51 बिलियन थी।

सी) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम

रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया है।

डी) अन्य को ऋण और अग्रिम

इस मद के शेष में वे ऋण आते हैं जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए थे। ये ऋण क्रमशः ₹50 बिलियन ₹ 18.5, बिलि. और ₹0.1 बिलि. थे। सिडबी को नवंबर 2013 में दी गई सुविधा एक वर्ष के लिए थी जिसमें 90 दिन की अवधि और मासिक अंतरालों पर देय तत्काल रूप से पूर्ववर्ती 14 दिवसीय मीयादी रिपो दर से संबंधित कट-ऑफ दर लागू थी। एनएचबी के लिए दी गई सुविधा तेरह वर्ष पहले दी गई थी और इसकी दर 6 प्रतिशत थी जो कि छमाही आधार पर देय थी। चलनिधि की सुविधा मुख्य रूप से पीडीज को उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनके पास प्राथमिक नीलामियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त रिजर्व उपलब्ध हो सके। इस सुविधा के अंतर्गत उपयोगिता में इजाफा हुआ जो मुख्य रूप से भारत सरकार के उधार कार्यक्रम में हुई वृद्धि के कारण था।

vi) अन्य आस्तियां

बैंकिंग विभाग की 'अन्य आस्तियों' (सारणी XII.10) में स्थायी आस्तियां (मूल्यहास के बाद शेष राशि), विदेशों में धारित स्वर्ण (265.49 मेट्रिक टन), उपचित आय (मुख्य रूप

सारणी XII.10: अन्य आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यहास को घटाकर)	4.50	1.07
II. स्वर्ण	612.54	590.24
III. उपचित आय (ए+बी)	223.88	222.46
क. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	2.98	0.66
ख. अन्य मदों पर	220.90	221.80
IV. स्वैप परिशोधन खाता	0.00	59.30
V. वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन	0.00	42.85
VI. विविध	13.64	17.45
कुल	854.56	933.37

से बैंकों के देशी और विदेशी निवेशों पर तुलन पत्र तैयार करने की तारीख को उपचित ब्याज आय), स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों के घटक मुख्य रूप से स्टॉफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए प्रस्तावित मार्जिन, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि और अंतर-कार्यालयीन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाली (भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य लेखा के जरिए) मार्गस्थ मदें इत्यादि होते हैं।

स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, तकनीकी समिति II की सिफारिशों के आधार पर, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जा रहा है और इसे स्वैप परिशोधन खाते में धारण किया गया है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार खाता शेष ₹ 59.30 बिलियन है।

वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा के संबंध में तकनीकी समिति II द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार मध्यक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में की

सारणी XII.11: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
ए. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	251.02	211.5	198.10	207.46	197.68
बी. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	66.47	150.32	323.39	523.06	435.38
(ii) अन्य अर्जन	11.35	8.88	10.27	13.05	13.11
कुल: (i) + (ii)	77.82	159.20	333.66	536.11	448.49
सी. सकल आय (ए+बी)	328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
डी. आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरण	51.68	121.67	246.77	262.47	0
ई. आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण	5.50	12.35	23.48	25.47	0
एफ. कुल आय (सी-डी-ई)	271.66	236.68	261.51	455.64	646.17

गई वायदा संविदा के मामले में इस खाते में दर्ज एमटीएम लाभों को अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाना चाहिए। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार खाता शेष ₹42.85 बिलियन था। 'अन्य आस्तियों' का मूल्य ₹ 854.56 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 933.37 बिलियन हो गया जो मुख्य रूप से निष्क्रिय बाजार स्वैप के परिशोधन तथा उक्त पैराग्राफ में बताए गए अनुसार वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन के बाद हुए एमटीएम लाभों के कारण है।

आय एवं व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 रिजर्व बैंक को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है- (i) ब्याज प्राप्तियां, (ii) डिस्काउंट, (iii) विनिमय, (iv) कमीशन तथा (v) अन्य आय जिनमें प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा जरूरत महसूस न किए गए प्रावधान। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है। सकल आय तथा देशी और विदेशी स्रोतों से पिछले 5 वर्षों में हुए अर्जन का ब्यौरा सारणी XII.11 में दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XII.11 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में मुख्यतः विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। यह आय 2012-13 के ₹ 207.46 से ₹ 9.78 बिलियन (4.7 प्रतिशत) घटकर 2013-14 में ₹ 197.68 बिलियन रह गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2012-13 के 1.45 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में कम अर्थात् 1.21 प्रतिशत रही जो वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज की दर कम रहने की वजह से है (सारणी XII.12)।

सारणी XII.12 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	15,247.68	17,579.52	2,331.84	15.29
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	14281.58	16,368.93	2,087.35	14.62
विदेशी मुद्रा आस्तियां से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)*	207.46	197.68	(-) 9.78	(-) 4.71
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	1.45	1.21	-	-

* वर्ष 2013-14 के दौरान आय में स्वैप प्रीमियम की ₹ 59.30 बिलियन राशि शामिल है।

देशी स्रोतों से आय

XII.12 देशी स्रोतों से निवल आय 2012-13 के ₹536.11 बिलियन की तुलना में 2013-14 में 16.3 प्रतिशत घटकर ₹448.49 बिलियन रह गई। देशी आय की विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा सारणी XII.13 में दिया गया है। रुपया प्रतिभूतियों के कुल धारण में कमी (सारणी XII.8) के बावजूद कूपन प्राप्तियों से आय 2013-14 के ₹470.53 बिलियन की तुलना में 2012-13 में बढ़कर ₹408.68 बिलियन हो गई क्योंकि वर्ष में ₹302.83 बिलियन की सरकारी प्रतिभूति की खरीद की गई। तथापि, समग्र गिरावट मुख्यतया, रुपया प्रतिभूतियों पर हास में 2012-13 के ₹55.38 बिलियन की तुलना में 2013-14 में ₹480.45 बिलियन की वृद्धि (क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2013-14 में मुनाफा सामान्यतः दृढ़ हो गया था) के कारण आई।

XII.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से निवल ब्याज आय 2012-13

के ₹64.90 बिलियन से बढ़कर 2013-14 में ₹76.77 बिलियन हो गई जिसके प्रमुख कारण हैं (i) जुलाई 2013 में 200 आधार अंक से एमएसएफ दर में वृद्धि और (ii) एलएएफ उधार का एक महत्वपूर्ण भाग वर्तमान रिपो दर से उच्चतर दरों पर मीयादी रिपो व्यवस्था के माध्यम से दिया जाना।

XII.14 जुलाई 2013-जून 2014 की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएमए/ओडी) के प्रति केन्द्र से प्राप्त ब्याज आय 2012-13 के दौरान उसी अवधि के लिए ₹0.67 बिलियन की तुलना में बढ़कर ₹3.22 बिलियन हो गयी। पिछले वर्ष के 27 दिनों के अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने और कोई ओवरड्राफ्ट न लिये जाने की तुलना में केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान 52 दिन अर्थोपाय अग्रिमों तथा 10 दिनों का ओवरड्राफ्ट लिये जाने के कारण केंद्र द्वारा 2013-14 में डब्ल्यूएमए/ओडी का मासिक औसत उपयोग ₹299.4 बिलियन था जबकि 2012-13 में यह ₹98.1 बिलियन था।

सारणी XII.13 : देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	8,659.35	8,664.04	4.65	0.05
देशी आस्तियों का साप्ताहिक औसत अर्जन (I + II+III)	7,724.84	8,694.77	969.95	12.56
	536.11	448.49	(-987.62)	(-16.34)
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	85.47	331.37	245.90	287.70
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	64.79	59.02	(-)5.77	(-)8.90
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.11	17.45	17.34	15763.64
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	408.68	470.53	61.85	15.13
v) मूल्यहास	55.38	480.45	425.07	767.55
कुल (i+ii+iii+iv-v)	503.67	397.92	(-105.75)	(-21.00)
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	1.26	3.88	2.63	208.73
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	17.65	33.10	15.45	87.54
iii) कर्मचारियों को	0.48	0.48	0.00	0.0
कुल (i+ii+iii)	19.39	37.46	18.07	93.19
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.28	0.01	(-)0.27	(-)96.43
ii) विनिमय	-	-	-	-
iii) कमीशन	11.13	12.57	1.44	12.94
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	1.64	0.53	(-)1.12	(-)68.29
कुल (i+ii+iii+iv)	13.04	13.11	0.06	0.46

XII.15 जहाँ तक राज्यों की बात है, अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट से प्राप्त ब्याज 2012-13 के ₹0.59 बिलियन की तुलना में जुलाई 2013-जून 2014 के लिए ₹0.66 बिलियन था। यह वृद्धि राज्यों द्वारा 2012-13 के ₹54.47 बिलियन की तुलना में 2013-14 में ₹58.34 बिलियन के अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का थोड़ा सा अधिक मासिक औसत उपयोग किए जाने की वजह से थी।

व्यय

XII.16 रिजर्व बैंक ने अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय किए हैं जैसे - एजेसी प्रभार/कमीशन, प्रतिभूति मुद्रण प्रभार, खजाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिजर्व बैंक का कुल व्यय 4.9 प्रतिशत कम हो गया है जो 2012-13 के 125.49 बिलियन रुपये से घटकर 2013-14 में 119.34 बिलियन रुपये रह गया है। व्यय को मोटे तौर पर तीन उप-समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात् ब्याज भुगतान, स्थापना व्यय और स्थापना से इतर व्यय। प्रमुख व्यय-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का ब्योरा सारणी XII.14 में दिया गया है।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में शामिल है - कर्मचारी कल्याण निधि अर्थात् चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) और डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि में छमाही आधार पर ब्याज की

अदायगी द्वारा बैंक का योगदान, जो 2012-13 के 0.03 बिलियन रुपये से थोड़ा सा बढ़कर 2013-14 में 0.04 बिलियन रुपये हो गया है।

ii) स्थापना व्यय

स्थापना व्यय 26.2 प्रतिशत कम हो गया है जो वर्ष 2012-13 के 58.59 बिलियन रुपये से घटकर 2013-14 में 43.24 बिलियन रुपये रह गया। यह कमी इसलिए हुई है कि उपदान एवं अधिवर्षिता निधि से उपचित देयताओं और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य निधि में अंशदान में कमी हो गई है। यह अंशदान पिछले वर्ष 35.32 बिलियन रुपये था जो 2013-14 में 18.09 बिलियन रुपये रह गया। बैंक की निवेश राशि भविष्य निधि, उपदान एवं अधिवर्षिता निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि की राशियों के समतुल्य राशि निधियों के लिए बैंक की निवेश राशि के रूप में अलग से रखी गयी है। भविष्य निधि और उपदान तथा अधिवर्षिता निधि को बैंक में 'जमाराशि' के रूप में रखा जाता है। छुट्टी नकदीकरण देयता को 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

iii) स्थापना से इतर व्यय

ए) एजेसी प्रभार

चार प्रकार के व्यय 'एजेसी प्रभार' के रूप में लिए जाते हैं जिनका ब्योरा सारणी XII.15 में दिया गया है।

सारणी XII.14: व्यय

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	0.01	0.55	0.59	0.03	0.04
II. स्थापना	19.87	23.01	29.93	58.59	43.24
III. गैर-स्थापना जिसमें से:	64.15	62.99	70.85	66.87	76.06
(ए) एजेसी प्रभाग/कमीशन	28.55	30.12	33.51	28.07	33.25
(बी) प्रतिभूति मुद्रण प्रभार	27.54	23.76	27.04	28.72	32.14
(सी) अन्य	8.06	9.11	10.3	10.08	10.67
जोड़ (I+II+III)	84.03	86.55	101.37	125.49	119.34

सारणी XII.15: एजेन्सी प्रभार

(₹ मिलियन)

	2012-13	2013-14
1	2	3
सरकारी लेनदेनों पर एजेन्सी कमीशन	27,264.39	27,813.97
प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन	218.65	4,811.98
विविध (राहत/बचत बांडों के लिए बैंकों को दिया गया हैंडलिंग प्रभार के भुगतान का अंशदान)	1.11	0.42
बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षक आदि को प्रदत्त शुल्क	582.38	628.11
कुल	28,066.53	33,254.47

बैंकों को अदा किया गया एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2013-14 में 27.81 बिलियन रुपये कमीशन अदा किया गया जो, इसकी तुलना में वर्ष 2012-13 में 27.26 बिलियन रुपये था, अर्थात् इसमें 2.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे ज्ञात होता है कि सरकारी कारोबार की मात्रा बढ़ गई है।

प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हमीदारी कमीशन शुल्क

हमीदारी कमीशन पर व्यय अत्यधिक बढ़ गया क्योंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक व्यापारियों ने हमीदारी कमीशन की ऊंची दरें उद्धृत की थीं।

बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के

प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को सौंपा गया था जिसके लिए उन्हें 2013-14 में 0.63 बिलियन रुपये शुल्क अदा किया गया जो वर्ष 2012-13 में 0.58 बिलियन रुपये था।

बी) प्रतिभूति मुद्रण

प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (प्राथमिक रूप से करेंसी नोट के मुद्रण के लिए) पर हुए व्यय में 11.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 के 28.72 बिलियन रुपये से बढ़कर 2013-14 में 32.14 बिलियन रुपये हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक नोट फार्मों की कुल आपूर्ति में 15.14 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल) द्वारा करेंसी नोटों की आपूर्ति के लिए थोड़ी सी बढ़ी हुई दर उद्धृत करने के फलस्वरूप हुई।

सी) अन्य

अन्य स्थापना से इतर व्यय जैसे खजाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा, शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं जिसमें वृद्धि 10.08 बिलियन रुपये से बढ़कर 10.67 बिलियन रुपये हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय

सारणी XII.16: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
ए) सकल आय	328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
बी) आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	57.18	134.02	270.25	287.94	0.00
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	51.68	121.67	246.77	262.47	0.00
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	5.50	12.35	23.48	25.47	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	271.66	236.68	261.51	455.63	646.17
डी) कुल व्यय	84.03	86.55	101.37	125.49	119.34
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	187.63	150.13	160.14	330.14	526.83
एफ) निधियों में अंतरण*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	187.59	150.09	160.10	330.10	526.79
सकल आय में कुल व्यय घटाकर प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	76.6	52.8	37.2	53.4	99.99

* : पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

तथा सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय, संगामी लेखा परीक्षा तथा बैंक में विभिन्न प्रयोजनों से की गई विशेष लेखापरीक्षा संबंधी व्यय पर ₹24.22 मिलियन अदा किए गए। विविध व्यय में विभिन्न अकादमी प्रशिक्षण संस्थान आदि को दिए गए अंशदान शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय प्रवृत्ति XII.16 में दी गई है (पिछले वर्ष के आंकड़ों का, आवश्यकतानुसार समूहन/वर्गीकरण पुनः किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप हो सके)।

लेखा-परीक्षक

बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2013-14 के लेखा की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक के रूप में और मैसर्स एस.के. मेहता एंड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संतनम एंड कंपनी, चेन्नै तथा मैसर्स लोटा एंड कं., कोलकता द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में की गई।

अनुबंध 1

भारतीय रिज़र्व बैंक में 01 जुलाई 2013 से जून 2014 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का आगमन

क्र.सं.	बैठक की तारीख	विदेशी प्रतिनिधि/प्रतिनिधि मंडल	प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी
1.	12 जुलाई 2013	श्रीमान जी होएफ़डाड, सूरीनाम के केंद्रीय बैंक के गवर्नर	डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक
2.	14 अगस्त 2013	श्री ली जू-ग्यू, भारत में कोरिया गणतंत्र के राजदूत	डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर
3.	13 सितंबर 2013	सुश्री फ्रेड्रिक ऑर्नब्रैंट, स्वीडन की महावाणिज्यदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
4.	16 सितंबर 2013	श्रीमान बेरॉन एरेंक्रोना, राजदूत तथा स्वीडन के विदेश मामलों के मंत्री के वरिष्ठ परामर्शदाता	श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक
5.	20 सितंबर 2013	श्रीमान गेरी ग्रिमस्टोन, अध्यक्ष, सिटी यू.के. एवं सर जेम्स बेवन, भारत में उच्चायुक्त	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
6.	23 सितंबर 2013	श्रीमान विलियम फोस्टर, भारत में वित्तीय सहचारी (अटैची), अमरीकी राजकोष विभाग	श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक
7.	23 सितंबर 2013	श्रीमान विलियम फोस्टर, भारत में वित्तीय सहचारी (अटैची), अमरीकी राजकोष विभाग	श्री एच.आर. खान, उप गवर्नर
8.	24 सितंबर 2013	श्रीमान विलियम फोस्टर, भारत में वित्तीय सहचारी (अटैची), अमरीकी राजकोष विभाग	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
9.	30 सितंबर 2013	श्रीमान एल्फोन्सस स्टोएलिंगा, राजदूत, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
10.	30 सितंबर 2013	श्रीमान फ्रेंकॉइस रिशिर, फ्रांस के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
11.	10 अक्टूबर 2013	श्रीमान पीटर नॉर्मन, स्वीडन के वित्तीय बाजार मंत्री	श्री एच.आर. खान, उप गवर्नर
12.	17 अक्टूबर 2013	श्रीमान एलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय मामले तथा विदेशी व्यापार के मंत्री	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
13.	21 अक्टूबर 2013	श्रीमान माइकल डी कार्सन, फ़ैडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयार्क के समष्टि आर्थिक विश्लेषक	श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक
14.	28 अक्टूबर 2013	राइट ऑनरेबल डेनियल एलेक्जेंडर, अमरीकी राजकोष के मुख्य सचिव	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर एवं श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक
15.	31 अक्टूबर 2013	श्रीमान कार्ल वान डेन बॉस्शे, मुंबई में बेल्जियम के महावाणिज्य दूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
16.	7 नवंबर 2013	श्रीमान फ्रेडी स्वेन, डेनमार्क के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
17.	7 नवंबर 2013	श्री एलोन यूशपिज, दिल्ली में इस्त्राइल के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
18.	8 नवंबर 2013	विदेश मामलों के मंत्रालय से स्वीडन का प्रतिनिधि मंडल	श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक
19.	16 नवंबर 2013	सुश्री जूली बिशॉप, आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
20.	26 नवंबर 2013	श्रीमान जोआओ क्राविनो, यूरोपीय संघ के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर

वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	बैठक की तारीख	विदेशी प्रतिनिधि/प्रतिनिधि मंडल	प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी
21.	26 नवंबर 2013	श्रीमान डिडियर रेयन्डर्स, बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री एवं विदेशी मामलों के मंत्री	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
22.	7 जनवरी 2014	डॉ. रिचर्ड एल सेन्डॉर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एलएलसी	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
23.	7 जनवरी 2014	श्रीमान हिरोशी उगाई, उप महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, बैंक ऑफ जापान	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
24.	22 जनवरी 2014	राइट ऑनरेबल एल्डरमैन फिओना वुल्फ, लंदन शहर के लार्ड मेयर	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, उप गवर्नर
25.	27 जनवरी 2014	श्रीमान मित्सुहिरो फुरुसावा, वित्त उप मंत्री, अंतरराष्ट्रीय मामले, जापान	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर एवं डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, उप गवर्नर
26.	11 फरवरी 2014	श्रीमान रणधीर सिंह शीनिक, गवर्नर, बैंक ऑफ मॉरीशस	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
27.	11 फरवरी 2014	श्रीमान पेट्रिक सकलिंग, आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
28.	18 फरवरी 2014	श्रीमान गुस्तावो-डे-अरिस्तेगुइ, भारत में स्पेन के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
29.	28 फरवरी 2014	श्रीमान एल्फोन्सस स्टोएलिंगा, राजदूत, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
30.	4 मार्च 2014	डॉ. ऑलिवर लेटविन, कैबिनेट मिनिस्टर, यू.के.	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
31.	27 मार्च 2014	श्रीमान पीटर हास, भारत में महावाणिज्यदूत, अमरीकी राजकोषीय विभाग	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
32.	27 मार्च 2014	श्रीमान विलियम फॉस्टर, भारत में वित्तीय सहचारी (अटैची), अमरीकी राजकोषीय विभाग	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
33.	17 अप्रैल 2014	यू.एस.काँग्रेस जर्मन बंडैस्टैग डेलीगेशन	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
34.	22 अप्रैल 2014	डॉ. युवराज खाटीवाड़ा, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर एवं श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक
35.	25 अप्रैल 2014	श्रीमान ताकेशी यागी, भारत में जापान के राजदूत	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर एवं श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक
36.	22 मई 2014	श्री पेर वेस्टरबर्ग, स्वीडन की संसद के स्पीकर	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर एवं श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक
37.	10 जून 2014	सुश्री विकी राबर्टसन, न्यूजीलैंड के राजकोष के उप मुख्यकार्यपालक अधिकारी	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर
38.	19 जून 2014	श्रीमान स्टीवर्ट बैंक, कनाडा के उच्चायुक्त	डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 वास्तविक जीडीपी (%परिवर्तन)	8.7	6.7	8.9	6.7	4.5	4.7
I.2 बाजार मूल्य में जीडीपी (%परिवर्तन)	8.8	7.0	10.3	6.6	4.7	5.0
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	244.5	259.3	257.1	264.8
I.4 खाद्य स्टॉक (मिलियन टन)						
क) खरीद	38.4	60.8	56.8	66.4	72.2	50.8
ख) उठाव	41.5	55.6	52.9	56.3	62.8	57.4
ग) मार्च के अंत में स्टॉक	18.6	50.1	44.4	53.4	59.8	49.5
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)	11.2	3.5	8.2	2.9	1.1	-0.1
I.6 मूल ढांचागत उद्योग (%परिवर्तन)	5.9	5.6	6.6	5.0	6.5	3.1
I.7 सकल देशी बचत दर (चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी का %)	33.3	32.2#	33.7	31.3	30.1	..
I.8 सकल देशी निवेश दर (चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी का %)	33.6	35.8#	36.5	35.5	34.8	..
II. मूल्य						
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	10.2	9.5
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	10.4	8.4	10.4	9.7
II.3 थोक मूल्य सूचकांक वार्षिक औसत (%परिवर्तन)	5.5	7.1	9.6	8.9	7.4	6.0
III. मुद्रा और ऋण						
III.1 आरक्षित मुद्रा (एम0) (%परिवर्तन)	20.4	12.1	19.1	3.6	6.2	14.4
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	16.1	13.5	13.6	13.2
III.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक						
क) समग्र जमा राशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	15.9	13.5	14.2	14.1
ख) बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	21.5	17.0	14.1	13.9
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दर (%)						
क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	5.8	8.2	8.1	8.3
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.9	8.4	8.2	8.4
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल			7.3	9.0	8.2	8.9
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारित औसत ब्याज दर			7.9	8.5	8.4	8.5
ड) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	8.6	9.8	9.2	9.3
IV.2 चलनिधि (रु.बिलियन)						
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)~	-1,060.1	-1,691.6	-1,236.4	-2,179.9
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)~~	0.0	0.0	0.0	0.0
ग) मांग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	177.3	267.0	323.6	302.3
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार \$	77.1	241.4	142.4	171.3	325.1	429.0
ड) मियादी रिपो*						1,200.2
च) मार्जिनल स्थायी सुविधा*				52.8	70.0	737.4
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)@						
क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9.8	9.0	10.1	8.3	8.7	8.9
ख) कुल व्यय	14.7	14.7	15.4	14.5	13.9	13.8
ग) सकल राजकोषीय घाटा	3.6	5.3	4.8	5.7	4.8	4.5
V.2 राज्य वित्त @@						
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)**	0.4	0.0	0.0	-0.3	-0.2	0.0
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)**	2.7	2.2	2.1	1.9	1.9	2.4
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)**	0.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.9

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र						
VI.1 भुगतान संतुलन						
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	40.4	20.9	-1.0	3.9
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	27.6	30.3	0.5	-7.2
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.4	-8.9	-7.5	-10.1	-10.5	-7.9
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.1	5.7	4.6	5.9	5.8	6.1
ज) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.2	-2.8	-4.2	-4.7	-1.7
च) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.6	3.7	3.7	3.6	4.8	2.6
छ) रिजर्व परिवर्तन (बीओपी आधारपर) (बिलियन अमरीकी \$) [(वृद्धि (-)/कमी (+))]	-40.3	-6.6	-13.1	12.8	-3.8	-15.5
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक						
क) बाह्य ऋण स्टॉक (बिलियन अमरीकी \$)	156.5	357.9	317.9	360.8	409.4	440.6
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.7	20.4	18.2	20.5	22.0	23.3
ग) रिजर्व का आयात कवर (महीनों में)	13.9	8.5	9.5	7.1	7.0	7.8
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	13.6	21.2	20.4	21.7	23.6	20.3
ज) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	4.4	6.0	5.9	5.9
च) रिजर्व की तुलना में ऋण (%)	113.7	85	95.9	81.6	71.3	69.0
VI.3 उदारता सूचकांक (%)						
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.4	40.2	37.4	43.0	43.5	41.8
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	40.8	52.2	49.5	54.8	55.7	54.1
ग) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	46.6	58.3	55.1	60.4	61.8	60.5
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	36.8	49.5	55.2	47.3	46.0	51.9
ज) चालू प्राप्तियाँ और भुगतान और पूंजी प्राप्तियाँ और भुगतान/ जीडीपी	83.5	107.7	110.3	107.8	107.8	112.5
VI.4 विनिमय दर सूचकांक						
क) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर)						
अवधि के अंत में	43.1	51.1	44.6	51.2	54.4	60.1
औसत	44.1	51.2	45.6	47.9	54.4	60.5
ख) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1 ^{^^}	0.8	8.5	-2.1	-4.3	-2.2
ग) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7 ^{^^}	-4.9	2.9	-6.6	-10.4	-7.7
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4 ^{^^}	1.8	12.4	-2.7	-3.4	-3.7
ज) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6 ^{^^}	-5.4	5.5	-8.1	-10.5	-10.4

.. : उपलब्ध नहीं

~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (ऋणात्मक अर्थात् अन्तर्वेशन)।

\$: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में औसत दैनिक आउटराइट व्यापार टर्नओवर

@ : 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार के आंकड़ों अर्न्तमि लेखा से संबंधित हैं।

@ @ : 2013-14 के लिए राज्य सरकार के आंकड़ों संशोधित लेखा से संबंधित हैं।

** : 2012-13 से आंकड़ों अर्न्तमि हैं और 26 राज्य सरकारों के बजट के हैं जिन में से 5 लेखा अनुदान हैं।

टिप्पणी: सीपीआई पर आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर)

: 2009-10 से 2012-13 का औसत

~ ~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार

* : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

^^ : 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि का औसत

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना आपूर्ति और व्यय
(2004-05 मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर					वास्तविक जीडीपी में हिस्सा			
	औसत 2009-10 से 2013-14	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14#	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14#
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
सकल देशी उत्पाद की आपूर्ति का हिस्सा									
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	4.1	8.6	5.0	1.4	4.7	14.6	14.4	13.9	13.9
जिसमें से:									
कृषि	4.1*	9.5	5.3	0.9	..	12.4	12.3	11.8	..
2. उद्योग	5.2	8.3	6.7	0.9	-0.1	20.3	20.3	19.6	18.7
जिसमें से:									
क) खनन और उत्खनन	1.8	6.5	0.1	-2.2	-1.4	2.2	2.1	2.0	1.9
ख) विनिर्माण	5.6	8.9	7.4	1.1	-0.7	16.2	16.3	15.8	14.9
ग) बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	5.6	5.3	8.4	2.3	5.9	1.9	1.9	1.9	1.9
3. सेवाएं	7.7	9.2	7.1	6.2	6.2	65.1	65.3	66.4	67.4
जिसमें से:									
क) निर्माण	5.2	5.7	10.8	1.1	1.6	7.6	7.9	7.7	7.4
ख) व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	7.0	12.2	4.3	5.1	3.0	27.3	26.7	26.9	26.4
ग) वित्तीय सहायता, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	11.0	10.0	11.3	10.9	12.9	17.3	18.0	19.1	20.6
घ) सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	6.3	4.2	4.9	5.3	5.6	12.9	12.7	12.8	12.9
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	6.7	8.9	6.7	4.5	4.7	100.0	100.0	100.0	100.0
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा									
1. निजी अंतिम खपत व्यय	7.0	8.7	9.3	5.0	4.8	58.5	60.0	60.1	60.0
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	7.3	5.8	6.9	6.2	3.8	11.0	11.1	11.2	11.1
3. सकल नियत पूंजी निर्माण	6.3	11.0	12.3	0.8	-0.1	33.5	35.3	33.9	32.3
4. स्टॉक में परिवर्तन	12.3	44.7	-43.4	-9.0	1.6	3.9	2.1	1.8	1.7
5. मूल्यवान वस्तुएं	20.2	32.4	6.6	35.8	-31.6	2.4	2.4	3.1	2.0
6. निवल निर्यात	-5.8	-3.7	-39.9	-11.0	32.1	-6.6	-8.6	-9.1	-5.9
क) निर्यात	8.8	19.6	15.6	5.0	8.4	22.6	24.5	24.6	25.4
ख) कम आयात	7.7	15.6	21.1	6.6	-2.5	29.2	33.1	33.7	31.3
7. विसंगतियाँ	52.2	43.7	-18.9	-50.2	28.1	-2.8	-2.1	-1.0	-1.2
8. बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद	7.0	10.3	6.6	4.7	5.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*: पहला संशोधित अनुमान; # अनंतिम अनुमान; .. उपलब्ध नहीं

@: वर्ष 2013-14 के लिए 'कृषि' के उप क्षेत्र के लिए संपूर्ण आंकड़े सीएसओ द्वारा प्रकाशित किये जाने हैं, अतः यह 2009-10 से 2012-13 से संबंधित औसत होगा।

\$: भारतीय राष्ट्रीय लेखा में मूल्यवान वस्तुओं (स्वर्ण, जवाहरात और आभूषण सहित) को पृथक श्रेणी माना जाता है (अर्थात् अचल पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन से इतर)। यह राष्ट्र संघ की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 1993 और 2008 के अनुरूप हैं।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी 3 : मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100) अखिल भारत	ग्रामीण			शहरी			सम्मिलित		
	भारांक	2012-13	2013-14	भारांक	2012-13	2013-14	भारांक	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	100.0	10.1	9.6	100.0	10.4	9.4	100.0	10.2	9.5
खाद्य, पेय और तंबाकू	59.3	11.7	11.1	37.2	12.1	11.0	49.7	11.8	11.1
ईंधन और बिजली	10.4	7.9	7.4	8.4	9.7	7.3	9.5	8.5	7.4
आवास	22.5	11.3	10.4	9.8	11.3	10.4
वस्त्र, बिस्तर और जूते	5.4	10.9	9.5	3.9	10.9	8.9	4.7	10.9	9.3
विविध	24.9	7.2	6.7	28	7.5	7.0	26.3	7.3	6.8
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	33.0	8.0	7.3	55.8	9.4	8.6	42.9	8.7	8.1
अन्य मूल्य सूचकांक	भारांक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. शोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)									
सभी वस्तुएँ	100.0	6.6	4.7	8.1	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0
प्राथमिक वस्तुएँ	20.1	9.6	8.3	11.0	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8
जिनमें से : खाद्य वस्तुएँ	14.3	9.6	7.0	9.1	15.3	15.6	7.3	9.9	12.8
ईंधन और ऊर्जा	14.9	6.5	0.0	11.6	-2.1	12.3	14.0	10.3	10.2
विनिर्मित उत्पाद	65.0	5.7	4.8	6.2	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	55.0	5.7	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3	4.9	2.9
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू)	100.0	6.7	6.2	9.1	12.4	10.4	8.4	10.4	9.7
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	46.2	9.2	8.4	12.3	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक	100.0	7.8	7.5	10.2	13.9	10.0	8.2	10	11.6
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक	100.0	7.5	7.2	10.2	13.8	10.0	8.3	10.2	11.5
	मुद्रा और ऋण								
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आरक्षित मुद्रा (एमओ)		23.9	31.0	6.4	17.0	19.1	3.6	6.2	14.4
संचलन में मुद्रा		17.3	17.2	17.0	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2
आरबीआई के पास बैंकरो की जमाराशियाँ		45.6	66.5	-11.3	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0
संकीर्ण मुद्रा (एम1)		17.1	19.4	9.0	18.2	10.0	6.0	9.2	8.3
व्यापक मुद्रा (एम3)		21.7	21.4	19.3	16.9	16.1	13.5	13.6	13.2
मुद्रा - जमा अनुपात		17.9	17.2	16.8	16.5	17.0	16.8	16.4	15.8
मुद्रा गुणक		4.8	4.7	4.3	4.9	4.8	4.7	5.2	5.5
जीडीपी/एम3		1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
अनुसूचित वाणिज्य बैंक									
कुल जमाराशियाँ		23.8	22.4	19.9	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1
बैंक ऋण		28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9
खाद्येतर ऋण		28.5	23.0	17.8	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2
ऋण-जमा अनुपात		73.9	73.9	72.4	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8
ऋण-जीडीपी अनुपात		45.0	47.4	49.3	50.1	50.6	51.2	52.0	52.8

परिशिष्ट सारणी 4: प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार

(राशि रु बिलियन में)

मदे	2012-13		2013-14	
	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम*				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	54	161.0	70	116.8
ए) वित्तीय	12	44.5	26	60.6
बी) गैर-वित्तीय	42	116.5	44	56.2
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी+सी)	14	147.6	20	439.7
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3	1.9	5	105.7
बी) सरकारी कंपनियां	0	0	1	37.0
सी) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	11	145.7	14	297.0
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	68	308.7	90	556.5
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	48	138.8	55	132.7
(ii) ऋण	20	169.8	35	423.8
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	32	49.4	38	12.4
(ख) सूचीबद्ध	36	259.3	52	544.1
आ. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)	5	10.4	1	1.2
इ. निजी स्थानन एवं				
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)		1,412.8		1,188.9
क) वित्तीय		865.7		859.8
ख) गैर-वित्तीय		547.1		329.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)		1,889.2		2,710.4
क) वित्तीय		1,376.5		1,759.3
ख) गैर-वित्तीय		512.7		951.1
3. कुल (1+2, i+ii)		3,302.0		3,899.2
(i) इक्विटी		66.8		272.1
(ii) ऋण		3,235.3		3,626.4
ई. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन \$	45	160.0	17	136.6
उ. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल) #		765.4		537.8
1. निजी क्षेत्र		637.9		488.4
2. सार्वजनिक क्षेत्र		127.5		49.4
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि		18,835.8		22,386.3
अवधि का औसत		18,202.1		20,120.1
कीमत अर्जन अनुपात@		16.9		18.3
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण(%)		63.2		65.3
नकदी खंड का कुल कारोबार		5,487.7		5,216.6
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		71,635.8		92,194.3
एनएसई				
एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी: समाप्ति-अवधि के लिए		5,682.6		6,704.2
अवधि का औसत		5,520.3		6,009.5
कीमत अर्जन अनुपात @		17.6		18.9
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)		61.7		64.1
नकदी खंड का कुल कारोबार		27,082.8		28,084.9
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		315,330.0		382,114.1

* : विक्रय प्रस्ताव को छोड़कर - : शून्य/नगण्य। @ : समाप्ति अवधि के अनुसार। # : शुद्ध पुनःप्राप्ति
& : अनर्तित \$: इसमें संस्थागत स्थानन कार्यक्रम से भी संसाधन जुटाना शामिल है।
स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 5 : मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @	बकाया देयताएं \$
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.4
2007-08	-0.9	1.1	-2.4	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	1.1	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.5	52.1
2011-12	2.7	4.4	1.4	5.7	50.0	51.7
2012-13	1.8	3.6	0.5	4.8	50.1	51.7
2013-14 सं.अ.	1.3	3.3	-0.1	4.6	49.2	50.9
2013-14 अर्न्तिम	1.2	3.2	-0.2	4.5	-	-
2014-15 ब.अ.	0.8	2.9	0.0	4.1	48.3	49.8
राज्य*						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2007-08	-0.5	-0.9	-2.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	-2.1	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.1	22.1
2012-13	0.4	-0.2	-1.7	1.9	21.7	21.7
2013-14 सं.अ.	0.9	0.0	-1.6	2.4	21.5	21.5
2014-15 ब.अ.	0.8	-0.4	-1.9	2.3	21.3	21.3
समेकित*						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.2	73.7
2007-08	-1.2	0.2	-5.0	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	-0.8	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	2.4	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.5
2011-12	3.2	4.1	-0.4	7.6	63.5	65.2
2012-13	2.3	3.4	-1.1	6.8	63.9	65.4
2013-14 सं.अ.	2.2	3.2	-1.6	7.0	63.7	65.4
2014-15 ब.अ.	1.7	2.6	-2.2	6.4	63.4	64.9

-: उपलब्ध नहीं सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

*: 2012-13 से आगे के आंकड़े अर्न्तिम हैं एवं उनका संबंध 26 राज्य सरकारों के बजट से है जिनमें से 5 लेखा अनुदान हैं।

@: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

\$: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

नोट: 1. समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं।

2. नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 संअ	2014-15 बअ
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	18,521.2	21,451.5	24,217.7	26,832.0	31,781.6	35,399.9
1.1 विकासात्मक	10,628.1	12,677.0	14,209.4	15,653.7	18,592.9	20,470.9
1.1.1 राजस्व	8,513.0	10,260.2	11,394.6	12,741.5	14,954.7	16,055.9
1.1.2 पूंजी	1,868.4	1,935.8	2,163.4	2,424.6	3,153.3	4,008.4
1.1.3 ऋण	246.7	480.9	651.3	487.6	484.8	406.6
1.2 अविकासात्मक	7,687.3	8,520.5	9,695.9	10,821.0	12,703.7	14,400.1
1.2.1 राजस्व	7,086.9	7,765.9	8,923.6	9,963.0	11,627.6	13,129.7
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	3,145.7	3,485.6	4,000.0	4,538.2	5,496.2	6,129.8
1.2.2 पूंजी	594.1	747.5	754.8	835.9	1,054.0	1,230.5
1.2.3 ऋण	6.3	7.0	17.5	22.2	22.1	39.9
1.3 अन्य	205.8	254.0	312.4	357.2	485.1	528.9
2 कुल प्राप्तियाँ	18,458.1	21,535.6	24,540.6	27,570.2	31,287.4	35,036.3
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	12,105.6	15,788.2	16,926.8	19,613.2	23,404.5	26,430.4
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	9,846.1	12,500.7	14,427.5	16,856.8	19,192.2	22,099.1
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5,580.7	7,393.7	8,745.6	10,383.5	11,770.7	13,615.6
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	4,249.3	5,087.2	5,654.1	6,442.3	7,390.9	8,449.5
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	16.1	19.8	27.9	30.9	30.7	34.0
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	2,259.5	3,287.5	2,499.3	2,756.5	4,212.2	4,331.3
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	257.5	250.8	288.7	354.9	359.6	358.7
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ	368.9	322.9	441.2	388.9	375.9	711.5
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	115.0	82.1	253.7	128.9	112.9	63.9
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	253.9	240.9	187.5	259.9	263.0	647.6
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	6,046.7	5,340.3	6,849.7	6,829.9	8,001.3	8,258.0
3क वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	5,936.3	5,104.8	6,725.2	6,757.9	7,946.8	8,200.6
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,918.5	3,147.1	3,898.3	3,352.8	3,295.9	..
3क.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	1,500.1	1,849.7	1,391.8	548.4	1,081.3	..
3क.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	2,017.8	1,957.7	2,826.9	3,405.1	4,650.9	..
3क.2 बाह्य वित्त पोषण	110.4	235.6	124.5	72.0	54.4	57.3
3ख वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	5,936.3	5,104.8	6,725.2	6,757.9	7,946.8	8,200.6
3ख.1.1 बाजार से उधार (निवल)	5,070.2	4,151.7	6,195.1	6,383.5	6,401.6	6,898.4
3ख.1.2 अल्प बचत (निवल)	-374.6	-545.3	190.9	-85.7	-121.4	-34.3
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	355.4	362.4	334.3	312.3	253.8	353.0
3ख.1.4 आरक्षित निधि	-155.7	35.6	178.5	-4.1	58.3	-153.5
3ख.1.5 जमाराशि और अग्रिम	175.7	342.9	122.1	27.2	78.9	61.3
3ख.1.6 नकदी शेष	63.1	-84.2	-322.9	-738.3	494.3	363.6
3ख.1.7 अन्य	802.3	841.6	27.2	863.0	781.3	712.2
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	110.4	235.6	124.5	72.0	54.4	57.3
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	28.6	27.5	26.9	26.5	28.0	27.5
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	28.5	27.6	27.2	27.3	27.6	27.2
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	18.7	20.3	18.8	19.4	20.6	20.5
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	15.2	16.0	16.0	16.7	16.9	17.2
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	9.3	6.9	7.6	6.8	7.0	6.4

... : अनुपलब्ध।

टिप्पणी: 1. 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं और 26 राज्य सरकारों के बजट के हैं (अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर) जिनमें से 5 लेखा अनुदान हैं।

2. 2013-14 और 2014-15 के जीडीपी आंकड़े क्रमशः अनंतिम अनुमान तथा बजट अनुमान हैं।

स्रोत: केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 7: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(अमरीकी मिलियन डालर)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 अ	2012-13अ	2013-14अ
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. चालू खाता							
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	166,163	189,001	182,442	256,159	309,774	306,581	318,607
2 आयात, सी.आई.एफ.	257,630	308,521	300,644	383,481	499,533	502,237	466,216
3 व्यापार शेष	-91,467	-119,521	-118,203	-127,322	-189,759	-195,656	-147,609
4 अदृश्य मर्दे, निवल	75,730	91,603	80,022	79,269	111,604	107,493	115,212
क) गैर कारक सेवाएं : जिसमें से:	38,853	53,916	36,016	44,081	64,098	64,915	72,965
सॉफ्टवेयर सेवाएं	36,942	43,736	48,237	50,905	60,957	63,504	66,958
ख) आय	-5,068	-7,110	-8,038	-17,952	-15,988	-21,455	-23,028
ग) निजी अंतरण	41,707	44,566	51,791	53,125	63,469	64,342	65,481
5 चालू खाता शेष	-15,738	-27,917	-38,181	-48,053	-78,155	-88,163	-32,397
बी. पूंजी खाता							
1 विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	43,326	8,342	50,362	42,127	39,231	46,711	26,386
क) प्रत्यक्ष निवेश	15,893	22,372	17,966	11,834	22,061	19,819	21,564
ख) निवेश संविभाग	27,433	-14,031	32,396	30,293	17,170	26,891	4,822
2 बाह्य सहायता, निवल	2,114	2,439	2,890	4,941	2,296	982	1,032
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	22,610	7,860	2,000	12,160	10,344	8,485	11,777
4 अल्पावधि ऋण, निवल	15,930	-1,986	7,558	12,034	6,668	21,657	-5,044
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से:	11,759	-3,246	2,083	4,962	16,226	16,570	25,449
अनिवासी जमाराशियां, निवल	179	4,291	2,922	3,238	11,918	14,842	38,892
6 रुपया ऋण सेवाएं	-121	-101	-97	-68	-79	-58	-52
7 अन्य पूंजी, निवल @	10,969	-5,918	-13,162	-12,416	-6,929	-5,047	-10,761
8 कुल पूंजी खाता	106,585	7,396	51,634	63,740	67,755	89,300	48,787
सी. भूल-चूक	1,317	440	-12	-2,636	-2,432	2,689	-882
डी. समग्र शेष [ए(5)+बी(8)+सी]	92,164	-20,080	13,441	13,050	-12,831	3,826	15,508
ई. मौद्रिक गतिविधियां (एफ + जी)	-92,164	20,080	-13,441	-13,050	12,831	-3,826	-15,508
एफ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल							
जी. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-, कमी +) जिसमें से: एसडीआर आबंटन	-92,164	20,080	-13,441	-13,050	12,831	-3,826	-15,508
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार							
1. व्यापार संतुलन	-7.4	-9.8	-8.7	-7.5	-10.1	-10.5	-7.9
2. निवल सेवाएं	3.1	4.4	2.6	2.6	3.4	3.5	3.9
3. निवल आय	-0.4	-0.6	-0.6	-1.1	-0.9	-1.2	-1.2
4. चालू खाता शेष	-1.3	-2.3	-2.8	-2.8	-4.2	-4.7	-1.7
5. पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	16.0	-1.0	4.8	4.5	2.9	5.0	3.4
6. विदेशी निवेश, निवल	3.5	0.7	3.7	2.5	2.1	2.5	1.4

अ :अर्नातिम, आं.सं. : आंशिक रूप से संशोधित सं. संशोधित

@ : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और लंबित मामलों के संबंध में प्राप्त अग्रिम

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है ।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज मूल्यांकन और समय में अंतर होना है ।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(अमरीकी मिलियन डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2009-10	2010-11	2011-12 अ	2012-13 अ	2013-14 अ
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	22,461	14,939	23,473	18,286	16,054
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	9,801	5,616	8,142	8,059	3,695
सिंगापुर	2,218	1,540	3,306	1,605	4,415
यू.एस.ए.	2,212	1,071	994	478	617
साइप्रस	1,623	571	1,568	415	546
जापान	971	1,256	2,089	1,340	1,795
नीदरलैंड्स	804	1,417	1,289	1,700	1,157
यूनाइटेड किंगडम	643	538	2,760	1,022	111
जर्मनी	602	163	368	467	650
यू.ए.ई.	373	188	346	173	239
फ्रांस	283	486	589	547	229
स्विट्जरलैंड	96	133	211	268	356
हॉंग कॉंग एसएआर	137	209	262	66	85
स्पेन	125	183	251	348	181
दक्षिणी कोरिया	159	136	226	224	189
लक्जेंबर्ग	40	248	89	34	539
अन्य	2374	1184	983	1540	1,249
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	5,143	4,793	9,337	6,528	6,381
निर्माण	3,516	1,599	2,634	1,319	1,276
वित्तीय सेवाएँ	2,206	1,353	2,603	2,760	1,026
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	2,191	444	340	197	201
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,877	1,338	1,395	1,653	1,284
संचार सेवाएँ	1,852	1,228	1,458	92	1,256
व्यापार सेवाएँ	1,554	569	1,590	643	521
विविध सेवाएँ	888	509	801	552	941
कंप्यूटर सेवाएँ	866	843	736	247	934
रेस्तरां व होटल	671	218	870	3,129	361
फुटकर व थोक व्यापार	536	391	567	551	1,139
खनन	268	592	204	69	24
परिवहन	220	344	410	213	311
व्यापार	198	156	6	140	0
शिक्षा, अनुसंधान व विकास	91	56	103	150	107
अन्य	384	506	419	43	293

अ : अर्न्तम

नोट : इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्ग के जरिए किए गए एफडीआई शामिल हैं।